लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 7, मंगलवार, 17 जून, 1980/ 27 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—2[illegible]
*तारांकित प्रश्न संख्या : 122,123,125,128,130,133, 134,138 और 140	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—13[illegible]
*तारांकित प्रश्न संख्या : 124,126,127,129,131,132, 135 से 137,139 और 141	21—2[illegible]
अतारांकित प्रश्न संख्या 942 से 967 और 969 से 1080	30—137
सभा पटल पर रखे गये पत्र	138—139
राज्य सभा से संदेश	—140
दिल्ली उच्च-न्यायालय (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	—141
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मिजो नेशनल फ्रंट के छापामारों द्वारा तीन सरकारी कर्मचारियों की हत्या का समाचार	—141
श्री हन्नान मोल्लाह	141—142
श्री योगेन्द्र मकवाना	141—147
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	—144
श्री अजय विश्वास	—146
श्री जनार्दन पुजारी	146—147
विदेश मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य	
श्री पी०वी० नरसिंह राव	147—15[illegible]
कार्य-मंत्रणा समिति	
पांचवां प्रतिवेदन-स्वीकृत	—
377 के अधीन मामले	154[illegible]

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
एक) पटना में रसोई गैस की भारी कमी का समाचार			
श्री रामावतार शास्त्री	...	...	—154
दो) राजधानी में सीमेंट की बितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता।			
श्रीमती प्रमिला दंडवते	...	...	—155
तीन) कोको के निर्यात के लिये एक बिपणन एजेंसी स्थापित करने और कोको के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता			
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	...	...	155—156
चार) हरिजनों, आदिवासियों और समाज के पिछड़े वर्गों पर अत्याचार			
श्री रामविलास पासवान	...	...	—156
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	...	—156
ेल बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा			156—227
प्रो० मधु दन्डवते	...	...	157 169
श्री एस०बी० चव्हाण	...	...	169—177
श्री जयदीप सिंह	...	...	177—180
श्री रामविलास पासवान	...	...	180—188
प्रो० नारायणचन्द पराशर	...	...	188—198
श्री बीजू पटनायक	...	...	194—196
श्री शिवप्रसाद साहू	...	...	196—200
श्री एस०बी०पी० पट्टाभिरामाराव	...	...	200—203
श्री समर मुखर्जी	...	...	203—212
श्री वृद्धिचन्द्र जैन	...	...	212—216
डा० ए० कलानिधि	...	...	216—220
श्री रामस्वरूप राम	...	...	220—223
चौधरी मुलतानसिंह	...	...	223—227

लोक सभा

मगलवार 17 जून, 1980/27 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्यम आकार के उद्योगों के लिये रक्षित जेनरेटर

***122 श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यम आकार के उद्योगों के लिये रक्षित जनरेटरों के निर्माण के लिए सामान्य अनुमति जारी की है।

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव से प्राधिकारी विद्युत की कमी को बहुत कम कर सकेंगे।

(ग) क्या किसी उद्योग ने इस अनुमति का लाभ उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) से (घ) : मध्यम साइज के उद्योगों के लिये कैप्टिव जेनरेटरों के निर्माण के लिए सरकार ने सामान्य अनुमति जारी नहीं की है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार, जिन उद्योगों में प्रक्रिया के लिए भाप की आवश्यकता पड़ती है अथवा जहां अवशेष ऊष्मा उपलब्ध होती है, उन उद्योगों में, "समग्र ऊर्जा संकल्पना" के अनुसार कैप्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। तथापि, "समग्र ऊर्जा संकल्पना" के अन्तर्गत न आने वाले भामलों पर, भारत सरकार गुण-दोषों के आधार पर चयन करके अनुकुलतापूर्वक विचार करेगी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि ऐसे कितने मामलों का सरकार को पता चला है जो 'समग्र ऊर्जा संकल्पना' से बाहर पड़ते हैं और जिन पर भारत सरकार वरणशीलता और गुणवत्ता के आधार पर उनके हक में विचार करेगी ? दूसरे, विद्युत संकट को देखते हुए क्या सरकार मानदन्डों में उपयुक्त परिवर्तन करेगी जिससे कृषि-उद्योग और शक्ति-चालित करघों जैसे लघु-उद्योगों को सम्मिलित करके उनके आवेदन-पत्रों पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जा सके।

श्री बिक्रम महाजन : जहां तक मुझे पता है जनवरी, 1980 से लेकर आज तक हमने रक्षित संयन्त्रों के किसी भी एकक को अनुमति देने से मना नही किया है और हमने इसमें काफी ढील बरत रखी है। जहां तक संकट ग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हाल ही में इस्पात, सीमेन्ट और एलम्युनियम उद्योगों को अनुमति प्रदान की गई हैं। यदि माननीय सदस्य कोई मामला हमारे पास लेकर आयेंगे तो हम उस पर गौर करेगें।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : चूंकि ग्रिड़ के सिद्धांत से निजी एककों वाले संयंत्रों विद्युतोत्पादन की लागत चार-पांच गुणा अधिक होती है तो, क्या सरकार मध्यम-आकार के संयन्त्रों को हलके डीजल तेल पर, उच्च गति डीजल तेल और बिजली पर उत्पाद शुल्क के रूप में राहत पहुंचायेगी ? दूसरे, क्या सरकार मध्यम-आकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके रक्षित संयन्त्र रखने के लिये प्रोत्साहित करेगी ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं सब बात साफ कर देना चाहता हूं। विद्युत प्रदाय अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के उपवन्धानुसार इस प्रकार के मामलों को निपटाने में राज्य बिजली बोर्ड बिल्कुल सक्षम हैं। परन्तु यदि 25 मेगावाट से अधिक का मामला हो तो उन्हें अनुमति लेने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास आना पड़ेगा। यदि रक्षित संयन्त्र बहुत ही छोटे हों तो वे बहुत खर्चीले हो जाते हैं फिर चाहे वे कोयले से चलने वाले हों अथवा डीजल से। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसमें हमने कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की है। अतः सामान्यतया हम छोटे रक्षित संयन्त्रों को प्रोत्साहित नहीं करते। इस पर हम निश्चित नीति निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सभी विद्युत मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री महोदया करेंगी और उसमें हम इस विषय पर कुछ मानदण्ड निश्चित करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी के कारण जो पढ़े लिखे नौजवान छोटे उद्योग लगाते हैं उनकी बुरी हालत हो रही है क्योंकि बिजली की कमी के कारण उत्पादन नहीं होता। दूसरे जो पैसे सरकार से लेकर उद्योग लगाते हैं उस पर कर्ज बढ़ता जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब तक बिजली की कमी के कारण उनका उत्पादन नहीं होता तब तक के लिए उनका कर्ज माफ किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती। इसका इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। दूसरा प्रश्न।

पन-बिजली घरों की स्थापना के लिए विदेशी सहयोग

***123. श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्प अवधि के भीतर ही पन-बिजली घरों की स्थापना करने के लिए विदेशी सहयोग लेने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से देश हैं, जिनसे इस प्रयोजन के लिए तकनीकी जानकारी देने का अनुरोध किया गया है और सरकार ने किन-किन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : देश में उपलब्ध भारी जल विद्युत क्षमता की अधिकतम सीमा तक उपयोग में लाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ये परियोजनाएं यथा संभव कम से कम समय में पूरी हो जाएं, यह निर्णय लिया गया है कि देश में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे संगठनों की क्षमता में सुधार लाने के लिए जो उपाय आवश्यक हों वे उपाय किए जाएं। इसमें, निर्माण पद्धतियों में उपयोग में लाई जा रही प्रोद्योगिकियों को उन्नत बनाना, अन्वेषण प्रोद्योगिकियों में तथा जल-विद्युत की आयोजना में सुधार लाना आदि शामिल हो सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से जहां आवश्यक होगा वहां तथा जिन क्षेत्रों में देश में तकनीक उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञता को काम में लाया जाएगा।

श्री के० ए० राजन : 27 मई, 1980 के **'बिजनेस स्टैन्डर्ड'** में यह समाचार दिया गया था कि विद्युत प्राधिकरण ने एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई और उसमें जलीय-विद्युत उत्पादन में विदेशी सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जबकि हमारे पास प्रतिष्ठित भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस लिमिटेड है, जो कि इस क्षेत्र में बहुत दक्ष है तथा उसके पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान भी है तो विदेशी सहयोग प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। यदि इसमें कार्यान्वियन में लम्बा समय लगने की सम्भावना है तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करती जिससे भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस लिमिटेड इसे छोड़कर बिना विदेशी सहायता प्राप्त किए हमें तकनीकी ज्ञान प्रदान करा सके?

श्री विक्रम महाजन : समय बीतने के साथ-साथ नये-नये सर्वेक्षण कराये गये हैं और हमने देखा है कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि चल तो सकती हैं परन्तु उनके लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। जहां उपग्रह प्रतिमावलियां आवश्यक हैं, वहाँ हमारे समक्ष भौगोलिक समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी हैं। फिर हीरा खुदाई के लिए आवश्यक तकनीक देश में उपलब्ध नहीं है और अब समस्या यह है कि अधिक विद्युत-उत्पादन के जोरदार कार्यक्रम को गति कैसे प्रदान की जाए। जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा हमें इस प्रकार का विदेशी सहयोग लेना पड़ेगा।

श्री के० ए० राजन : यदि ऐसी स्थिति है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने और केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने इदुक्की परियोजना के तृतीय चरण को पूर्ण करने के कार्य को गति प्रदान करने के लिए कनाडा से सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुमति मांगी थी और यदि हां तो, केरल राज्य बिजली बोर्ड तथा केरल सरकार द्वारा किए गये प्रस्ताव विशेष के बारे में सरकार का क्या रवैया है?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : इस बारे में हमारा रुख बड़ा ही स्पष्ट है। चालू प्रौद्योगिकी के अनुसार, हमने यह देखा है कि किसी पन-बिजली

परियोजना के पूरा होने में भारत में 10 से 12 वर्ष तक का समय लगता है। अब हम सोच रहे हैं हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, मैं इसे स्पष्ट कर देना हूं कि इस अवधि को घटाकर 5 या 6 वर्ष किया जाए और राष्ट्रहित में इसके लिये हम किसी भी देश से प्रौद्योगिकी उधार ले सकते हैं···।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उन्होंने स्पष्टरूप से इदुक्की परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सच्चाई तो यह है कि वह प्रश्न इससे सम्बद्ध ही नहीं है (व्यवधान)। वह बात तो ठीक है। लेकिन वह इस बात को दूसरे ढंग से कह सकते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने पूछा है; केरल सरकार की इदुक्की परियोजना के प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुख्य प्रश्न से यह पैदा ही नहीं होता।

श्री नवीन खानी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युतोत्पान के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की मुख्य नीति में कोई परिवर्तन लाने का सरकार का कोई विचार है।

दूसरे, यदि कोई ठोस विदेशी सहयोग समझौता किया जाता है तो क्या सरकार भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस अनुसंधान अभियन्ताओं से कोई सलाह-मशविरा करेगी ?

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम विदेशी प्रौद्योगिकी की तभी आयात करेंगे जब भारतीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना चाहते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, उसी प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। क्या सरकार हमारे कुछ विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजने के लिये कदम उठा रही है जिससे कि जब वे वापिस आएं तो वे हमें कार्यान्वियन समय घटाने में सहायता कर सकें। आवश्यक ज्ञान हासिल कर सकें ?

श्री विक्रम महाजन : जी हां।

श्री एस० बी० चव्हाण : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि पन-बिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी इस देश में उपलब्ध नहीं है और आमतौर पर इसमें दस वर्ष का समय लगता है और चूंकि हम परियोजनाओं को छह वर्ष में पूर्ण करना चाहेंगे, तो क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इसका धन की कमी मुख्य कारण है या ऐसा तकनीकी ज्ञान जो इस देश में उपलब्ध नहीं है, जो कि वास्तव में मुख्य कारण है ? यदि प्रौद्योगिकी की कमी ही मुख्य कारण है तब तो वास्तव में हम यह जानने के अधिकारी हैं कि इस देश में वस्तुत: कौन-सी तकनीकी कमियां हैं ?

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जब कभी भी तकनीकी ज्ञान की कमी होगी तो हमें उसे प्राप्त करना होगा। यदि आपको पूरा ब्यौरा चाहिये तो हम अभियन्ताओं से अन्तिम प्रतिवेदन भेजने के लिए कहेंगे।

श्री शिवप्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार राज्य के पतराहुत बिजलीघर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक मुझे जानकारी है···।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसका सवाल ही नहीं उठता। अब प्रो० दण्डवते बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पन-बिजली उत्पादन के लिये, हिमालय क्षेत्र के बड़े भाग में चूंकि अनेक नदियां ऐसी हैं जो इस प्रकार के विद्युतोत्पादन के लिये उपयोग में नहीं लाई गई तो क्या आपके द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की नई योजना में इस तथ्य को दृष्टिगत रखा जाएगा जिससे कि हमारे देश में विद्युत की कमी की समस्या हल हो सके ?

श्री विक्रम महाजन : जो ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं वह मुख्यतया हिमालय क्षेत्र के लिए ही है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रान्त में बिजली के उत्पादन की क्षमता 750 मेगावाट होनी चाहिये लेकिन 250 मेगावाट ही होती है। उत्पादन क्षमता में ह्रास है। इसको देखते हुए क्या मन्त्री महोदय, बिहार में हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट की स्थापना का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री कोडियान यहां नहीं हैं। श्री सुशील भट्टाचार्य।

श्री वसन्त साठे : यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उस पर कुछ जुर्माना पड़ना चाहिये क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर तैयार करने में बहुत सारे धन का खर्चा होता है।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेवारी स्वयं समझनी चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा : यदि कोई सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं रहता तो वह किसी और सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे ऐसा करना चाहिये । ऐसा होना चाहिये । प्रश्न संख्या 125.

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

***125. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मई, 1980 तक पश्चिम बंगाल की मिट्टी के तेल की मांग, उसे किया गया आबंटन तथा की गई सप्लाई कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की मांग की उपेक्षा हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विरण-पत्र सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिये 40,000 मी० टन की न्यूनतम मासिक आवश्यकता की सूचना दी है जनवरी से मई, 1980 की अवधि के दौरान राज्य में मिट्टी के तेल का आवंटन और बिक्री का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:—

(आंकडे मी० टनों में)

मास	**आबंटन**	**बिक्री**
जनवरी, 1980	28900	32040
फरवरी, 1980	28452	27604
मार्च, 1980	31098	31380
अप्रैल, 1980	34456	31833 (अस्थाई)
मई, 1980	34500	29600 (अस्थाई)

(ख) जी, नहीं । मिट्टी के तेल की समग्र उपलब्धता, पिछली बिक्री और यातायात क्षमता को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल के आबंटन किये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुशील भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मिट्टी के तेल के आबंटन और आपूर्ति के सन्दर्भ में यदि मैं महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और गुजरात से कुछ आंकडे प्रस्तुत करूं तो यह देखने में आयेगा कि जनवरी, 1980 के दौरान जबकि महाराष्ट्र की जनसंख्या 5 करोड़ और 4 लाख थी तो मिट्टी के तेल की सप्लाई 74, 730 टन थी जब कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या तो थी 4,043 लाख और उसे मिट्टी तेल दिया गया केवल 32,000 टन और यदि मैं गुजरात के आंकडे प्रस्तुत करूं तो—जब कि यह ठीक है कि ये आंकडे 1971 की जनगणना के अनुसार हैं—उसकी जनसंख्या तो थी 2·67 करोड़ परन्तु उसे मिट्टी का तेल दिया गया 33,834 टन। अतः आप देखेंगे कि सप्लाई में कुछ भेद-भाव बरता गया है। मेरा प्रश्न यह है राज्यों के लिये मिट्टी के तेल का कोटा निश्चित करने का क्या मापदण्ड है ? क्या इसका पालन सारे देश में समान रूप से किया जाता है ? यदि नही तो क्यों नहीं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरा निवेदन है कि मिट्टी के तेल की सप्लाई जनसंख्या के आधार पर नहीं की जाती। यह तो गत वर्ष की आपूर्ति या उपभोग के आधार पर की जाती है। यही मापदण्ड हैं। जो कुछ हमने 1979 में दिया, जो एक सामान्य वर्ष था और उस समय कोई कमी नही थी—यदि हम उस वर्ष को ध्यान में रखें तो, हम राज्यों को उससे भी कहीं अधिक आपूर्ति कर रहे हैं जितनी कि हमने वर्ष 1979 में की थी। माननीय सदस्य यह मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम गुजरात और महाराष्ट्र को अधिक तेल देते रहे हैं और पश्चिम बंगाल को कम। बात ऐसी नहीं है हम गुजरात और महाराष्ट्र को तो कम तेल भेजते रहे हैं और पश्चिमी-बंगाल को अधिक।

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या तेल की वास्तविक आवश्कता, आवंटन और आपूर्ति के बारे में केद्रीय सरकार की नीति मिट्टी के तेल के संकट अनुपलब्धता, कमी, ऊंची कीमतों, काला बाजारी आदि के लिये प्रत्यक्षरूप से उत्तर दायी है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : महोदय, विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन का विवरण में पहले ही पूरक नोट में दे चुका हूं मिट्टी का तेल उस सीमा तक सप्लाई करना सम्भव न हो सका क्योंकि बरौनी तथा अन्य तेल-शोधक कारखानों में कठिनाईयां उत्पन्न हो गयी थी। जितनी मात्रा का हमने आबंटन किया उतनी मात्रा में हम तेल दे नहीं सके हैं जो मात्रा हमने नियत की थी हम उसे सप्लाई नहीं कर सके।

परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इस अवधि में कोई कमी नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी मासिक आवश्यकताओं का अनुमान 40,000 टन लगाया है। क्या मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए

कि राज्य सरकार की 40,000 टन की अनुमानित मांग सही नहीं है ? कभी-कभी 12,000 टन होती है और कभी 6,000-8,000 टन। क्या मिट्टी के तेल की कमी बरौनी में खरावी के कारण हैं अथवा वे पश्चिम बंगाल सरकार के अनुमान को सही नहीं समझते।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उन्होंने बताया है कि उनकी आवश्यकता 40,000 टन है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगाया है जबकि हमारी सप्लाईं जनसंख्या के आधार पर न होकर वर्ष 1979 की खपत पर आधारित है। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है उनकी जून 1979 की खपत एवं बिक्री 24,941 टन थी जबकि हमने उन्हें 25790 टन आवंटित किया है। यह सप्लाई किए गये माल से 3.4 प्रतिशत अधिक है। **(व्यवधान)**।

मैं यह बात भली प्रकार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1979 की अवधि सामान्य थी तथा हम उन्हें 1979 के खपत से अधिक माल देते रहे हैं।

उर्वरक परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब

***128. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और गुजरात में गैस पर आधारित चार विशाल उर्वरक परियोजनाओं की क्रियान्विति में असाधारण बिलंब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) उसके क्या प्रभाव हुए ; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र ही क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित किये जा रहे चार गैस पर आधारित उर्वरक प्रायोजनाओं के अमोनिया प्लांटों के निर्माण के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है। वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद यह निर्णय किया गया था कि इन प्रायोजनाओं के अमोनिया प्लाँटों के लिये ठेकेदारों के चयन पर दुबारा विचार किया जाय। अतः इस परामर्शी सेवा के लिये जिन विदेशी फर्मों ने पहले बोली दी थी उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति स्थापित की गई। समिति की रिपोर्ट 13 जून, 1980 को प्राप्त हुई है।

श्री चित्त बसु : जैसा कि आपको पता है उर्वरक (आयोजना और विकास) निगम एक सरकारी क्षेत्र की ऐजेंसी है। उनके पास गैस-चालित उर्वरक संयंत्रों में विशेषज्ञ जानकारी है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि इस निगम को बड़ी संख्या में विदेशी फर्मों के साथ सहयोग नहीं करने दिया जाता। जबकि हमें अपने यहां प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तब हम विदेशी सहयोग क्यों करते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक उपलब्ध प्रौद्योगिकी का संबन्ध है……।

श्री चित्तबसु : मैं जानना चाहता हूं कि उर्वरक (आयोजन तथा विकास) निगम परि-योजना की तैयारी के साथ क्यों नहीं संबद्ध किया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रश्न चार संयंत्र है, दो थाल में तथा दो हजीरा में जोकि बहुत बड़े हैं और जिनकी प्रतिदिन की क्षमता 1350 टन है। यह गैस चालित संयंत्र हैं जिनकी दैनिक क्षमता 1350 टन है। इनके आपेक्षित के द्वारा हम बम्बई हाई का उपयोग कर पाते है और हम उर्वरक संयंत्र स्थापित की सोच रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस प्रौद्योगिकी को आयात करना अच्छा है। अब प्रश्न यह है कि क्या पहले से देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर्याप्त है अथवा नहीं। श्रीमान, इस प्रश्न पर विशेषज्ञ समिति ने ध्यान दिया है मैं आपको उसके विचार बताता हूं। विशेषज्ञ समिति का मत है कि भारत के पास अमोनिया पर आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए आपेक्षित जानकारी नहीं है। चाहे यह संयंत्र 600 टन अथवा 900 टन अथवा 1350 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला है, उसके बारे में मौलिक जानकारी आयातित करनी होगी। इसलिए यह निश्चय किया गया कि जानकारी को आयात किया जाये। रूस, चीन, जर्मन लोकतंत्र गणराज्य तथा पश्चिम के अन्य विकसित देशों को भी अमोनियां संयंत्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया लाइसेंस वालों से प्रौद्योगिकी आयात करनी पड़ती है। उन्होंने एक प्रश्न और पूछा है जिसका मैं उत्तर दूंगा। जहां तक मूलभूत प्रक्रिया पैकेज का संबन्ध है आयोजना और विकास निगम का संबन्ध टेक्नीमैंट उसकी (मोंटीडीसन के इन्जीनियरिंग विभाग के) के साथ मोटीक्रेटनी तथा अमोनिया के 'हाई' और 'लो' प्रेसर के सम्बन्ध व्यवस्था है। इसी बात की ओर विशेषज्ञ समिति ने ध्यान दिलाया है। जहां तक प्रौद्योगिकी के आयातित करने का तथा सेवाओं का प्रश्न है वह वहीं तक सीमित है जहां तक देश में उपलब्ध नहीं है। तथा वे उस प्रकार के हैं जिससे देश में आयोजना तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भरता तथा बहुलता की प्राप्ति होगी। प्रस्तावित ठेकों की व्यवस्था से स्वदेशी संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी का पूरा स्थानान्तरण हो सकेगा। जहां तक आयोजना तथा डिजाइनों के विकास का संबन्ध है, उन्हें सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, वसूली निरीक्षण, संयंत्रों के निर्माण तथा चालू करने में उर्वरक (आयोजना तथा विकास) के इन्जीनियरों तथा मालकों से संबद्ध किया जाये।

श्री चित्त बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक विशिष्ट बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चित्त बसु : उन्होंने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि समिति का प्रतिवेदन 13 जून, 1980 को प्राप्त हुआ था। क्या वह उसका उल्लेख कर रहे हैं। अथवा उससे पहले की समितियों की रिपोर्टों का ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है, उससे पहले कि जब 'थाल' तथा हजिरा में चार संयंत्रों की स्थापना का निर्णय किया गया था। उस समय प्रश्न यह पैदा हुआ था कि क्या हमें प्रौद्योगिकी बाहर से आयात करनी चाहिए। अथवा स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।

अनेक समितियां गठित की गई हैं तथा विशेषज्ञों ने इस मामले का अध्ययन किया है तथा वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जो भी प्रौद्योगिकी हमारे देश में है, वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से ये बड़े आकार के संयंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को उस सीमा तक आयातित करना उपयुक्त है जहां तक कि यह देश में उपलब्ध नहीं है।

श्री चित्त बसु : गैस की उपलब्धता के संशोधित अनुमानों के अनुसार देश में गैस चालित दस उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। तटीय स्थलों एवं आंतरिक स्थलों के बारे में विवाद है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या शेष छः गैस-चालित उर्वरक संयंत्रों के स्थानों के बारे में निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जब सरकार को यह पता चला कि बंबई हाई में पर्याप्त गैस उपलब्ध है तब सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति, सतीशचन्द्र समिति नियुक्त की ताकि गैस का समुचित उपयोग किया जा सके। समिति ने इस प्रश्न का अध्ययन किया तथा रिपोर्ट दी कि बंबई हाई के गैस का उपयोग करते हुए दस उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इन दस संयंत्रों में से चार के स्थलों का निश्चय पहले ही हो चुका है। शेष छः के बारे में समिति ने संकेत दिया कि एक संयंत्र मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और चार अलीगढ़ से आगे स्थापित किये जायें। उन्होंने स्थलों का नाम नहीं लिया। संभवतः वे उत्तर प्रदेश में होंगे।

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : उन परियोजनाओं के अमोनियां संयंत्रों के लिए ठेकेदारों के चयन पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किये जाने के क्या कारण हैं ? विशेषज्ञों की उक्त समिति के सदस्य कौन कौन थे ? उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, सरकार ने इस मामले पर पुन: विचार किया, क्योंकि वह बड़े आकार के संयंत्र हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए व्यय किए जायेंगे। जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, परामर्शदाताओं का प्रश्न है हमने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना श्रेष्ठ समझा। उन्होंने विभिन्न फर्मों द्वारा किये गये प्रस्तावों के ब्यौरे का अध्ययन किया। उन्होंने तीन दिन पूर्व 13 जून को ही रिपोर्ट

दी है और मुझे उसका ब्यौरा ज्ञात नहीं है। समिति के चेयरमैन श्री बी०बी० सिंह ने रिपोर्ट पेश की है जिसमें शिफारिशें की गई हैं। इन शिफारिशों पर विचार हो रहा है तथा निर्णय शीघ्र लिया जायेगा। यदि आवश्यक होगा तो इसे सदस्यों को भी बता दिया जायेगा।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या यह सच है कि थाल परियोजना के कार्य को हाल ही में कम किये जाने का कारण सरकार का प्रौद्योगिकी को आयात करने के बारे में पुनर्विचार था न कि संयन्त्र के स्थान के बारे में विचार परिवर्तन ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक थाल में संयन्त्र की स्थापना स्थल का प्रश्न है इस बारे में समाचार पत्रों में बहुत कुछ छपा है कि सरकार उसे स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है, परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के बारे में विशेषतः महाराष्ट्र में प्रदूषण विरोधी संरक्षणों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में महाराष्ट्र में इसके कारण हानि उठानी पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने इस प्रदूषण के प्रश्न का भी अध्ययन किया है। क्या मन्त्री महोदय समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे ताकि महाराष्ट्र के संसद सदस्यों को संतोष हो सके कि इसने अच्छा कार्य किया है?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : यह निर्णय इस सरकार का नहीं, अपितु पिछली सरकार का है। मैं माननीय सदस्य को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि निर्णय लेने से पूर्व सभी तथ्यों पर विचार किया गया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सुब्रह्मण्यम स्वामी के अलावा किसी सदस्य ने मुझे स्थानान्तरण के लिए नहीं कहा। वास्तव में उन्होंने भी मुझसे नहीं कहा, परन्तु स्थल के चयन का विरोध अभी तक किसी ने नहीं किया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने उन्हें सभा पटल पर रखने को कहा है। मैं नियम 370 उद्धृत करता हूं :

"370. यदि कोई मन्त्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखेगा।"

वह विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट से उदाहरण देते रहे है। अतएव उन्हें सभी कागजात सभा पटल पर रखने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : आपने साधारणतः शब्द पर ध्यान दिया है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस रिपोर्ट के बारे में कौनसी विशिष्ट बात है ? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय उन्होंने करना है ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : यह रिपोर्ट आ चुकी है, तो गुजरात में संयंत्र रखने के लिए सरकार जल्द कदम उठायेगी क्या ?

हिन्दुस्तान उर्वरक निगभ लिमिटेड के मुख्यालय का दिल्ली से कलकत्ता जाना ।

***130 श्री कृष्णचंद्र हाल्दर**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता ले जाने के एक मात्र उद्देश्य से कलकत्ता में जुलाई, 1979 में एकक की स्थापना की गई थी ; और

(ख) मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता ले जाने के पक्ष में भारत सरकार के निर्णय के बावजूद हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के मुख्यालय को अभी तक दिल्ली से कलकत्ता न जाने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ने अपने मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता में स्थानान्तरित करने से संबंधित कार्य की देख-रेख करने के लिए जुलाई, 1979 में अपने हल्दिया प्रभाग के कार्यालय, कलकत्ता में एक सैल स्थापित किया था । स्थानान्तरण के कार्य के अलावा उक्त सैल के स्टाक को जिसमें दो व्यक्ति हैं हल्दिया प्रभाग के कार्य के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है ।

(क) कारपोरेशन अपने कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में है । इसी बीच उनके स्थानांतरण के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर निर्णय होने तक कारपोरेशन को कहा गया है कि वे इस संबंध में कोई वित्तीय करार न करें ।

श्री कृष्णचंद्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में बताया है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ने अपने मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता में स्थानांतरित करने से सम्बन्धित कार्य की देखरेख करने के लिए जुलाई, 1979 में अपने हल्दिया प्रभाग के कार्यालय, कलकत्ता में एक सैल स्थापित किया था । उत्तर के इस अंश से पता चलता है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को अन्तिम रूप से 30 अप्रैल, 1980 तक स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया था । क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के

कार्यालय एवं कर्मचारियों के आवास के लिए उचित प्रबन्ध करने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पिछली सरकार ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को पाँच भागों में पुनर्गठित करने का निर्णय किया था।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन उनमें से एक है। पिछली सरकार ने इसे दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित करने का निर्णय किया था। बाद में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को कलकत्ता स्थानांतरित करने के अनुदेश जारी किये गये। वे उचित आवास की खोज कर रहे थे; और इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र-व्यवहार भी किया गया। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर 20,00 वर्ग फीट स्थान चाहता था जबकि उन्हें 10,000 वर्गफीट स्थान का प्रस्ताव दिया गया। बाद में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को बताया गया कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने ही भूमि का प्रस्ताव किया था। यह बातचीत चल ही रहीं थी कि इस बीच एक अन्य पार्टी ने भी आवास देने का प्रस्ताव किया। इस बात चीत के दौरान ही इस सरकार ने कार्य संभाला तथा उसे हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरण करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उन अभ्यावेदनों पर विचार हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्थानान्तरण के विरुद्ध अध्यावेदन किसने दिये है ?

श्री कृष्णचंद्र हाल्दर : प्रशन के (ख) भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कारपोरेशन अपने कार्यालय के लिए उचित आवास की खोज करती रही है।

~~**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**~~ : मैं जानना चाहता हू कि कलकत्ता में कौन सी जगह है। भाग (ख) क्या राज्य सरकार ने मुख्य कार्यालय और कर्मचारियों के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान की है। क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने कलकता में पोद्दार भवन में कम से कम 5 रुपये प्रति वंग फुट के किराये पर 26,000 वर्ग फुट बातानुकूलित आवास की व्यवस्था की है, और क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि राज्य सरकार पहले ही इस जगह पर तीन माह के किराये के रूप में 1,50,000 रुपये खर्च कर चुकी है और (ग)...।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नों की सूची है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री से इस आशय का कोई संदेश मिला है कि उस जगह का तुरन्त कब्जा लिया जाय क्योंकि राज्य सरकार इसका किराया अदा कर रही है और भाग (ग) क्या राज्य सरकार ने साल्ट लेक क्षेत्र में दोनों कार्यालय और कर्मचारियों के आवास के लिये जगह देने का प्रस्ताव किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे उतर दे सकते है ? क्या आप उतर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मैने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भूतपूर्व सरकार ने कार्यालय को कलकत्ता में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम उपयुक्त आवास ढूंढने की संभावनाओं का पता लगा रहा था। इस बीच इसे स्थानान्तरित करने के विरोध में सरकार को कई अभ्यावेदन मिले। और इनकी जाँच हो रही है। सरकार का कहना है कि जब तक अभ्यावेदन अनिर्णीत पड़े हैं तब तक उनके बारे में किसी प्रकार का वितीय आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने यह स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या उन्हें कोई प्रस्ताव मिला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह प्रश्नकाल है, यह बादविवाद नहीं है। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि पूरक प्रश्न सीधे होने चाहिए यह एक प्रकार का वादविवाद बन गया है मैं इनकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि कुछ अभ्यावेदन दिये गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। क्या यह सच है कि इस निगम के कुछ सम्बन्धित उच्च अधिकारी बहाना ढूंढ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यावेदन दिये जा रहे हैं और यदि हां तो क्या सरकार मूल प्रस्ताव पर कायम रहने के लिए तैयार होगी ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : अभ्यावेदन न केवल अधिकारियों अपितु अन्य लोगों से भी प्राप्त हुए हैं। यह मांग की गयी है कि इसे कलकत्ता में ही क्यों स्थापित किया जाना चाहिए, आसाम में क्यों नहीं ? ऐसे अध्यावेदन प्राप्त किये गये है और उन पर अब विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट

***133 श्री समर मुखर्जी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) : जी, हां। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 21 मार्च, 1980 को प्रस्तुत की थी इसने सिफारिश की है कि बाढ़-नियन्त्रण जल संसाधनों के विकास की समूची व्यापक योजना का भाग होना चाहिए। तदनुसार, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए अलग से मास्टर योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इन योजनाओं में बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी इन्जीनीयरी वर्क्स के पूरक के रूप में जल-संचलन जलाशयों के अलावा, वन रोपण और भू-संरक्षण कार्य भी शामिल होने चाहिएं। बाढ़ों से होने वाली क्षति

को सीमित रखने के लिए बाढ़ क्षेत्र-प्रबन्ध की आकश्यकता पर भी जोर दिया गया है और राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजन से उपयुक्त कानून बनाएं।

श्री समर मुखर्जी : यही उत्तर राज्य सभा में दिया गया था। मेरे पास उस उत्तर की प्रतिलिपि है। उत्तर का एक भाग उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने उस भाग को नहीं पढ़ा है।

श्री केदार पांडे : यह प्रश्न पहले लोकसभा में भी पूछा गया था। मैंने उसका उत्तर उस दिन दिया था। इसे फिर से दुहराया गया है। यह विचित्र बात है। मेंने उसी प्रश्न का उत्तर दिया है।

एक माननीय सदस्य : तब उसे स्वीकार क्यों किया गया ?

श्री समर मुखर्जी : पूरक प्रश्न रखने से पूर्व, मैं राज्य सभा में दिये गये उत्तर के अन्तिम भाग को पढ़ता हूं।

"बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है......।"

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पढ़ने के बजाय पूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं ?

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने स्पष्ट बताया है कि यह राज्य का विषय है और इस मामले को राज्य को भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय राज्य सरकार का है।

श्री समर मुखर्जी : उन्होंने पहले यह कहा था कि 'बाढ़ नियंत्रण जल संसाधनों के विकास की समूची व्यापक योजना का भाग होना चाहिए। यह एक अखिल भारतीय योजना है"।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने आपको उद्धृत करिये और यहां राज्य सभा को उद्धृत न कीजिये। राज्य सभा की कार्यवाही का उदाहरण न दीजिये।

श्री समर मुखर्जी : यह उनका उत्तर है। उत्तर वही है उसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है।

उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जल संसाधनों के विकास की समूची व्यापक योजना का भाग होना चाहिए। यहां केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी आती है। प्रतिवेदन 21 मार्च को प्रस्तुत किया गया है। अब तीन महीने बीत गये हैं। मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने किन 2 उपायों पर विचार किया है और इस बाढ़ नियन्त्रण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या किया है ?

श्री केदार पांडे : केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन 21 मार्च 1980 को मिला। 19 अप्रैल 1980 को इस प्रतिवेदन को देश के सम्बन्धित सभी राज्यों को भेज दिया गया था। हम राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं एवं आलोचनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारें इस योजना की कार्य निष्पादन एजेन्ट होंगी परन्तु जब तक हमें राज्य सरकारों से सारी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती है हम अन्तिम निर्णय लेने में समर्थ नहीं होंगे।

श्री समर मुखर्जी ; क्या केन्द्रीय सरकार उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेगी या वह उनके प्रस्तावों को निश्चित समय के अन्दर प्राप्त करने की पहल करेगी ?

कौन कौन से राज्य ने जवाव भेजा है और कौन से राज्यों ने नहीं। कृपया नाम बताइये।

श्री केदार पांडे : किसी भी राज्य सरकार ने अब तक जवाब भेजा है। अनुस्मारक भेज दिये गये हैं। हम लोग उनकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 19 मार्च को हमने प्रतिवेदन भेजा हैं। केवल दो माह हुए हैं। और राज्य सरकारों को हम याद दिला रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजनी चाहिए। वे कार्यकारी एजेन्ट हैं। वे मुख्य कार्यकारी एजेन्ट हैं। जब तक हमें उनकी प्रतिक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ?

डा० वसंतकुमार पंडित : एक विस्तृत परियोजना है जिसका नाम है दस्तूर योजना-नदीमाला योजना जो प्रतिवेदन के दोनों पहलूओं अर्थात् जल संसाधनों का विकास और बाढ़ नियंत्रण, दोनों से सम्बन्धित है। क्या आयोग ने सरकार को दिये गये प्रतिवेदन में इस पर ध्यान दिया है। क्या सरकार ने दस्तूर योजना का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है ? यह योजना पिछले कुछ सालों से लटकी पड़ी है। यदि सरकार द्वारा दस्तूर योजना का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री केदार पांडे : प्रतिवेदन यहां है। इसे संसद के ग्रन्थालय में भी रखा गया है। यह एक विस्तृत प्रतिवेदन है। समूचा प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों को भी भेजा गया है। अतः इसे इसमें भी समाहित किया गया है।

रेडियों की लाइसेंस फीस कम करना।

***134. श्री मूलचंद डागा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सार्वजनिक मांग की ओर दिलाया गया है कि देश में रेडियो की लाइसेंस फीस कम की जाये;

(ख) क्या आकाशवाणी पर विज्ञापनों से होने वाली आय को देखते हुए रेडियो लाइसेंस फीस कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को लाइसेंस फीस समाप्त करने के लिए लोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेडियो लाइसेंस फीस की दरें कम करने के लिए केवल कुछ व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, नहीं। किन्तु लाइसेंस फीस समाप्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचंद डागा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आप रेडियो को शिक्षा का एक माध्यम मानते हैं और रेडियो के द्वारा सारे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है तब आप एडल्ट एजूकेशन पर कम खर्चा करके रेडियो लाएसेंस के द्वारा जो वार्षिक आमदनी होती है उस को आप छोड़ना पसन्द नहीं करते ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : अध्यक्ष जी, जैसा कि जवाब में कहा गया है, रेडियो लाइसेंस फीस केवल कम करने का सवाल नहीं है बल्कि एक और दो बेंड रेडियो सेट्स पर पूरी तरह से लाइसेंस फीस हटा देने का प्रस्ताव है जोकि अर्थ मन्त्रालय के सामने रखा गया है, उस पर विचार हो रहा हैं और हमें आशा है उसकी सम्मति मिल जायेगी। कारण यह है कि टोटल लाइसेंस फीस जो रेड़ियो से आती हैं वह अधिकतर बड़े बैण्ड और तीन बैण्ड रेडियो सेट्स से आती है। कुल रेडियो लाइसेंस फीस जो आ रही है वह लगभग 20-22 करोड़ हैं जिसमें एक और दो बेंड रेडियो सेट्स से 3-4 करोड़ रुपया आता है इसलिए अर्थ मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव भेजा गया है कि इन रेड़ियो सेट्स पर लाइसेंस फी माफ कर दी जाए ताकि बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन हो सके और जगह जगह देहातों में भी यह रेडियो और ट्रांजिस्टर्स उहलब्घ हो सकें। इस प्रकार की हमारी कल्पना हैं। साथ ही इससे जो घाटा होगा वह ज्यादा उत्पादन होने पर इक्साइज़ और सेल्स टैक्स से पूरा हो जायेगा वास्तव में नुकसान भी नहीं होगा। तो यह हमारी भूमिका है।

श्री मूलचंद डागा : सरकार कितनी अवधि में यह निर्णय ले लेगी ?

श्री वसंत साठे : जितनी जल्दी अर्थ मंत्रालय अपनी सम्मति दे दे।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत की कमी

*138 **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें जमू तथा कश्मीर, पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, विद्युत की भारी कमी की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप बार-बार बिजली की कटौती तथा बिजली की सप्लाई स्थगित करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में विद्युत की कमी नहीं है। हरियाणा में भी, समग्र रूप से, ऊर्जा की कमी नहीं है। तथापि, कभी-कभी ताप विद्युत यूनिटों के बंद हो जाने तथा कोयले की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण दिल्ली और हरियाणा में लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है। मानसून के आ जाने से तथा चालू की गई नई यूनिटें सुस्थिर हो जाने पर स्थिति में सुधार हो जाएगा। पंजाब में सीमान्त कमी है। राजस्थान में स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है, परन्तु जब कभी राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (न्युक्लीय) बंद हो जाती है तब कमी हो जाती है।

(ख) विद्युत की कमी के कारण ये हैं; पिछले वर्ष मानसून का फेल हो जाना, ताप विद्युत सेटों का बार-बार खराबी के कारण बंद हो जाना, ताप विद्युत केद्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई न होना, नए ताप विद्युत सेटों के सुस्थिर होने में लम्बा समय लगना। पंजाब और हरियाणा में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में हाल ही में सुधार हुआ है, जिसके फलस्वरूप ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। लगातार उच्च स्तरीय मानीटरिंग तथा अनुरक्षण में सुधार के लिए उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें सुधारात्मक कार्यक्रम भी शामिल हैं।

प्रो० नारायणचंद पराशर : वक्तव्य से पता लगता है कि वहां बिजली की कमी नहीं है या कमी है भी तो नाममात्र की। परन्तु व्यवहारतः यह कमी इतनी गंभीर है कि पंजाब में यहां तक कि उद्योगों और कारखानों को बन्द करना पड़ा है। हरियाना, राजस्थान एवं पंजाब के सम्बन्ध में इस कमी को स्वीकार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों जैसे जम्मू और काश्मीर में जहां प्रचुर मात्रा में जलविद्युत उपलब्ध है बिजली पैदा करने के लिए नयी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं।

श्री विक्रम महाजन : हम लोग नयी परियोजनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। जिससे क्षमता हरियाना में 312, हिमाचल प्रदेश में 38, पंजाब में 484 राजस्थान में 360

और उत्तर प्रदेश में 1755 मेघावाट बढ़ेगी। कुछ साझी परियोजनाएं हैं जिनसे क्षमता 2000 मेघावाट और बढ़ जायेगी।

प्रो० नारायण चंद पराशर : कौन सी पहली परियोजना है जिसकी स्थापना जल्दी होने को है और कितने समय में स्थापित हो जायगी ?

श्री विक्रम महाजन : 1980-81 में हरियाना 60 मेघावाट क्षमता और बढ़ा लेगा, हिमाचल प्रदेश 15, राजस्थान करीब 200 और उत्तर प्रदेश 272 मेघावाट से भी अधिक बढ़ा लेगा। उसी तरह आम परियोजनाओं से भी यह क्षमता 200 मेघावाट और बढ़ेगी। उसी तरह आणविक परियोजनाएं भी है और इसी तरह—

प्रो० नारायण चंद पराशर : पहली परियोजना का बनकर तैयार होने की निकटतम तारीख क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : 1980-81

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : पंजाब में विद्युत संयंत्र किस क्षमता से काम कर रहे हैं ? अगर वे पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे है तो उनके कारण क्या हैं ? सरकार इन संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है?

श्री विक्रम महाजन : पंजाब के विद्युत संयंत्र-235 मेघावाट की क्षमता पर काम कर रहा है। ये संयंत्र मुख्यत: जल पर निर्भर हैं। पिछले वर्ष मानसून की कमी के कारण संयंत्र पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस साल अच्छा मानसून होगा तो ये पूर्ण क्षमता से काम करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो चम्बल में हाइडल पावर पैदा होती है, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जगह-जगह पर इरिगेशन के बान्ध बनाने के कारण कमी आ रही है, उसको रोकने के लिए सरकार इस बारे में कुछ सोचती है या नहीं सोचती है ?

श्री विक्रम महाजन : राजस्थान के पास बिजली अतिरिक्त मात्रा में है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन का कपैसिटी युटिलाइजेशन कितना है ?

श्री विक्रम महाजन : 1975-76 में क्षमता का उपयोग अच्छा था। परन्तु अगले तीन सालों में यह घटकर 40 प्रतिशत से भी कम हो गया है। हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : देश में बिजली की कमी को देखते हुये क्या सरकार शांत घाटी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

औषध कम्पनियों द्वारा फाम्यूलेशनों के उत्पादन में कमी

***140 श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी औषध कम्पनियों ने अपने फाम्यूलेशनों के उत्पादन में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा "वल्क" औषधियों की आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी किये जाने का प्रस्ताव है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) यद्यपि वर्ष 1979-80 के दौरान फार्मूलेशनों के सम्पूर्ण उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है फिर भी कुछ कम्पनियों द्वारा निर्मित कुछ फार्मूलेशनों के उत्पादन में अनेक कारणों से कमी हुई है, जैसे श्रमिक अशान्ति बिजली की कटौती, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कमी, कच्चे माल की लागत में वृद्धि, पैकेजिंग सामग्री (जैसे अलूमीनियम फोइल) की कमी आदि । तथापि उत्पादन में इस कटौती से फार्मूलेशनों की आमतौर पर कोई कमी नहीं है । कुछ ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कभी-कभी किसी क्षेत्र में कमी हो जाती है लेकिन उनके समान ही दूसरे उत्पाद आमतौर में उपलब्ध होते हैं ।

(ग) बल्क औषधों की आवश्यकताओं को स्वदेशी उत्पादन और आयात से पूरा किया जाता है ।

श्री के. टी. कौशलराम : 'बल्क' फार्मूलिशनों की देशी सम्पूर्ण उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है और 1979-80 में वास्तविक उत्पादन क्या है ? वल्क फार्मूलिशनों का 1979-80 में कुल कितना आयात हुआ है ?

श्री दलबीरसिंह : मुझे इसके बारे अलग से नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री के. टी. कोसलराम : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विदेशी औषध कम्पनियों पर अपनी पूंजी कम करने के लिए दबाव डाले जाने के कारण उन कम्पनियों द्वारा कम उत्पादन किया जा रहा है ।

श्री दलबीरसिंह : जहां तक फार्मूलिशनों के पूरे उत्पादन का सम्बन्ध है उत्पादन कम नहीं हुआ है वल्कि 12.5 प्रतिशत उत्पादन और वढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल खत्म नहीं हुआ है किंतु प्रश्न खत्म हो गये हैं । मैं नाम सूची को पुनः देखता हूं ताकि कुछ सदस्य जो अनुपस्थित थे और अभी उपस्थित हुए हैं वे प्रश्न पूछ सकें । मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई सदस्य उपस्थित नहीं है । मैं दूसरा विषय शुरू करूंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय कल मैंने डाकदरों में आंशिक वड़ोतरी के सम्बन्ध में नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : हमने नोटिस देखा है । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नैमित्तिक कलाकारों की सेवाओं को नियमित किया जाना

***124. श्री पी० के० कोडियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में नैमित्तिक कलाकार कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ नैमित्तिक कलाकारों की सेवाएं नियमित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी;

(ङ) क्या उन्हें किसी नीति संबंधी निर्णय के आधार पर नियमित किया गया था;

(च) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या बाकी के नैमित्तिक कलाकारों को भी नियमित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन कैजुअल आर्टिस्टों (नैमित्तिक कलाकारों) को अपने कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य के लिए लघु अनुबन्धों पर उस समय लगाते रहे हैं जब स्टाप आर्टिस्टों के पदों में रिक्तियां होती हैं और नियमित नियुक्तियां होने में समय लगने की संभावना होती है, या जब कोई स्टाफ आर्टिस्ट छुट्टी पर जाता है, आदि । इस प्रयोजन के लिए आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल रखते है और जब भी

आवश्यक होती है उनको कैजुअल आधार पर कार्यक्रम दिए जाते हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार के कैजुअल आर्टिस्टों की कुल संख्या 1200 से अधिक होगी।

(ग) और (घ) : आकाशवाणी और दूरदर्शन में जिन कैजुअल आर्टिस्टों की सेवाएं अब तक नियमित की गई हैं उनकी संख्या 223 है।

(ङ) और (च) : जी, हां। 1978 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिन दीर्घ-कालिक कैजुअल आर्टिस्टों ने (1) 1974-77 या 1975-78 के तीन वित्तीय वर्षों के किसी भी ब्लाक के दौरान 365 दिन या (2) वर्ष 1974-78 के दौरान के किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 240 दिन कार्य किया हो, उनको स्टाफ आर्टिस्टों के रिक्त पदों पर नियमित करने के लिए विचार किया जाए बशर्ते कि वे पद के लिए शैक्षणिक रूप से या अन्यथा अर्हक हों।

(छ) शेष पात्र कैजुअल आर्टिस्टों को 31 दिसम्बर, 1980 तक सक्रिय पैनलों में रखा गया है और उनको उन रिक्तियों में नियमित करने के लिए विचार किया जायेगा जो इस अवधि के दौरान उपलब्ध हों।

बम्बई-हाई से खाना पकाने की गैस का उत्पादन

*** 126. श्री सुभाषचंद्र बोस अल्लूरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बम्बई-हाई" तट-दूर संसाधनों से खाना पकाने की गैस का उत्पादन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई-हाई से एल०पी०जी० प्राप्त करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई के निकट उरान में गैस विखंडन संयन्त्र की स्थापना कर रहा है। यह प्लांट क्रायोजैनिक प्रक्रिया पर आधारित है और यह अनुपात में 50 : 50 के मिश्रण से सम्बद्ध तथा असम्बद्ध गैस के प्रति दिन 4 मिलियन घन मीटर तक विखण्डित करने की क्षमता रखता है। इस संयंत्र से वर्ष 1981 में आरम्भिक महीनों में ही एल० पी० जी० का उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

माइक्रोवेव लिंक्स पर आधारित दूरदर्शन के रिले केंद्र स्थापित करना।

***127. श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के सहयोग से टेलीविजन प्रसारण के लिए देशभर में "माइक्रोवेव" लिंक्स पर आधारित रिले केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मन्त्री (श्री वसन्त साठे): (क) और (ख) : डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों के मार्गों पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर रिले केन्द्र स्थापित करके देश में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने की योजना तैयार की जा रही है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धि और विभिन्न योजनाओं को दी जाने वाली सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

***129. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली के निवासियों का राशन कार्डों के आधार पर खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए पंजीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया; और

(ग) उन्हें खाना पकाने की गैस के कनेक्शन कब तक मिल जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। दिल्ली में खाना पकाने की गैस का पंजीकरण राशन कार्डों और निवास के प्रमाण के आधार पर किया गया था।

(ख) 30 अप्रैल, 1980 तक दिल्ली में पंजीकृत तथा प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या लगभग 3.3 लाख है।

(ग) यह आशा की जाती है कि वर्ष 1981 के आरम्भ से, जब कि मथुरा शोधनशाला और उरान के एल०पी०जी० एकक के कार्यारम्भ के साथ सप्लाई स्थिति में सुधार हो जायेगा, इस प्रकार की प्रतीक्षा सूचियों के सभी व्यक्तियों को गैस कनैक्शन दे दिये जायेंगे।

"पावर शार्टेज-सेल टू इनकर 10 लाख टन्स आउट पुट लास" (बिजली की कमी-स्टील आधारिटी आफ इण्डिया लि० को 10 लाख टन उत्पादन की हानि) शीर्षक समाचार

***131. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **ऊर्जा और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 मई, 1980 के 'इकानामिक टाइम्स' (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित "विजली की कमी-स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लि० को 10 लाख टन उत्पादन की हानि" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लि० के इस आरोप के संबंध में

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि बिजली की कमी के कारण न केवल उत्पादन की हानि हुई बल्कि बार-बार बिजली के आने जाने से कीमती उपकरणों को भी क्षति पहुंची है; और

(ग) उपरोक्त हानियों को न होने देने के लिए औद्योगिक एककों को बिजली कं नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनीखान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत सप्लाई में होने वाली घट-बढ़ से मानव जीवन की सुरक्षा तथा संयंत्र और उपस्करों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्ट से स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटे के सभी इस्पात संयंत्रों के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन यूनिटों की व्यवस्था की गई है ताकि अपने न्यूनतम आवश्यक भारों को ग्रिड की गड़बड़ियों से पृथक रख सकें। जहां तः उत्पादन में हानि का सम्बन्ध है, यद्यपि विद्युत की कमी उत्पादन को प्रभावित करती है संयंत्रों का घटिया अनुरक्षण, खराब औद्योगिक संबंध, यूनियनों की परस्पर प्रतिस्पध आदि जैसे अन्य कारणों से भी उत्पादन प्रभावित होता है। साथ ही, विद्युत की कम से परिष्कृत सामग्री के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु गरम धातु के उत्पादन पर को प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घ कालिक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) क्षमता समुपयोजन के वर्तमान स्तर में सुधार लाना। मौजुदा सरकार द्वारा सत्त संभालने के पश्चात् क्षमता समुपयोजन, जो 45% से कम था बढ़कर 48% अधिक हो चुका है। आशा है कि इसे बढ़ाकर 50% से भी आगे ले जाना सम्भ होगा। राज्य सरकारों को भी अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकत विद्युत उत्पादन करने की सलाह दी गई है;

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज सरकारों को इसी प्रकार के कदम उठाने की सलाह देना;

(3) ताप विद्युत केंद्रों के पास कोयले के स्टाक की मानीटरिंग करना तथा पर्याप्त मा में स्टाक बना करके यह सुनिश्चत करना कि उनके पास कोयला उपलब्ध रहे;

(4) फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कम बिजली वाले क्षेत्रों को बिजली का अन्तरण;

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्‍ करना;

(6) विद्युत केंद्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना;

(7) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना तथा कई विद्युत केंद्रों में आशोधन/प्रतिस्थापन आदि के लिए परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना;

(8) अगले पांच वर्षों में नई क्षमता की वृद्धि जिसमें लगभग 14000 मेघावाट ताप विद्युत क्षमता तथा लगभग 5000 मेघावाट जल विद्युत क्षमता है।

(9) सुरक्षात्मक अनुरक्षण प्रबन्ध आरम्भ करना।

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

***132 श्री के० एम० मधुकर : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गंडक परियोजना जैसी कुछ सिंचाई परियोजनाएं उचित संगठन और संवर्ग के निर्माण के न होने से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पान्डेय) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गंडक जैसी सिंचाई परियोजनाओं के वांछित उद्देश्यों के प्राप्त न होने के मुख्य कारण उचित संगठन और संवर्ग का निर्माण न होना नहीं हैं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मुल्ला पेरियार बांध, तमिलनाडु

***135 श्री नीललोहिदासन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा प्रबन्ध के बारे में विभिन्न अभ्यावेदनों पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या मुल्ला पेरियार बांध के लिए तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार को कोई आश्वान दिया है;

(ग) यदि हां, तो आश्वासन क्या था;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने उस आश्वासन के आधार पर कुछ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) इस बांध की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा, जिनमें आयोग के अध्यक्ष भी शामिल

हैं, इसका निरीक्षण किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने बांध के सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में और ऐसे उपाय करने के बारे में, जिनसे सुधार होने तक बांध की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा न हो, नवम्बर, 1979 में त्रिवेन्द्रम में केरल और तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आपातकालीन उपाय, मध्यमावधिक उपाय और दीर्घकालीन-उपाय तैयार किए गए हैं। जैसाकि निश्चय किया गया था, तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन उपायों को अमली रूप देना शुरू कर दिया है और मध्यमावधिक और दीर्घकालीन उपायों के बारे में भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सरकार ने नवम्बर, 1979 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में किये गये निश्चय के अनुसार जलाशय के जल-स्तर को कम करके आर० एल०+136 कर दिया है। राज्य सरकार ने आर० सी० सी० कैपिंग द्वारा बांध को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुमानों और टेंडरों को अनुमोदित कर दिया है और कार्य को शुरू करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

पैट्रोलियम उत्पादों का तेल शोधक कारखाने पर मूल्य

*136. **श्री पी०जे० कुरियन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पैट्रोलियम उत्पादों का कारखाना मूल्य पिछली बार कब तय किया गया था और उस समय आयातित कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत क्या थी;

(ख) क्या पैट्रोलियम उत्पादों का कारखाना मूल्य आयातित कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ाया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तेल शोधक कारखानों को गत एक वर्ष में इस कारण से अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(घ) तेल शोधक कारखानों की वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हाल ही की आम वृद्धि से पूर्व शोधनशालाओं से बाहर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य 17.8.1979 को निर्धारित किये गये थे। उस तिथि को आयातित कच्चे तेल के भारित औसत मूल्य प्रति बैरल 170.28 रुपये था।

(ख) जी, हां। मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ग) 17 अगस्त, 1979 और 8 जून, 1980 के दौरान जबकि उत्पाद की कीमतों में पुन: वृद्धि की गई थी, तेल उद्योग द्वारा उठाई गई कुल हानि 700 करोड़ रुपये की थी।

(घ) तेल उद्योग को, दिनांक 8.6.1980 को मूल्यों में संशोधन होने तक, उनकी अपनी वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिए विशेष ऋणों की व्यवस्था की गई थी।

विवरण

उत्पाद	को शोधनशाला से बाहर के धारित मूल्य रुपये/किलो लीटर	
	17.8.79	8.6.80
मोटर स्प्रिट 83 औक्टेन	868.44	1194.48
उत्तम कोटि का मिट्टी का तेल	920.21	1267.99
हाई स्पीड डीजल	916.96	1269.84
लाईट डीजल तेल	890.88	1213,60
मट्टी का तेल	773.48	1064.57

नोट :—शोधनशाला के बाहर के धारित मूल्यों में निम्नलिखित लागत अंश अर्थात् सीमा/उत्पाद शुल्क, परिवहन प्रभार, विक्रय कर, डीलर की कमीशन, विपणन वितरण लागत और सीमांत लाभ आदि शामिल नहीं है।

फरक्का बिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

***137 श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के चेयरमैन ने उस ऋण के संबंध में बात-चीत करने के लिए अमरीका का दौरा किया था, जो विश्व बैंक ने फरक्का बिजली परियोजना के लिए देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो दौरे का परिणाम क्या रहा; और

(ग) विश्व बैंक के ऋण से कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष ने भारत सरकार के वार्ता दल के सदस्य के रूप में वाशिंगटन का दौरा किया था ।

(ख) फरक्का ताप विद्युत परियोजना की वित्त व्यवस्था हेतु ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ हुई बातचीत संतोषजनक ढंग से सम्पन्न हुई है। वित्त व्यवस्था के लिए स्वीकृति विश्व बैंक द्वारा अभी दी जानी है ।

(ग) फरक्का ताप विद्युत केन्द्र जिसके लिए ऋण संबंधी बात-चीत सम्पन्न हुई है, के कार्य क्षेत्र में 3×200 मेगावाट के विद्युत उत्पादन यूनिट शामिल हैं। भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के बीच विकास ऋण समझौता, जिसमें ऋण की शर्तें आती हैं अभी निष्पादित नहीं हुआ है ।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*139. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ से प्राय: प्रभावित होने वाले राज्यों को निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के संबंध में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना आयोग से इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है ; और

(घ) बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वर्ष 1980-81 में किये जाने वाले संभावित उपाय क्या हैं ।

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) (क) से (ग) : आगामी बाढ़ के मौसम के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे किए गए प्रबन्धों की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय करें कि वे विभिन्न बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ समस्या का सामना करने में गाफिल न पाए जाएं। चूंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य विषय है, इसलिए ऐसे प्रारम्भिक कार्यों और बाढ़-नियंत्रण के अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय को राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना-भिन्न तथा योजना-बजटों से पूरा किया जाता है। केन्द्रीय सरकर समूची राज्य योजनाओं के लिए वित्तीय सहयता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों की शक्ल में प्रदान करती है, जिन्हें राज्य सरकारें योजना आयोग की स्वीकृति से अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सेक्टरों को आवंटित कर सकती हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार कुछ निर्धारित महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भी ऋण सहायता प्रदान करती हैं।

वर्ष 1980-81 के लिए योजना आयोग ने देश में ऐसी स्कीमों के लिए 25 करोड़ रुपए की कुल सहायता का प्रस्ताव किया है ।

(घ) विभिन्न बाढ़ नियंत्रण उपाय, जिनके 1980-81 में देश में किये जाने की सम्भावना है, ये है-बाढ़ सुरक्षा तटबंध, नदी नियंत्रण और तट-कटाव रोधी कार्य, जल निकास चेनल, नगर सुरक्षा कार्य, गांवों के लिए रिंग बांध, जल कपाटों का निर्माण । अनुमान है कि देश में 1980-81 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर कुल 168.69 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा ।

1971 के भारत पाक युद्ध के शरणार्थी

***141 श्री निहालसिंह : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सन 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी थी तथा राहत कार्यों के माध्यम से उन पर अब तक खर्च की गई (वर्ष वार) राशि कितनी है ; और

(ख) अब तक स्थाई रूप से वसाये गये परिवारों की संख्या और पाकिस्तान वापस जाने वाले परिवारों की संख्या कितनी-कितनी है और सरकार का शेष परिवारों को किन-किन स्थानों पर वसाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सन 1971 के भारत—पाक संघर्ष के दौरान भारत आने वाले लगभग 75,000 व्यक्तियों में से 10,200 परिवारों के लगभग 54,000 व्यक्तियों ने राजस्थान और गुजरात के राहत शिविरों में प्रवेश चाहा था । 1971-72 से 1979-80 तक राहत सहायता के रूप में उन पर किए गए वर्ष वार व्यय की जानकारी देने वाला विवरण सभा की मेज पर रखा गया है ।

(ख) अब तक लगभग 5600 विस्थापित व्यक्ति परिवारों (4,300 राजस्थान में और 1500 गुजरात में) को पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थानों को भेजा जा चुका है ; राजस्थान के शेष परिवारों को जैसलमेर और बाडमेर जिलों में और गुजरात के परिवारों को कच्छ जिले में वसाने का प्रस्ताव है । पाकिस्तान वापस जाने वाले परिवारों की सही सही संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

सन 1971 के भारत पाक संघर्ष के विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों में राहत सहायता देने के लिए राजस्थान और गुजरात सरकारों को 1971-72 से 1979-80 के दौरान दी गई वर्ष वार राशियाँ।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्थान राज्य राहत	गुजरात राज्य राहत
1971-72	4.82	1.50
1972-73	146.84	34.00
1973-74	148.00	40.00
1974-75	155.66	37.00
1975-76	180.00	45.00
1976-77	213.00	40.00
1977-78	215.00	36.00
1978-79	223.20	40.00
1979-80	130.00	4.00
योग	1416.52	277.50

राजज्थान .... 1416.52 लाख रुपये
गुजरात .... 277.50 लाख रुपये
1694.02 लाख रुपये
या 17 करोड़ रुपये

नैसिनामाइड आईपी का निर्माण

942. **श्री राजनाथ सोंकर शास्त्री :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि नैसिनामाईड आईपी का उत्पादन बेटूस पिकोलीनकी बजाय 3-सिनोपीरिडिन से किया जाये तो पद्धति संबंधी क्या अन्तर पड़ेगा : और

(ख) यदि कोई अन्तर नहीं पड़ता तो नैसिनामाइड को 3-सिनोपीरिडियन से बनाने से क्यों रोका जाता है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल):(क) 3-सियोनोपाइरीडाइन अथवा बेटा पिकोलाइन से निर्मित नियासिनामाइड आई.पी. में कोई सैद्धान्तिक अन्तर नहीं है।

(ख) नियासिनामाइड के निर्माण के लिए अपेक्षित 3-सियानोपाइरीडाइन देश में नहीं बनता है अत: उसका आयात करना पड़ता है जब कि बेटापिकोलाइन देश में बनता है। बेटापिथोलाइन से नियासिनामाइड का उत्पादन करने से कच्चे माल के आयात पर से निर्भरता बहुत कम हो जाती है।

मेघालय के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

943. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधीन जिलावार कितने गांव लाए गए ; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान मेघालय में कोई नई योजनायें हाथ में लेने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31 मई, 1980 तक अनुमोदित मेघालय की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में इनके पूरा होने पर 1,003 नये गांवों के विद्युतीकरण की तथा पहले से ही विद्युतीकृत 123 गावों के साधन विद्युतीकरण की परिकल्पना है। जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले गांव	
		नए गाँव	पहले से विद्युतीकृत गांव
1.	गारो हिल्स	322	20
2.	खासी हिल्स	587	79
3.	जैन्तिया हिल्स	94	24
	जोड़	1003	123

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डो द्वारा तैयार की जाती हैं तथा उनके द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम मेघालय में लगभग 5.25 करोड़ रुपये की नई स्कीमें स्वीकृत करने की स्थिति में होगा।

भारतीय जन संचार संस्थान

944. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन संचार संस्थान पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि खर्च की गई अथवा उसे सहायता के रूप में दी गई ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संस्थान द्वारा किए गए कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) संस्थान द्वारा निकट भविष्य में कौन-कोन-सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आरम्भ किए जाने का विचार है ; और

(ङ) इसके कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :

(क) :	1977-78	18,31,800.00 रुपये
	1978-79	24,56,500 00 रुपये
	1979-80	38,68,000.00 रुपये

(ख) जैसा कि संस्थान के ज्ञापन में उल्लिखित है, संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का आयोजन करना; संगोष्ठियों तथा भाषणों की व्यवस्था करना; पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा मंत्रालय की मीडिया यूनिटों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना। वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

प्रशिक्षण :

1. विकासशील देशों के लिए पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम -3 (हर वर्ष एक एक पाठ्यक्रम) ।

2. गुट निरपेक्ष देशों के लिए समाचार एजेंसी पत्रकारिता में अग्रिम डिप्लोमा पाठयक्रम--2 (1978-79 से शुरू हुए वर्ष से एक एक पाठ्यक्रम) ।

3. छः छः सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम -16

4. कार्यशाला आयोजित की गई -10

5. संगोष्ठियां हुई -10

हाथ में लिए गए अनुसंधान कार्यक्रम -11

पूरे/शुरू किए गए मूल्यांकन अध्ययन -18

1979-80 के दौरान रिलीज की गई । प्रकाशनाधीन पुस्तकें -9

(ग) जी, नहीं। तथापि, श्री धर्मवीरसिन्हा की अध्यक्षता में बनी पुनरीक्षण समिति ने इसके कार्य निष्पादन की जांच की थी और 1974 में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद, पुनरीक्षण समिति द्वारा 1974 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संस्थान के कार्य की कोटि और पहुंच में सुधार करने के लिए ठोस शिफारिशें करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस कार्यदल ने संस्थान के भावी विकास के लिए रिपोर्ट मई, 1979 में इस ढंग से दी कि यह देश में संचार प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रमुख केन्द्र होने की अपनी भूमिका अच्छी तरह निभायेगा। इसके अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्यक्रमों को तेज करने के अलावा प्रसारण पत्रकारिता में तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क में पूर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की और ग्रामीण पत्रकारिता और अन्तर-वैयक्तिक संचार में पाठ्यक्रमों को चालू करने के कार्यदल के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) संस्थान का निकट भविष्य में अपने अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्यक्रमों को तेज करने के अलावा, प्रसारण पत्रकारिता में तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क में पूर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम को तथा ग्रामीण पत्रकारिता एवं अन्तर वैयक्तिक संचार में पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार अनुसंधान अध्ययन और 11 मूल्यांकन अध्ययन हाथ में लिए जाएंगे। आठ और प्रकाशनों को हाथ में लिए जाने की संभावना है।

(ङ) भाग (ग) और (घ) के उत्तरों में उन उपायों का संकेत दिया गया है जिनको, संस्थान को और प्रभावी बनाने के लिए हाथ में लेने का प्रस्ताव है। समाचारपत्रों तथा अन्य माध्यम संगठनों तथा विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संस्थान की सोसाइटी और कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया है ताकि संस्थान को चलाने में सर्वोत्तम व्यावसायिक तथा अकादमीय सलाह प्राप्त की जा सके।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल

945. **श्री एस०एम० कृष्णा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने विगत मई के प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश के तत्काल स्थानान्तरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो वहां पर बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कुछ भद्दे दृश्य पैदा करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने पूरे मामले की जाँच की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और अभ्यावेदनों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तारीख 7 मई, से 19 मई, 1980 तक हड़ताल पर थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के स्थानान्तरण की मांग की गई थी। यह बताया गया है कि न्यायालयों के बहिष्कार, ले उपवास आदि जैसी सीधी कार्रवाई करने के पक्ष में एक संकल्प इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की एक बैठक में 7.5. 1980 को गुप्त मतदान के लिए पेश किया जाना था। इस संकल्प में मुख्य न्यायाधिपति के स्थानान्तरण की मांग की गई थी और मुख्य रूप से एडमीशन बैंचों के गठन और उनके चक्रानुक्रम, मामलों को सूचीबद्ध करने से पूर्व सूचना और एसोसिएशन को तैयार मामले की सूची देने की बावत अधिवक्ताओं की कुछ शिकायतों का उलेख किया गया था। यह भी बताया गया है कि फिर उस बैठक के दौरान अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा हो गया था और बैठक भंग हो गई थी। सरकार का विचार है कि यह सम्पूर्ण घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। सरकार न्याय के उचित और निष्पक्ष प्रशासन की तथा विधि-व्यवसाय और न्याय की गरिमा को बनाए रखने के प्रश्न को बहुत महत्व देती है।

कोयला उत्पादन में वृद्धि

946. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले का उत्पादन अप्रैल और मई, 1979 की तुलना में अप्रैल और मई, 1980 में बढ़ा है। कोल इन्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के अधीन खानों में अप्रैल-मई, 1980 में उत्पादन 15.7 मि० टन हुआ जोकि अप्रैल-मई, 1979 में हुए 13.7 मि० टन उत्पादन से 2-0 मि० टन अधिक है।

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयला खानों को बिजली की सप्लाई करने में उच्चतर प्राथमिकता देना।

(2) विस्फोटक पदार्थों की देसी उपलब्धि और मांग के बीच रही कमी को उनका आयात करके पूरा करना।

(3) उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करके कोयला खानों में हाईस्पीड डीजल की सप्लाई बढ़ाना।

(4) खनिकों में गैर हाजिर रहने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण-विशेष रूप से ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० के खनिकों पर।

(5) राज्य सरकारों की सहायता से कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार।

पारादीप बन्दरगाह पर तेल टर्मिनल की स्थापना करना

947. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप बन्दरगाह पर तेल टर्मिनल की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उडीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पारादीप बन्दरगाह पर एक तेल टर्मिनल की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है ताकि जमा पड़े हुए पैट्रोलियम उत्पादों को राज्य के विभिन्न प्रदेशों में परिवहन किया जा सके। इस टर्मिनल की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न पहलुओं पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इन पहलुओं की पूर्ण जांच के पश्चात ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना सम्भव होगा।

मिट्टी के तेल और डीजल की कमी

948. **श्री हन्नन मोल्लाह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अप्रेल माह में पटना में यह कहा था कि देश में मिट्टी के तेल और डीजल की कोई कमी नही है अपितु रेल और सड़क यातायात की सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है जिसके कारण कमी बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दावे के क्या आधार हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) : अप्रैल, 1980 में पटना में मैंने कहा था कि मिट्टी के तेल और डीजल की अपेक्षित मात्रा तटीय स्थानों तक आयात करके लाना सम्भव था परन्तु खपत वाले स्थानों को अतिरिक्त सप्लाई यातायात क्षमता, जो कि अपर्याप्त है, के कारण सीमित ही रहेगी।

धनकुनी में निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण संयंत्र

949. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता को खाना बनाने की गैस की आपूर्ति करने वाले धनकुनी के निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण संयंत्र को केन्द्र से अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना को स्वीकृति दिये जाने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले का कार्बनीकरण करने तथा गैस, तार रसायन और अन्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित दनकुनी निम्न ताप कार्बनीकरण परियोजना को स्वीकृति देने के लिए सरकार तत्परता से विचार कर रही है ।

देश में गत पांच महीनों में विद्युत उत्पादन

950. **श्री आनन्द पाठक :** क्या ऊर्जा **और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में गत पांच महीनों के दौरान (i) माह-वार तथा (ii) विद्युत घर-वार जो कि प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं उनकी विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : केन्द्रीय स्वामित्व वाले विद्युत केन्द्रों से जनवरी से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान हुए विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय स्वामित्व वाले विद्युत केन्द्रों से जनवरी से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान हुए विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण ।

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

केन्द्र का नाम	जनवरी 1980	फरवरी 1980	मार्च 1980	अप्रैल 1980	मई 1980
राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र ((न्युक्लीय)	118	24	44	126	93
बदरपुर (ताप विद्युत)	115	135	164	185	195
तारापुर (न्युक्लीय)	97	84	120	147	203
नवेली (ताप विद्युत)	153	198	255	279	331
दामोदर घाटी निगम					
1. ताप विद्युत	395	359	340	322	317
2. जल विद्युत	1	1	1	1	2
दा०घा०नि० जोड़	396	360	341	323	319
बैरा स्यूल (जल-विद्युत) (यूनिटें मई, 1980 में चालू की गई है)	—	—	—	—	3.51

आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं

951. श्री समर मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से हिन्दी के अतिरिक्त प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सप्ताह में रोजाना, माहवार, भाषा-वार, श्रेणी-वार कितना समय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन, पुणे, महाराष्ट्र की मांग

952. श्री आर०के० महालगी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री** महाराष्ट्र फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग असोसियेशन पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 17 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपरोक्त उत्तर के साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित मांग संख्या 6 की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि स्थिति की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ।

पैट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) तक प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित विवरण पत्र की मांग सं० 6 की समीक्षा असामयिक है चूंकि पांच औषधों के एक ही अवयव के ब्राण्डों नामों के समापन से सम्बन्धित निर्णय को लागू करने के बारे में अपेक्षित वैधानिक परिवर्तनों को अब तक लागू नहीं किया गया है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम का संशोधन

953. श्री माधवराव सिंधिया : विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विवाह-विच्छेद को आसान बनाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सामाजिक संगठनों से परामर्श करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रस्थापित विधान विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट के अनुसार हैं। यह रिपोर्ट एक प्रश्नावली जारी करने के पश्चात् तैयार की गई थी। उस प्रश्नावली में हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों से विवाह-विच्छेद के लिए एक आधार के रूप में असमाधेय विवाह भंग के विषय में उनके विचार आमंत्रित किए गए थे।

संसद सदस्यों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन की मंजूरी

954. **श्री एन० ई० होरो : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पेट्रोलियम मन्त्री (श्री सेठी) ने घोषणा की थी कि सभी संसद सदस्यों को दिल्ली में तथा उनके चुनाव क्षेत्रों में गैस के चुल्हे दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सुविधा से कितने संसद सदस्य लाभ उठा चुके हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने कई वर्षों से अपने नाम पंजीकृत करा रखे हैं और अभी तक उन्हें गैस कनैक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं?'

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री पी० सी० सेठी की स्वीकृति से लोकसभा के सभी नये संसद सदस्यों में से प्रत्येक को एक खाना पकाने की गैस का कनैक्शन दिल्ली में देने का निर्णय लिया गया था बशर्ते कि संसद सदस्य के नाम में दिल्ली में खाना पकाने की गैस का कनैक्शन पहले ही से न हो। बाद में यह निर्णय किया गया कि संसद सदस्य को दिल्ली में दिये गये एक गैस कनैक्शन के अलावा दूसरा गैस कनैक्शन उनकी प्रार्थना पर उनके स्थायी निवास पर दिया जाय जिसको उनका अपना निवास शहर माना जाय। इस सम्बन्ध में संसद सदस्य किसी भी स्थान को अपना निवास नगर बता सकते हैं।

(ख) जनवरी, 1980 से मई, 1980 तक दिल्ली में लगभग 250 संसद सदस्यों को और 100 संसद सदस्यों को दिल्ली से बाहर अग्रता के आधार पर एल०पी०जी० के कनैक्शन दिये गये हैं।

(ग) देश में खाना पकाने की गैस की कुल मिलाकर उपलब्धता में वर्ष 1981 के आरम्भ में निम्नलिखित के क्रमिक कार्यारम्भ के साथ पर्याप्त स्तर पर वृद्धि होनी शुरू हो जायेगी जबकि :

(i) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से एल०पी०जी० (तरल पेट्रोलियम गैस) पृथक करने के लिए सुविधाएं;

(ii) मथुरा शोधनशाला;

(iii) कोयाली शोधनशाला में गौण शोधन प्रक्रिया सुविधाएं।

इस बीच शोधनशालाओं में एल०पी०जी० का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाने के अतिरिक्त खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में सुधार करने के लिए इसका यथा सम्भव आयात करने की भी सरकार की योजना है।

विपक्ष के समाचारों का प्रकाशन

955. **श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में विरोधी दलों का कोई समाचार नहीं छापा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके प्रकाशन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम में अधिकारियों द्वारा कुप्रबन्ध

956. **श्री के०लकप्पा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1980 के "बिल्टिज" में आई० ओ० सी० गेंग लूट्स रुपये 300 करोड़ शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम के उनके अधिकारियों के बिरुद्ध कुप्रबन्ध के गम्भीर आरोप लगाये गये है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी आरोप है कि इन अधिकारियों ने भारतीय तेल निगम के साथ लेन-देन करने वाली विदेशी फर्मों के साथ साठ-गाठ की;

(घ) क्या उक्त अधिकारी कच्चे तेल तथा इससे बनी वस्तुओं तथा डीजल, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस तथा भट्टी तेल के मूल्यों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सारे मामले की जाँच के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की है और यदि नहीं, तो क्या सरकार कब उक्त कार्यवाही करेगी ?

पेट्रोलियम रसायन और ऊर्वरक मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जीं, हां।

(ख) जी, हां, यह आरोप लगाया गया है कि इण्डियन आयल कार्पोरेशन के पेट्रोलियम उत्पादों की कृतिम कमी उत्पन्न की है, स्वेच्छा व अपनी सुविधा के अनुसार अनियोजित ढंग से

आयात किये गये हैं। वर्ष 1978-79 में अशोधित तेल और उत्पादों के अपर्याप्त आयातों की व्यवस्था की और इन कार्य संचालनों में अधिकतम बिलम्ब किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) श्री सी० आर० दासगुप्ता, अध्यक्ष, आई० ओ० सी०, श्री एस० कैथारामन, प्रबन्ध निदेशक (विपणन), आई० ओ० सी० और श्री जोय जोजेफ, वित्त निदेशक, आई० ओ० सी०, ने मानहानि के तीन मुकदमें इन आरोपों के सम्बन्ध में बम्बई उच्च न्यायालय में दायर किये हैं। सरकार ने कोई जांच कार्य आरम्भ नहीं किया है क्योंकि इस अवस्था में कोई जांच करनी आवश्यक नहीं समझी गयी।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

957. श्री दयाराम शाक्य : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पहले संसद सदस्यों की सिफारिश पर बारी आने से पहले ही खाना पकाने की गैस के कनैक्शन दिये जाते थे;

(ख) जनवरी, 1980 से 31 मई, 1980 तक संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिना बारी कितने कनैक्शन दिये गये;

(ग) एक वर्ष में संसद सदस्यों की सिफारिशों पर कितने कनैक्शन दिये जा सकते हैं;

(घ) तत्सम्बन्धी प्रक्रिया का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार संसद सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) से (घ). जनवरी और मई 1980 की अवधि के दौरान संसद सदस्यों की शिफारिश पर बारी आये बिना गैस कनैक्शन दिये जाने की ऐसी कोई पद्धति लागू नहीं रही है।

(ङ) संसद सदस्यों को गैस कनैक्शन दिये जाने के लिये तेल कम्पनियों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। कतिपय निर्धारित अवस्थाओं में संसद सदस्य दो गैस कनैक्शन ले सकते हैं-एक दिल्ली में अपने निवास पर और दूसरा अपने शहर में निवास स्थान पर जो-कि उनका स्थायी निवास होगा अथवा कोई भी अन्य स्थान जो उनके द्वारा बताया गया हो।

मोदी ग्रुप द्वारा बम्बई टायर्श इन्टरनैशनल लि० खरीदा जाना

958. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी उद्योग समूह का विचार फायरस्टोन बहुराष्ट्रीय कम्पनी की एक सहायक कम्पनी बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि० को खरीदने का है;

(ख) क्या यह सौदा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रतिकूल है और क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसके विक्रय-विलेख के लिए स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) क्या इस कम्पनी को 4.5 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि पर बेचा जा रहा है जबकि इसका मूल्य बहुत अधिक है;

(घ) क्या इस सौदे से कर्मचारियों की कानूनी देय राशि अधिकारियों तथा उनकी सेवा शर्तों, मंजूरी ढाँचा व अन्य लाभों तथा कार्य-सुरक्षा को खतरा पैदा होगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार बम्बई टायर्स इन्टरनैशनल लि० के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाँ, श्रीमान् जी । मोदी ग्रुप की कम्पनियों से सम्बन्धित कम्पनी मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 क और 372 (4) के अन्तर्गत फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी एक्रोन ओहिओ, यू० एस० ए० से सम मूल्य पर मैसर्स बम्बई टायर्स इन्टरनेशल लिमिटेड के 10 रु० प्रत्येक के 33,30,000 साम्य शेयरों के अधिग्रहण के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

(ख) यह मामला कम्पनी कार्य विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग दोनों ही में परीक्षान्तर्गत है । अभी तक रिजर्व बेंक से भी निर्वाधिता नहीं दी गई है ।

(ग) कंपनी ने समूल्य पर, 10 रु० प्रत्येक के, जिनका कुल मूल्य 3.33 करोड़ रु० होता है, के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है ।

(घ) तथा (ङ) : यूनियन आफ बंबई टायर्स इन्टरनेशनल्स लिमिटेड और फायरस्टोन टायर एम्पलाईज यूनियन से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं । कम्पनी के प्रस्तावों पर निर्णय यूनियनों द्वारा उठाये गये संकेतों को ध्यान में रखते हुए, जिस सीमा तक इस विभाग से सम्बन्धित है, गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा ।

हुकीटोला में उड़ीसा तट पर समुद्री कटाव

959. **श्री के० प्रधानी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप पत्तन के उत्तर में हूकीटोला में उड़ीसा तट पर 4,000 फुट क्षेत्र में समुद्री कटाव के कारण राजनगर तथा सहाकालपाड़ा क्षेत्रों के अनेक गांवों के अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है हूकीटोला में उड़ीसा के समुद्र तट के 4,322 फुट लम्बे भाग में समुद्र द्वारा भू-कटाव हुआ है, जिससे महानदी नदी के दहाने के उत्तर में महाकालपाड़ा और राजनगर पुलिस-स्टेशन के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ।

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त स्कीमें बनाने के लिए राज्य सरकार को संगत आंकड़े और सूचना एकत्र करनी है । इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ऐसी सभी सम्भव तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जिसकी उसे आवश्यकता होगी ।

कोयले का विकल्प

960. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की कमी देखते हुए उसके विकल्प ढूंढ़ने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : खान मुहानों पर कोयले की कमी नहीं है । अतएव किसी विकल्प का पता लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र और गुजरात में उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विदेशी फर्मों को ठेका

961. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात में बम्बई हाई गैस पर आधारित 4 उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किसी विदेशी फर्म की परामर्श सेवा के लिए ठेका देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) ऐसा निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और ऐसे विलम्ब के कारण परियोजनाओं की लागत में अब कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं का निर्माण करने के भारतीय उर्वरक निगम के अनुसंधान एवं विकास विभाग के दावों पर विस्तार से विचार किया गया है और उसको अस्वीकृति करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय किया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात में

गैस पर आधारित उर्वरक प्रायोजनाओं के लगाने के लिए अमोनिया संयंत्रों के लिए परामर्शदाताओं के चयन पर दुबारा विचार किया गया था। इसलिए इस परामर्शी सेवा के लिए जिन बोली देने वालों ने पहले बोली दी थी, उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति स्थापित की गई। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। मुल रूप से अनुमानित प्रायोजना की लागत मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि के कारण अधिक होगी।

(ग) जबकि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डिवलोपमेंट) इण्डिया लिमिटेड (भूतपूर्व फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया का योजना और विकास प्रभाग) समेत भारतीय फर्मों ने उर्वरक संयंत्रों की विस्तृत इंजीनियरिंग प्राप्ति, निर्माण, स्थापना और चालू करने के लिए महत्वपूर्ण योग्यता हासिल कर ली है, रिफोर्मिग अनुभाग, कार्बन-डाइआक्साइड रिमुवल, अमोनिया सिंथेसिस जैसे अमोनिया संयंत्र के कुछ फुटकर मदों का फिर भी आयात करना पड़ेगा। अतः गैस पर आधारित दो उर्वरक प्रायोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करना आवश्यक समझा गया।

तथापि एफ० पी० डी० आई० एल० प्रारम्भ से ही प्रायोजना से पूर्णरूप से सम्बद्ध रहेगा। एफ० पी० डी० आई० एल० को पूर्ण प्राद्योगिकी के हस्तांतरण से सम्बन्धित प्रावधान भी किया जायेगा जिससे यह अपने आप ही भविष्य में देश में लगाये जाने वाले संयंत्रों को लगाने की स्थिति में होगा।

पेट्रोल तथा पेटोलियम पदार्थों की खपत कम करने की योजना

962. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

(i) मिट्टी के तेल के विक स्टोव को संशोधित रूप में चालू करना जिसकी थर्मल कुशलता लगभग 60% है जबकि अन्य मिट्टी के तेल के विक स्टोव जो आमतौर पर बाजार में बेचे जाते हैं की 40 से 45% थर्मल कुशलता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी स्टाफ कारों में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की खपत में बचत करें।

(iii) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों, जिनके पास बड़ी मात्रा में गाड़िया हैं, का अध्ययन प्रारम्भ करना जिससे वे परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल के उपयोग में अधिकतर कुशलता ला सकें।

(iv) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल की खपत में कुशलता लाने के लिए व शहरों और नगरों के अन्दर और स्थानीय परिवहन गाड़ियों पर कानूनी रूप से गति सीमा रोक लगाये और अधिक धुआं देने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण रखें।

(v) जहां कहीं तकनीकी रूप से सम्भव हो, मट्टी के तेल को कोयले द्वारा प्रतिस्थापित करना;

(vi) भट्ठी के तेल के प्रयोग में कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपाये करने के संबंध में उद्योगों को परामर्शी सेवायें प्रदान करना;

(vii) ऊर्जा संरक्षण के लिए विस्तृत मार्गनिर्देशन जारी किये गये हैं;

(viii) मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण के प्रयोग की संभाव्यता का मूल्यांकन करना।

पश्चिम बंगाल को पैराफिन का कोटा

963. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कुछ वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को दिया गया पैराफीन का कोटा राज्य की आवश्यकताओं से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में पैराफीन कोटे का आवंटन क्या है और (राज्यवार) उसकी आवश्यकता कितनी है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जून, 1976 में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० की ओर से तैयार की गई मार्केट सर्वेक्षण रिपोर्ट ने देश में 1978-79 के लिए पैराफीन मोम की मांग 56000 मी० टन प्रतिस्थापित की थी। इस सर्वेक्षण में मांग का राज्यवार अनुमान प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। समय पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकार (पश्चिम बंगाल सहित) द्वारा अपने पैराफीन के कोटे को वढ़ाने की अनुमानित मांगें उनको आबंटित किये गये कोटे में से उनके द्वारा ली गई मोम की मात्रा को देखते हुए अस्वास्तविक नजर आती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को किये गये आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को पैराफीन

मोम का वार्षिक आबंटन स्वदेशी और आयातित कुल अनुमानित उपलब्धता जो किसी विशेष वर्ष में होती है तथा प्रत्येक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विगत में वास्तविक तौर पर उठाये गये मोम के आधार पर किया जाता है।

विवरण-पत्र

राज्य का नाम	पैराफीन मोम का आवंटन		
	1977	1978	1978
1. महाराष्ट्र	9,529	9,282	11,140
2. गुजरात	1.103	1,092	1,312
3. मध्य प्रदेश	898	874	1,052
4. गोवा, दमन दिव	213	218	264
5. पश्चिम बंगाल	6,319	6,638	7,968
6. बिहार	1,034	983	1,180
7. उड़ीसा	581	546	656
8. अण्डमान और निकोबार	18	19	20
9. आंध्र प्रदेश	1,360	1,310	1,576
10. दिल्ली	2,529 5	2,457	2,948
11. उत्तर प्रदेश	3,535	3,406	4,088
12. राजस्थान	898	874	1,052
13. हरियाणा	983	983	1,180
14. पंजाब	1,380	1,310	8,576
15. हिमाचल प्रदेश	98	112	136
16. जम्मू और कश्मीर	167	193	232
17. चण्डीगढ़	138	168	200
18. कर्नाटक	898	874	1,052
19. तमिलनाडू	6,587	6,443	7,732
20. केरल	1,533	1,474	1,772
21. पाण्डिचेरी	112	112	136
22. लक्षद्वीप	5	15	20
			45

23. दादरा, नागर हवेली	37	36	44
24. सिक्किम	15	16	20
25. असम	1,250	1,201	1,440
26, मेघालय	125	112	148
27. नागालेण्ड	200	325	325
28. मणिपुर	225	268	320
29. त्रिपुरा	375	382	460
30. अरुणाचल प्रदेश	40	56	68
31, मिजोरम	40	81	96

हिंदुस्तान उर्वरक निगम के अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते पर व्यय

964. **श्री सुधीर गिरि : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छह महीनों में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय से दिल्ली तक यात्रा करने में इसके अधिकारियों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के रूप में कितना व्यय हुआ ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : संभाव्यतः माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा कलकत्ता की और वापसी के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर कितना व्यय किया गया।

नवम्बर, 1979 से अप्रैल, 1980 के दौरान छः महीने की अवधि के दौरान इस पर 94,100 रुपये की राशि खर्च की गई।

मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का ईरान में औषध-बाजार

965. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने ईरान में अपना औषध बाजार खो दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर संसद सदस्यों का भाषण

966. **श्री नारायण चौबे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सदस्यों के नाम क्या हैं। जिनके वक्तव्यों और भाषणों का मई, 1980 में आकाशवाणी दिल्ली और दूरदर्शन के समाचार प्रसारण में उल्लेख किया गया था ;

(ख) क्या आकाशवाणी ने प्रमुख संसद सदस्यों की चुनाव सभाओं की कार्यवाहियों को प्रसारित करने के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी थी; और

(ग) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी सभाओं की कार्यवाहियों को प्रसारित किया गया था/आकाशवाणी/दूरदर्शन के संवाददाताओं द्वारा रिपोर्ट किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मई, 1980 में आकाशवाणी दिल्ली और दूरदर्शन के समाचार प्रसारण में जिन संसद सदस्यों के वक्तव्यों और भाषणों का उल्लेख किया गया था उनके नाम विवरण "क" में दिए गए हैं।

(ख) संसद सदस्यों की चुनाव सभाओं की कार्यवाहियों को प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी द्वारा कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। आकाशवाणी का प्रसारण मुख्यतया समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों पर आधारित था। तथापि, जो चुनाव सभाएं ऐसे स्थानों पर या उनके निकट हुई, जहां पर आकाशवाणी के संवाददाता तेनात हैं, उनकी कार्यवाहियों को उन संवाददाताओं द्वारा कवर किया गया।

(ग) मई, 1980 के दौरान जिन संसद सदस्यों की चुनाव सभाओं की कार्यवाहियों को आकाशवाणी के संवाददाताओं द्वारा कवर किया गया था, उनके नाम विवरण "ख" में दिए गए हैं। दूरदर्शन की समाचार एकत्र करने की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है।

विवरण "क"

दूरदर्शन	आकाशवाणी
1. श्रीमती इन्दिरा गांधी	1. श्रीमती इन्दिरा गांधी
2. श्री जैल सिंह	2. श्री वसंत साठे
3. श्री प्रणव मुखर्जी	3. श्री पी. वी. नरसिंह राव
4. श्री सी. एम. स्टीफन	4. श्री बी. शंकरानन्द
5. श्री शंकरानन्द	5. श्री जैलसिंह
6. श्री चरणजीत चानना	6. श्री भीष्मनारायण सिंह
7. श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी	7. श्री जे. बी. पटनायक
8. श्री वेंकट रामन	8. श्री वीरेन्द्र पाटिल
9. श्री जे. बी. पटनायक	9. श्री पी. सी. सेठी
10. श्री राव बीरेन्द्र सिंह	10. श्री कमलापति त्रिपाठी
11. श्री वसन्त साठे	11. श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी

12. श्री पी. वी. नरसिंह राव
13. श्री सजय गांधी
14. श्री चरणसिंह
15. श्री ए. बी. बाजपेई
16. श्री राजनारायन
17. श्री नम्बूद्रीपाद
18. श्री भूपेश गुप्त
19. श्री एल. के. आडवाणी
20. श्री ज्योतिर्मय बसु
21. श्री चन्द्रशेखर
22. श्री एच. एन. बहुगुणा

12. श्री सी. एम. स्टीफन
13. श्री प्रवण कुमार मुखर्जी
14. श्री सी. के. जफर शरीफ
15. श्री आर. वेंकट रामन
16. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
17. श्री चरणजीत चानना
18. श्री राव बीरेन्द्रसिंह
19. श्री ए. पी. शर्मा
20. श्री पी. शिव शंकर
21. श्री पी. वैंकट सुब्बैया
22. श्री जैड. आर. अंसारी
23. श्री आर. बी. स्वामीनाथन
24. श्री अजीज अहमद
25. श्री एच. एन. बहुगुणा
26. श्री संजय गाँधी
27, श्री चरण सिंह
28. श्री चन्द्रशेखर
29. श्री सुब्रमण्यम स्वामी
30. श्री अटल बिहारी बाजपेई
31. श्री एल. के. आडवाणी
32. श्री जे, पी. माथुर
33. श्री एस. एस. भन्डारी
34. श्री शान्ति भूषण
35. श्रीमती मोहिन्द्र कौर
36. श्री जगजीवनराम
37. श्री वाई. वी. चौहान
38. श्री भूपेश गुप्त
39. श्री ज्योतिर्मय बसु
40. श्री ए. सी. भट्टाचार्या
41. श्री एस. डी. सिन्हा
42. श्री आर. एन. राकेश
43. श्रीमती कमला बहुगुणा
44. श्री हरीशकेश बहादुर
45. श्री अशफाक हुसैन
46. श्री मोहेन्द्र सिंह

विवरण "ख"

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी
2. श्री जैलसिंह
3. श्री जे. बी. पटनायक
4. श्री राव वीरेन्द्र सिंह
5. श्री सी. के. जफर शरीफ
6. श्री संजय गांधी
7. श्री एच. एन. बहुगुणा
8. श्री अटल बिहारी वाजपेई
9. श्री शान्ति भूषण
10. श्री चरण सिंह
11. श्री चन्द्रशेखर
12. श्री मधु दंडवते
13. श्री सुबरमण्यम स्वामी
14. श्री जगजीवन राम
15. श्री डी. एन. तिवारी
16. श्री एस. डी. सिन्हा

सरणीकृत औषधियों का लघु क्षेत्र को आबंटन करने हेतु नए मार्गदर्शी सिद्धांत

967 श्री ओ० वाई० कृष्णन :

श्री एन० ई० होरी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु क्षेत्र के पक्ष में अनुदार नीति अपनाकर सरणीकृत औषधियों का आवंटन करने हेतु 1980-81 के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांतों की हाल में घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्ग दर्शी सिद्धन्तों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। वर्ष 1980 के लिये सरणीवद्ध वल्क औषधों के वितरण संबंधी मार्गदर्शन में लघु उद्योग के लिये उदार आबंटन की पहली नीती को जारी रख गया है और कुछ मामलों में और भी उदारता की व्यवस्था की गई है।

(ख) वर्ष, 1980-81 के दौरान सरणीवद्ध औषधों के वितरण के लिये जारी किये गये मार्गदर्शनों की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रख गया। देखिये संख्या एल० टी० 914/80]

गुजरात में दूरदर्शन केन्द्र के सम्बन्ध में प्रगति

969. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति है ; और

(ख) इसके कार्य कब आरम्भ करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गुजरात में अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र स्थापति करने का प्रस्ताव है। थलतेज के निकट स्थान का चयन कर लिया गया है। और इसका अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मैसर्ज भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर को ट्रांसमीटर के लिए आर्डर भी दे दिया गया है।

(ख) आशा है कि दूरदर्शन केन्द्र 1983-84 के दौरान चालू हो जायेगा।

मई, 1980 में दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली में भारी कमी

970. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1980 के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित बिजली में हुई भारी कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कोयला-खानों, इस्पात संयंत्रों, रेलवे ट्रेक्शन और अन्य उद्योगों पर जो दामोदर घाटी निगम बिजली पर आश्रित हैं, इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों और कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की जाएगी; जो इस भारी हानि के जिम्मेदार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पिछले तीन महिनों में हुए लगभग 341 मिलियन यूनिट औसत मासिक उत्पादन की तुलना में मई में उत्पादन लगभग 319 मिलियन यूनिट हुआ। उत्पादन में कमी का कारण, बायलर ट्यूब लीकेज आनुषगिकी की टूट-फूट आदि के कारण अप्रत्याशित जबरन बन्दिया हैं उत्पादन कम होने की अवधियों के दौरान विद्युत का वितरण प्रतिबंधों की एक क्रमबद्ध प्रणली के आधार किया जाता है यद्यपि रेलवे ट्रेक्शन में कोई गड़ बड़ी नहीं आने पाई है, तथापि कुछ प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ा होगा।

जिन परिस्थितियों के कारण बार बार बंदिया हुई है, और परिणाम-स्वरूप कम उत्पादन हुआ है, उनका अध्ययन कुछ दिन पूर्व नियुक्त की गई एक "टास्क फोर्स" (कार्य दल) द्वारा किया जा रहा है।

त्रिपुरा में कुएं खोदने के लिए सोवियत संघ के साथ करार

971 **श्री अजय विश्वास** : क्या **पैट्रोलियम और रसायान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य के विभिन्न भागों में कुएं खोदने के लिए सरकार ने सोवियत संघ के साथ करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो जहां खुदाई की जाएगी उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम रसायान और उर्वरक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ठेके के अन्तर्गत खुदाई किया जाने वाला कुआं रौखिया-1 है।

मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई०) लि० का प्रबन्ध

972. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **पेटोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार के एक उपक्रम, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई०) लि० से सम्बन्धित समस्याओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस उपक्रम की आर्थिक क्षमता नष्ट करने, जिसके द्वारा इस फर्म में इस समय लगे लगभग 15,000 कामगारों का भविष्य खतरे में डालने के प्रबन्धकों के प्रयास को विफल करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करवाना चाहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के कुटीर एवं लघु पैमाने के उद्योग विभाग के मंत्री ने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई०) नि० के कर्मचारी संघ के अभ्यावेदन को, जो मुख्यत: इन बातों से सम्बन्धित है कि (i) परियोजना प्रभाग का हावड़ा से कलकत्ते ले जाया जाने (ii) बाहर के ठेकेदारों को आगे पुन: किराये पर कार्य देने; जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही से उपक्रम की आर्थिक व्यवहार्यता नष्ट हो जायेगी, केन्द्रीय सरकार के पास आगामी कार्यवाही के लिए भेजे।

(ग) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई०) लि० के परियोजना प्रभाग का एक भाग हावड़ा से कलकत्ते में पंजीकृत कार्यालय (हावड़ा वर्क्स से 4 किलो मीटर दूरी पर है) ले जाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में कम्पनी निजी और सरकारी क्षेत्रों में अपने मूल्यवान ग्राहकों (समुद्रपार के ग्राहकों को शामिल करते हुए) के साथ लाभकारी सम्बन्ध बनाये रख सके। कार्य को आगे देने के सम्बन्ध में इस बात का तभी आश्रय लिया

जायेगा जबकि विद्यमान क्षमता विशेष सप्लाई आवश्यकताओं को पूरा न कर पायेगी और वह भी कामगारों के पूरी जानकारी के साथ होगा। अतः इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि कम्पनी की कार्यवाही से इसके सम्पूर्ण कार्य निष्पादन में सुधार ही होगा और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता नष्ट नहीं होगी जैसाकि आरोप लगाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में वरदाराजा स्वामी परियोजना का निर्माण

973. श्री० किशोरचंद्र एस० देव : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार आन्ध्रप्रदेश में वारदाराजा स्वामी परियोजना का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण आरम्भ करने की लागत तथा इसको पूरा किये जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना का प्रारम्भ करने में कुछ दिक्कतें हैं और यदि हां, तो उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार का वरदाराजा स्वामी परियोजना का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस परियोजना पर 650 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इस परियोजना पर लगभग 25.66 लाख रुपए खर्च किए हैं। राज्य सरकार का वर्ष 1980-81 के दौरान 30 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां, इस परियोजना को अभी तक योजना आयोग द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा आबंटित जल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अभी तक यह नहीं बताया कि इस परियोजना के लिए कितना जल उपलब्ध होगा। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने अधिकारियों को विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में भेजे ताकि इस परियोजना को शीघ्र मन्जूरी दिलाई जा सके।

गुजरात के लिए डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन

974. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों का गुजरात राज्य के लिए डीजल और मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा क्या है और अगले तीन महीनों के दौरान उसे कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) क्या सरकार ने डीजल और मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए इन पदार्थों के आयात में वृद्धि करने के विषय में विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पिछले छः महीनों में गुजरात राज्य को हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल और मिट्टी के तेल के आवंटन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आँकड़े मी० टनों में)

मास	हाई स्पीड डीजल तेल का आबंटन	मिट्टी के तेल का आबंटन
दिसम्बर, 1979	58309	35398
जनवरी, 1980	52628	33854
फरवरी, 1980	57150	28708
मार्च, 1980	59000	35091
अप्रैल, 1980	61900	32820
मई, 1980	61900	32900

जून, 1980 के लिए गुजरात राज्य के लिए हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन क्रमश: 61119 और 29776 मी० टन था। भावी महीनों के लिए आवंटन, इन दो उत्पादों की कुल उपलब्धता और क्षमता-परिवहन को ध्यान में रखने के पश्चात् ही निश्चित किया जायेगा।

(ख) डीजल और मिट्टी के तेल का कुल स्वदेशी उत्पादन मांग से कम रहा है। इन दो उत्पादों का आयात नियमित रूप से किया जा रहा है। तटीय स्थानों पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ मासों में इनके आयात को अधिकतम किया गया है। परन्तु देश के ऊपरी भागों में इन उत्पादों की उपलब्धता परिवहन क्षमता पर निर्भर है।

(ग) जनवरी-मई, 1980 के दौरान हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का कुल आयात क्रमशः लगभग 1.6 मिलियन मी० टन और 0.74 मिलियन मी० टन था।

बिहार की कोयला खानों में पानी इकट्ठा हो जाना

975. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में पानी भर जाने के कारण बिहार की कोयला खानों में पिछले तीन महीनों के दौरान काम पूरी तरह बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उत्पादन में कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या किसी दुर्घटना का समाचार मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के गैसीकरण संयंत्र की स्थापना

976. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के गैसीकरण संयंत्र को स्थापित किये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कौन से स्थान पर; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कुछ महत्वपूर्ण महानगरीय क्षेत्रों में कोयला गैसीकरण संयंत्र लगाने के लिए इस समय साध्यता अध्ययन किया जा रहा है।

"वल्क" औषधियों तथा "फार्मूलेशनों" के मूल्यों में वृद्धि

श्री पीयूष तिरकी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध उद्योग ने वल्क औषधियों तथा फार्मूलेशनों की तत्काल अन्तरिम मूल्य वृद्धि के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। विशेषकर अगस्त, 1979 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के पश्चात् कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप औषध निर्माताओं ने व्यक्तिगत रूप से तथा अपने एसोशिएशनों के माध्यम से और वल्क औषधों के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है।

(ख) मूल्यों में कोई भी उपयुक्त संशोधन तभी किया जा सकता है जब ऐसे मूल्य संशोधन पर आधारित पद्धति और सिद्धांतों को अन्तिम रूप दिया जाये जिस पर कुछ समय लग सकता है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा लागत अध्ययन किया जा रहा है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

978. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधियों के क्षेत्र में बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शिकंजे को तोड़ने की सरकार की इच्छा है जैसा कि छोटे एककों के लिए उदार नियतन के हाल के निर्णय में संकेत दिया गया है; और

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि संरचनात्मक उपचारों के लिए समिति की सिफारिशों को स्थगित किया जा रहा है,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यद्यपि यह सच है कि वर्ष 1980-81 के लिए सारणीबद्ध औषधों की विवरण नीति में लघु उद्योग क्षेत्र को उदार आवंटन की व्यवस्था की गई है फिर भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित संगठित क्षेत्र के एककों (डी०जी०टी०डी० एकक) के मामले में मार्च, 1977 को समाप्त तीन फर्मों की अवधि के दौरान प्राप्त अधिकतम सप्लाई के आधार पर अथवा लाइसेंस शुदा क्षमता यदि निर्दिष्ट हो, के आधार पर आबंटन किया जायेगा जो कि एककों के लिए लाभदायक हैं। आवंटन का आधार सभी डी. जी. टी. डी. एककों के लिये समान है।

(ख) सरकार ने हाथी समिति की सिफारिशों पर अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है जिसके आधार पर 29.3.78 को सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया था।

एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के आरोप वाली कम्पनियां

979. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा, बिड़ला और सिंघानियां घरानों की कितनी कम्पनियों पर गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का आरोप लगाया गया ;

(ख) प्रत्येक मामले में किस प्रकार का उल्लंघन किया गया ; और

(ग) प्रत्येक आरोप पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) : जहां तक अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की बाबत जाँचों का सम्बन्ध है, दो विवरण-पत्र संलग्न हैं। विवरण-पत्र 1 में टाटा, बिड़ला तथा सिंहानियाँ के घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध 1977 से 1979 तक के कलैण्डर वर्षों के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की गई जाँचों की बाबत स्थिति दी गई है। इन जाँचों में से प्रत्येक की बाबत स्थिति, क्योंकि इनमें से कुछ अभी अनिर्णीत है, व वर्तमान में जाँचान्तर्गत हैं, प्रत्येक मामले के सम्मुख वर्णित की गई है। विवरण-पत्र-2 में 1977 से 1979 तक के कलैण्डर वर्षों के मध्य, ऊपर वर्णित घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पहले से आरंभ की गई सभी जाँचों के बारे में पारित आदेशों के सम्बन्ध में सूचना वर्णित है।

1977 से 1979 के वर्षो के मध्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने टाटा, बिड़ला तथा सिंहानियाँ के घरानों से सम्बन्धित किसी कम्पनी के मामले में एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार की कोई जाँच संस्थापित नहीं की।

विवरण—1

टाटा, बिड़ला तथा सिंहानियां के घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध 1977 से 1979 के वर्षों के मध्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा संस्थापित अवरोधक व्यापारिक जांचों के बारे में घराने-अनुसार, वर्ष अनुसार सूचना देते हुये विवरण-पत्र

क्रम सं०	घराने तथा कम्पनी का नाम	संस्थान की तारीख	धारा 10 (क) (1) 10 (क) (3) तथा 10 (क) (4) के अन्तर्गत संस्थापित जाँच	आरोप	अनिर्णीत/आयोग के आदेश की तारीख	आयोग का आदेश
	टाटा					
	1977-1978			कुछ नहीं		
1.	टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य	17-5-78	10 (क) (4)	टायलेट साबुन के मूल्यों में संशोधन करते समय संविधा से कार्यवाही ।	अनिर्णीत	
	1979					
2.	वोल्टास लिमिटेड	26-4-79	10 (क) (4)	अनन्य रूप से खरीद तथा बिक्री	18-1-80	कार्यवाहियाँ बन्द कर दी गई ।
	बिड़ला					
	1977					
1.	ग्वालियर रैयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य	31-12-76 1-1-77	10 (क) (1)	(1) 1972 तथा 1974 के मध्य विस्कोस स्टैपल फाइबर के मूल्यों में असाधारण वृद्धि ।	20-9-79	कार्यवाहियाँ समाप्त कर दी गई ।

				(2) उत्पादन की लागत से मेल न खाते हुए भी विस्कोस स्टैपल फाइवर की कीमतों में वृद्धि । (3) सकल लाभ असाधारण रूप से उच्च तथा मूल्यों के छल साधता द्वारा उपभोक्ताओं पर अनुचित लागतें थोपना ।		
2.	सेन्चरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	10-3-77	10 (क) (4)	(1) कास्टिक सोडा के वास्तविक प्रयोग कर्ताओं के मध्य विभेद । (2) उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी ।	19-8-77	बन्द करो व बाज आओ आदेश
3.	मैसूर सीमेन्ट् लिमिटेट	31-3-77	10 (क) (3)	क्षेत्रीय बन्धन तथा अनन्य संव्यव-हार	—	रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार द्वारा आवेदन-पत्र वापिस ले लिया गया ।
4.	हैदराबाद एसवैस्टीज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	14-477	10 (क) (4)	(1) मूल्यों में विभेद (2) मूल्यों में अत्याधिक कमी	अनिर्णीत	अनिर्णीत
5.	हैदराबाद एसवैस्टीज प्रोडक्ट्स लिमिटेड-तथा अन्य	17-677	10 (क) (4)	(1) मूल्यो को संविधा में तै करना	24-1-80	आयोग के लिये 24-1-80 से तीन

				(2) मूल्यों में इस दृष्टि से छल साधन जिसे कि उपभोक्ताओं पर अनुचित लागतें थोपी जाएं।		वर्ष के लिये कीमतें मुद्रांकित करना।
6.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	12-8-77	10 (क) (4)	अध्याभूति में अवरोधक शर्तें लगाना	26-6-78	अनुभूति आदेश पारित किया
	1978					
7.	मैसूर सीमेन्ट लि०	22-7-78	10 (क) (4)	वितरण में विभेद	अनिर्णीत	
8.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेट तथा अन्य	9-8-78	10 (क) (4)	कागज के प्रयोगकर्ताओं के मध्य विभेद,-पूर्ति, भूतिकालिक उपक्रय के आधार पर की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रयोगकर्ताओं को पूर्ति से निषेध किया जाता है, जिन्होंने भूतकाल में इतना अपक्रय न किया हो।	अनिर्णीत	
	1979					
9.	हैदराबाद एज़बैस्टीज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स लि० तथा अन्य	8-6-79	10 (क) (3)	कपट संविधा करना तथा एक से मूल्य वसूल करना	अनिर्णीत	

10.	इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी तथा अन्य	5-10-79	10 (क) (4)	पैदावारी का समुच्चयन, कीमतों को साझे रूप से निश्चित करना, बाहन भाड़े के लिये प्रतिबन्ध तथा निबंधन साझे में निश्चित करना, अथवा जहाजवालों, पूर्तिकर्ताओं, आगे ले जाने वाले अभिकर्ताओं, परेक्षणी आदि अनेक सुविधाओं अथवा अधिमानों को साझे में देना, लघु भारतीय फ्लेग जहाजवालों को अनुमति न देना ।	अनिर्णीत

बिवरण-पत्र-II

टाटा, बिड़ला और सिंहानियां के घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध 1977-78 की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा 1977 से पूर्व प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं की घरानों के अनुसार और वष के अनुसार गठित और निपटाई गई जांचों को दर्शाता हुआ

क्रम सं०	घराने और कम्पनी का नाम	प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा जाँच गठन की तारीख	धारा 10 (क) (i), 10 (क) (ii), 10 (क) (iii) और 10 (क) (iv)	आरोप	आयोग के आदेश की तारीख	आयोग का आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	टाटा					
1.	इण्डियन ट्यूब कम्पनी और उत्तरी भारत में उसके वितरक	8-1-74,	10 (क) (i)	(i) लिखित में कोई आदेश नहीं ले रही । (ii) हेराफेरी और अमितव्ययी रूप से देना । (iii) दिल्ली से बाहर आदेशों को व्यापारियों द्वारा स्वीकार किया जाना आदि	30-3-77	आयोग ने, इण्डियन ट्यूब कम्पनी लि०, के वितरकों को आदेश पुस्तक, आदेश रजिस्टर और स्टाक रजिस्टर खोलने तथा स्टाक से आदेशों की प्रविष्टि करते हुए देने आदि के निर्देश जारी किये ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	वोल्टाज लिमिटेड	27-10-76	10 (क) (iv)	ट्रैक्टरों अटैचमेन्ट्स कार्य करने के पुर्जे आदि की बिक्री और आपूर्ति के लिए क्षेत्र/बाजार निर्धारित करना।	2-11-77	बन्द करो बाज आओ।
3.	बोल्टाज लिमिटेड	27-12-76	10 (क) (iv)	(i) क्षेत्र सीमांकन प्रतिबन्ध (ii) भारी व्यापार।	4-11-77	बन्द करो बाज आओ
4-	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०;	10-2-75	10 (क) (iii)	सीमांकन प्रतिबन्ध, भारी व्यापार निषेधक व्यापार, पुनर्विक्री मूल्य रखरखाव, व्यापारावर्त छूट की अदायगी और उन व्यक्तियों को प्रतिबन्धित करना जिनको सामान बेचा जाता है।	4-11-77	बन्द करो और बाज आओ।
5.	टाटा इंजीनिरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०;	3-5-75	10 (क) (iv)	(i) बंधित बिक्री (ii) अतिरिक्त बट्टा देना (iii) उत्पादन लागत में किसी बढ़ोतरी के न किये बगैर कम स्तर पर मूल्य रखना। (iv) उत्पादन और आपूर्ति में हेराफेरी।	5-12-78	अनुमति आदेश

कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर पुर्नबिचार

980. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा, सिंचाई श्रौर कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के इस अनुरोध पर विचार कर लिया है कि कोयले के राष्ट्रीयकरण के परिणामों पर पुर्नविचार किया जाए; श्रौर

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य श्रौर उद्योग मण्डल महासंघ ने मई, 1980 में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोयले के राष्ट्रीयकरण के परिणामों की पुन: जांच की जाए तथा कोयले का खनन करने के ठेके गैर सरकारी पार्टियों को दीर्घकालीन आधार पर दिए जाएं। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और उसका विचार प्राइवेट पार्टियों को कोयले के खनन का कोई ठेका देने का नहीं है।

बिजली के काम आने वाले एल्यूमीनियम तारों की कमी

981. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या ऊर्जा श्रौर कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे एल्यूमीनिय्रम तार की कमी है, जिसका शहरों और गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो एल्यूमीनियम तार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) ई० सी० ग्रेड अल्यूमीनियम की कमी है, जिसका उपयोग मुख्यत: पारेषण और वितरण में उपयोग में लाए जाने वाले संवाहकों और केबलों के निर्माण के लिए किया जाता है।

(ख) इस धातु की सप्लाई श्रौर मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए ई०सी० ग्रेड अल्यूमीनियम का आयात करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में टेलीविजन की व्यवस्था

982. **श्री एम० के० शेजवलकर : क्या सूचना श्रौर प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में टेलीविजन जैसी संचार सुविधायें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश को इस सुविधा से किन कठिनाइयों के कारण वंचित किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) से (ग) रायपुर में मई, 1977 से दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है। रायपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना की पहले ही एक स्वीकृत योजना है। देश में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। तथापि, इन योजनाओं का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धि और विभिन्न खण्डों (सेगमेटों) के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के कर्मचारियों के लिए दक्षतारोध के बाद पड़ने वाली वार्षिक वेतन वृद्धियां

983. **श्री चंद्रपाल शैलानी : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें दक्षतारोध के बाद पड़ने वाली वेतन वृद्धियां नहीं दी गई है;

(ख) ये वेतन वृद्धियां कब से देय हो चुकी हैं;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मामलों का निपटारा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) उन्नीस।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

(ग) यह देर गंगा बेसिन जल संसाधन सगठन के विभिन्न कार्यालयों से, जो समूचे गंगा बेसिन में फैले हुए हैं कर्मचारियों के विवरणों को, जिनपर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाना था, एकत्र करने की आवश्यकता के कारण और गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के तकनीकी पदों को नवम्बर, 1978 से केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी पदों के साथ मिलाये जाने के कारण हुई।

(घ) बिभागीय पदोन्नति समिति ने 5 मई, 1980 को हुई अपनी बैठक में 7 गैर-तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में दक्षता-रोध के बाद वार्षिक-वृद्धि देने की मंजूरी दे दी। इस बारे में आदेश जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगी। शेष 12 तकनीकी कर्मचारियों के मामलों को प्रोसेस किया जा रहा है।

विवरण

गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के कर्मचारियों के बारे में दक्षता-रोध के बाद वार्षिक वेतन-वृद्धियां देय हो जाने की तारीखों की जानकारी देने वाला विवरण

	तारीख		कर्मचारियों की संख्या
	1.4.78		1
तकनीकी समूह "ग"	1.7.78		1
	1.10.78		1
	1.1.79		1
	1.2.79		2
	1.4.79		1
	1.7.79		2
	1.8.79		1
	1.9.79		1
	1.10.79		1
		जोड़	12
अनुसचिवीय.. समूह "ग"	1.7.79		1
समूह "घ"	1.6.79		1
	1.1.80		5
		जोड़	16
		कुल जोड़	19

फिल्म सैन्सरशिप की जांच

984. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेन्सरशिप और फिल्म डिवीजन की कार्यपद्धति की जांच का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को फिल्म सेन्सर के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मद्रास में 20 मार्च, 1980 या इसी के आस पास दिये गये वक्तव्य का, कि फिल्म निर्माता सेन्सरशिप से पूर्व की फिल्म की कथा और गीत आदि को प्रस्तुत कर सकते है, की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह निर्णय क्षेत्रीय फिल्म सेन्सर अधिकारियों पर बाध्य होगा; और

(घ) क्या केवल निर्यात की जाने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेन्सरशिप के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर छूट दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार फिल्म सेन्सर से सम्बन्धित सभी मुद्दों को पुन: जांच कर रही है। सरकार इस जांच के पूरा हो जाने पर उपयुक्त निर्णय लेगी।

सरकार ने पहले ही फिल्म प्रभाग संबंधी कार्यदल को 15-2-1980 से समाप्त कर दिया है, क्योंकि फिल्म प्रभाग को सरकार से असम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) फिल्म सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष की फिल्म निर्माताओं की संस्थाओं के साथ हुई बैठकों में इस मामले पर चर्चा हुई है। जब भी किसी निर्माता ने आलेख पर निर्माण से पहले बोर्ड का परामर्श मांगा है, बोर्ड उसको अनौपचारिक आधार पर परामर्श देता रहा है। यह एक प्रकार से सामान्य मार्गदर्शन के रूप में ही है और यह किसी भी रूप में किसी भी पक्ष के लिए बाध्य नहीं है।

(घ) प्रदर्शन के लिए बनाई गई सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम 1952 तथा इसके अन्तर्गत जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबन्धों के अनुसार सेन्सर की जानी होती है। केवल सेन्सर की गई फिल्में ही निर्यात की जा सकती हैं। विदेशों को निर्यात की जाने वाली फिल्मो के लिए कोई अलग मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है।

वाणारसी में दूरदर्शन केन्द्र

985. **श्री जेनुल बशीर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। वाराणसी में दूरदर्शन रिले केंद्र की स्थापना दूरदर्शन सेवा के विस्तार की स्वीकृत योजनाओं में से एक है।

(ख) रिले केंद्र के 1984-85 में चालू होने की आशा है।

(ग) रिले केंद्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है।

सोवियत रूस के सहयोग से त्रिपुरा में तेल और गैस के लिए खुदाई

986. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 23 फरवरी, 1980 के "इकोनामिक टाइम्स" के बम्बई संस्करण में छपे समाचार के अनुसार त्रिपुरा के अत्यधिक सम्भावित क्षेत्र में तेल और गैस की खुदाई के लिए भारत और सोवियत रूस में एक समझोता हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में कुआं खोदने के लिए निकट भविष्य में भारत का दौरा करने वाले सोवियत रूस के दल के नेताओं तथा दूसरे विशेषज्ञों के नाम क्या क्या हैं;

(ग) कुएं की अनुमानित गहराई कितनी होगी, उस पर कितना खर्च आयेगा, उससे प्रतिवर्ष कितने तेल का उत्पादन होगा तथा सोवियत सरकार को एक मुश्त अथवा किश्तों में कितना धन देना होगा; और

(घ) किसी अन्य पश्चिमी देश अथवा अमरीका के बजाय केवल सोवियत रूस से ही करार करने के क्या कारण हैं ?

(क) पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा में एक कुएं की खुदाई के लिए मास्को की मैसर्स टैक्नो एक्सपोर्ट के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) अभी तक नाम नहीं बताये गये हैं। रूसी दल में 25 कार्मिक होंगे। व्यधन कार्य करने वाले चालक के रूप में उसमें भारतीय भी शामिल होंगे।

(ग) 5000 मीटर की गहराई तक कुएं की खुदाई किए जाने की आशा है और इस पर आने वाली अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपए है। यह एक अन्वेषी कुआँ होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि उसमें हाईड्रोकार्बन मिलेगा अथवा उसमें कितना वार्षिक तेल उत्पादन होगा। जहाँ तक टैक्नोएक्सपोर्ट को खर्च की अदायगी का सम्बन्ध है यह ऐसे मामले हैं जिन्हें गोपनीय रखा जाता है।

(घ) त्रिपुरा में अन्वेषी खुदाई, भारत और सोवियत रूस के बीच 14.3.79 को हस्ताक्षरित आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के करार का केवल एक भाग है। सोवियत रूस पक्ष ने बंगलादेश में कठिन छिद्रण अवस्थाओं में अनेक कुओं की खुदाई की है और इतना ही नहीं बल्कि सोवियत सेवाओं, जहां उपलब्ध रहीं, की लागत पश्चिमी देशों से इस प्रकार ली जाने वाली सेवाओं की लागत की तुलना में बहुत ही कम पाई गई है।

जलसंसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना

987. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई विभाग और केन्द्रीय जल आयोग ने देश में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछड़े तथा अवकाशित क्षेत्रों तथा सूखोन्मुख जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ; और

(घ) क्या दस्तूर प्लान स्कीम में परिकल्पित "गार्लेंड कनाल" के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय): (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम में इष्टतम जल-संचयन क्षमताओं के सृजन को और मुख्यतः गुरुत्व (ग्रेविटी) द्वारा और जहां अपरिहार्य हो वहां समिति लिफ्ट द्वारा विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना की गई है, ताकि 113.5 मिलियन हैक्टेयर की मौजूदा अनुमानित सिंचाई क्षमता के अलावा, नदियों के जल की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली मात्रा में भूतल जल द्वारा लगभग 25 मिलियन हैक्टेयर की और भूगत जल द्वारा 10 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि की जा सके।

(ग) जहां संभव हो वहां लिंक्स से सीधे सिंचाई करके और अन्य मामलों में, जहां व्यावहारिक हो, मौजूदा निर्धारित जल के प्रतिस्थापन द्वारा सूखा-प्रणव, पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार है।

(घ) योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यद्यपि दस्तूर प्रस्ताव संकलपना की दृष्टि से बड़े दिलचस्प हैं लेकिन तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक व्यय साध्य हैं।

महाराष्ट्र में नासिक और जोरादी के तापीय विद्युत केन्द्रों का बन्द होना

988. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 25 फरवरी, 1980 के 'फी प्रैस जनरल' में छपे समाचार के अनुसार महाराष्ट में नासिक और कोरादी के तापीय विद्युत केन्द्रों ने कार्य करना बंद कर दिया है जिससे बिजली के उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विद्युत केन्द्रों में दोष का पता लगाने के लिए रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत आया है ;

(ग) यदि हाँ, तो पाए गए दोष का ब्यौरा क्या है दोष के कारण क्या हैं और भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) सोवियत रूस के उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं जो आये थे और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा सोवियत अभिकल्प के अनुसार निर्मित किए जा रहे 200 मेगावाट के टर्बो-जेनरेटर सेटों के निर्माण, उत्थापन, चालू करने तथा प्रचालन से संबंधित मामलों पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० के साथ विचार विमर्श करने के लिए रूसी विषेशज्ञों का एक दल भारत आया था ।

(ग) सेटों के प्रचालन में समग्र रूप से सुधार करने के लिए सोवियत दल ने सुझाए दिए हैं । उन्होंने इस कार्य के लिए जांच कार्य करने की सलाह दी है । कोई विशिष्ट त्रुटि नहीं पाई गई है ।

(घ) मई, 1980 में भारत की यात्रा पर आई सोवियत टीम में निम्नलिखित विशेषज्ञ थे :

(1) मि० जी०वी० डिपिट्रेन्को

(2) मि० ए०बी० आन्द्रेव

(3) मि० बी०आई० स्तुपीचेव

(4) मि० ई०एन जलेनेवस्की

(5) मि एन०ए० सोरोकिन

(6) मि० एन०ए० पाखपोव

(7) मि० जी०एम० हुट्राटस्की

(8) मि० बाईलीन

(9) मि० मेर्झलियख

सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने यह यात्रा सोवियत सरकार के खर्चे पर की थी ।

जिन कारणों को उपस्कर की कमियो के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके केवल उन्हीं के कारण कोराडी तथा नासिक में 200 मेगावाट के सेटों में हुई जबरन बन्दियों के परिणाम स्वरूप महाराष्ट सरकार को हुई हानि की मात्रा बता सकना संभव नहीं है ।

नागपुर में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

989. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नागपुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को अपनी इच्छा जाहिर की है ;

(ख) यदि हां तो कुल कितनी लागत आएगी और इसमें महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा कितना होगा ; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए देश में कितने नए दूरदर्शन केन्द्रों अथवा रिले केन्द्रों की योजना बनाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1980-81 में किसी नए दूरदर्शन केन्द्र या रिले केन्द्र को चालू करने की योजना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को शक्तिनगर ताप बिजलीघर से बिजली की सप्लाई

990. **श्री जैनुलबशीर :** क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्तिनगर के ताप बिजलीघर से उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में शक्तिनगर बिजलीघर द्वारा बिजली की आवश्यकता की कितनी पूर्ति की जा रही है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली की संपूर्ण मांग की पूर्ति करने के लिए क्या अन्य उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) शक्तिनगर में सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना, निर्माण की प्रोउन्नत अवस्था में है, इसलिए इस समय विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है ।

(ख) सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना जब 2000 मेगावाट की अपनी चरम क्षमता पर पहुंच जाएगी तब इससे उत्तर प्रदेश राज्य को 850 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया गया है। निर्माणाधीन और स्वीकृति स्कीमों से प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि वर्ष 1984-85 के दौरान व्यस्ततपकालीन कमी 1489 मेगावाट की और ऊर्जा की कमी 4910 मिलियन यूनिट की होगी। किन्तु केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से राज्य को जो लाभ प्राप्त होंगे उनसे यह कमी आंशिक रूप से कम हो जाएगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना का ब्यौरा

क्र०सं०	योजना का नाम	चालु किए जाने का स्वभावित वर्ष					
		1980-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-90
1	2	3	4	5	6	7	8
	ताप विद्युत						
1.	ओबरा यूनिट 12	200मेगा०					
2.	ओबरा बिस्तार यूनिट 13		200मेगा०				
3.	परीछा यूनिट-1			110मेगा०	110मेगा०		
4.	परीछा यूनिट-2				110मेगा०		
5.	अनपारा यूनिट-1				210मेगा०		
6.	टांडा यूनिट-1				110मेगा०		
7.	अनपारा यूनिट 2 और 3					420मेगा०	
8.	टाँडा यूनिट 2					110मेगा०	
9.	टांडा यूनिट 3 और 4						220मेगा०
	जल-विद्युत						
10.	ऋषिकेश हरिद्वार यूनिट 3,और 4	72मेगा०					
11.	यमुना दो यूनिट 1 से 4			120मेगा०			
12.	मानोरी एक यूनिट 1, 2 और 3			93मेगा०			
13.	बिष्णु प्रयाग यूनिट 1,2,3 और 4						262मेगा०
14.	टिहरी यूनिट 1 और 2						500मेगा०

बम्बई हाई से तेल का मासिक औसत उत्पादन

991. **श्री जैनुल बशीर** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से तेल का मासिक औसत उत्पादन क्या है ;

(ख) इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) बम्बई हाई के साथ साथ देश के अन्य किन तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान बम्बई हाई से तेल का मासिक औसत उत्पादन 0.368 मिलियन मी० टन था ।

(ख) बम्बई हाई विकास कार्यक्रम के चरण-III के अतर्गत कुछ और प्लेटफार्म स्थापित किये जा रहे हैं । इन पलेटफार्मों के कार्यारम्भ से 1980 के अन्त तक 7 मि.मी. टन प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन होने की आशा की जाती है ।

(ग) और (घ) भारत महाद्वीपीय मग्नतट में विधिवत मूल्यांकन भूकम्पीय सर्वेक्षण (200 मीटर पानी की गहराई तक) निम्नलिखित क्षत्रों को असर्वेक्षित छोड़कर 90% की सीमा तक पूरे कर लिये गये हैं ;-

(क) सौराष्ट्र अपतटीय बेसिन (ब्लाक-II-ए)

(ख) विशाखापटनम -गोपालपुर समुद्री क्षेत्र (ब्लाक -V); और

(ग) सुन्दरवन से लगे हुए बंगाल का छिछला समुद्री भाग ।

इस समय बंगाल की खाड़ी आदि क्षेत्र के छिछले समुद्री भाग में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है शेष सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षणों को मई, 1981 तक पूरा किये जाने की योजना है । अरब सागर में गहरे पानी में भूकम्पीय सर्वेक्षणों को आरम्भ करने के लिए अनेक क्षेत्रीय लाइनों के साथ सर्वेक्षण कार्य अपना-कर वर्ष 1979 में एक शुरूआत की गई थी ।

विद्युत प्रजनन सेटों की स्थापना के बारे में भारत सोवियत मंत्रणा ब्यूरो

992. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार का दौरा करने वाले सोवियत बिजली विशेषज्ञों में एक दल ने सिफारिश की है कि हरिद्वार स्थित संयंत्र में निर्मित विद्युत प्रजनन सेटों की स्थापना के बारे में उच्चस्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक भारत-सोवियत मंत्रणा ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार का क्या रवैया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि 200 मेगवाट के सेटों के संचालन संबंधी नियमों का अनुदेशों का कतिपय राज्य बिजली बोर्डों ने पालन नहीं किया था जिसके फलस्वरूप बिजली सप्लाई में खराबी हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा सोवियत संघ के अभिकल्पों के आधार पर निर्मित किए जा रहे 200 मेगावाट के टर्बो सेटों के निर्माण, उत्थापन, चालू करने, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अध्ययन करके इनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए तकनीकी प्रकार के स्पष्टीकरण देने तथा उपाय सुझाने की दृष्टि से सोवियत विशेषज्ञों के एक दल ने अभी हाल में भारत का दौरा किया था। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० तथा सोवियत संघ के विशेषज्ञों के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान यह इष्टकर समझा गया था कि सोवियत अभिकल्प के आधार पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा निर्मित तथा सप्लाई किए जा रहे 200 मेगावाट के टर्बो सेटों का उत्थापन, इन्हें चालू करने, इनका प्राचलन और अनुरक्षण करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों का एक दल भारत भेजा जाए।

(ग) 200 मेगावाट के सेटों में बन्दियां मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर इसके आनुषगिकों के निर्माण इन्हें, चालू करने में कमियां होने अथवा गलत ढंग से इनका प्रचालन करने के कारण होती हैं। प्रचालनात्मक हिदायतों का पालन न किए जाने के परिणाम स्वरूप हुई किसी बन्दी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उर्वरकों का उत्पादन

9§3 श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिष्ठापित क्षमता में 6 लाख टन वृद्धि करने के बावजूद गत वर्ष उर्वरकों का उत्पादन बहुत कम था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 और 1979-80 में उर्वरकों का उत्पादन और उसकी वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है : और

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के अन्त तक क्षमता और इन दो वर्षों के दोरान उर्वरकों का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन		पी$_2$ ओ$_5$	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
1978-79	32.59	21.70	10.80	7.70
1979-80	38.91	22 26	12.30	7.57

(ग) सिन्दरी (आधुनिकीकरण), भटिन्डा और पानीपत प्लांटों के चालू होने के परिणामस्वरूप नाइट्रोजन की क्षमता में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1979-80 के दौरान नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता लगभग 3 लाख टन थी क्योंकि ये प्लांट वाणिज्यिक उत्पादन के लिये केवल वर्ष के मध्य तक चालू हुए थे। वर्ष 1979-80 के दौरान क्षमता की तुलना में उत्पादन कम हुआ जिसके लिये निम्नलिखित पहलू जिम्मेदार थे, जैसे बिजली की कटोती। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध, एस०, एल०एस०एच० एस०/ईंधन तेल, नैफ्था, कोयला और सलफर जैसे फीडस्टाक और कच्चे माल की कमी।

आयातित फोस्फोरिक एसिड, एसिड की कमी और खेतरी और सिन्दरी (सुव्यवस्तीकरण) जैसे प्लांटों में उत्पादन स्तिर नहीं होने से वर्ष के दौरान फोस्फेट (पी$_2$ ओ$_5$) के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

सीमा क्षेत्र प्रचार अधिकारियों से ज्ञापन

994. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्र प्रचार अधिकारियों ने सरकार को ज्ञापन दिया है कि उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किस संभावित तारीख तक निर्णय किया जायेगा, विशेषकर जबकि मंत्रालय की निगरानी सेवा के सदस्यों तथा सैनिक समाचार के कर्मचारियों आदि को इस सेवा में शामिल कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों (सीमा) को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए क्षेत्रीय प्रचार एककों का खोला जाना

995. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए क्षेत्रीय प्रचार एकक खोले जाने हैं ; और

(ख) उनको किस तारीख को खोला जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15 नए क्षेत्रीय प्रचार एकक खोलने का प्रस्ताव है। मामला विचाराधीन है।

कसौली के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र

996. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

हिमाचल प्रदेश में कसौली में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्थान ढूंढ लिया गया है। इस स्थान का अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। ट्रांसमीटर और एंटेना उपकरण हासिल कर लिए गए हैं।

ऊर्जा विभाग तथा सम्बद्ध बोर्डों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया जाना

997. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा विभाग तथा बी०एच०एम० बी० जैसे अनेक सम्बन्ध बोर्ड कार्य करते हुए मरने वाले अपने कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की नीति का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा अप्रैल और मई, 1980 में इस आधार पर विभाग तथा बोर्ड में अलग-अलग कितने आवेदकों ने रोजगार मांगा; और

(ग) उनकी संख्या कितनी है जिन्हें इस आधार पर रोजगार दिया गया तथा उनका विवरण क्या है जिनके दावे अस्वीकार कर दिये गए थे और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। ऊर्जा मन्त्रालय का विद्युत विभाग गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/68 (11), दिनांक 19 जून 1970 में दी गई नीति का पालन कर रहा है तथा जो कर्मचारी सेवा में रहते हुए मर जाते हैं उनके आश्रितों को कार्मिक तथा प्रसासनिक सुधार विभाग की अनुमति से रोजगार प्रदान करता है।

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड तथा व्यास निर्माण बोर्ड भी पंजाब सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाई गई नीति के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करते आ रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग) में 12 व्यक्तियों ने, भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में 43 व्यक्तियों ने तथा व्यास निर्माण बोर्ड में 44 व्यक्तियों ने रोजगार मांगा था। अप्रैल और मई, 1980 के महीनों के दौरान किसी भी व्यक्ति ने विद्युत विभाग में रोजगार नहीं मांगा है जबकि भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में एक व्यक्ति ने तथा व्यास निर्माण बोर्ड में 2 व्यक्तियों ने रोजगार मांगा है।

(ग विद्युत विभाग में आवेदन करने वाले 12 व्यक्तियों में से, 10 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है तथा दो मामलों में नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिये गए हैं परन्तु आवेदकों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में रोजगार मांगने वाले 44 व्यक्तियों में से 35 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है जबकि 9 मामले बोर्ड के विचाराधीन हैं।

व्यास निर्माण बोर्ड में रोजगार मांगने वाले 46 व्यक्तियों में से 39 व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है किन्तु परियोजना के विभिन्न संघटकों के पूरा हो जाने पर कार्यभार में कमी हो जाने के कारण रिक्त स्थानों के अभाव में 7 व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सका।

कम्पनियों के जनता की जमा-धन-राशियां स्वीकार करने सम्बन्धी अनाचार की जांच

998. **श्री एस०एम० कृष्ण :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता जमा योजना के अन्तर्गत कुछ औद्योगिक कम्पनियों के अनाचार में लिप्त होने की जांच करवाने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और क्या दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से जांच करवाए जाने की आशा है; और

(घ) जांच का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान् जी।

किसी एकाकी गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनी के विरुद्ध जनता जमा योजना के अन्तर्गत कदाचारों के आरोपयुक्त शिकायतों के प्राप्त होने पर, सरकार द्वारा उनकी परीक्षा की जाती है तथा जनता जमा धन से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, जहां इनमें कोई लागू होता हो, के उल्लंघन के लिए इस प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होता ?

स्टाफ ढांचे में सुधार करने की कार्यवाही

999. **श्री एस०एम कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ ढांचे में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी की कार्यक्रम तथा इंजीनियरी सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में एक संवर्ग समीक्षा समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

दर्दनाशक औषधियों, चीनी पर आधारित औषधियों और शिशु आहार के मूल्य में वृद्धि

1000. **श्री नवीन रवाणी : पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो अथवा तीन महीनों के अन्दर दर्दनाशक जैसी कुछ औषधियों, चीनी पर आधारित औषधियों और शिशु आहार के मूल्यों में 10 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है :

(ख) यदि हां, तो यह मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मूल्य वृद्धि के लिए बड़ा क्षेत्र औषधों का आवंटन लघु क्षेत्र को दिये जाने के कारण सरकार को दोषी ठहरा रहा है,

पैट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने मार्च, 1978 के बाद दर्दनाशक और चीनी पर आधारित कुछ दवाइयों सहित मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्यों में वृद्धि की कोई अनुमति नहीं दी है। तथापि यह सम्भव है कि निम्नलिखित मामलों में मूल्य वृद्धि हुई होगी :—

(i) मूल्य नियंत्रण से बाहर वाले फार्मूलेशन जो अनिवार्य किस्म के नहीं है; और

(ii) 50 लाख रुपए तक की वार्षिक बिक्री वाले लघु उद्योग एककों द्वारा निर्मित फार्मूलेशन बशर्ते कि उनका मूल्य श्रेणी-1 और ii के उत्पादों के लीडर मूल्यों के अनुरूप हों। शिशु आहार पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

(ख) भाग (ग) के उत्तर में बताई गई परिस्थितियों में उपरोक्त मामलों में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि औषध निर्माण एककों की लाभप्रदता की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जैसाकि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की पांचवी अनुसूची में दर्शाया गया है।

(ग) जी, नहीं। सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों को पंजीकृत न किया जाना

1001. श्री नवीन रवाणी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी विधि विभाग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अपने को पंजीकृत न कराने वाली अनेक गैर सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और वे किन बड़े गृहों से संबधित है; और

(ग) बड़े गृहों द्वारा प्रयुक्त में लाया जाने वाला क्या तरीका पाया गया है जिससे वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जहां कहीं भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत व्यक्तिगत उपक्रमों को प्रथम दृश्या पंजीकरण योग्य समझा गया है, उनकी चूक नोटिस अपने आपको पंजीकरण कराने के लिये जारी किये गये हैं।

(ख) 370 उपक्रमों और औद्योगिक घरानों जिनसे वे सम्बद्ध हैं और जिनके विरुद्ध 31-12-1979 को चूक नोटिस अनिर्णीत पड़े हुये थे की सूची देता हुआ विवरण-पत्र सलग्न है।

(ग) उपक्रमों की सामान्य प्रतिक्रिया, जिनको चूक नोटिस भेजे जाते हैं वे या तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों तथा उसमें प्रयुक्त विभिन्न उद्घोषणाओं की भिन्न व्याख्या प्रस्तुत करते हुए या चूक नोटिस का लाभ उठाते हुए तथा विभाग द्वारा उठाये गये तथ्यों में परिवर्तनों को सूचित करते हुए जिसे चूक नोटिस में उपक्रमों को उल्लिखित पंजीकरण योग्यता के आधार को हटाया जा सके, इनकार करना है कि वे पंजीकरण योग्य हैं। जब भी विभाग यह पाता है कि उपक्रम अपना स्पष्ट पंजीकरण होने के बावजूद

पंजीकरण से बच रहा है तो अधिनियम के नामित उपबन्धों को अभियोग प्रारम्भ करने के लिये लागू किया जाता है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 915/80)

सभी कम्पनी प्रबन्धों को वेतन तथा अन्य परिलब्धियों सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को परिधि में लाना

1002. श्री बाला साहिब विरवे पाटिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी कम्पनी प्रबन्धकों को वेतन तथा अन्य लाभ देने सम्बन्धी मार्ग-दर्शी सिद्धांतों को परिधि में लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) देश के चहुमुखी विकास के लिए सरकारी प्रयास को इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 नम्बर, 1978 को प्रेषित प्रबन्धकीय पारिश्रमिक को अदायगी से सम्बन्धित संशोधित प्रशासनिक मार्गदर्शक नियम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पपियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों अथवा प्रबन्धकों पर लागू होते हैं । कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा जब तक नहीं होती, जब तक कि इस प्रकार के कार्यकारी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 314 (1 ख) की सीमान्तर्गत नहीं आते ।

यह प्रश्न कि क्या कम्पनी अधिनियम 1956 को इस दृष्टि से संशोधन करना चाहिये, जिससे कि कार्यकारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी, सरकार द्वारा प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों के बारे में प्रेषित मार्गदर्शक नियमों की सीमान्तर्गत आ सके, विचाराधीन है ।

कोयले के उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

1003. श्री आनन्द पाठक : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य क्या-क्या रहा; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कोयले का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिए कोयले के उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य क्रमशः

106.4 मि० टन तथा 112 मि० टन निश्चित किया गया था। वर्ष 1980-81 के लिए योजना आयोग के परामर्श से निश्चित किया गया उत्पादन लक्ष्य 113.5 मि० टन है। वर्ष 1981-82 के लिये उत्पादन लक्ष्य योजना आयोग के परामर्श से इस वर्ष के अन्त में निश्चित किया जायेगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हुआ कोयले का वर्षवार वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1979-80	103.97 मि०टन
1978-79	101.95 मि०टन
1977-78	101.00 टि०टन

टेहरी (गढ़वाल) में बांध

1004. श्री निहाल सिंह : क्या सिंचाई मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेहरी/जिला टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में एक बांध का निर्माण करने का निर्णय लिया था।

(ख) क्या उक्त बांध का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय वह किसी चरण में है और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त परियोजना को रद्द किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) टेहरी बांध परियोजना और इसके बिजली घर के प्रस्तावों को योजना आयोग द्वारा जून 1972 में मंजूरी दी गई थी। परियोजना के प्रारम्भिक कार्य, जिनमें सड़कें बस्तियां, व्यपवर्तन सुरंगें, बिजलीघर का एडिट और एबटमेंट की स्ट्रिपिंग शामिल हैं ; चल रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने का अनन्तिम रूप से निर्धारित समय 1988-89 है।

(घ) और (ङ) इस बीच, जलाशय की डूब से प्रभावित होने वाले लोगों ने अनेक अभ्यावेदन दिये हैं कि बांध का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक विशेष दल इन अभ्यावेदनों की जाँच करने के लिए गठित किया गया है। इस दल ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

नौ राज्यों की विधान सभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या

1005. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1980 में देश के नौ राज्यों में चुनाव लड़ने वाले कुल कितने उम्मीदवार थे और उनकी पार्टी वार संख्या कितनी है ;

(ख) पार्टीवार ऐसे कितने उम्मीदवार है जिनकी जमानत जब्त हो गई ;

(ग) इन चुनावों पर राज्यवार, हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जमानत राशि के जब्त होने के परिणामस्वरूप सरकार को प्राप्त हुई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क)से(घ) अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हैं। यह इकट्ठी की जा रही है।

अल्पावधि के लिए राजधानी आने वाले लोगों के लिये डीजल प्राप्ति में कठिनाई

1006. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल चालित वाहनों के वे मालिक जो देश के अन्य भागों से अध्यावधि के लिये राजधानी में आते हैं डीजल मद पर नियंत्रण होने, फलस्वरूप इसे प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन वाहन मालिकों को डीजल उपलब्ध कराने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन जो, संघ शासित दिल्ली में हाई स्पीड डीजल तेल की सप्लाई को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, ने एक आदेश जारी किया है जिसके जरिये विभिन्न श्रेणियों की गाड़ियों के लिए डीजल की सीमायें निर्धारित की गई हैं। इस आदेश के अनुसार सभी मोटर गाड़ियाँ जो दिल्ली से बाहर पंजीकृत की गई हैं और संघ शाक्षित क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करती हैं, को तेल कंपनियों के पम्पों से जो सीमा पर स्थित होते हैं और राजमार्ग यातायात के लिये निर्धारित हैं से विशिष्ट पैमाने के अनुसार सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। संघ शासित प्रदेश में इस उत्पादन की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इनके पैमाने निश्चित किये गये हैं और प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न दलों में उत्पाद के वितरण के लिए प्राथमिकतायें निश्चित की जाती है। राज्य में डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रख कर दिल्ली प्रशासन ने सीमाएं निर्धारित की है।

प्रत्येक राज्य को डीजल संबंधी आवश्यकता

1007. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल के मामले में प्रत्येक राज्य की आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान डीजल की कमी के कारण सभी राज्यों की मांगे पूरी नहीं की गई थीं ;

(ग) यदि हाँ, तो इस मद का कुल कितना अभाव है ; और

(घ) राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हाई स्पीड डीजल तेल की राज्यवार आवश्यकताओं को बताना सम्भव नहीं है।

(ख) 1979-80 में देश में हाई स्पीड डीजल तेल का कुल विक्रय 1978-79 की तुलना में लगभग 12.6% अधिक था जबकि 1977-78 तक इस उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% से 9% थी। 1979-80 में विक्रय की इस अधिक विकास दर के वावजूद कई स्थानों पर इस उत्पाद की कमी मुख्यत: प्रपुंज पदार्थों के सड़क द्वारा ले जाए जाने में बढ़ोतरी हो जाने से बिजली पैदा करने के लिए डीजल की आवश्यकताओं में वृद्धि और देश के विभिन्न भागों में सूखे के कारण कई स्थानों पर हाई स्पीड डीजल की मांग के उत्तरोत्तर बढ़ जाने के कारण महसूस की गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसकी मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(घ) आयात करके तटीय स्थानों पर डीजल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। देश की शोधनशालाओं के उत्पादन को अधिकतम किया जा रहा है और उपलब्ध परिवहन क्षमता को अनुकूलतम किया जा रहा है। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को सप्लाई पहले ही बढ़ाई गई है और भविष्य में सप्लाई कुल उपलब्धता और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

बिजली की कमी का सिंचाई पर प्रभाव

1008. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान बिजली के उत्पादन में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप समूचे देश में सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई में कितने प्रतिशत की कमी आई ; और

(ग) इसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री, (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम में हानि

1009. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, दोनों को कुल मिलाकर 140 करोड़ रुपये की हानि हुई, जबकि अविभक्त भारतीय उर्वरक निगम को वर्ष 1977-78 में 50 करोड़ रुपये की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का कारणों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन करवाने का विचार था। और क्या इसको विभाजित किए जाने सम्बन्धी मामले पर पुनः विचार किया जाएगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) कच्चे माल की कमी, उपकरण खराबी और बिजली की समस्याओं से विभिन्न एककों के उत्पादन में गिरावट के कारण हानि हुई है।

(ग) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के नामरूप और दुर्गापुर एककों के गहराई से अध्ययन करने की ओर पहल की है जिससे एककों की समस्या के क्षेत्र को पहचानने में मदद मिले और संभावित लाभ को बढ़ा जाये। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया और नैशनल फर्टिलाइजर्स लि० के अप्रैल, 1978 में पुनर्गठन का उद्देश्य निर्णय लेने के केन्द्रीयकरण से बचने और क्षेत्रीय एककों में वृहत्तर स्वायत्तता लाने का था। प्रबन्धकीय दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक कम्पनी को सापेक्ष रूप से एककों की कम संख्या दी गई थी। फिलहाल पुनर्गठन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मैसर्स हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रधान कार्यालय के स्थानान्तरण का प्रस्ताव

1010. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रधान कार्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित करना रोक लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से ऐसा किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सिद्धान्त रूप से इफको का प्रधान कार्यालय संयंत्र से काफी दूरी पर स्थित है और यदि हां, तो ऐसा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा राज्य है जिससे हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रधान कार्यालय को अपने राज्य में स्थापित किये जाने का दावा किया है; और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : एच०एफ०सी० के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाने के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों का निपटान होने तक एच०एफ०सी० को कहा गया है कि वे इस संबंध में कोई वित्तीय करार न करें।

(ग) आई०एफ०एफ० सी०ओ० के पास गुजरात में कान्डला और कलोल नामक स्थानों पर चालू एकक हैं और फूलपुर उत्तर प्रदेश में एक प्रायोजन कार्यान्वियनाधीन है। उनका मुख्यालय दिल्ली है, इफको एक ऐसा उद्यम है जिसमें सम्पूर्ण भारत की सहकारी संस्थाओं के शेयर हैं। इसके मुख्यालय से संबंधित विचार अन्य मामलों पर लागू नहीं होते।

(घ) असम और बिहार सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि एच० एफ०सी० का मुख्यालय उन राज्यों में स्थापित किया जाये। एच०एफ०सी० के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाने के बारे में मार्च, 1979 में निर्णय लेने से पहले इन राज्यों के दावों पर उपयुक्त विचार किया गया था।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग

1011. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण के राज्यों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं जिसे अन्तिम रूप दिये जाने का समाचार है ; और

(घ) उसके कार्यान्वियन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) दक्षिणीराज्यों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर निर्माणाधीन और प्रस्तावित स्कीमों की मुख्य बातें दिखाने वाले दो विवरण संलग्न हैं (विवरण एक और दो)।

(ख) संलग्न दो में शामिल स्कीमों का क्रियान्वयन, इन स्कीमों के योजना आयोग द्वारा मंजूर किए जाने पर ही किया जायेगा।

विवरण-एक

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)
1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	कल	772	14.00
गोआ, दमन व दीव			
1.	सलौली	2188	20.80
2.	मांडोवी	1310	11.21
केरल			
1.	चित्तूरपुझा	990	33 00
2.	कल्लाडा	12450	106.00
3.	कनहिरापुझा	2730	22.00
4.	कुट्टियाडी	3400	30.00
5.	पम्बा	3610	42.00
6.	पेरियार घाटी	3820	86.00
7.	पझासो	3880	32.00
8.	मुवात्तुपुझा (योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं)	3700	52.00
9.	चिमनी (योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं)	1300	26.00

विवरण-दो

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपए	लाभ हजार हैक्टेयर
	महाराष्ट्र		
	बृहद		
1.	तिल्लार सिंचाई	4787.13	36.87 (7.53 महाराष्ट्र तथा 29.34 गोआ)
2.	भासतसा सिंचाई	2164.915	10.915
	मध्यम		
1.	हतावना	481.44	5.814
2.	नाथुवाडी	656.07	4.54
	कर्नाटक		
	बृहद		
1.	वराही परियोजना	943.00	25.33
	केरल		
	बृहद		
1.	कवकादावु	1335.50	41.76
2.	मुवात्तुपुझा	3652.10	52.20
3.	चिमनी	1261.53	26.00
4.	इदामालायार	1785.48	25.66
5	करप्पारा कुरियाकुट्टी (बहुद्देश्यीय परियोजना) (पालीघाट)	2685.60	11.736
	मध्यम		
1.	वामनपुरम	747.28	20.00
2.	एरिया कोड सिंचाई परियोजना (बियोरापुझा)	1067.00	13.624

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा दवाईयों के मूल्य में वृद्धि

1012. **श्री निहाल सिह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने हाल ही में प्रति औषध 2 रुपये या 3 रुपये तक मूल्य वृद्धि की है जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषध निर्माता कम्पनियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की है तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने मार्च 1978 के बाद मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति नहीं दी है। तथापित यह संभव है कि निम्नलिखित मामलों में कुछ मूल्य वृद्धि हुई हो :—

(i) मूल्य नियंत्रणा से बाहरी फार्मूलेशन जो अनावश्यक प्रकृति के हैं; और

(ii) लघु पैमाने के एककों जिनका वार्षिक व्यापार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है द्वारा उत्पादित फार्मूलेशन क्योंकि ऐसे एकक मूल्य नियंत्रित से बाहर है बशर्ते उनकी श्रेणी I और II उत्पादों के लिए अगला शीर्ष मूल्य हों।

(ख) जब कभी भी सरकार के ध्यान में आता है कि कोई उत्पादक प्राधिकृत मूल्य से अलग किसी मूल्य पर औषध का विपणन करता है तो ऐसे उत्पादकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और/या सम्वन्धित राज्य औषध नियंत्रको को भी जाँच करने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां उत्पादकों ने कुछ उत्पादों को मूल्य छूट की श्रेणी में लाने का दावा किया है किन्तु मंत्रालय द्वारा श्रेणी बद्धता की पूछताछ की गई है। इस तरह के मामलों में उत्पादकों को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हुए और विशेषण विशेषज्ञ राय जानने के बाद सरकार गुणों के आधार पर उत्पाद की श्रेणी बद्धता के बारे में अन्तिम निर्णय लेती है। उत्पादकों ने ऐसे मामलों में अनन्यरूप से सरकार के अन्तिम निदेशों का अनुपालन किया है।

बाढ़ के पानी को उपयोग में लाना

1013. **कमला मिश्र मधुकर :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाढ़ के पानी के उपयोग में लाने के बारे में सरकार ने कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उस वार्षिक हानि के बारे में अनुमान लगाया है जो बाढ़ के पानी को उपयोग में न लगाये जाने के कारण देश को होती है और यदि बाढ़ के पानी को नियमित रूप से उपयोग में लगाया जाये तो देश को कितना लाभ होगा तथा बाढ़ के पानी को उपयोग में लाने पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (घ) भारत की नदियों के कुल लगभग 1440 मिलियन एकड़ फुट के जलप्रवाह में से, 80-90 प्रतिशत प्रवाह मानसून के मौसम में आता है और इसका अधिकांश भाग बाढ़ प्रवाह के रूप में होता है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार इसके केवल एक-तिहाई भाग का इस्तेमाल लाभप्रद ढंग से उपभोगात्मक उपयोगों के लिए किया जा सकता है। बहुद्देशीय लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से, फालतू बाढ़ जल को संचित करने के लिए देश की विभिन्न नदियों पर लगभग 130 मिलियन एकड़ फुट की क्षमता वाले बहुत से जल संचयन जलाशयों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बाढ़ प्रवाह को यथासंभव सीमा तक काबू में लाने के लिए कई बृहद नदी प्रणालियों पर कई अतिरिक्त जल संचायन जलाशयों के निर्माण की परियोजनाएं इस समय अन्वेषण, अयोजन और निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अनुमानित है कि बाढ़ों से समूचे देश में प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की क्षति होती है। उपलब्ध जल को पूर्णत: अथवा अधिकांश रूप से काबू में लाने के लिए पर्याप्त जल-संचयन की क्षमता के जल सृजन की भी, भू-आकृतिक और भू-वैज्ञानिक कारणों से अपनी कई सीमाएं हैं लेकिन आशा है कि संभाव्य जल-संचयन क्षमता के सृजन से बाढ़ से होने वाली क्षति में काफी कमी हो जाएगी। विभिन्न स्थलों के अन्वेषण और संचित जल का लाभदायक ढंग से उपयोग करने की परियोजनाएं तैयार किये जाने के बाद ही लाभ और लागत का अनुमान लगाया जा सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

1014 श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 300 से अधिक नई विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 84.6 करोड़ रुपये से भी अधिक की ऋण के रूप में सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या इन परियोजनाओं से विभिन्न राज्यों के 14,000 से भी अधिक गावों में बिजली मिलेगी ;

(ग) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नई विद्युतीकरण परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना है ; और

(घ) अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितने ऋण मंजुर किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम के निदेशक बोर्ड की 23 अप्रैल, 1980 की हुई बैठक में 90.68 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 320 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विभिन्न राज्यों में 13,955 नए गांवों के विद्युतीकृत हो जाने की परिकल्पना है।

(ग) उपरोक्त 320 परियोजनाओं में, गाँवों का विद्युतीकरण किए जाने के अतिरिक्त, 4 विशेष पारेषाण परियोजनाएं तथा पहले से ही विद्युतीकृत गाँवों से लगी हरिजन बस्तियों को बिजली के विस्तार किए जाने की 35 योजनाएं भी शामिल हैं। ये नई योजनाएं आंध्रप्रदेश असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए है।

(घ) 23 अप्रैल, 1980 को स्वीकृत की गई 320 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं समेत निगम ने 31.5.1980 तक 3534 परियोजनाओं के लिए 1242.26 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

राजस्थान नहर परियोजना

1015. श्री चित्त बसु : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर परियोजना के कार्य में प्रगति लक्ष्य से कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान सरकार की सिंचाई परियोजना है और इसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। शुरू-शुरू में इस परियोजना की प्रगति धीमी थी, जिसके कारण अन्य बातों के साथ-साथ ये थे : साधनों की कमी और राजस्थान के थार मरुस्थल के प्रतिकूल वातावरण में, जहां यह परियोजना स्थित है, वर्षा-ऋतु से भिन्न मौसम में पीने और निर्माण के प्रयोजन के लिए जल की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध न होना। 1974 में ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के पूरा होने के बाद, इस परियोजना-क्षेत्र में पूरे वर्ष भर निर्माण और घरेलू उपयोगों के लिए जल की सुनिश्चित सप्लाई उपलब्ध हुई। इसके बाद इस परियोजना में काफी प्रगति हुई है। आशा है कि यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1985-86 तक पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हाल के वर्षों में सीमेंट और कोयले की कमी के कारण, जिसकी आवश्यकता

नहर प्रणाली की लाइनिंग के लिए ईंटों और टाइलों को जलाने के लिए होती है, परियोजना की प्रगति में बड़ी बाधा आई है । केन्द्रीय सरकार, परियोजना को 1985-86 तक पूरा करने के लिए सीमेंट और कोयले को पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता कर रही है । केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय मानीटरिंग एकक द्वारा इस परियोजना के निर्माण की प्रगति पर बड़े ध्यान से नजर रखी जा रही है ।

कम्पनियों के पास जमा धनराशि का पुनर्भुगतान न किए जाने के बारे में शिकायतें

1016. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जनता से वसूल की गई जमा धनराशियों का पुनर्भुगतान न किए जाने के बारे में हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो शिकायतों का तथा चलाए गए मुकदमों का व्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : सरकार समय समय पर, गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जनता से संग्रहीत जमा धन की वापिसी में चूक की बावत जमाकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करती रही है ।

(ख) किसी भी राष्ट्रीय समाचार-पत्र की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है । शायद इस प्रकार की कुछ शिकायतें कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हों ।

(ग) कम्पनी अधिनियम 1956 में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है, जो सरकार को, जमाकर्ताओं के परिपक्व हुये जनता जमाधन को लौटाने के लिये गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों को बाध्य करने में समर्थ बना सके । तथापि, ऐसे मामलों में यह परीक्षा की जाती है कि क्या कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा कम्पनी (जमाधन की स्वीकारोक्ति) नियम, 1975 के उपबन्धों का पालन किया है । ऐसे समुचित मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 58 क तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, के उपबन्धों के उल्लंघन की चूक हुई हो, वहां कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये जाते हैं ।

(घ) सरकार द्वारा, गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें, जमा धन तथा / अथवा परिपक्व होने पर इस प्रकार के जमाधन पर उपार्जित ब्याज के अदा न करने से सम्बन्धित होती है, जिनके लिये जमाकर्ता को समुचित कानूनी न्यायालय में कार्य-वाही करनी होती है । तथापि, यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क तथा/ अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, के उपबन्धों का उल्लंघन, सरकार की दृष्टि में आता है, तो कम्पनी

पर अभियोग चलाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है। 31-3-80 तक इस प्रकार के 60 मामलों में मुकदमें दायर किये गये हैं।

आवश्यक औषधियों के निर्यात के लिये विदेशी औषध कम्पनियों को अनुमति

1017. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कार्यरत कुछ विदेशी औषधि कम्पनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे भारतीय फर्मों के सहयोग से उनके द्वारा निर्मित आवश्यक औषधियों का निर्यात कर सकती है;

(ख) यदि हो तो इन विदेशी औषध कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके भारतीय सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्ष के दौरान (1979 और 1980 अप्रैल तक) इन कम्पनियों द्वारा आवश्यक औषधियों के निर्यात का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह सच है कि विदेशी औषध कम्पनियाँ आवश्यक औषधों समेत अन्य औषधों का भी निर्यात करती हैं वे ऐसा उनके पास उपलब्ध विशिष्ट उत्पादन अनुमति के आधार पर करती हैं। मूल रसायन भेषज और रंगराज निर्यात संस्थापक परिषद औषध निर्यात से सम्बन्धित संगठन ने बताया है कि विदेशी और भारतीय फर्मों के संयुक्त और सहयोगी आयात का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेश के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए शिविर

1018. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में कोई शिविर लगाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है (उन स्थानों के नामों सहित जहां शिविर लगाए गए हैं); और

(ग) इस समय इन शिविरों में कुल कितने शरणार्थी हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कोई शिविर स्थापित नहीं किए गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) शून्य ।

इन्दौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1819. श्री फूलचंद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में इन्दौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन्दौर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का भूमि की पेशकश

1020. श्री कृष्णचंद्र हाल्दर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने दिनाँक 4 दिसम्बर, 1979 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम कलकत्ता के व्यापारिक केन्द्र में स्थित एक भवन में, 10,000 से 15,000 वर्ग फिट भूमि तुरन्त ही पेश करने की स्थिति में है और कुछ भूमि साल्टलेक क्षेत्र में एकक कार्यालय तथा एक रिहायशी आवास समूह के निर्माण के लिए उपलब्ध हो जायेगी;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उक्त निगम को और अधिक भूमि अर्थात् कुल 26,000 वर्ग फिट भूमि पोदार कोर्ट कलकत्ता में देने की पेशकश की थी;

(ग) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ने उक्त पेशकश के बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) एच०एफ०सी० को पश्चिम बंगाल सरकार के दिनांक 4.12.1979 का पत्र प्राप्त हुआ है जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख है । इसके बाद दिसम्बर, 1979 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकाश निगम से

पोद्दार कोर्ट, कलकत्ता में 10,000 वर्ग फुट कार्यालय जगह का प्रस्ताव आया। चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र एच०एफ०सी० के निगम कार्यालय की आवश्यकता से कम था और स्थल भी उपयुक्त नहीं था, एच०एफ०सी० ने प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया। जब मार्च, 1980 में एच०एफ०सी० ने एक स्थानीय पत्र के विज्ञापन जिसमें 26,000 वर्ग फुट जगह के प्रस्ताव का उत्तर दिया तो उन्होंने पाया कि विज्ञापक पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ही था और जगह उसी भवन में थी। इसी बीच सरकार को स्थानांतरण के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनका निपटान रुका हुआ है, एच०एफ०सी० को कहा गया कि इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय करार न किया जाये।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

1021. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में सीमेंट, इस्पात और विस्फोटक सामग्री की कमी के कारण बाधा पहुंची है,

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित सामग्री की सप्लाई के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में गंडक परियोजना

1022. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना के चीफ इंजीनियर का मुख्यालय पूर्वी चम्पारण जिले के मालिहारी स्थान पर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो वहां सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन सभी व्यक्तियों को वहां आवास प्राप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप गण्डक परियोजना के कार्य में बाधा पड़ रही है।

(ङ) यदि हां, तो सरकार वहां सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर कब तक बना देगी;

(च) सभी संवर्गों के कितने कर्मचारियों के पास अपने क्वार्टर हैं; और

(छ) उनके बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

समाचार पत्रों की बिक्री के बारे में आंकड़े

1023. श्री मूल चद डागा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 के दौरान समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़ों की जांच की गई थी;

(ख) यदि हां तो कितने मामलों में आंकड़े गलत पाये गये थे और प्रत्येक मामले में आंकड़े कितने-कितने बढ़ा कर बताए गए थे; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी. हां ।

(ख) वर्ष 1979 के दौरान 818 समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के आंकड़ों की जांच पड़ताल की गई थी, इनमें से 273 समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के आंकड़े बढ़े चढ़े/सिद्ध नहीं हुए/पाए गए थे । ऐसे समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों जिनके मामले में परिचालन संख्या बढ़ी चढ़ी/सिद्ध नहीं हुई/पायी गई थी, की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 916/80)

(ग) आंके गए आंकड़े भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले रिकार्ड में दर्ज कर लिए जाते हैं। अखबारी कागज की हकदारी और सरकारी विज्ञापनों की दरें आंकी गई परिचालन संख्या के आधार पर संशोधित की जा रही है और अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा और बढ़ी चढ़ी परिचालन संख्या के आधार पर उनके द्वारा कम की गई ऊंची दरों के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतान को अखबारी कागज के उनके भावी कोटे और विज्ञापनों के सावर्ती बिलों में समंजित किया जा रहा है । जिन समाचारपत्रों की परिचालन संख्या के दावों को "सिद्ध नहीं हुआ" समझा गया है, उनकी अखबारी कागज का कोटा और सरकारी विज्ञापन देने बंद किए जा रहे हैं ।

केन्द्र सरकार के सामने स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी सिंचाई परियोजनायें

1024. श्री ए० नीलालोहिथनदासन : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार के सामने स्वीकृति के लिए कितनी सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी है;

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति प्रदान करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं को सरकार कब अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) 27 बृहद और 23 मध्यम सिंचाई स्कीमें भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं। इनके अलावा, 92 बृहद और 46 मध्यम परियोजनाएं राज्य सरकारों के पास केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन के लिए पड़ी हुई हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उक्त 27 बृहद और 23 मध्यम परियोजनाओं के नाम दिए गये हैं।

योजना आयोग ने अन्वेषण, डिजाइन, प्राक्कलनों और लाभ-लागत अनुपात आदि के बारे में कुछ मानदंड निर्धारित कर रखे हैं। जो परियोजनाएं राज्य सरकारों से प्राप्त होती हैं उनकी जांच इन मानदण्डों के आधार पर की जाती है। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के लिए तभी विचार किया जा सकता है, जब इनकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता संतोषजनक ढ़ंग से सिद्ध हो जाए। इसलिए परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना, राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की टिप्पणियों के जवाब दिए जाने पर और, आवश्यकता पड़ने पर, अनिर्णीत मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे जाने पर निर्भर करता है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

क० बृहद परियोजनाएं

1. कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण
2. येलेरू जलाशय (पूर्वी गोदावरी)

बिहार

3. दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण
4. बागमती परियोजना (सीतामढ़ी)

5. कोयल-कारो-स्वर्णरेखा अन्तर्बेसिन सिंचाई परियोजना
6. उत्तरी कोयल

गुजरात

7. वतरक (सबरकंठा)
8 सरदार सरोवर (भड़ोंच)
9. फत्तेवाड़ी नगर प्रणाली (अहमदाबाद) का आधुनिकीकरण
10. दांतीवाड़ा जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण (बनासकंठा और मेहसाना)
11. भादर परियोजना (राजकोट) का आधुनिकीकरण
12. शतरंजी पोलीथाना (भावनगर) का आधुनिकीकरण
13. माछू-एक (राजकोट) का आधुनिकीकरण
14. खारीकट नहर का आधुनिकीकरण
15. उकई-ककरापार का आधुनिकीकरण
16. सीपू (बनासकंठा)
17. जनखारी जलाशय (सूरत)

मध्य प्रदेश

18. राजघाट नहर परियोजना (गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, और भिंड जिला) मध्य प्रदेश भाग।
19. कोलार परियोजना (सीहोर)
20. हलाली (विदिशा और रायसेन)
21. राजघाट बांध परियोजना (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश)

महाराष्ट्र

22. वान नदी परियोजना (अकोला)
23. बावंथवाड़ी परियोजना (भंडारा)

पंजाब

24. वितरण नहरों और माइनर नहरों की लाइनिंग परियोजना (पहला चरण)

उत्तर प्रदेश

25. मौदाहा

पश्चिम बंगला

26. अपर कंसवती जलाशय परियोजना (पुरूलिया और बांकुरा)
27. वेरमनगोला

(ख) मध्यम परियोजनाएं

आन्ध्र प्रदेश

1. बग्गा वांका जलाशय स्कीम (गुडप्पा)

गुजरात

2. हरनव चरण-दो (सबरकंठा)
3. गुहई (सबरकंठा)
4. माजम (सबरकंठा)

जम्मू और कश्मीर

5. सीर लिफ्ट स्कीम

मध्य प्रदेश

6. बूढ़ाना नाला परियोजना (शिवपुरी)
7. चीरपानी परियोजना (राजनदगांव)
8. कोसरते दो टेंक परियोजना और गोदावरी (वस्तर)
9. महनर परियोजना (शिवपुरी)
10. बाह परियोजना (विदिशा)
11. सागर परियोजना (विदिशा)
12, दोरसा सिंचाई परियोजना (सीहोर)
13. कलियासोते सिंचाई परियोजना (भोपाल)
14. तिल्लर बाँध परियोजना (शाजापुर)

महाराष्ट्र

15. सनवाड सिंचाई परियोजना

16. अमरावती परियोजना

17. डोंगरगांव टैंक परियोजना

मणिपुर

18. खुगा सिंचाई परियोजना (मणिपुर दक्षिण)

उड़ीसा

19. बांकबई सिंचाई परियोजना (मयूरभंज)

राजस्थान

20. सावन भादों सिंचाई स्कीम

21 छापी सिंचाई परियोजना

22. बिलास सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश

23. नानकसागर बांध की मरम्मत और उसे सुदृढ़ बनाना ।

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

1025. श्री ए० नीलालोहिथादासन : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार वामनपुरम सिंचाई परियोजना के प्रतिवेदन के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिये केन्द्रीय जांच आयोग में संबंधित अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडेय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिनेमा को उद्योग के रूप में समझने के लिए अनुरोध

1026. श्री के०पी० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार से अनुरोध किया गया है कि सिनेमा के उद्योग के रूप में समझा जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं, अभी नहीं ।

भारतीय उर्वरक निगम का तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एककों को हो रही हानियां

1027. **श्री गुलाब रसूल कोवक :**

श्री पी०एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एककों के समक्ष, लगभग दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई पुनर्गठित योजनाओं को क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में, विपणन बाधाएं आ रही है और उन्हें अत्यधिक हानियां हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य कारणों से भी निहित उद्देश्य विफल हो गये हैं तथा अप्रैल, 1978 में पिछली सरकार को तत्कालीन भारतीय उर्वरक निगम एवं राष्ट्रीय उर्वरक लि० को पांच स्वायत्त निगमों में विभाजित करना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की इन हानियों के मुख्य कारण क्या हैं तथा वर्तमान सरकार इन हानियों को किस प्रकार पूरा करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को पिछले दो वर्षों के दौरान घाटा हुआ है। कम्पनियों को किसी प्रकार की विपणन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा कच्चे माल की कमी उपकरण खराबी और बिजली की समस्या के कारण विभिन्न एककों में उत्पादन में गिरावट के कारण मुख्य रूप से हानि हुई । फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत एककों के कार्य-निष्पादन की देखरेख की जाती है और उत्पादन कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए सही उपचारी उपाय किये जाते हैं।

अप्रैल, 1978 में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया और नैशनल फर्टिलाइजर्स लि० के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने में केन्द्रीयकरण से बचना और क्षेत्रीय एककों में वृहत्तर स्वायत्तता लाना था । पुनर्गठन योजना को पूर्णरूप से कार्यान्वित कर दिया गया है ।

सरणीकृत औषधियों के नियतन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

1028. **श्री गुलाब रसूल कोचक :**

श्री पी०एम० सईद : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिये सरणीकृत औषधियों के नियतन के लिये कोई नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ;

(ख) क्या चालू वर्ष में औषधियों के उत्पादन में सम्भावित गिरावट के साथ अनेक आवश्यक औषधियों की कमी के वदतर होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या नये मार्गदर्शी सिद्धांतों से उद्योग के संगठित क्षेत्र के लिये कोई विकास नहीं हो सका ;

(घ) यदि हां, तो क्या संगठित क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत सभी औषध कम्पनियां और भारतीय डी०जी०टी०डी० आते हैं , के एककों को इस वर्ष भी सरणीकृत औषधियों का कोई अधिक नियतन नहीं किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है जिसे महत्वपूर्ण औषधियों की कमी पुनः वदतर न हो ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 1979-80 के दौरान क्लोरमफेनीकोल पाउडर, स्ट्रेप्टोमाईसीन, डैप्सोन, इरीथोमाइसीन स्टीरेट आदि जैसे आवश्यक वल्क औषधों समेत कुछ वल्क ओषधों के उत्पादन में कुछ गिरावट आई हैं। तथापि इन वल्क औषधों से सम्बन्धित फर्मूलेशनों की आम कमी नहीं है। इन औषधों के कुछ ब्राण्डों की सिर्फ आवधिक क्षेत्रीय कमी है और इन मामलों में मिलते जुलते ब्राण्ड आम तौर पर उपलब्ध हैं। आवश्यक औषधों के उत्पादन और उपलब्धता की देखरेख इस मंत्रालय में की जाती है और उपचारी उपाय, जब कमी आवश्यक हो, कमी को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, अगर कोई है।

(ग) और (घ) : डी.जी.टी.डी. एककों (संगठित क्षेत्र) को वर्ष 1980-81 के दौरान सरणीबद्ध वल्क औषधों के वितरण के लिए नई मार्गदर्शिका में पिछले वर्ष लागू मार्गदर्शिका से सही रूप में सुधार हुआ है, जहां तक इससे पहले नहीं हुआ, मार्च 1977 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान पूर्व निकासी पर आधारित आवंटन किया जा सकता है यद्यपि आवंटन ऐसे एककों के लाईसेंसीकृत क्षमता के मुताविक पात्रता से अधिक है।

(ङ) जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट है आवश्यक औषधों की उपलब्धता पर दृष्टि रखी जाती है और आवश्यकतानुसार मंत्रालय द्वारा उपचारी उपाय किये जाते हैं।

उच्च प्रोद्योगिकी औषध एकक

1029. **श्री के. टी. कौसलराम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने दो बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों को छोड़ कर शेष सभी को उच्च प्रौद्योगिकी एकक घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उच्च प्रौद्योगिकी एकक हैं और जो उच्च प्रौद्योगिकी एकक नहीं हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम समिति की इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व

1030. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख फिल्म संगठनों ने प्रस्ताविक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समूचे देश के फिल्म उद्योग के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस संवंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना प्रसारण और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार फिल्म उद्योग से संबंधित विभिन्न वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने की इच्छुक है और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का बोर्ड इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गठित किया जा रहा है।

न्यू केनिल वर्थ होटल, कलकत्ता

1031. **श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू केनिल वर्थ होटल प्राइवेट लिमिटेड, 182, लिटिल रसल स्ट्रीट कलकत्ता-7

आरम्भ हो गया, तथा इस होटल की स्थापना के समय इसके कितने हिस्सेदार थे : तथा इस समय इसके कितने हिस्सेदार हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि होटल के हिस्सेदार कम्पनी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा क्या इस बारे में सरकार को होटल के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) न्यू कैनिल वर्थ होटल प्राइवेट लिमिटेड, 29 अप्रैल, 1970 को पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत किया गया था। कम्पनी के होते हुए, इसके कोई साझीदार नहीं हैं। दोनों अर्थात् स्थापना के समय और इस समय कम्पनी में 3 निदेशक हैं।

(ख) कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कम्पनी के निदेशकों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 (5) के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये थे और वार्षिक महा सभा की बैठक में 31-3-76 तक का कम्पनी का तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 480 रु० का जुर्माना किया गया था ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास बस्तियों में सुविधाएं

1032. श्री निहाल सिंह : क्या **पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष पुनर्वास समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित किए गए कार्यवाही ग्रुप की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात सरकार ने 31 दिसम्बर, 1950 के पश्चात पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई 175 बस्तियों में प्लाटधारियों का सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सभी प्लाटधारियों को सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने प्लाटधारियों को सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) कार्यवाही दल ने 1976 में भूमियों के अधिग्रहण एवं भू-स्थलों के विकास द्वारा 1950 के बाद की 175 अनधिवासी बस्तियों को नियमित करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है जो अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि वह अपने भूमि विकास तथा योजना अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूमि योजना समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए इन बस्तियों के सर्वेक्षण नक्से तैयार कर रही है। उसने आगे सूचित किया है कि अधिग्रहण

कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने तथा भूमियों का कब्जा लेने के बाद भू-स्थलों के विकास और प्लाटधारियों को हक देने के लिए कार्रवाही की जाएगी ।

बिजलीघरों को कोयला सप्लाई करने के लिए पृथक निगम

1033. श्री पी० एम० बी० चंद्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद :

श्री जनार्दन पूजारी : क्या ऊर्जा सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सप्लाई की समस्या के कारण केन्द्रीय सरकार बिजलीघरों को कोयला सप्लाई करने के लिए एक पृथक निगम की स्थापना करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह नया निगम नई खानों के विकास की सम्भावनाओं का भी पता लगाएगा ; और

(ग) इन ताप-परियोजनाओं को कोयले की सप्लाई के मामले में यह कहाँ तक सहायक सिद्ध होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ताप बिजलीघरों को समय से कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोल इण्डिया लि० में एक अलग सेल का गठन किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) इससे प्रत्येक बिजलीघर को कोयले की सप्लाई की अच्छी तरह देखभाल हो सकेगी और रेलवे के साथ सम्पर्क रखा जा सकेगा ताकि बिजलीघरों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें सप्लाई बढ़ाई जा सके ।

मिट्टी के तेल तथा डीजल का आयात

1034. श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान कमी को दूर करने के लिए मई और जून 1980 के दौरान 5 लाख मी० टन डीजल और 1.6 लाख मी० टन अतिरिक्त मिट्टी का तेल आयात करने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां तो, उक्त कमी किस सीमा तक दूर की जाएगी ;

(ग) राज्यों को मई, 1980 में डीजल और मिट्टी के तेल का कुल कितना नियतन किया गया था और जून में क्या स्थिति है ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में डीजल और मिट्टी के तेल की कमी गम्भीर रूप धारण करने वाली है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी नहीं। मई और जून, 1980 के दौरान किये गये एस. के. ओ. और एच. एस. डी. के कुल आयात क्रमशः लगभग 3 लाख मी० टन और 10 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया गया है।

(ख) एस. के. ओ. और एच. एस. डी. की कमी को आयात द्वारा यथा सम्भव पूरा किया जा रहा है।

(ग) राज्यों। संघीय क्षेत्रों के लिए मई और जून 1980 के महीनों के लिए किए गये आबंटन नीचे दिये गये है :

(आकड़े हजार मी० टनों में)

उत्पाद	मई, 1980 आबंटन	जून, 1980 के लिए आबंटन
एच. एस. डी.	858	765
एस. के. ओ.	353	317

(घ) हाल के महीनों में डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई में सुधार हुआ है। भविष्य में यह सप्लाई आवश्यक है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वदेशी उत्पादन पर और उत्पादों के सामान्य रुप से आवागमन आदि पर निर्भर करेगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कीट नाशी औषधियों का निर्माण

1035. श्री अहमद एम. पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जो कीट नाशी औषधियों का निर्माण कर रही हैं ;

(ख) क्या कीट नाशी औषधियों के निर्माण के लिये उपयोग में लाये जाने वाला कच्चा माल आयात किया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो किन ऐजेन्सियों के माध्यम से अथवा सीधे निर्माताओं से लिया जाता है ; और

(घ) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) संगठित क्षेत्रों के कम्पनियों के नाम (जो कीटनाशी से सम्बन्धित हैं) जिनकी सीधी विदेशी साम्य 40 प्रतिशत से अधिक है, निम्न प्रकार हैं :

1. सीवा गायगी आफ इण्डिया लि०, बम्बई ।
2. सीनामाईड (इण्डिया) लि० बम्बई ।
3. सैण्डोज (इण्डया) लि० बम्बई ।
4. बेयर (इण्डिया) लि० बम्बई ।
5. अल्कली एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० कलकत्ता ।
6. यूनियन कार्बाइड लि०, नई दिल्ली ।
7. इन्डोफिल केमिकल्स इण्डिया लि० बम्बई ।
8. हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स आफ इण्डिया लि० बम्बई ।
9. मोनसेन्ट कैमिकल्स आफ इण्डिया लि, बम्बई ।
10. बी. ए. एस. एफ इण्डिया लि० बम्बई ।

(ख) जी हाँ, किन्तु कुछ हद तक यह स्वदेश में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्तमान आयात नीति के मुताबिक कच्चे माल के आयात की अनुमति, वास्तविक उपभोक्ता को वास्तविक पिछली खपत पर स्वतः लाइसेंन्स जारी किये जाते हैं । या खुले आम लाइसेंन्स के अन्तर्गत दी जाती है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

घाटे पर चल रही कोयला खानें

1036. **श्री अहमद एम. पटेल :** क्या ऊर्जा सिंचाई **और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के बाद प्रति वर्ष कितनी हानि हुई ; और

(ग) उन्हें लाभकारी उपक्रम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) कोल इन्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों के अनंतिम और बिना लेखा-परीक्षा हुए खातों के अनुसार वर्षवार घाटा नीचे दिया गया है :

	करोड़ रुपये
1973-74	33.14
1974-75	75.28
1975-76	54.00
1976-77	75.21
1977-78	102.14
1978-79	221.17
1979-80	134.42

(ग) इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इस सिलसिले में बिजली, विस्फोटक पदार्थों तथा डीजल की सप्लाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(2) खनिकों की गैर-हाजिरी की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण किया जा रहा है।

(3) जनशक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार।

(4) उपकरणों के उपभोग में सुधार।

(5) सम्पत्ति-सूची पर नियंत्रण तथा भण्डार सामग्री के उपयोग में किफायत।

हाई स्पीड डीजल की कमी

1037. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाई स्पीड डीजल की कमी का उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है जो कि अब बन्द होने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग और श्रमिकों को बचाने के लिए त्रिपुरा को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बोंगाईगाँव शोधनशाला और बरौनी शोधनशाला के बन्द हो जाने के कारण और दिग्बोई तथा गोहाटी शोधनशाला के रुकावट के साथ संचालन के कारण इनके द्वारा होने वाली सप्लाई वाले क्षेत्रों में कमी रही है। राज्य सरकारों को डीजल के आबंटन के लिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक दिये जाने की सलाह दी गई है। उद्योगों के द्वारा एच. एस. डी. की सामान्य खपत बहुत ही कम है। उद्योग में पावर की कमी के प्रभाव और इसके परिणाम स्वरूप एच. एस. डी. की माँग में वृद्धि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) जनवरी, 1980 से लेकर त्रिपुरा को की गई डीजल की सप्लाई निम्न प्रकार थी :

	(आँकड़े मी. टनो में)
जनवरी, 1980	360
फरवरी, 1980	673
मार्च, 1980	783
अप्रैल, 1980	844 (अस्थाई)
मई, 1980 (आबंटन)	1300
जून, 1980 (आवंटन)	1200

इस क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धता तथा उपलब्ध उत्पाद का एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस उत्पाद की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाएं अब काम कर रही हैं और त्रिपुरा को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भी सुधार होने लगा है।

औषध मूल्यों में वृद्धि पर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा विरोध प्रकट किया जाना

1038. श्री सुधीर गिरि :

श्री एन०ई० होरो : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1980 को भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा जारी किये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने औषध मूल्यों में और वृद्धि पर विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि जीवन रक्षक औषधियों सहित इनके मूल्य जन साधारण की पहुंच से परे हो चुके थे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इण्डियन मैडिकल एसोशियेशन, नई दिल्ली ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने औषधों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में 19 अप्रैल, 1980 को कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने मार्च, 1978 के बाद जीवन रक्षक औषधों सहित मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है।

निम्नलिखित तालिका से यह पता लग सकता है कि यद्यपि औषधों के अलावा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन औषधों के मूल्य पिछले चार वर्षों से, स्थिर हैं और वास्तव में गत दो वर्षों में उनमें कुछ कमी हुई है।

वर्ष	दवाइयों के थोक मूल्य सूचकांक	अन्य सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक
1976-77	133.9	176.6
1977-78	136.3	185.8
1978-79	136.1	185.8
1979-80	135.2	217.1 (आधार वर्ष 1970-71)

फिल्म डिवीजन के लिए सत्यजीत राय द्वारा बनाए गए वृत्त चित्र

1039. **श्री नवीन रवाणी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत राय ने कहा है कि उनके द्वारा फिल्म डिवीजन के लिए बनाए गए एक दर्जन वृत्त चित्रों में से दो चित्रों को अभी भी जनता को नहीं दिखाया गया है और उन दो चित्रों का कोई पता नहीं चल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो सन 1971 में बनाए गये 'टू' और "सिक्किम" नामक दो चित्रों का क्या हुआ है ;

(ग) यदि वे खो गये हैं तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और क्या उत्तरदायी व्यक्ति को सजा दी जायेगी ; और

(घ) उन दो चित्रों को ढूंढने और उन्हें जनता में दिखाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह पता चलता है कि श्री सत्यजीत रे ने दो डाकुमेंट्री फिल्में (क) "टू" और (ख) "सिक्किम" क्रमश: इण्टरनेशनल आयल कम्पनी, ई.एस.एस. ओ. और सिक्किम सरकार के लिए बनाई थीं न कि फिल्म प्रभाग के लिए। इन डाकुमेंट्री फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए फिल्म प्रभाग को न तो ई एस.एस.ओ. द्वारा कहा गया था और न ही सिक्किम सरकार द्वारा। इसको देखते हुए फिल्म प्रभाग द्वारा इनको रिलीज किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बदरपुर तापीय बिजली घर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपा जाना

1040. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंपने के बारे में केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ। बदरपुर ताप विद्युत केंद्र दिल्ली नगर निगम को अन्तरित करने के लिए दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद ने सितम्बर, 1979 में एक पत्र में केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) दिल्ली की प्राथमिकता में आधार तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों की विद्युत सप्लाई की अनुपूर्ति करने के लिए बदरपुर ताप विद्युत केंद्र केंद्रीय क्षेत्र में स्थापित किया गया पहला ताप विद्युत केंद्र है। यह विद्युत केन्द्र केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है इसके विस्तार, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समेकित विद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए बदरपुर जैसे केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र होना आवश्यक पाया गया है। केन्द्रीय सेक्टर में वृहत ताप विद्युत केंद्रों का निर्माण करने तथा उनका प्रचालन और अनुरक्षण

करने के लिए एक कम्पनी के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) की स्थापना की गई है। अत: केंद्रीय सरकार ने यह आवश्यक समझा कि बदरपुर ताप विद्युत केंद्र का प्रबंध तथा प्रचालन और इसके विस्तार कार्यक्रम का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को पूरा करने दिया जाए ताकि ये सब कार्य ऐसे संगठन द्वारा किए जा सकें जो कि इस कार्य के लिए विशेषरूप निर्मित्त-सुज्जित है। इन परिस्थितियों में बदरपुर ताप विद्युत केंद्र का अन्तरण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को करना व्यवहार्य नहीं होगा।

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के सम्बन्ध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत

1041. श्री एस०एम कृष्ण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के सम्बन्ध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या ये सिद्धांत सरकारी क्षेत्र पर भी लागू होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सरकार के समक्ष पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की सहायकें हैं, के प्रबन्धकीय कार्मिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की अदायगी को विनियमित करने वाली विद्यमान प्रशासनिक मार्ग-संदर्शिका को परिशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मार्ग-संदर्शिकाएं कम्पनियों के रूप में विनियमित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होती हैं।

जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता और उनके अत्यधिक मूल्य

1042. **श्री एस०एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कुछ जीवन रक्षक औषधियों का बाजार से गायब होना तथा कुछ अन्य भेषजीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, औषधियों तथा दवाइयों में आसन्न संकट के प्रथम लक्षण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को किसी भी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषध के बाजार से गायब होने की कोई सूचना प्राप्त

नहीं हुई है ? तथापि विभिन्न क्षेत्रों से समय समय पर ब्राण्ड उत्पादों की कमी की सूचना मिली मामलों में साधारणतया समतुल्य उपलब्ध है ।

सभी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषध मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत हैं । सरकार ने मार्च, 1978 के बाद मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति नहीं दी है । तथापि यह संभव है कि निम्नलिखित मामलों में कुछ मूल्य वृद्धि हुई है :

(1) मूल्य नियंत्रण से बाहरी फार्मूलेशन जो अनावश्यक प्रकृति के हैं ; और

(2) लघु पैमाने के एककों, जिसका वार्षिक व्यापार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, द्वारा उत्पादित फार्मूलेशन क्योंकि ऐसे एकक मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं बशर्ते उनकी श्रेणी-I और II उत्पादों के लिए अगला शीर्ष मूल्य हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तरी राज्यों द्वारा भार-प्रेषण केंद्र उपकरण (लोड डिस्पेच सेन्टरस इक्यूपमेंट) को लगाने से पता करना

1043. **श्री नारायण चौबे : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उत्तरी राज्यों ने साईमन्स के चार प्रेषण केंद्र उपकरण (लोड डिस्प्रेच सेन्टरस इक्यूपमेंट) को लगाने से मना कर दिया है जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोडियम डाई क्रोमेट संयत्रों के समक्ष संकट

1044. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि सोडियम डाईक्रोमेट संयंत्रों को कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य को कितना कच्चा माल दिया जाता है, और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां। सोडा ऐश क्रोमाइट अयस्क और सलफ्यूरिक एसिड जैसे तीन मुख्य कच्चे मालों में से सोडा ऐश की कमी के बारे में कुछ सोडियम डाईक्रोमेट उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) सोडा ऐश जो 1977 के अन्त तक मुक्त रूप से उपलब्ध था, उसके बाद से उनकी सप्लाई कम हैं। देश में इस रसायन की कमी का मुख्य कारण यह है कि स्वदेशी उत्पादन का इस मद की मांग में वृद्धि से तालमेल नहीं बैठा है। कोयले और कोक की उपलब्धता और वहन की रुकावटों के कारण वर्तमान उत्पादक भी अपना उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ हैं।

(ग) सोडा ऐश के वितरण और मूल्य पर वैधानिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी सरकार ने सभी सोडा ऐश उत्पादनों को मार्गदर्शन जारी किया है जो सुनिश्चित करता है कि सभी औद्योगिक उपभोक्ता जो उत्पादकों से सीधे माल लेते थे, वे जितनी मात्रा स्थिर सप्लाई वर्ष 1977 में प्राप्त करते थे, उतनी ही मात्रा प्राप्त करते रहेंगे। परिणामस्वरूप सोडा ऐश के स्थानीय उत्पादन का 80% से कुछ अधिक सीधे औद्योगिक उपभोक्ताओं (सोडियम डाईक्रोमेट उत्पादक समेत) को उत्पादक मूल्य पर दिया जाता है। उत्पादकों द्वारा की जाने वाली सप्लाई की सरकार द्वारा लगातार देखरेख की जाती है। लगभग 20,000 टन की मात्रा का आयात स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली (सी०पी०सी०) द्वारा किया गया और उनका वितरण लघु पैमाने क्षेत्र को राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से किया गया। इसके अलावा वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए सोडा ऐश आयात से सामान्य लाइसेंस पर है जिसके अन्तर्गत सोडा ऐश का कोई वास्तविक उपभोक्ता इस रसायन का सीधे आयात कर सकता है अगर वह उसे स्थानीय रूप से प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करता है।

(घ) चूंकि कच्चे माल के वितरण पर वैधानिक नियंत्रण नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इनके आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स एन०एफ०एल०, एफ०पी०डी० आई०एल० तथा एफ०सी०आई० के मुख्य कार्यालयों को अन्यत्र ले जाया जाना

1045. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पता है कि उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच०एफ०सी०एल) के मुख्य कार्यालय को छोड़कर जिसे अभी दिल्ली से कलकत्ता ले जाया जाना है, मैसर्स आर०सी०एफ० पी०डी०आई०एल० तथा मैसर्स एफ०सी०आई० के मुख्य कार्यालय क्रमशः बम्बई, दिल्ली, दिल्ली, सिंदरी दिल्ली/पटना ले जाये गये थे ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : दिनांक 1.4.1978 से एफ० सी०आई० और एन०एफ०एल० के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पांच कम्पनियां स्थापित हुई हैं अर्थात् आर०सी०एफ० जिसका मुख्यालय बम्बई में, एफ०पी०डी०आई०एल०, सिंदरी, एन०एफ० एल०, एच०एफ०सी० और एफ० सी०आई० जिनके मुख्यालय दिल्ली में है। अन्तिम तीन कम्पनियों के मुख्यालय दिल्ली में ही रहें।

जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य में वृद्धि

1046. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन रक्षक औषधियों सहित ओषधियों के मूल्य जनवरी 1980 से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि औषधियों के निर्माता मूल्य-वृद्धि की मांग कर रहे हैं, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आवश्यक औषधियों के मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) आम आदमी को सहायता प्राप्त दर पर आवश्यक औषधियां सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने मार्च, 1978 के बाद मूल्य नियन्त्रण औषधों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति नहीं दी है। तथापि यह संभव है कि निम्नलिखित मामलों में कुछ मूल्य वृद्धि हुई हो :

(i) मूल्य नियंत्रण से बाहरी फार्मूलेशन जो आवश्यक प्रकृति के हैं, और

(ii) लघु पैमाने के एककों, जिनका वार्षिक व्यापार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, द्वारा उत्पादित फार्मूलेशन क्योंकि ऐसे एकक मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं बशर्ते उनकी श्रेणी-I और II उत्पादों के लिए अगला शीर्ष मूल्य हो।

(ख) जी हां, औषध उत्पादकों ने, व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन के माध्यम से विशेष लागत, खास कर अगस्त 1979 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रपुंज औषधों के मूल्य में वृद्धि के लिए अपनी मांग उठाई। कोई मूल्य संशोधन, जहां अपेक्षित हैं, तभी संभव हो सकता है जब प्रक्रिया और सिद्धांत को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता जिन पर ऐसे मूल्य संशोधन स्वीकृत किये जा सकते हैं जिसमें और समय लगेगा।

(ग) आवश्यक औषधों समेत अन्य औषधों के मूल्य में कमी करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम हैं :

(i) 1978-79 और 1979-80 बजट के अन्तर्गत कुछ औषधों के शुल्क और प्रभार में में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी।

(ii) फार्मूलेशन मूल्यों में कमी जहां सम्बन्धित प्रपुंज औषधों के मूल्य में कमी करने का निर्णय मार्च, 1978 के पूर्व लिया गया था।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रपुंज औषधों के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप फार्मूलेशन मूल्य (जहां आयातित प्रपुंज औषध प्रयुक्त होते हैं) में कमी।

घोषित मूल्यों समेत मूल्य नियंत्रित प्रपुंज औषधों का लागत अध्ययन हाथ में लिए गए हैं इससे प्रपुंज औषधों और सम्बन्धित फार्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि और कमी दोनों के परिणाम निकलेंगे।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ कर सामान्य जनता को कम मूल्य पर आवश्यक औषधों की सप्लाई करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है; तथापि क्लोरमफेनीकोल पाउडर, डैप्सोन, स्ट्रेप्टोमाइसीन जैसे कुछ सरणीवद्ध बल्क औषधों की सप्लाई, वास्तविक उपभोक्ताओं उत्पादकों को सी०पी०सी० के माध्यम से कम मूल्य पर की जाती है क्योंकि इन मामलों में जबकि आयात की सतही लागत अधिक हो गई है, फार्मूलेशन मूल्य मार्च, 1978 के पूर्व निश्चित किये गये स्तर पर ही स्थिर है।

हल्दिया स्थित भारतीय उर्वरक निगम के एकक द्वारा सुपर फास्फेट का उत्पादन

1047. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर फास्फेट का उत्पादन करने के लिए हल्दिया स्थित भारतीय उर्वरक निगम के एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० की हल्दिया उर्वरक प्रायोजना के विस्तार का

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिजली की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान प्रायोजना को चालू नहीं किया जा सका।

बम्बई के दक्षिण में तेल वाला नया क्षेत्र

1048. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के दक्षिण में तेल वाला नया क्षेत्र पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र की उत्पादन सम्भावना का आकलन कर लिया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। मई 1980 में बम्बई शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 120 किलो मीटर की दूरी पर आर-7 नामक एक नवीन तेल युक्त संरचना की खोज की गई।

(ख) जी, नहीं। इसका मूल्यांकन अभी किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन, अर्जियों का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र निकाय

1049. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन अर्जियों का शीघ्र निर्णय करने के लिए एक स्वतन्त्र निकाय का गठन करने का कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अनोपचारिक रूप से यह विचार प्रकट किया है किन्तु उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीरे की बिक्री

1050. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी-कभी राज्य सरकारें जनता को "फ्री सेल" अथवा सार्वजनिक नीलामी आदि द्वारा सीरा देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सीरा के अन्तर राज्यीय परिवहन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई प्रतिबन्ध लगाये गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित खरीददारों द्वारा ऐसे सीरे के निर्बाध अन्तर्राज्यीय परिवहन पर कोई आपत्ति है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा मार्च, 1961 में जारी सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अन्तर्गत जनता को "मुक्त विक्री" अथवा "सार्वजनिक नीलामी" द्वारा सीरा की विक्री की अनुमति नहीं है। तथापि यह नियंत्रण आदेश बिहार, यू०पी०, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों पर लागू नहीं होता जिनके अपने शीरा नियंत्रण अधिनियम हैं। इन राज्यों से सम्बन्धित शीरा नियंत्रण अधिनियम इन राज्यों में शीरे की विक्री का विनियम इन राज्यों से सम्बन्धित शीरा नियन्त्रण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किया जाता है।

मुक्त विक्री या सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से जनता को शीरा दिये जाने के बारे में कोई उदाहरण केन्द्रीय सरकार को राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुए हैं जिन पर केन्द्रीय शीरा नियंत्रण आदेश 1961 लागू होते हैं।

(ख) शीरा के अन्तर राज्यीय परिवहन में कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार कमी वाले राज्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिशेष वाले क्षेत्र से आवंटित करती है। यह आवंटन केन्द्रीय शीरा बोर्ड की सिफारिश पर किये जाते हैं। शीरे का अन्तर राज्यीय परिवहन इस तरह के आवंटन की तुलना में किए जाते हैं।

(ग) और (घ) शीरा आल्कोहल के उत्पादन के लिए एक आवश्यक कच्चा माल है जो अल्कोहल पर आधारित बहुत से उद्योगों के लिए संभरण है। अल्कोहल और सीरा के उपयोग का सही ढंग से सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है और आवश्यक है अन्तर राज्यीय वहन का विनिमय।

मिट्टी के तेल, पेट्रोल तथा डीजल के आयात के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा टेंडर मांगे जाना

1051. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीत तेल निगम ने विदेशों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल खरीदने के लिये हाल ही में टेंडर मांगे हैं ;

(ख) क्या टेंडर-स्थल क्रय के लिये था ;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ; जिन्होंने टेंडर भेजे तथा किस कम्पनी की पेशकश स्वीकार की गई ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी को पूरे एक वर्ष के लिये टेंडर दिया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थल-क्रय को एक वर्ष के ठेके में बदलने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) कमी वाले उत्पादों जैसे मिट्टी का तेल और डीजल खरीदने के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा समय समय पर टेंडर मांगे जाते हैं। ऐसे मामलों में स्वीकृत निविदाओं का विस्तृत विवरण देना अनहित में नहीं होगा।

पब्लिक सैक्टर कोल कारपोरेशन का पुनर्गठन

1052. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक सैक्टर कोल कारपोरेशन तथा कोयला विभाग का पुनर्गठन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसे पुनर्गठित करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला विभाग के पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। परन्तु कोल इण्डिया लि० के संगठनात्मक ढांचे की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि कुछ सहायक कम्पनियों के निदेशकों को भौगोलिक प्रभागों का प्रभावी अधिकारी बताया जाए। यह कार्य प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से किया गया है ताकि कोल इण्डिया लि० आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सकें।

तेल संसाधनों के लिए योजना

1053. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल वाले क्षेत्रों के विकास के लिये कोई नयी योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उससे तेल के भण्डारों को किस प्रकार लाभ मिलेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) तीव्रीकृत अन्वेषण और आशा-जनक क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है।

पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा ऋण देने का निर्णय

1054. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने तेल के लिये विकासशील देशों की अदायगियों के भारी भार को कम करने की दृष्टि से उनको ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारत अपनी निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ उक्त ऋण प्राप्त कर सकता है ; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की लाभ वाली सम्भावनाओं का पता लगाया गया है और पेट्रोलियम निर्यातक देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ विकासशील देशों के भुगतानों की स्थिति, जो कि तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई, को सुदृढ़ बनाने का प्रश्न ओपेक देशों और उनकी स्ट्रैटेजी कमेटी का कुछ समय से ध्यान आकर्षित कर रहा है। ओपेक देशों द्वारा अभी तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को वित्तीय सहायता की पद्धति को अपनी स्ट्रैटेजी कमेटी की शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। इस प्रश्न पर भारत ओपेक देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है।

फरक्का बिजली परियोजना के प्रथम चरण के लिए विश्व बैंक से ऋण के बारे में बातचीत

1055. **श्री पी०एम० सईद :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो-दो सौ मेगावाट की तीन इकाइयों वाली फरक्का बिजली परियोजना के प्रथम चरण के लिए 2500 लाख डालर के ऋण हेतु 12 मई, 1980 को वाशिंगटन में विश्व बैंक के साथ कोई बातचीत हुई थी।

(ख) अन्य किन-किन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने भारत की मदद करना स्वीकार किया है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व बैंक जिन-जिन परियोजनाओं को सहायता देगा, उनका विवरण क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। वाशिंगटन में 15 मई, 1980 से 23 मई, 1980 तक विश्व बैंक के साथ बातचीत हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जिन अन्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक वित्त व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है, वे नीचे दी जाती है :

(1) सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना (चरण एक 3 × 200 मेगावाट की यूनिटें तथा चरण दो 2 × 200 मेगावाट की यूनिटें तथा 2 × 500 मेगावाट की यूनिटें)

(2) कोरबा ताप विद्युत परियोजना (चरण 1-600 मेगावाट)।

(3) रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना (चरण 1-600 मेगावाट)। फरक्का ताप विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु बातचीत संतोषजनक ढंग से सम्पन्न हो गई है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जिन अन्य परियोजनाओं को वित्त व्यवस्था हेतु विश्व बैंक के समक्ष चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए जाने के लिए अन्तिम तौर पर निर्धारित किया गया है वे ये हैं :

(1) कोरबा ताप विद्युत परियोजना विस्तार (3 × 500 मेगावाट)।

(2) रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना विस्तार (3 × 500 मेगावाट)।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मध्य क्षेत्र का मुख्यालय

1056. श्री अजय विश्वास : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मध्य क्षेत्र के मुख्यालय को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण काम तथा कर्मचारियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ यूनियनों ने अनुरोध किया है कि देहरादून, दिल्ली और कलकत्ता पत्तन कार्यालय को छोड़कर मध्य क्षेत्र के मुख्यालय को पुनर्गठित किया जाये तथा कलकत्ता को मध्य क्षेत्र का मुख्यालय बनाया जाये ; और

(ग) इस बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारी ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां, । ओ. एन. जी. सी. वर्कमेन एसोसिएशन, कलकत्ता, और ओ.एन. जी.सी. वर्कर्स यूनियन, अगरतला ने ओ. एन. जी. सी. के मुख्यालय से सम्पर्क किया और यह निवेदन किया कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपों को सम्मिलत करते हुए एक प्रथक रीजन का सृजन किया जाये जिसका मुख्यालय कलकत्ता में हो।

(ग) आयोग की स्थायी समिति ने हाल ही में इस मामले पर विचार विमर्श किया है और तदनुसार आगामी अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिमी समुद्रतट पर गैस आधारित उर्वरक संयन्त्र

1057. **श्री बी० किशोरचन्द्र एस० देव :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी समुद्री तट पर चार गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों पर पुनर्विचार आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पश्चिमी तट पर लगाये जाने वाले गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों के स्थल की समीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अमोनिया संयंत्रों के निर्माण के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति सरकार के विचाराधीन है। नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के वाद यह निर्णय किया गया था कि अमोनिया संयंत्र के लिए परामर्श दाताओं के चयन पर दुबारा विचार किया जाये। अब इस परामर्शी सेवा के लिए जिन बोली देने वालों ने पहले बोली दी थी उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई। समिति के अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने की आशा है।

पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग में संकट

1058. **श्री हन्नान मौल्लाह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल में निर्मित फिल्मों को रिलीज

के लिए समुचित सिनेमा हाल न मिलने से गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे फिल्म रिलीज करवाने के बुरे क्रम से प्रभावित हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को "पश्चिम बंगाल फिल्म अनिवार्य दिखाया जाना विधेयक 1979" नाम के विधेयक को कानूनी रूप देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार बंगाल में फिल्म उद्योग को एकाधिकारी वितरकों और सिनेमा हालों के मालिकों के शिकंजे से बचाने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क), से (ग) जी, हां । ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों के लिए सिनेमा घरों में पर्याप्त प्रदर्शन समय नहीं मिलता । फिल्मों के प्रदर्शन का विषय राज्य विषय है और पश्चिम बंगाल में बनी फिल्मों के लिए प्रदर्शन समय प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने "पश्चिम बंगाल की फिल्मों का अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक, 1979" नामक विधेयक अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है । इस विधेयक के अधिनियमित होने से पश्चिम बंगाल की फिल्मों के लिए प्रदर्शन समय का आरक्षण होगा ।

एल्युमिनियम की कमी के कारण विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण में गिरावट

1059. श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण में जिस नई चीज से गिरावट आने का खतरा है वह एल्युमीनियम की बढ़ रही कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्युत वितरण हेड लाइनों का जाल बिछाने के लिए एल्यूमीनियम का बहुत अधिक महत्व है;

(ग) क्या इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी का हीराकुण्ड प्रद्रावक बिजली की 100 प्रतिशत कटौती के कारण पूरी तरह से बन्द हो गया है और उसका बेलगांव प्रद्रावक को 70 प्रतिशत बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार के प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) इलेक्ट्रो-केमिकल ग्रेड एल्यूमीनियम का उपयोग शिरोपरि पारेषण तथा वितरण लाइनों के संवाहकों की गढ़ाई के लिए तथा ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य व भूमिगत केबलों और वाइंडिंग तारों के लिए, किया जाता है । तांबे के स्थान पर इस्तेमाल होने वाली यह

धातु छोटी क्षमता के ट्रांसफार्मरों तथा मोटरों में भी उपयोग में लाई जाती है और विद्युत वितरण के तार-जाल के विकास में इसका बड़ा महत्व है।

(ग) इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी के अपने स्पेल्टर उड़ीसा में हीराकुंड़ कर्नाटक में बेलगांव तथा केरल में आल्वे में हैं। यद्धपि केरल में इसके आल्वे संयंत्र में कोई विद्युत कटौती लागू नहीं की गई है तथापि कर्नाटक तथा उड़ीसा में इसके संयंत्रों पर विद्युत कटौतियां लागू की गई हैं। उड़ीसा में हीराकुंड पर सितम्बर, 1979 से 60% की मांग कटौती लागू की गई है।

(घ) वर्ष 1979-80 के लिए इलेक्ट्रो-केमिकल ग्रेड धातु की मांग 2 लाख टन थी। इस मांग की तुलना में स्वदेशी उत्पादन से लगभग 1,03,000 टन धातु उपलब्ध हुई थी। मांग और स्वदेशी स्रोतों से हुई सप्लाई के अन्तर को कम करने के लिए विदेश से इलेक्ट्रो-केमिकल ग्रेड धातु का आयात करने के लिए कदम उठाए गए थे।

पूर्वी क्षेत्र के लिए विद्युत प्रजनन की नई क्षमता

1060. **श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की कमी वाले पूर्वी क्षेत्र में विद्युत प्रजनन की नई क्षमता स्थापित करने के लिए वृहत एक कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन एककों की योजना उन्हें स्थापित तथा चालू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) नई उत्पादन क्षमता का प्रतिष्ठापन करने का कार्यक्रम एक सतत् प्रक्रिया है। उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना राज्य-क्षेत्र में विद्युत की भावी मांग पर आधारित है। 1980-85 की समय/सीमा में पूर्वी क्षेत्र में 3323 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इसमें 503 मेगावाट जल विद्युत क्षमता और 2820 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता होगी। 1980-85 के दौरान क्षमता में अभिवृद्धि करने के परियोजना वार ब्यौरे विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। अब तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को पूर्वी क्षेत्र में फरक्का सुपर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना का कार्य सौंपा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निर्माणाधीन/स्वीकृत स्कीमों से प्रतिष्ठापित क्षमता में 1980-85 के दौरान होने वाली अभिवृद्धि को दर्शाने वाला विवरण

स्कीम/राज्य का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	वर्ष के दौरान लाभ (मेगावाट में) 1980-81	81-82	82-83	83-84	84-85	जोड़ 1980-85
1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार							
सुवर्णरेखा	2×65	65	—	—	—	—	65
पतरातू 9वीं और 10वीं यूनिट	2×110	—	—	110	110	—	220
बरौनी 6वीं और 7वीं यूनिट	2×110	—	110	110	—	—	220
मुजफ्फरपुर(ता.वि.)	2×110	—	—	—	110	110	220
उप-जोड़		65	110	220	220	110	725
दा.घा.नि.							
दुर्गापुर 4 थी	1×210	210	—	—	—	—	210
पंचेत हिल(जलवि.)	1×40	—	—	—	40	—	40
बोकारी "ख"	1×210	—	—	—	—	210	210
उप-जोड़		210	—	—	40	210	460
उड़ीसा							
तलचेर विस्तार	2×110	110	—	—	...	—	220
रेंगाली (जल वि.)	2×50	—	—	—	100	—	100
अपर कोलाब (जल वि.)	3×80	—	—	—	80	160	240
उप-जोड़		110	110	—	180	160	560

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल							
जलढ़ाका	2×4	—	8	—	—	—	8
संथालडीह 3सरी और 4थी	2×120	120	—	—	—	—	120
बन्डेल विस्तार	1×210	210	—	—	—	—	210
कोलाघाट	3×210	—	210	210	210	—	630
दुर्गापुर परियोजना लि. विस्तार	1×110	—	—	110	—	—	110
सी.ई.एस.सी.	4×60	—	—	120	120	—	240
रामन-दो(जल वि.)	4×12.5	—	—	—	—	50	50
उप-जोड़		330	218	440	330	50	1368
केंद्रीय							
फरक्का (ला.वि.)	3×210	—	—	—	—	210	210
उप-जोड़		—	—	—	—	210	210
कुल पूर्वी क्षेत्र (जल वि.)		65	8	—	220	210	503
कुल पूर्वी क्षेत्र (ता.वि.)		650	430	660	550	530	2820
कुल (पूर्वी क्षेत्र) (जल वि.+ता.वि.)		715	438	660	770	740	3323

किसान सम्मेलन द्वारा प्रकाशित मेगजीनों को विज्ञापन देना

1061. कुमारी कमला कुमारी : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1978-79 के दौरान "किसान

सम्मेलन" द्वारा प्रकाशित "जन" तथा अन्य मैगजीनों को हजारों कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियमों का उलंघन करके विज्ञापन दिये ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1978-79 के दौरान इस संगठन को दान दिया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) इस विभाग के पास उन कम्पनियों, जिन्होंने "किसान सम्मेलन" द्वारा प्रकाशित "जन" या अन्य मैगजीनों में विज्ञापन दिये हैं, के सम्बन्ध में कोई विस्तीर्ण ब्यौरे नहीं हैं। नियत कालिक-पत्रिकाओं में विज्ञापनों को देना, कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध का बिषय है तथा यह कम्पनी अधिनियम के प्रबन्धों के किसी भी प्रकार के उलंघन में अनिवार्यतः ग्रस्त नहीं होता है। अगर कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उलंघन को कोई विशेष दृष्टान्त सरकार की सूचना में लाया जाता है तो उस पर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

इस विभाग के पास किसान सम्मेलन को व्यक्तियों और कम्पनियों द्वारा अगर कोई चन्दा दिया गया है, के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

केन्द्र के पास बिहार की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं

1062. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लिए कुछ सिंचाई योजनाएं भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य रूप से बिहार की और विशेष रूप से छोटानागपुर की सभी परियोजनाओं के बारे में निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और इनमें से कितनी अभी विचाराधीन पड़ी हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक परियोजना की जांच उसके गुण-दोषों के आधार पर की जाती है और सभी परियोजनाओ के बारे में कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया जाता।

(ग) 10 बृहद और 34 मध्यम परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। 4 परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं। इनके

अलावा, 16 बृहद और 9 मध्यम परियोजनाएं राज्य सरकार के पास, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना-रिपोर्ट पर दी गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए पड़ी हैं।

(घ) जो चार परियोजनाएं भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं ये हैं :

(1) दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनर्निमाण और आधुनिकीकरण

(2) बागमती परियोजना (सीतामढ़ी)

(3) कोयल-कारो-स्वर्णरेखा अन्तर्बेसिन सिंचाई परियोजना

(4) उत्तरी कोयल

बंगला देश के शरणार्थी

1063. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1971 से प्रति वर्ष शरणार्थियों पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) इन शरणार्थियों पर किए जा रहे दैनिक व्यय का व्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) शरणार्थियों पर व्यय राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। दैनिक व्यय के व्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

1971-72 से 1979-80 तक भारत में शरणार्थियों पर किए गए व्यय के व्यौरे

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपयों में)
1971-72	350.63
1972-73	46.78
1973-74	31.97
1974-75	34.32
1975-76	39.47
1976-77	42.29
1977-78	42.46
1978-79	41.85
1979-80	35.52

टिप्पणी :—व्यय के उक्त आंकड़ों में सभी श्रेणियों के शरणार्थियों, जिनमें अन्य देशों से आये प्रत्यावासी और स्थापना शामिल हैं, पर किया गया व्यय शामिल हैं, इसमें इस विभाग द्वारा सीधे किया गया व्यय तथा विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान एवं ऋण भी शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण समिति

1064. श्री भीखा भाई : सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भविष्य में बाढ़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या कोई बाढ़ नियंत्रण समिति गठित की गई है ताकि बाढ़ से हो सकने वाली तबाही का पूर्वानुमान किया जा सके और उसे रोकने के लिए उपाय किए जा सकें ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) चूँकि बाढ़ों का मुख्य कारण तीव्र वर्षा का होना और वर्षा का लम्बे समय तक तथा व्यापक क्षेत्र में होना है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए यह संभव नहीं है कि भविष्य में बाढ़ों को आने से रोक दिया जाये। किन्तु बाढ़ों के कारण होने वाली क्षति को कम करने के उपाय किए जा सकते है। अब तक किए गए बाढ़-नियंत्रण कार्यों से, कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से, जो अब तक लगाये गये अनुमान के अनुसार 40 मिलियन हैक्टेयर है, 10.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ों से उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। हाल के वर्षों में योजना आयोग द्वारा बाढ़ नियंत्रण सेक्टर में क्रियाकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिये अब दी गयी धन राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मार्च, 1978 के अन्त तक बाढ़-नियंत्रण पर हुये 646.6 करोड़ रुपये के कुल व्यय की तुलना में गत दो वर्ष के दौरान इन कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई धन राशि का औसत 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बैठता है। 1980-81 के लिये प्रस्तावित परिव्यय 168 करोड़ रुपये हैं। इसके गत 25 वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की तुलना में, भविष्य में बाढ़ नियंत्रण के अपेक्षाकृत काफी अधिक उपाय करना संभव हो जाएगा।

(ख) बाढ़ों को रोकने के उपाय करने के लिए किसी बाढ़ नियंत्रण समिति का गठन नहीं किया गया है। किन्तु 1959 में केन्द्रीय जल आयोग ने आने वाली बाढ़ों के आकार के बारे में अग्रिम सूचना देने के लिए एक बाढ़ पूर्व सूचना सेवा आरम्भ की थी ताकि उन क्षेत्रों में लोगों को चेतावनी देने और हटाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जा सकें, जिनके प्रभावित होने की संभावना है और समय पर राहत के अन्य उपाय किए जा सकें। केन्द्रीय बाढ़ पूर्वसूचना संगठन की इस सेवा के अन्तर्गत अब देश की वृहद नदियां आ गई हैं और ठीक पूर्वसूचना मिलने से बाढ़-राहत कार्यों में बहुत सहायता मिली है। इस सेवा के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और बाढ़ पूर्वसूचना की तकनीक को उत्तरोत्तर विकसित किया जा रहा है।

पेट्रोल का उत्पादन और खपत

1065. **श्री भीखा भाई :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल का कितना उत्पादन होता है और उसकी वार्षिक खपत कितनी है ;

(ख) देश को पेट्रोल की कितनी मात्रा का आयात करना पड़ता है और उस पर कितना व्यय होता है ; और

(ग) सरकार पेट्रोल की बचत के लिए क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1979-80 के अन्तर्गत देश में पेट्रोल (मोटर स्प्रिट) के उत्पादन और खपत का अनुमान क्रमशः 1,509,000 और 1,486,000 मीट्रिक टन लगाया गया है ।

(ख) देश में पेट्रोल का उत्पादन वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है और इसलिए पेट्रोल का कोई आयात नहीं किया गया है ।

(ग) देश में पेट्रोल की खपत में बचत लागू करने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है जिसमें कुछ उपाय इस प्रकार है :

(1) वित्तीय उपाय (मूल्य वृद्धि के रूप में)

(2) राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्टाफकारों में होने वाली पेट्रोल की खपत में बचत करने की सलाह दी गई है ।

(3) जनता को पेट्रोल में बचत करने की आवश्यकता के लिए इश्तिहारों, फिल्मों और प्रेस अभियान के माध्यम से शिक्षित करना ।

(4) मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रित करके उसके प्रयोग किये जाने की संभाव्यता का मूल्यांकन करना ।

औषधियों के उत्पादन में गिरावट

1066. **श्री एन. ई. होरो :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 में कुछ आवश्यक तथा जीवन-रक्षक औषधियों के उत्पादन में 'सीमान्त' कमी हुई है ;

(ख) यदि सरकार गत छः महीनों में उत्पादन पर लगे प्रतिबन्ध हटाती और आदान-लागतों में वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए मूल्य पुनरीक्षण करने देती तो क्या इन "बल्क" औषधियों के उत्पादन में देश आत्म-निर्भर हो सकता था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई औषधिनीति से औषधियों के मूल्य केवल ऐसे ढंग से युक्तिसंगत बनते हैं कि जब अत्यधिक खपत वाली औषधियाँ सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराई जायें तो निर्माताओं को भी अपने उत्पादों के लिए प्रतिकूल का उचित अवसर मिलता है; और

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में कोई नई नीति बनाई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) यदि औषधों के उत्पाद में कोई कठिनाई न हो (जैसे श्रमिक अशान्ति, बिजली की कटौती अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कमी, मूल्य वृद्धि) तो देश आत्म-निर्भरता की ओर शीघ्र अग्रतर हो सकता है। तथापि फिर भी निम्न लिखिति मामलों में आयात आवश्यक होगा :

(1) जब किसी औषध की मांग इतनी न हो जिससे निवेश संभव हो सकें ।

(2) जब किसी औषध के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी उपलब्ध न हो ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) जी, नहीं ।

लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में मतदाताओं की संख्या

1067. **श्री एन. ई. होरो** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान कितने व्यक्ति मतदान करने के हकदार थे ;

(ख) हाल में जिन नौ राज्यों में मतदान हुआ है ; उनकी निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित लोगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उसमें कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य का विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जनवरी 1980 में हुए साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या 355,590,700 थी। इसमें उन 15 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक सम्मिलित नहीं हैं जिनके लिए अभी तक निर्वाचन नहीं हुए हैं ।

(ख) उन नौ राज्यों में जिनमें मई, 1980 में मतदान हुआ था, निर्वाचकों का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य	निर्वाचकों की कुल संख्या
1. बिहार	39,820,295
2. गुजरात	16,581,797
3. मध्य प्रदेश	25,402,016
4. महाराष्ट्र	33,815,907
5. उड़ीसा	13,907,259
6. पंजाब	9,857,720
7. राजस्थान	18,062,016
8. तमिलनाडू	29,196,727
9. उत्तर प्रदेश	58,316,062

(ग) प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य का नाम	निम्नलिखित के लिए कुल निर्वाचक		
	जनवरी, 1980 में लोक सभा का साधारण निर्वाचन	मई, 1980 में विधान सभा का साधारण निर्वाचन	निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि
1	2	3	4
1. बिहार	39,713,395	39,820,295	106,900
2. गुजरात	16,494,141	16,581,797	87,656
3. मध्य प्रदेश	25,186,438	25,402,016	215,578
4. महाराष्ट्र	33,485,064	33,815,907	330,843
5. उड़ीसा	13,847,828	13,907,259	59,431
6. पंजाब	9,741,135	9,857,720	116,585
7. राजस्थान	17,764,848	18,062,016	297,168
8. तमिलनाडू	28,113,893	29,196,727	1,082,834
9. उत्तर प्रदेश	58,035,998	58,316,062	280,064
कुल	242,382,730	244,959,799	2,577,059

नर्मदा परियोजना से कच्छ क्षेत्र को दिये जाने वाले पानी की मात्रा

1068. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ क्षेत्र की नर्मदा परियोजना से पानी की मात्रा के सम्बन्ध में क्या मांग है और वहाँ वास्तविक रूप से कितनी मात्रा दी जाएगी ;

(ख) क्या उसकी मांग की हुई मात्रा और दी जा रही पानी की मात्रा में काफी बड़ा अन्तर है और उनकी असन्तुष्टि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) ठीक इसी प्रकार से सौराष्ट्र की पानी की मात्रा की मांग कितनी है और वहां वास्तविक रूप से कितना पानी दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात की पिछली सरकार ने नर्मदा न्यायाधिकरण के फैसले के विपरीत इन क्षेत्रों की पानी की मात्रा में कुछ परिवर्तन किया था ; और

(ङ) इस परिवर्तन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है/उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के सामने गुजरात की राज्य सरकार की 20.73 मिलियन एकड़ फुट की कुल मांग में से कच्छ क्षेत्र की मुख्य भूमि के लिए उसकी मांग लगभग 0.27 मिलियन एकड़ फुट थी। 20.73 मिलियन एकड़ फुट की मांग में माही कमान की 1.56 मिलियन एकड़ फुट की मांग और बन्नी और कच्छ की रान के लिए 6.36 मिलियन एकड़ फुट की मांग भी शामिल थी। नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने माही कमान, बन्नी और कच्छ की रान के लिए की गई मांग को स्वीकार नहीं किया और राज्य को नर्मदा के जल में से कुल 9 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित किया। इसके अनुसार कच्छ की मुख्य भूमि के लिए जल की मात्रा लगभग 0.18 मिलियन एकड़ फुट होगी।

(ख) राज्य सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए जल के वैकल्पिक/अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए अन्वेषण कर रही है।

(ग) गुजरात की राज्य सरकार ने नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के सामने रखी अपनी कुल मांग में से सौराष्ट्र के क्षेत्र के लिए लगभग 3.50 मिलियन एकड़ फुट की मांग की थी। 9.00 मिलियन एकड़ फुट की आवंटित जल-राशि में से सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए जल की मात्रा 2.42 मिलियन एकड़ फुट बैठती है।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित जल की मात्रा में कोई मनमाने परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात में नर्मदा परियोजना पर प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

1069. श्री छीतू भाई गामित : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पुनरीक्षित गुजरात स्थित नर्मदा परियोजना संबंधी प्रतिवेदन को ट्रिब्यूनल के निर्णय के पश्चात् अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) इस परियोजना की सिंचाई-क्षमता का जिलेवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और यदि हां, तो उनका तथा विशेषतया कच्छ से प्राप्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त प्रतिवेदन इस समय किसी चरण में है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में, भड़ोंच वड़ौदा पंचमहल, केरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, बनासकंठा, कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्र नगर और राजकोट जिलों में 15.257 हैक्टेयर क्षेत्र (37.7 लाख एकड़) की वार्षिक सिंचाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें कच्छ के क्षेत्रों को अधिक सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई करने के बारे में संसद सदस्य डा० महिपत मेहता से और कच्छ के रान को लवणरहित करने के लिए नर्मदा के जल की सप्लाई के संबंध में श्री रावजी गंत्रा, श्री पी०के० बोरा, श्री एम०आर० मदियार और अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) परियोजना-रिपोर्ट की इस समय केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

गुजरात विद्युत बोर्ड के लिए ताप्ती हाई गैस पर आधारित परियोजनाओं के बारे में तकनीकी सर्वेक्षण प्रतिवेदन

1070. छीतू भाई गामित : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को गुजरात विद्युत बोर्ड से ताप्ती हाई गेस पर आधारित परियोजनाओं के बारे में तकनीकी सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस समय इस प्रतिवेदन पर विचार किस अवस्था में है और क्या क्रियान्वयन हेतु इस प्रतिवेदन पर कोई विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात बिजली बोर्ड ने 13,200 लाख रुपए की अनुमानित लागत से गुजरात में महुआ में, गैस पर आधारित 2×210 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की प्रतिष्ठापना हेतु एक परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को अगस्त, 1979 में भेजी थी।

(ख) विद्युत केंद्र के लिए प्रस्तावित यह स्थल गुजरात में सौराष्ट्र समुद्री तट पर महुआ के निकट स्थित है विद्युत उत्पादन हेतु ताप्ती क्षेत्रों से गैस की सप्लाई की उपलब्धता पर आधारित तथा कन्डेंसर को शीतल करने के लिए समुद्री जल का उपयोग करके, इस परियोजना में गैस द्वारा प्रज्वलित वायलरों वाले 2×210 मेगावाट के वाष्प टरबाइन विद्युत उत्पादन सेटों की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है। मीठे पानी की आवश्यकता निकटवर्ती बांध से अथवा महुवा के समीप जैक-कूपों का निर्माण करके तथा पाइप लाइनों से जल पम्प करके पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट की जांच करने पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह पाया था कि रिपोर्ट में भूमि, ले-आउट प्लान, प्रशीतलन जल प्रणाली, चिमनी, सड़कों, लागत अनुमानों आदि से संबंधित कुछ तकनीकी ब्योरों की कमी है। यह भी समझा जाता है कि ताप्ती क्षेत्रों से गैस की वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्धता भी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है।

बम्बई हाई गैस के परिवहन के लिए समुद्र के अन्दर पाइपलाइन

1071. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई गैस के परिवहन हेतु समुद्र के अन्दर प्रस्तावित पाइपलाइन के स्थलावतरण के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थलावतरण केन्द्र गुजरात राज्य के बाहर खोजने के प्रयास किए जा रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए अन्तिम निर्णय का विवरण क्या है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही अपतटीय पाइपलाइन के संरेक्षण और पाइपलाइन के समुद्र के भीतर से भूमि पर निकलने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में कोयले के मुख्य उपभोक्ता

1072. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के मुख्य उपभोक्ता कौन-कौन हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक ग्रुप उपभोक्ता की खपत प्रतिशतत क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानं की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में कोयले के मुख उपभोक्ता हैं— बिजलीघर, इस्पात संयंत्र, रेलवे तथा सीमेंट कारखाने।

(ख) प्रत्येक उपभोक्ता समूह द्वारा उपभोग किए गए कोयले का प्रतिशत इ प्रकार है :

	1975-76	76-77	77-78	78-79	79-80
इस्पात कारखाने	21	20	23	21	22
बिजली	25	27	29	28	32
रेलवे	16	13	13	12	12
सीमेंट	3	5	5	5	5
अन्य	33	35	30	34	29
जोड़	100	100	100	100	100

(ग) इस समय देश में 406 कोयला खानें हैं जिनमें से 400 सरकारी क्षेत्र में हैं त 6 गैर सरकारी क्षेत्र में हैं।

कोयले का प्रति व्यक्ति उत्पादन

1073. श्री पीयूष तिरकी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मन्त्री यह बताने की कृ करेंगे कि कोयले का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है और कोयला खनिकों के वेतन का ब्य क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कोल इंडिया लि० में 1979-80 के दौरान टनों में बताया गया प्रति व्यक्ति प्रतिपारी उत्पादन 0.67 टन तथा सिंग में 0.66 टन था।

कोयला उद्योग में 1-1-1979 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी रु० 512/- प्रतिमाह है।

गुड़गांव में मारुति लिमिटेड की सम्पत्ति

1074. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा दिवालिया हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी चल तथा अचल सम्पत्ति का क्या हुआ है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) प्रश्न का उत्तर नकारात्मक हो तो इस कम्पनी की ठीक ठीक स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाँ, श्रीमान जी। कम्पनी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के दिनांक 6 मार्च 1978 के आदेशों के द्वारा परिसमापित्त हो गई है।

(ख) कम्पनी की दोनों ही चल तथा अचल सम्पत्तियां न्यायालय की ओर से शासकीय समापक के संरक्षण में हैं।

(ग) उत्पन्न नही होता।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में वृद्धि

1075. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के मूल्यों में तीन गुनी वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले के खान पर कोयले के मूल्य में राष्ट्रीयकरण के समय के खान मूल्य की तुलना में 170 प्रतिशत बृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कोयले की कीमतों को घटाकर इतनी कम कर देने का विचार है जितनी वे 16 जुलाई, 1979 को थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) : मजदूरी बिलों और उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कोयले की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए कोयले की कीमतों को घटाकर 16 जुलाई, 1979 के स्तर पर लाना साध्य और व्यावहारिक नहीं है।

टाटा, बिड़ला और सिंघानियां की कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

1076. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि न्याय और कम्पनी **कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **टाटा,** बिड़ला और सिंघानिया घरानों की कितनी कम्पनियां ऐसी हैं जिन पर पिछले तीन **वर्षों के** दौरान कम्पनी अधिनियम की धाराओं के उल्लघंन करने सहित कदाचारों के गम्भीर आरोप हैं ;

(ख) **प्रत्येक** मामले में कदाचारों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) **सम्बन्धित** कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

हिंडालको के कर्मचारियों का पारिश्रमिक

1077. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिड़ला की एक कम्पनी हिंडालको में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष 36 हजार रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) नवीनतम उपलब्ध वर्ष में इन कर्मचारियों ने कुल कितना पारिश्रमिक प्राप्त किया ; और

(ग) हिंडालको प्लांट से 1970 तथा 1979 में अल्यूमीनियम की कुल लागत उत्पादन में इस समय इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अंश कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हिंडालको की 1979 के वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं के अनुसार ऐसे, 93 कर्मचारी थे, जिन्होंने 31 दिसम्बर 1979 के वित्तीत वर्ष समाप्ति के मध्य, 36,00 रु० से कम नहीं, का कुल पारिश्रमिक प्राप्त किया । तथापि, ऐसा नोटिस में आया है कि इन 93 कर्मचारियों में से 4 कर्मचारी ऐसे थे, जिन्होंने कथित वित्तीय वर्ष के मध्य, 36,000 रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त किया था । इसका अर्थ है कि 31 दिसम्बर 1979 के वित्तीय वर्ष समाप्ति के मध्य 36,000 रुपये से कम नहीं का कुल पारिश्रमिक 89 कर्मचारियों ने ही प्राप्त किया था ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित 89 कर्मचारियों द्वारा लिये गये पारिश्रमिक की कुल राशि लगभग 52.80 लाख रु० थी ।

(ग) हिंडालको कारखाने में 1970 तथा 1979 के वर्षों की उत्पादन की लागत की सूचना उपलब्ध नही है।

महाराष्ट्र तथा गुजरात में उर्वरक परियोजनाओं के लिये सलाहकारों की नियुक्त के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1078. श्री आर०के० महालगी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी.बी.सिंह की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति में, थाल-वैशत (महाराष्ट्र) तथा हाबरो (गुजरात) में स्थापित की जाने वाली उर्वरक चार विशाल परियोजनाओं के लिये सलाहकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, यदि हां, तो कब; और

(ख) उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट 13.6.1980 को प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में थाल-वैशत उर्वरक कम्प्लेक्स लगाये जाने में विलम्ब

1079. श्री आर०के० महालगी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भिक निर्धारित समय के अनुसार महाराष्ट्र में थाल-वैशत उर्वरक कम्पलेक्स के वर्ष 1982 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा थी ;

(ख) क्या सरकार द्वारा वहां पर लगाये जाने वाले अमोनिया संयंत्र के लिये तकनीकी और परामर्श देने वाले दल का चुनाव करने हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करने में असफल होने के कारण इस परियोजना को लगाये जाने में लगभग एक वर्ष के विलम्ब होने की सम्भावना है ;

(ग) उक्त समिति की क्या सिफारिश है और वे सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी ;

(घ) निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण है और उसके कब तक लिये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या परियोजना अधिकारी और एम.आई.डी.सी. लोक निर्माण विभाग, और रेलवे जैसी दूसरी ऐजेन्सियों को सीमेंट और इस्पात की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है जिससे सिविल तथा दूसरे प्रकार के बुनियादी कार्यो के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है ; और

(च) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र और गुजरात में गैस पर आधारित चार उर्वरक प्रायोजनाओं के अमोनिया संयंत्र के निर्माण के परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इन प्रायोजनाओं के अमोनिया संयंत्रों के लिए ठेकेदारों को यचन पर फिर से विचार किया जाये। इसलिए विशेषज्ञों की एक समिति, विदेशी फर्मों जिन्होंने इस परामर्श के लिए पहले बोली प्रस्तुत की थी सापेक्ष गुण को आंकने के लिए, नियुक्त की गई थी। इस समिति के शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० और ऐजेन्सियां जो प्रायोजना को कार्यान्वित कर रहे है, सीमेंट और इस्पात की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। प्रायोजना के लिए अपेक्षित सीमेंट और इस्पात की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे है। प्रायोजना के लिए अपेक्षित सीमेंट और इस्पात की सप्लाई को सुधारने की दृष्टि से मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से संपर्क किया गया है।

थाल बैशत उर्वरक संयंत्र के लिये प्रारम्भिक कार्य का पूरा होना

1080. श्री आर०के० महालगी :

प्रो० मधु दंडवते : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई की गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र जो कि थाल-वैशत जिला कोलाब, महाराष्ट्र में बनना है के लिये भूमि का अर्जन, भवन सड़कों रेलवे साइडिंग जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिये गये हैं,

(ख) क्या सरकार उस विशाल उर्वरक संयंत्र को थाल-वैशत (जिला कोलावा महाराष्ट्र) से हटा कर अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हो, तो उक्त प्रयास के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भूमि, जल, बिजली, कोयला, प्राकृतिक गैस, रेलवे सुविधाओं जैसी अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है। कारखाने के लिए अपेक्षित भूमि प्राप्त कर ली गई है और सड़कों को मजबूत करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। टाऊनशिप, रेलवे शाइडिंग आदि के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

1980-81 के लिये दामोदर घाटी निगम का बजट प्राक्कलन और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम 1979 का शुद्धि-पत्र

ऊर्जा और कोयला मंत्री : (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दामोदर घाटी अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1980-81 के बजट प्राक्कलनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 886/80)

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण *विनियम, 1979 का शुद्धिपत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 887/80)

बेतवा नदी बोर्ड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखाओं और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण तथा राष्ट्रीय जल विद्या संस्थान के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा ।

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) बेतवा नदी बोर्ड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में ; और (दो) बेतवा नदी बोर्ड के वर्ष 1978-79 के लेखाओं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 888/80)

(दो) राष्ट्रीय जल विद्या संस्थान के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 889/80)

कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन अधिसूचना विधानसभाओं के सामान्य निर्वाचन 1977-78 तथा राष्ट्रपतीय निर्वाचन 1977 खण्ड-I, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन 1977 सम्बन्धी प्रतिवेदन सांख्यिकीय तथा आंध्र-प्रदेश, असम, कर्नाटक आदि 1978 सांख्यिकीय, बलात्कार तथा सम्बद्ध अपराध सम्बन्धी विधि आयोग का प्रतिवेदन तथा हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

*विनियमों को 18 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के उपधारा (5) के अधीन निम्नांकित अधिसूचनाओं (हिन्दी अंग्रेजी) की एक-एक प्रति ।

(एक) मैसूर पोरसीलेन्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (समाभेलन) आदेश, 1980 जो दिनांक 21 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां ग्रा० 339 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मैंन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1980 जो दिनांक 21 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सां० आ० 340 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 890/80)

(2) विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन, 1977-78 ग्रौर राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1977 संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) खंड—1 (वृतान्त की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 891/80)

(3) बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गोवा, दमन और दीव- और पांडिचेरी, तथा दिल्ली महानगर परिषद् के सामान्य निर्वाचन, 1977 सांख्यिकीय संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 892/80)

(4) आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन, 1978 संबंधी प्रतिवेदन सांख्यिकीय (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 893/80)

(5) (एक) बलात्कार तथा सम्बद्ध ग्रपराध सारभूत विधि प्रक्रिया तथा साक्ष्य के कुछ प्रश्न संबंधी विधि आयोग के 84 वें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 894/80)

असम वित्त अध्यादेश, 1980

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : श्री वेंकटरामण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिन 12 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषण के खण्ड (ग) (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत असम के राज्यपाल द्वारा 3 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित असम वित्त अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 895/80)

काफी पर निर्यात शुल्क में संशोधन के बारे में अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 278 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा काफी पर निर्यात शुल्क में संशोधन के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 896/80)

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्नांकित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

"(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1980 का जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 जून, 1980 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी शिफारिसों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निर्देश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 12मार्च, 1980 की अपनी बैठक में पारित दिल्ली उच्च-न्यायालय (संशोधन विधेयक) 1980 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दिल्ली उच्च-न्यायालय (संशोधन) विधेयक 1980 सभा-पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिजो नेशनल फ्रन्ट के छापामारों द्वारा तीन सरकारी कर्मचारियों की हत्या का समाचार

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"राज्य में गैर मिजों लोगों को निष्कासन नोटिस" दिये जाने के बाद. 13 जून, 1980 की रात को शिलांग में मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विद्रोहियों द्वारा मिजोरम सरकार के तीन अधिकारियों की हत्या का समाचार"।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : महोदय, मिजोरम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दो सशस्त्र बदमाशों, संदेह है कि जिनका सम्बन्ध मिजो नेशनल फ्रंट से है, 13 जून, 1980 की रात को तीन गैर-मिजो कर्मचारी नामत; आपूर्ति निरीक्षक अलाउद्दीन चौधरी विद्युत विभाग के चपड़ासी महिबुर रहमान और मिजोरम में लुंगलेइ में लोक निर्माण विभाग के ओवरसीयर मो० जमीर लश्कर के संयुक्त निवास स्थान में घुसे। उन्होंने इन कर्मचारियों से बार-बार पूछा कि "मिजोरम छोड़ो नोटिस" के जारी होने के बाद भी वे मिजोरम छोड़कर क्यों नहीं गए हैं। उनके हाथ बाँध दिए गए, उन्हें लिटा दिया गया और एक तेज धार वाले खंजर दाओं से उनकी गर्दनें काट दी गईं। अलाउद्दीन चौधरी और महिबूर रहमान की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मोहम्मद जमीर लश्कर को गम्भीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। बदमाशों ने मकान को भी लूटा।

2. यह स्मरण किया जा सकता है कि मि० ने० फ्रन्ट ने जून, 1979 में "मिजोरम छोड़ों नोटिस" जारी किया था जिसके अनुसार 1 जुलाई, 1979 तक सभी गैर-मिजों द्वारा मिजोरम छोड़ना आवश्यक था। इसके बाद अनेक हिंसक घटनाएं हुईं। मिजो नेशनल फ्रन्ट तथा उससे संबद्ध संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। सुरक्षा बलों द्वारा की गई सतत कार्रवाइयों से स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता मिली।

3. हांलाकि सरकार मिजोरम में समस्या के एक सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करने के लिए उत्सुक है फिर भी उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुमराह तत्व मिजोरम में सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त न कर सकें और नियमों का अनुपालन करने वाले नागरिकों को तंग न करें और उन्हें डरायें धमकायें नहीं इस बात का पूरी तरह दृढ़ संकल्प कर रखा है।

4. मिजोरम सरकार ने दोनों शोक संतप्त परिवारों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए का अनुग्रहपूर्वक अनुदान मंजूर किया है ।

5. मै माननीय अध्यक्ष से शोक में संतप्त परिवारों को सदन की संवेदना व्यक्त करने के लिए अनुमति चाहूंगा ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मिजोरम में घटित भयानक घटनाओं के विवरण से पता चलता है कि उत्तरपूर्व- क्षेत्र की स्थिति कैसे बिगड़ती जा रही है । मेरा यह कहना है कि यह भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय पृथकतावादी और आर्थिक क्रिया-कलापों का ही अंग है तथा असम त्रिपुरा और अन्य राज्यों में घट रही घटनाओं का ही विस्तृत रूप है । मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में केवल मात्र तथ्य ही दिए गए हैं, और इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सरकार को इन घटनाओं के वास्तविक कारण जानकारी है और सरकार के पास इसका क्या समाधान है। ये समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने इस क्षेत्र की आर्थिक तथा अन्य समस्याओं की ओर लम्बे समय से कोई ध्यान नहीं दिया है । हमारे देश के शत्रु विदेशी साम्राज्य वादियों की सहायता से विभाजनकारी तथा विखण्डनकारी शक्तियां अपने स्वार्थ के लिए स्थिति का लाभ उठा रही हैं । और हमारे देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालकर इस क्षेत्र में समस्याएं पैदा करने का प्रयत्न कर रही हैं । मिजोरम की ऐसी भयानक स्थिति है क्योंकि गत कुछ महीनों में इन विद्रोहियों द्वारा 21 व्यक्ति मारे जा चुके हैं तथा इसका शिकार अधिकांशतः गैर-मिजो भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग ही हैं । यदि ऐसा ही चलता रहता है तो हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि मानवीय अधिकार भी खतरे में पड़ जायेंगे । जो लोग हमारे लोगों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें उचित और शीघ्र उपाय करने चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन घटनाओं ने सरकार को इन तथ्यों की जानकारी करा दी है कि ये समस्याएं मिजो राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा पैदा की गई है, जिनका एक भाग तो सरकार के साथ अपनी समस्याओं के बारे में समझौता कर रहा है और उनका दूसरा भाग वहां की वर्तमान सरकार और मुख्य मंत्री ब्रिगेडियर सालो की सहायता से समस्या के समाधान में रुकावट डाल रहा है । भूतपूर्व भूमिगत आदिवासी श्री पारलियानों ने मार्च, 1980 में कहा गया था कि वह बंगाली लोगों को मारना चाहता है और जब पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उसके सरकारी लोगों से सम्पर्क हैं । यह बड़ी ही भयानक स्थिति है । विवरण में बताया गया है कि सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाईयों से स्थिति को नियन्त्रित करने में सहायता मिली है । यदि यह सच है तो सरकारी अधिकारियों का जीवन सुरक्षित क्यों नहीं है ? विवरण में यह भी बताया गया है कि यह देखने का उन्होंने पूर्ण निश्चय किया है कि विद्रोही तत्व मिजोरम के सामान्य जन-जीवन में गड़बड़ी पैदा न कर सकें । यदि यह सच है, तो फिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्योंकि घट रही हैं ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं :

(क) घटनाओं के बार-बार घटित होने के बावजूद, ऐसी क्या बात है जो सरकार स्वयं अपने अधिकारियों की रक्षा करने में असमर्थ रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आसूचना विभाग ने सरकार को कोई अग्रिम प्रतिवेदन दिया था और यदि हां तो सरकार इसमें असफल क्यों रही;

(ग) इन वीभत्स हत्याओं के बाद अब तक सरकार ने कितने अपराधी विद्रोहियों को पकड़ा है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(घ) क्या यह त्रिपुरा-जैसा साम्प्रदायिक दंगा अन्य स्थानों पर फैलाने के षडयन्त्र का ही एक भाग है जिसके परिणामस्वरूप कच्छार में भी साम्प्रदायिक दंगा फैलाया जा सके; और

(ङ) क्या ये विद्रोही गिरोह छोटी-छोटी टुकडियों में सारे मिजोरम में घूम रहे हैं तथा और अधिक दंगों की योजना बना रहे हैं और यदि हां तो, सरकार इस दिशा में कौन से कदम उठाने वाली है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि मन्त्री महोदय प्रश्नों की इस सूची का उत्तर दे सकते हैं ? आपको निश्चित विषय सम्बन्धी बात करनी चाहिए। यहाँ आपको मतलब की बात कहनी चाहिए। यह कोई ढंग नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यद्यपि उन्होंने प्रश्नों का सूचीपत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु ये वे निश्चित और विषय संबन्धी हों ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं अपने वक्तव्य में पहले ही कह चुका हूं कि सरकार हर आवश्यक उपाय कर रही है । जबकि सरकार मिजोरम की समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ निकालने की इच्छुक है फिर भी इस बात का दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि गुमराह तत्व मिजोरम के सामान्य जन-जीवन में गड़बड़ी न फैला सकें तथा विधिपालक नागरिकों को तंग और अभिग्रस्त न कर सकें । जहाँ तक गिरफ्तारियों की सख्या का सम्बन्ध है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नही किया गया है । उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या यह त्रिपुरा जैसी साम्प्रदायिक गड़बड़ है तो यह आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं है इसका संचालन प्रारम्भ से ही मिजो राष्ट्रीय मोर्चे और मिजो विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा है ।

श्री समर मुखर्जी : उनका प्रश्न यह था कि क्या पहले से ही कोई आसूचना रिपोर्ट मिली थी क्योंकि कितनी ही घटनाएं घट चुकी हैं और उन्होंने 21 हत्याओं का जिक्र किया...... ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न इस प्रकार नहीं पूछ सकते ।

श्री समर मुखर्जी : मैं उनके प्रश्न को स्पष्ट कर रहा हूं । उनका प्रश्न था कि क्या इस आशय की कोई आसूचना रिपोर्ट उन्हें पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी कि इसी प्रकार के आक्रमणों की संभावना है क्योंकि जिनकी हत्या की गई है वे सरकारी अधिकारी थे और इसलिए उन्होंने यह पूछा था कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए थे ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वक्तव्य में मंत्री महोदय ने बताया है :

"जबकि सरकार मिजोरम में समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालने की इच्छुक है, फिर भी इस बात का दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि गुमराह तत्व मिजोरम में सामान्य जन-जीवन को अस्त व्यस्त न कर सकें तथा विधिपालक नागरिकों को तंग और अभित्रस्त न कर सकें।"

कानून और व्यवस्था का प्रश्न तो विशुद्धरूप से राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है । मुझे ऐसी सूचना मिली है कि राज्य सरकार इन लोगों को गैर मिजो लोगों पर अत्याचार करने के लिए उकसा रही है । उस मुख्य मंत्री से वह कैसे निपटेंगे जिसका स्वयं इसमें हाथ है ? कुछ देर पहले मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि किसी शंकर नाम के व्यक्ति की 29 मार्च 80 को हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी ने चतुरता से वहाँ स्थित हमारी सेना को सूचित कर दिया और उन्होंने तत्काल आकर उस उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया जिसके पास विदेशी हथियार थे । उसे पुलिस को सौंप दिया गया तथा पुलिस ने उस अधिकारी को छोड़ दिया । उसके पास दो हथियार थे, एक तो भारतीय था और दूसरा विदेशी । यदि राज्य सरकार मिजो विद्रोहियों से गठजोड़ किए हुए हैं तो विधान सभा को भंग करने और मन्त्रिमंडल को अपदस्थ करने के सिवाय और क्या उपाय हैं ?

मुझे विस्वस है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक मंत्री महोदय इस क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे ।

कुल मिलाकर मिजोरम के लोग देश के अन्य लोगों की भांति कानून का पालन करने वाले हैं । कुछ इने गिने लोग ही उपद्रव पैदा कर रहे हैं । वह उन व्यक्तियों को कैसे गिरफ्तार करेंगे यदि उन असंतुष्ट तत्वों में से कुछ को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाये तो पूरा आन्दोलन समाप्त हो जायेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह कौनसी विशेष कार्यवाही करेंगे तथा अपने आश्वासन को कैसे क्रियाविन्त करेंगे । जब तक सरकार भंग नहीं की जाती इस समस्या का समाधान नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का उत्तर पहले दे चुके हैं । वह और क्या उत्तर दें ।

श्री एम. गोपाल रेड्डी : यह राष्ट्रीय समस्या हैं । जब तक सरकार हटायी नहीं जाती तब तक कुछ नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप समाधान पहले ही बता चुके हैं ।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : मुझे पता नहीं है कि सरकार मंत्रालय को हटाने की सोच रही है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसी रूप में इसको लेते हैं ।

श्री योगेश्वर मकवाना : माननीय सदस्य का यह कथन कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, सही है । भारत सरकार भी इसमें सहायता कर रही है इसमें किसी अन्य पार्टी के संबंद्ध होने का प्रश्न नहीं है । अपराधियों का संबंध एम.एन.एफ से है ।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है । मिजोरम की घटना एकाकी नहीं है । यह पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किये गये षडयंत्र का मार्ग है । इस वर्ष जनवरी से अब तक एम.एन.एफ. विद्रोहियों द्वारा 21 व्यक्ति मारे जा चुके हैं । सी. आई. ए. तथा मिशनरी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस क्षेत्र की सभी घटनाओं में उनका हाथ रहा है । त्रिपुरा उपजाति युवा समिति के लड़कों का जोकि त्रिपुरा में बड़े हत्याकांड के लिए उत्तरदायी हैं, एम.एन.एफ. के साथ निकट संबंध हैं । तथा एम.एन.एफ. के व्यक्तियों ने उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया है । सी. आई.ए. और मिशनरियों ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र की आदिम जातियों के पृथकतावादी आन्दोलन में भारी रुचि ली हैं । मैं समझता हूं कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा सभी सदस्यों को वहां की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए ।

मैं एक 'इश्तहार' का उल्लेख करना चाहता हूं । यह इश्तहार 1978 में प्रकाशित किया गया था और इसका शीर्षक था "अर्थ ग्रेल पीपल्स मूवमैंट ।" इसे एक सुसमाचरक डा० आर. चुनवीले द्वारा परिचालित किया गया था । डा० चुनवीले ने त्रिपुरा उपजाति युवा समिति द्वारा चलाये गये आदिमजाति आन्दोलन पर संतोष व्यक्त किया है । डा० चुनवीले ने इस इश्तहार में कहा है ।

"त्रिपुरा बासियों ने आज त्रिपुरा उपजाति युवा समिति नामक एक दल का गठन किया है । इसका नेतृत्व युवा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वेशक शुरू शुरू में उसका नेतृत्व साम्यवादियों द्वारा किया जाता था, परन्तु अब यह राष्ट्रीय संगठन बन गयी है ।" उसी इश्तहार में डा० चुनवीले ने भारत के अन्य गिरजाघरों और मिशनों को इस संस्था की सहायता करने के लिए अपील की है । मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के नाम पर वपतिस्या मिशनरियों एवं विद्रोहियों में निकट संबंध रहा है मिजो राष्ट्रीय मोर्चे का मुख्यालय चटगांव की पर्वतीय चोटियों पर है तथा उन्हें आधुनिक शस्त्रों की छिपे रूप से निरन्तर सप्लाई प्राप्त होती है । हाल ही में यह पता चला है कि कुछ स्थानीय एवं विदेशी मिशनरियों के कार्यकर्त्ता मिजो राष्ट्रीय मोर्चे की गतिविधियों मैंटर उनके प्राशिक्षण केन्द्रों में सक्रिया भाग लेते रहे हैं । जबकि प्रत्येक उत्तर पूर्वीय राज्य में व्यक्तियों के पृथक संगठन हैं जैसे कि त्रिपुरा वपतिस्या क्रिस्टयन यूनियन फार त्रिपुरा और मिजोरम क्रिस्टयन यूनियन फार मिजोरम बपतिस्या ने पूरे क्षेत्र के लिए, उत्तर पूर्वीय भारत ईसाई परिषद के नाम से, एक संयुक्त मोर्चे का गठन पहले से ही कर लिया है । जिसका मुख्यालय शिलांग में है ।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपुरा का ईसाई मिशनरी इस समय न्यूजीलेंड बपतिस्या मिशनरी सोसाइटी से प्राप्त वित्तीय सहायता से चल रहा है, जो कि इस समय लगभग

40 लाख रुपये है। त्रिपुरा में ही जोकि अन्य राज्यों की तुलना में मात्र एक जिला है धन न्यूजीलेंड के वाणिज्यिक बेंकों के माध्यम से प्राप्त होता है। वित्तीय व्यवस्था में अमरीकियों का हाथ भी है। त्रिपुरा के बपतिस्या एवं न्यूजीलेंड के उनके स्वामियों के बीच पत्र व्यवहार से पता चलता है कि टेक्सास और लंदन से धन न्यूजीलेंड के माध्यम से आता है। न्यूजीलेंड बपतिस्या मिशनरी सोसाईटी के अलावा अन्य स्रोतों से 1977 से ही धन आने लगा है।

मेरा विशेष प्रश्न है कि क्या सरकार को मिशनेरियों के इन सभी क्रिया कलापों का पता है। यदि हां, तो सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है अथवा क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने सरकार को इन सब बातों के बारे में बता दिया है, अथवा नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक त्रिपुरा उपजाति युवा समिति का प्रश्न है, उनका इनके साथ सम्बन्ध है। परन्तु त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा में अथवा यहां पर हुए हाल के हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में सन्दिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में स्वतंत्र है।

माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। एक यह है कि क्या सरकार को विदेशी प्रभाव की जानकारी है तथा उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्रीमान, इस क्षेत्र में विदेशी ऐजेंसियों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। श्रीमान विदेशी ऐजेंसियों के संबद्ध होने में परिस्थितिक प्रमाण है। अभी तक हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल पाया जिससे कि हम किसी विशेष ऐजेंसी का नाम ले सकें (व्यवधान)।

श्री अजय बिश्वास : मैंने विदेशी धन के बारे में पूछा था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारत में हर जगह सभी मिशनरियों को विदेशी सहायता मिल रही है।

श्री अजय बिश्वास : उस धन का उपयोग कैसे होता है क्या आपको इसकी कोई जानकारी है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक धन के उपयोग का प्रश्न है सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है कि धन का उपयोग मिशनरी कार्य के लिए ही हो।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मिजोरम में उपद्रवों एवं खून-खराबे के जारी रहने से देश वासियों की आंखें खुल जानी चाहिए। निश्चित रूप से मिजोरम में स्थिति विस्फोटक है और यह पैरा दो में दिये गये उत्तर से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि एम.एन.एफ. ने जून, 1979

में गैर मिजो लोगों को एक जुलाई तक मिजोरम खाली करने के नोटिस दे दिये गये थे। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पृथकतावादी आन्दोलन चल रहा है। 16 नवम्बर, 1979 के पंट्रिएट में कहा गया है कि वायस आफ अमरीका ने यहां तक कहा था कि मिजोरम में भारत सरकार के विरुद्ध, स्वायत्तता के लिए संघर्ष चल रहा है। उस समाचार पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस समाचार की सत्यता की जांच की है तथा सरकार का विचार मिजो नेता लालडांगा के साथ बातचीत करने का है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने बताया हमने सभी कार्यवाही की हैं। यहां तक बातचीत का संबन्ध है इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इन सब का विवरण देना राष्ट्र के हित में न होगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने जूनियर डाक्टरों द्वारा हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डाले। मैं सहयोग देने को तैयार हूं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हड़ताल वापस लेली गई है। अब कोई समस्या नहीं है।

विदेश मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के निमन्त्रण पर मैंने 3से7 जून 1980 तक सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की। मास्को में अपने प्रवास के दौरान मैं राष्ट्रपति श्री ब्रेजनेव से मिला और अपने दोनों देशों के हित-चिंता के मामलों पर उनके साथ विचार-विमर्श करने का मुझे मौका मिला। मैंने अपने साथी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मन्त्री श्री ए०ए० ग्रोमिको के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय मसले, दोनों ही शामिल थे।

मैंने सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के उप-प्रधान मन्त्री श्री आई० वी० आर्खिपोद से भी मुलाकात की जो मेरे साथ भारत सोवियत आर्थिक, बैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के अन्तर-सरकारी आयोग के सह-प्रधान हैं।

इसके अतिरिक्त मैं लेनिन-ग्राद भी गया। यह शहर ऐतिहासिक स्मृतियों से भरपूर है। उस शहर में अपने अल्प-प्रवास के दौरान मुझे लेनिनग्राद की क्षेत्रीय कम्यूनिष्ट पार्टी के प्रमुख श्री जी०वी० रोमानोव से मुलाकात करने का भी मौका मिला।

सोवियत संघ की मेरी यह पहली यात्रा थी जिसने हमारे समय के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध अर्थात् द्वितीय विश्व-युद्ध में जबर्दस्त नुकसान उठाया। इसलिए उस देश में पुनः निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयत्नों को देखकर एक अत्यन्त हार्दिकता की अनूभूति हुई, लेनिनग्राद नगर तो इस बात का प्रतीक है कि इस देश ने विनाश के अवशेषों पर अपने आपको पुनः खड़ा किया है।

मैं सदन की मेज पर उस संयुक्त प्रेस वक्तव्य की एक प्रति रखना चाहूंगा जो मेरी यात्रा के अन्त में जारी किया गया था। मैं अपनी इस यात्रा की कुछ अनुभूतियों को भी माननीय सदस्यों के साथ बाँटना चाहूंगा। उस देश में जहां कहीं भी गया मेरा अत्यन्त हार्दिकता और मित्रता के साथ स्वागत किया गया जो इस बात का प्रमाण है कि उस देश में हमारे देश को और हमारे देशवासियों को कितने सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखा जाता है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि विश्व-भर में हमारी प्रधान मन्त्री की कितनी सराहना की जाती है और लोग उनकी नीतियों में कितना विश्वास रखते हैं। यह सोवियत संघ की अपनी यात्रा के दौरान मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। हमारे सोवियत मित्रों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और वे इस बात की कदर करते हैं कि वे भारत की सरकार को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

सोवियत नेताओं के साथ मेरी बातचीत सौहार्दपूर्ण और निःसंकोच हुई और मैं यह कह सकता हूं कि यह भारत-सोवियत संबंधों की घनिष्ट प्रकृति की वजह से हैं जिसमें किसी तरह के दुराव-छिपाव या गलत-फहमी के लिए कोई जगह नहीं है। सौभाग्य से हमारे दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है जो विदेश मन्त्रियों को अपने में फंसाए रखे। लेकिन मैंने भारत-सोवियत आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग की प्रगति की कुछ विस्तार से समीक्षा की और यह जानने की कोशिश की कि इस वर्ष फरवरी में श्री आर्खिपोव के साथ मेरी मुलाकात के बाद और कितनी प्रगति हुई है। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत-सोवियत संयुक्त आयोग का अगला अधिवेशन अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1980 में नई दिल्ली में किया जाय।

मास्को में और लेनिनग्राद में भी मुझे प्राच्य अनुसंधान संस्थानों को देखने का और सोवियत भारत विद्या-विदों से मिलने का अवसर मिला। सोवियत संघ में प्राचीन और अर्वाचीन दृष्टियों से भारत विद्या के क्षेत्र में जो गहन और विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। यह महान् संस्थायें जो कि सौ-सौ वर्ष से अधिक पुरानी है भारतीय जन-जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन और अनुसंधान करती आई है जिसमें महाभारत का एक प्रामाणिक पाठ तैयार किया जाना भी शामिल है, और यह तथ्य ऐसे हैं जो भारत सोवियत संघ के लोगों को अपने उचित ऐतिहासिक में परिवेश में रुचि और सद्भाव के अटूट बंधन में बाँध लेते हैं।

मास्को में मैंने प्रोग्रेस पब्लिशिंग हाऊस भी देखा जो ऐसे ही अन्य कई प्रकाशन घरों की तरह भारतीय भाषाओं की साहित्यक-कृतियों का रूसी में और रूसी भाषा की साहित्यक-कृतियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के विशाल और बहु-पक्षीय कार्यक्रम में व्यस्त है। इस आदान-प्रदान को और व्यापक बनाने की पूरी गुंजाइश है ताकि सोवियत संघ की सभी भाषायें इसकी परिधि में आ सकें। रूसी में अनुदित पुस्तकों की पचास-पचास हजार या उससे भी ज्यादा प्रतियां छापी जाती हैं और यह सब कुछ ही दिन में बिक जाती हैं; इस तथ्य से यह प्रकट होता है कि सोवियत संघ के विशाल पाठक-वर्ग में भारत और भारतीय परिवेश का कितना गहरा ज्ञान और उसकी कितनी अच्छी समझ होगी। कहने की जरूरत नहीं कि इनमें नाना-विधि द्विपक्षीय सहयोग के बिस्तार और विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है।

जैसा कि सदन को याद होगा सोवियत संघ के विदेश मन्त्री ने इस वर्ष 12 से 14 फरवरी तक भारत का दौरा किया था जब हमने दूसरी बातों के अलावा दक्षिण पश्चिम एशिया की उभरती हुई स्थिति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया था। उनकी इस यात्रा के बाद से हमारे क्षेत्र में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक महत्वपुर्ण घटनाएं घटी हैं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और फ्रांस के राष्ट्रपतियों की वारसा में बैठक हुई। सोवियत संघ के विदेश मन्त्री और उनके अमरीकी समकक्ष और साथी, अमरीकी विदेश मन्त्री की बियाना में मुलाकात हुई। इस तरह मेरी सोवियत संघ की यात्रा का, सोवियत विदेश मन्त्री की यात्रा के प्रत्युत्तर में एक मात्र शिष्टाचारी यात्रा होने के अतिरिक्त उल्लिखित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक गुरुत्तर महत्व भी था।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इनमें से बहुत से विषयों पर हमारे दोनों देशों के विचारों में समानता थी। लेकिन सदन को मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि मास्को में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय हमारे सामने आए।

सोवियत नेताओं का विचार था कि संयुक्त राज्य अमरीका की अनेक उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ गई है। बहरहाल, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हाल ही में सोवियत और पश्चिमी नेताओं के बीच कुछ मुलाकातें हुई हैं और ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत, जो इस वर्ष के शुरु में टूट गई थी, पुनः शुरू हो जाएगी। इस तरह की और भी बैठकें होने की सम्भावना है। यह विश्वास करना उचित ही होगा कि सम्भव है इन बैठकों के परिणामस्वरूप अगले वर्ष के प्रारम्भ तक यूरोप में तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया पुनः चल पड़े। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य के सिलसिले में सोवियत संघ भी मेरी ही तरह आशावान है और यह बात हमारे संयुक्त वक्तव्य में परिचालित होती है।

श्री ग्रोमिको के साथ और बाद में फिर श्री ब्रेजनेव के साथ मैंने जिस एक अन्य समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श किया, वह थी दक्षिण-पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिति।

जैसा कि हम समझ पाये, सोवियत संघ की स्थिति यह है कि अफगानिस्तान के मामले को बाहरी शक्तियों ने कृत्रिम रूप से बहुत तूल दे दिया है और अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रमण पाकिस्तानी प्रवेश में स्थापित शिवरों में प्रशिक्षित और हथियारों से अच्छी तरह लैस विद्रोहियों के माध्यम से अब भी किया जा रहा है। अफगानिस्तान की सरकार ने राजनीति समाधान के लिए प्रस्ताव रखें हैं और इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच और अफगानिस्तान तथा ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो। इस सीधे सम्पर्क के बाद ही दूसरे देश कोई निश्चित समाधान निकालने के लिए हिस्सा लेने की बात सोच सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की समाप्ति की कोई पूर्ण और विश्वासनीय गारन्टी दिए बिना और इस तरह के हस्तक्षेप को वास्तविक रूप से समाप्त किए बिना सैनिकों की वापसी के सम्बन्ध में कोई बातचीत करने से समाधान निकलने के मार्ग में बाधा ही उपस्थित होगी। इसके साथ ही सोवियत नेताओं ने हमसे बहुत साफ-साफ यह बात कह दी है कि एक बार कोई राजनीतिक समाधान निकल आए तो सोवियत संघ अपनी सेना को वापस हटा लेने के लिए तत्पर है।

इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है : हम किसी भी देश में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के बिरुद्ध हैं। सोवियत संघ ने यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान को सोवियत संघ की सहायता समय, प्रयोजन और मात्रा की दृष्टि से सीमित है और इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए किसी तरह का खतरा नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्ता से जो रिपोर्ट आ रही है अगर उनमें से अपरिहार्य रूप से दिलचस्पी लेने वाले प्रचार तत्वों की छूट निकाल भी दी जाए तो भी इनसे ऐसा लगता है कि वहां की स्थिति को देखते हुए इस बात की कोई बहुत आशा नहीं दिखाई पड़ती कि अफगानिस्तान को सोवियत संघ की सहायता समय आने पर सीमित ही बनी रहेगी जैसाकि मूलतः उसका इरादा था।

यह निःसन्देह भारत के लिए और उन सब के लिए भी चिन्ता का विषय है, जो तनाव को कम करने में और इस क्षेत्र की समस्याओं को शांतिपूर्वक निपटाने में दिलचस्पी रखते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने आप से यह प्रश्न करें कि अफगानिस्तान की सहायता के लिए वहां जो सोवियत सैनिक रखे गये हैं वे वहीं उन लोगों के लिए बहाना तो नहीं बन गए हैं या नहीं बन जाएंगे जो उस देश में और अधिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हमें डर इस बात का है कि अगर समय जरूरत से ज्यादा गुजर गया तो यह स्थिति स्थायी बन जाएगी और इसीलिए हम यह कहते हैं कि अब वह स्थिति आ गई है जबकि सैनिक साधनों के इतर उपाय और तरीके खोजे जानें चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके क्योंकि अभी यह समस्या सम्भावना के दायरे से बाहर नहीं गई है। इसलिए अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान की आज जितनी तात्कालिकता महसूस की जा रही है उतनी पहले कभी नहीं की गई थी।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अफगानिस्तान की स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी के लिए भी यह कहना जल्दबाजी होगा कि उसके

पास इस समस्या का कोई समाधान है। मिसाल के तौर पर मास्कों से मेरी वापसी के बाद इस्लामी विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित तीन-सदस्यीय समिति की तेहरान में बैठक हुई है। इस समिति के सम्बन्ध में हम यह विश्वास कर भी लें कि इससे इस्लामी सम्मेलन में पहले की स्थिति से कुछ आगे की बात होगी लेकिन हम जब मास्को में थे तो हमें इस मूल्यांकन की कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं मिली। कुल मिला कर अब तक इस समिति के प्रति एक मिश्रित-सी प्रतिक्रिया हुई है हालांकि दोनों ओर से इस पर सार्वजनिक रूप से जो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है उसकी उग्रतावादी प्रकृति और स्वरूप में कुछ छूट देनी होगी। इसके अतिरिक्त मैंने वाशिंगटन से छपी अखबारों की खबरें भी देखी हैं जिनमें एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी का हवाला दिया गया है और जिनसे इस सम्बन्ध में अमरीका की स्थिति में थोड़ा-सा किन्तु महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का संकेत मिलता है। लेकिन हम इन अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं को देखते हुए भी समाधान निकालने की दिशा में अपने प्रयत्नों को विमुख नहीं होने देंगे। इन परिस्थितियों में इस स्थिति का कोई निश्चित मूल्यांकन प्रस्तुत करना अगर अनुचित नहीं तो जल्दबाजी जरूर होगी। बहरहाल अपनी सोवियत संघ की यात्रा का उल्लेख करते हुए मैं इतना और कहूंगा कि ऐसा लगता है कि सोवियत संघ भारत के विचारों को अच्छी तरह समझता है और उनका सम्मान करता है और यह भी समझता है कि भारत जैसे किसी गुट-निरपेक्ष देश के लिए कतिपय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक भिन्न मत रखना बहुत स्वाभाविक ही है। मेरे यह विश्वास करने के प्रचुर कारण हैं कि सोवियत संघ के नेता अफगानिस्तान और उसके आस-पास के इलाकों में स्थिति को सामान्य बनाने के हमारे प्रयत्नों की सराहना करते हैं। इस मामले से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर कहीं किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है यह निःसंदेह विगत पांच महीनों में निरन्तर सुदृढ़ होते गए हैं।

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सरकार ने इस क्षेत्र के भीतर और इसके बाहर के अनेक देशों के साथ परामर्श किया है और इनमें सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों के साथ हमारा विचार विमर्श भी शामिल है, तथा हमारे परामर्श इस बारे में आम सहमति पाई गई है कि दक्षिण-पश्चिम एसिया में तनाव को रोकने की जरूरत है। इस बात को भी सभी ओर स्वीकार किया जा रहा है कि समस्याओं को सिर्फ राजनीतिक समाधान के जरिए ही निपटाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय चूंकि मैं इस वक्तव्य को अपनी सोवियत यात्रा तक ही सीमित रख रहा हूं इसलिए मैं संक्षेप में यह बता कर इसे समाप्त करुंगा कि इस सिलसिले में अर्थपूर्ण काम करने की क्या-क्या सम्भावित दिशाएं हो सकती हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि हम इस क्षेत्र में इतनी अधिक दिलचस्पी रखते हैं कि अति प्रतिक्रिया और अतिसय-संसद-बाद के बीच होने वाली ऊंच-नीच से जो कि कुछ अन्य देशों में मतों की विशेषता लगती है हम हताश या निराश होने वाले नहीं है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे सामने तात्कालिक काम यह है कि बातचीत शुरू करवाने के सीमित प्रयोजन से विचार-विमर्श शुरू किया जाए, बिना इस बात की बहुत परवाह किए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। भविष्य में हम इसी दिशा में प्रयास करेंगे हालांकि आज जो

स्थिति है उसे देखते हुए यह काम कोई आसान काम नहीं होगा। इस सिलसिले में सार्वभौम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहलुओं में और उनकी अपरिहार्य क्रिया प्रतिक्रिया में भी निश्चित परिवर्तन आएगा। फिर भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए कई अन्य मार्ग खुलेंगे जिनके एक राजनीतिक समाधान तक पहुंचने की हम आशा कर सकते हैं।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस अवसर पर अपने सोवियत में जबानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सत्कार किया। मेरी यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच सबंधों को सुदृढ़ करने का स्वमान्य महत्वपूर्ण अवस्थान था। में आश्वस्त हूं कि भारत और सोवियत सघ भविष्य में भी एक-दूसरे के निकट सहयोग से द्विपक्षीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग करते रहेंगे।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री श्री पी०वी० नरसिहा राव ने 3 से 7 जून, 1980 तक सोवियत संघ की मैत्रीपूर्ण सरकारी यात्रा की।

मास्को में अपने प्रवास के दौरान भारत के विदेश मन्त्री ने वी० आई० लेनिन की समाधि पर और अज्ञात सैनिकों की समाधि पर फूल-मालाएं चढ़ाई।

मास्को के अतिरिक्त भारत के विदेश मन्त्री ने लेनिनग्राद की भी यात्रा की।

भारत के विदेश मन्त्री श्री पी०वी० नरसिंह राव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधानमंडल के अध्यक्ष श्री एस०आई० ब्रेजनेव से भेंट की और भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का शुभकामना संदेश उन्हें दिया।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलितब्यूरो के सदस्य और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के विदेश मन्त्री श्री ए० ए० ग्रोमिको से उनकी बातचीत हुई।

श्री पी०वी० नरसिंह राव ने सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मन्त्रि-परिषद के उपाध्यक्ष एवं भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तर-सरकारी आयोग के सह-अध्यक्ष श्री आई० वी० आर्खिपोव से भी मुलाकात की।

यह बातचीत और विचार-विमर्श मैत्री और सद्भाव के वातावरण में हुआ। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास की समीक्षा की तथा आपसी हित के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि समुचित सम्पर्क के माध्यम से भविष्य में भी इस तरह का विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा।

दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सन्तोष व्यक्त किया कि भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों से एसिया और समूचे संसार में शांति और स्थायित्व की दिशा में योगदान मिला है।

यह सम्बन्ध मित्रता, समानता और पारस्परिक विश्वास पर आधारित है तथा शांति, मित्रता और सहयोग की सन्धि की भावना के आधार पर विकसित हो रहा है।

दोनों पक्षों ने उन दीर्घावधि करारों की प्रगति की भी समीक्षा की जिनके अन्तर्गत महत्व पूर्ण क्षेत्रों तथा विभिन्न दिशाओं में भारत सोवियत संघ के बीच सहयोग चल रहा है।

दोनों पक्षों ने भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच दोनों देशों के लोगों के हित में, हर तरह से निकट सम्बन्ध विकसित और सुदृढ़ करते रहने का अपना संकल्प दोहराया।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श के बाद दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि उन्होंने परस्पर जिन प्रश्नों पर विचार किया है उनके सम्बन्ध में भारत और सोवियत संघ की स्थिति एक-दूसरे के निकट है।

भारत और सोवियत संघ ने अपनी इस धारणा की पुनः पुष्टि की कि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया का विस्तार संसार के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और राज्यों के बीच परस्पर लाभदायक एवं समान सहयोग के सिद्धांतों पर चलते रहने के अपने बचन की पुनः पुष्टि की। उन्होंने हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए तथा साम्राज्यवाद नव-उपनिवेशबाद, जातिबाद तथा प्रभुत्व के अन्य सभी रूपों के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष को जारी रखने और उसे समर्थन देने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

भारत के विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने सोवियत संघ के प्रवास के दौरान हार्दिक स्वागत और अपने तथा अपने प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्यों के हार्दिक सत्कार के लिए सोवियत संघ के नेताओं को धन्यवाद दिया।

भारतीय नेताओं की ओर से उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा सचिव एवं सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान-मन्डल के अध्यक्ष श्री एल. आई. ब्रेजनेव को भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया, जो साभार स्वीकार किया गया।

भारत के विदेश मन्त्री ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलितब्यूरो के सदस्य तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मन्त्री श्री ए. ए. ग्रोमिको को भी भारत की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया, यह आमंत्रण भी साभार स्वीकार किया गया।

दोनों पक्षों ने भारत के विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव की सोवियत संघ की यात्रा के परिणाम पर सन्तोष व्यक्त किया और इसे सोविय संघ तथा भारत के बीच पारस्परिक सद्भाव और मित्रता के विकास की दिशा में रचनात्मक योगदान माना है।

———

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। यदि मंत्री महोदय तैयार हैं तो हम सभा में इस महत्वपूर्ण मामले पर वाद विवाद कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। आप मुझें नोटिस दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके वक्तव्य को सदस्यों को उपलब्ध होने दें। यह लम्बा और महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

कार्य मंत्रणा समिति पाँचवा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 16 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पांचवे प्रतिवेदन से, जो 16 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पटना में रसोई गैस की भारी कमी का समाचार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ महीनों से पटना के नागरिकों को गैस सिलिण्डर के मामलों में भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग महीनों गैस सिलिण्डर के एजेंटों के पास दौड़ लगाते रहते हैं, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल पाती। दूसरी ओर पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोल बाला है जो लोग 50 रुपये अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हो जाते हैं उन्हें गैस कहीं न कहीं से मिल जाती है अन्यथा कह दिया जाता है कि गैस स्टाफ में नहीं है।

गैस एजेंटों की धांधली और दुर्व्यवहारों की कहानियां पटना से प्रकाशित दैनिक अखबारों में अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। अभी 10 जून का जब मैंने पटना के एक गैस एजेन्ट को टेलीफोन पर अपने घर पर गैस सिलिण्ड भेजने का अनुरोध किया तो मुझे अपमानजनक बातें सुननी पड़ी। पन्द्रह दिनों के बाद भी जब तक गैस की प्राप्ति नहीं हो सकी है। कम्पनियों के कार्यालयों में कोई टेलीफोन तक नहीं उठाता।

सरकार को इस स्थिति का अन्त करने के लिए फौरन कदम उठाना चाहिए और बदनाम एजेन्टों के लाइसेंस खारिज कर दूसरे एजेंटों को बहाल करना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह खाली गैस का मामला नहीं है, संसदसदस्य से किस तरह का व्यवहार होगा, यह मामला है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी है।

(दो) राजधानी में सीमेंट की वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

श्रीमति प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् आपकी अनुमति से नियम 377 के आधीन मैं निम्न बक्तव्य देना चाहती हूं :

श्रीमान् सीमेंट की कमी तथा परिमिट, धारियों से धन की मांग करने वाले अधिकारियों के कदाचार के विरुद्ध कई हजार नागरिकों ने जिनमें भारी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित थी। ने दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग के बाहर प्रदर्शन किया।

श्रीमान् पिछले दो अथवा तीन महीने से यही स्थिति बनी हुई है तथा कई बार अधिकारियों एवं परिमिट-धारियों के बीच विवाद हुए तथा परिमिट-धारियों को खाली हाथ जाना पड़ा परिणाम स्वरूप दिल्ली में निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के अधिकारी सीमेंट के वितरण में स्टाकिस्टों के साथ मिल कर अपनी पसंद के लोगों एवं बड़े-बड़े ठेकेदारों को सीमेंट देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर अपना बक्तव्य दें तथा सीमेंट के वितरण के लिए उचित नीति अपनायें।

(तीन) कोको के निर्यात के लिए एक विपणन एजेंसी स्थापित करने और कोको आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री जार्ज जोसफ मुन्डाकल (मुवतुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् दक्षिण भारत के लगभग तीन लाख छोटे तथा सीमांत किसान कोको की खेती करते हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। यह खेती दो तीन बर्ष से ही की जा रही है फिर भी उत्पादन 3000 टन पहुंच गया है। आंतरिक खपत 2500 टन है और आगामी 4 से 5 वर्षों में उत्पादन बढ़कर 15000 से 20000 टन हो जाएगी। अभी से हमें सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में फैक्टरी लगानी चाहिए अन्यथा हमें फालतू माल के निर्यात के लिए बाजार खोजना पड़ेगा।

दुर्भाग्य से भारत सरकार ने 'कोका' के आयात की बिनाशर्त अनुमति दे रखी है। इससे केरल में अत्यन्त गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, किसानों को अपने उत्पादन को बेचने में कठिनाई होती है, जोकि अन्य फलों की तरह विनाशक होने वाला होता है इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि कोका के आयात को तुरन्त बन्द किया जाए और साथ ही उसके अधिकतम निर्यात की भी व्यवस्था की जाये।

(चार) हरिजनों, आदिवासियों और समाज के पिछड़े वर्गों पर अत्याचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय देश के विभिन्न भागों में विगत पांच माह के अन्दर हरिजन एवं कमजोर वर्गों के लोगों की जितनी हत्याएं की गई हैं, उसने सारे पुराने रिकर्ड को तोड़ दिया है। पीपरा एवं परसबीघा की विभत्स घटना के बाद कफल्टा (उ०प्र०) (होडल) (हरियाणा) (गोहाना) (हरियाणा) (मोकामा) (विहार) आदि ऐसे कुछ हरिजन हत्याओं के समाचार हैं, जिसे सुनकर कलेजा दहल जाता है। इन हत्याओं ने हरिजन एवं कमजोर वर्ग के सदस्यों के मन को झकझोर दिया है। सरकार की कथनी और करनी तथा नीति और नीयत में कहीं तालमेल नहीं है। जितनी ही तेजी से हरिजन आदि वासियों की सुरक्षा हेतु सरकार वादा करती है. उतनी ही तेजी से इन लोगों पर होने वाले जुल्मों में वृद्धि हो रही है। हत्यारों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं है। न्याय इतना मंहगा और विलम्ब से मिलता है कि गरीब प्राय: न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। श्री योगेन्द्र मकवाना (गृह राज्य मंत्री) द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था कि प्रधान मंत्री तमाम हरिजन संसद सदस्यों की बैठक बुलायेंगे तथा कोई ठोस कार्यवाही करेंगे, जिससे कमजोर वर्गों के लोगों की रक्षा हो सके। लेकिन अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई है।

ऐसा लगता है कि सरकार हरिजन, आदिवासियों एवं कमजोर वर्गों की रक्षा करने में पूर्णतः असफल रही है।

अतः प्रधान मंत्री से मांग है कि वे इस संबंध में हरिजन सांसदों एवं विपक्षी दल के नेताओं की बैठक शीघ्र बुलावें तथा हरिजनों, आदिवासियों एवं कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म ढाहने वाले लोगों के खिलाफ विशेष दण्ड की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष जी, गृह राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मीटिंग बुलाने वाले हैं, तारीख फिक्स हो रही है और तारीख फिक्स होने के बाद हम जरूर बुलायेंगे। यह जो गवर्नमेंट पर आक्षेप लगा रहे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। गवर्नमेंट ने तो दो तरह के प्रिवेंटिव और रैडिकल, स्टैप्स लिए हैं और एक 100 करोड़ रुपये की स्कीम सरकार के पास है।

रेल बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब सभा रेल बजट 1980-81 पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, रेल बजट के संबंध में वाद-विवाद को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम मैं सभा को स्मरण कराना चाहूंगा कि 12 मार्च, 1980 को जब मैं रेलवे के सम्बन्ध में लेखानुदानों के बारे में बोला था; तो मैंने यह आशंका व्यक्त की थी कि 7वीं लोक सभा के दूसरे सत्र में भी पूरा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो इसके पीछे अनिवार्य रूप से एक कारण होगा कि विधान सभाओं के चुनावों के पश्चात बजट पेश किया जायेगा और करों का भारी बोझ आयेगा। यदि मेरी भविष्यवाणी सही न होती, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई होती। किन्तु दुर्भाग्य रहा, मेरी कही हुई बात सही निकली और आज हम देख रहे हैं कि 204 करोड़ रुपये का भारी बोझ डाल दिया गया है। मैं बहुत ही अप्रसन्न हुआ था। रेल मंत्री महोदय द्वारा दिये गये भाषण से मुझे इतना क्रोध तो नहीं आया जितना मुझे दुख हुआ।

यह परम्परा रही है कि जब कभी भी मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, चाहे यह रेल बजट हो अथवा सामान्य बजट, तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रशासन की निरन्तरता कायम है। जहां कुछ कर्मचारी स्थायी है, वहां कुछ अस्थायी भी हैं, किन्तु मंत्री सदा आते जाते रहते हैं। हमें समूचे प्रशासन को निरन्तरता के रूप में समझना होता है दुर्भाग्यवश पंडित जी ने अपने भाषण के दौरान पैरा 4, पृष्ठ 2 में कहा है :

"पिछले तीन वर्षों में रेल संचालन में जो गिरावट आयी है, उसकी वजह से कार्यकुशलता को 1976-77 के स्तर पर लाने में कुछ और समय लगेगा।"

इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये। मैं उस प्रलेख का उदाहरण देना चाहूंगा जिसे बजट संबंधी कागजात के साथ माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया है। मेरे पास 1978-79 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा हैं। आप देखिये कि समीक्षा और सम्भावना के शुरू के पैरा में यह बताया गया है।

"किराया और भाड़ा संरचना में संशोधन किये बिना और माल यातायात में गिरावट के बावजूद रेलों ने लगातार तीसरे वर्ष भी 36.66 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया है, यद्यपि पिछले वर्षों की तुलना में यह अधिशेष कम है।"

आप का अपना प्रलेख ही आप द्वारा कही गयी बात का खण्डन करता है। केवल यही नहीं बल्कि वह सरकार ने पुराने वचनों का सम्मान किया है और उसने उत्पादित से संबद्ध बोनस के संबंध में मान्यता प्राप्त महासंघों के साथ समझौता भी किया है। यदि आप उत्पादिकता से संबद्ध बोनस के खण्डों को पढ़ें, तो आपको पता चल जायेगा कि कार्य सम्पादन का आधार वर्ष जो इस बोनस संबंधी समझौते के लिये उन्होंने माना है वह 1977-78 है, जिस कार्य सम्पादन को बहुत अच्छा कार्य सम्पादन समझा गया हैं। रेलों का कार्य सम्पादन का निर्णय केवल पूरी तरह से टनों के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि टन-किलोमीटर को ध्यान में रख कर किया जाता है। किन्तु यदि आप यातायात किये गये सामान के टनों का ही

ध्यान रखें जिसे जितने किलोमीटरों द्वारा लाया ले जाया गया है, जिसका पता लग चुका है। इसके अतिरिक्त आप द्वारा हमें दिये गये प्रलेखों में से वार्षिक रिपोर्ट से यह पता लगा है कि जहां तक 1977-78 का संबंध है, वास्तविक टन-किलोमीटर जो हुआ था। यह 1,50,2500 लाख यूनिट था और इससे पूर्व वर्ष यह 1,44,0300 लाख यूनिट का हुआ था। अतः 1977-78 में हुये वास्तविक टन—किलोमीटर यूनिट के रूप में हुआ कार्य सम्पादन सबसे अधिक था। यह बहुत ही अच्छा कार्य सम्पादन था, इस कारण से उत्पादिकता से संबंधित बोनस के समझौते में यह निर्णय किया गया कि इसे आधार वर्ष समझा जाना चाहिये। न केवल यही, बल्कि रेलों के 126 वें वर्ष में यह लाभ सबसे अधिक था। वास्तविक लाभ बढ़कर 126 करोड़ रुपये का हो गया था। कितना ही अच्छा संयोग था।

मुझे आशा है कि इस वर्ष सहित प्रत्येक वर्ष लाभ एवं रेल के वर्ष के बीच मेल होता है किन्तु दुर्भाग्यवश इसे उस ढंग से नहीं किया गया है। इसका और पहलू भी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और वह कि इस लाभ के बारे में है। यह बात सच है कि आंतरिक बजट जो प्रस्तुत किया था, वह 38.12 करोड़ रूपये के घाटे का था। आज हम देख रहे हैं कि गजट 42.11 करोड़ रुपये के लाभ वाला है और वह भी 204 करोड़ रुपये का भारी बोझ डाल कर किया गया है। इस भार का कुछ अंश माल भाड़े में वृद्धि की है, और कुछ अंश सभी श्रेणियों के यात्री किरायों में वृद्धि का है। मैं इन के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता उनका उल्लेख पहले ही भाषण में हो चुका है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अपनी भारतीय रेलों के समूचे बजट तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू रेलों का पूंजीगत ढांचा रहा है। आप को यह जान कर दुख तथा आश्चर्य होगा कि यद्यपि रेल बजट को सामान्य बजट से वर्ष 1924 में ही पृथक कर दिया गया था। फिर भी रेलों का यह पुराना पूंजीगत ढांचा पूरी तरह अपरिवर्तित रहा है।

अपने पहले बजट भाषण में ही मैंने घोषणा की थी। कि हम पूंजीगत ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। पूंजीगत ढांचे के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि सभी लाभांश देनदारी को स्थगित देनदारी समझा जायेगा। यह निर्णय किया था कि कोई भी ऐसा ऋण नहीं लिया जायेगा जिस पर हमें ब्याज देना पड़े। उसके परिणाम स्वरूप गत बार 93 करोड़ रुपये तक की छूट मिली। अतः यह लाभ हमें मिला और लाभ सभी भावी सरकारों को मिलेगा चाहे सत्तारूढ़ दल किसी भी राजनीतिक दल से ही क्यों न सम्बन्धित हो। उस विशेष लाभ एव यात्री किराये तथा भाड़े में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि के परिणाम स्वरूप सरकार 42.11 करोड़ रुपये का लाभ दिखाने में समर्थ हुई है। यह लाभ दिखाया तो गया है किन्तु वास्तविक बात यह है कि इस लाभ को अप-व्यय करके समाप्त कर दिया जायेगा। आप देखेंगे कि मैं अन्तरिम बजट के अन्तिम भाग के एक छोटे से पैरे को केवल पढ़ रहा हूं—38.12 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक घाटे को 42.71 करोड़ रुपये के लाभ में बदल दिया गया है।

"जिसमें से 36.04 करोड़ रुपये विकास निधि पर प्रभार्य व्यय को पूरा करने तथा पूर्व वर्षों में 189.50 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों पर 11.04 करोड़ रुपये के देय ब्याज का भुगतान करने पर प्रयुक्त किए जायेंगे। 6.67 करोड़ रुपये की शेष राशि का स्थगित लाभांश दायित्व के आंशिक परिसमापन के लिए उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार सामान्य राजस्व से और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ने पूंजीगत ढांचे में मूलभूत परिवर्तन कर दिया है और इसलिए अब आगे सभी लाभांश दायित्व स्थगित दायित्व होंगे। लाभांश देने के लिए कोई ऐसा ऋण नहीं लिया जायेगा जिस पर ब्याज लगे।

कल प्रस्तुत बजट के प्रति अपनी प्रथम प्रतिक्रिया देते हुए मैंने कहा था कि यह रूढ़िवादी बजट है, इससे सक्रिय रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इस कारण है कि मैं यह पाता हूं। कि भारतीय रेलों के कुछ मूलभूत आर्थिक पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। जनता सरकार के दौरान लोक मत जानने तथा मजदूर संघों से परामर्श करने का हमारा प्रयास रहा है और हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना भी रहा है कि रेलों के बजटों में कुछ मूलभूत ढांचात्मक परिवर्तन किये जायें। एक पहलू पूंजीगत ढांचा है। हम इस पर पहले ही विचार कर चुके हैं।

दूसरी समस्या सामाजिक बोझ की है। यह हमारे देश के लिए एक असाधारण समस्या है। विश्व के किसी भी अन्य भाग में रेलों द्वारा सामाजिक बोझ वहन नहीं किया जाता। हमारे देश में रेलों द्वारा 189 करोड़ रुपये का सामाजिक बोझ वहन किया जाता है और कोई परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। हम ने एक समिति नियुक्त की थी और सम्भवतः इसका प्रतिवेदन तैयार है। शायद मन्त्रालय के पास इस प्रतिवेदन पर गहराई से विचार करले तथा इस बात का पता लगाने का समय नहीं था कि क्या बजट अनुमानों में प्रतिवेदन की सिफारिशों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवहन समिति है जो पांडे समिति के नाम से प्रसिद्ध है और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यदि परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय सम्बन्धी पांडे समिति के प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण पहलूओं को बजट में सम्मिलित कर लिया जाता, तो कुछ ढांचात्मक परिवर्तन करना सम्भव हो जाता। इससे अधिक यातायात प्राप्त करना तथा अधिक तालमेल लाना सम्भव होता तथा कुछ क्षेत्रों को मोटर परिवहन के लिए आरक्षित करना तथा रेलों के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित करना सुनिश्चित करना सम्भव हो जाता। किन्तु वैसा नहीं किया गया है। यह पता लगाना हमारा प्रयास रहा कि रेलें केवल वित्त से सम्बन्धित एजेंसी का कार्य करने वाली ढुलाई करने वाले एक महत्वपूर्ण साधन एवं यात्रियों की सवारी का एक महत्वपूर्ण साधन ही न रह जायें, बल्कि देश के एकीकरण करने के एक साधन के रूप में भी काम करें। जब हम ने वास्तव में त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी यातायात शुरू किया था, तो उस समय हम ने घोषणा की थी कि आगामी गांधी जयंती के दिन हम जम्मू से कन्याकुमारी तक एक नयी गाड़ी चलायेंगे, वह सब से लम्बी दूरी वाली गाड़ी होगी और विभिन्न

राज्यों में से गुजरेगी और वह देश की एकता का प्रतीक होगी और मेरा विचार इस गाड़ी का नाम एक्स भारत एक्सप्रेस रखने का था। यह हमारा स्वप्न था और उसे भंग कर दिया गया।

दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्र लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि पश्चिमी तटीय रेलवे का अवश्य ही तेजी से विकास किया जाना चाहिए। जो महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक में से गुजरती है और जिसका सीधा सम्पर्क तमिलनाडु और केरल से है। वास्तव में यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रतीक होगी। अधिक धनराशि उपलब्ध करना होगा। अब यह परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि पिछली सरकार द्वारा दिए गये सभी पुराने वचनों का नये मन्त्री महोदय द्वारा सम्मान किया गया है। मैं उनका इस बात के लिए कृतज्ञ हू, किन्तु इसके लिए अधिक धनराशि का नियतन करना होगा, अन्यथा ये सभी परियोजनायें काल्पनिक मात्र रह जायेंगी।

जब डीजल तथा पेट्रोलियम मूल्यों के प्रश्न पर विचार किया गया तो मेरे माननीय सहयोगी इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था कि माननीय मन्त्री को इस तथ्य का बोध है कि डीजल के मूल्य में प्रस्तावित वृद्धि से अनिवार्य रूप से डीजल 'ट्रैक्शन' पर प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने खड़े होकर कहा था कि उन्हें इस तथ्य का बोध है। जब हम बजट भाषण तथा विभिन्न प्रलेखों का अध्ययन करते हैं, तो मुझे यह अनुभव नहीं होता कि इस तथ्य का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है कि डीजल मूल्य में वृद्धि से भारतीय रेलों की समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

"रेलवे ट्रैक्शन" की क्या स्थिति है? हम देखते हैं कि हमारे यहां भाप, डीजल और विद्युत 'ट्रैक्शन' हैं। कुछ कारणों से इन तीनों ट्रैक्शनों में असमानता रही है। आज, हम पाते हैं कि हमारे पास 8,273 भाप इंजन हैं, 1903 डीजल इंजन हैं तथा 844 विद्युत इंजन हैं। भारतीय रेलों ने पहले ही भाप इंजन बनाने बन्द कर दिए गये हैं क्योंकि यह पुराना 'ट्रैक्शन' है और इसे बन्द कर देना होगा। अतः, वे 'ट्रैक्शन' बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह जानना बहुत ही रुचिकर बात है कि 1,000 कुल टन किलो मीटर के लिए सही ईंधन ढांचा क्या है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ईंधन व्यवस्था का अध्ययन करें। अध्ययन करने पर उन्हें पता लग जायेगा कि जहां तक भाप ट्रैक्शन का सम्बन्ध है, 1,000 टन किलोमीटर के लिए 9 रुपये की लागत बैठेगी डीजल ट्रैक्शन पर 6 रुपये की लागत आयेगी और विद्युत ट्रैक्शन पर 3 रुपये खर्च आयेगा और जब डीजल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें विद्युत 'ट्रैक्शन' पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। मैं लगातार यह कहता चला आ रहा हूं, और जब हम सत्तारूढ़ थे, तो उस समय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने हमारा पूरी तरह समर्थन किया था, कि हमें विद्युत ट्रैक्शन को अधिक से अधिक अपनाना होगा क्योंकि वह अन्ततः सब से अधिक सस्ता पड़ेगा।

निसंदेह शुरू में इस पर अधिक खर्च आयेगा, क्योंकि विद्युतीकरण के दौरान निर्माण पर होने वाली लागत बहुत अधिक है। हम देखते हैं कि प्रति किलोमीटर 13 लाख रुपये खर्च करने

होते हैं। मैंने बार बार सुझाव दिया था कि हमारे अनुसंधान प्रभाग को गहराई से इस समस्या का अध्ययन करने में तथा यह प्रयास करने में समर्थ होना चाहिए कि किस प्रकार विद्युतीकरण की लागत जो प्रति किलोमीटर 13 लाख रुपये हैं कम की जा सकती है ताकि हम देश में उस समय जबकि डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं विद्युतीकरण का अधिक विस्तार कर सकें।

इस पहलू को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय रेलों को अधिक सुरक्षित विद्युत संयंत्रों का निर्माण करना होगा। जब तक हम अत्यधिक यातायात के कारण, जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने अपने भाषण में ठीक ही किया है, और अधिक सुरक्षित विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक तर्कसंगत ढंग से यातायात को विकसित करना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समावेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

रेल बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते आप अपना भाषण जारी रखें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं रेलवे के लिए, तथा विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जब कि बिजली की काफी कमी है, सुरक्षित विद्युत संयंत्रों की तत्कालीन आवश्यकता का उल्लेख कर रहा था। यद्यपि यह एक मानी हुई परम्परा है कि जब कभी भी बिजली की कटौती की जानी होती है, तो यह कटौती रेलवे में अन्ततः की जाती है परन्तु इसके बावजूद भी यह अच्छा हो यदि रेलवे के पास अपने सुरक्षित विद्युत संयंत्र हो।

यदि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल जैसे स्थानों पर 220 मेगावाट की हो सकती है और यदि हम वर्तमान बिजली घरों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि कर दें तो रेलवे की सम्पूर्ण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा कर पाना सम्भव हो जायेगा। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो रेलवे की कार्य कुशलता काफी सीमा तक बढ़ जाएगी।

अब मैं रेल पटरी का आरम्भिक पुनः स्थापन का प्रश्न लेता हूं। मैंने बजट पत्रों का अध्ययन करते हुये पाया कि मूल अन्तरिम बजट में जहां कि रेल पटरी के पुनः स्थापन के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, इस बजट में उसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है हमारे पराध्वनिक यंत्रों के परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया है कि हमारी लगभग 5000 किलोमीटर रेल पटरी ऐसी है जिसका शीघ्र पुनः स्थापन किया जाना चाहिए। पांचवीं योजना के दौरान हमें रेल पटरी के आरम्भिक पुनःस्थापन के लिए 560 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तभी यह कार्य सुचारू रुप से हो सकेगा अन्यथा हमारी रेल पटरी

अनेक स्थानों से टूट जाएगी और जिसके फलस्वरूप और अधिक दुर्घटनाएं होंगी। अभी हाल ही के थोड़े समय में ही मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं और रेल पटरी के ठीक न होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। यदि हम रेल दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो हमें सम्पूर्ण 5 वर्षीय योजना के लिए 560 करोड़ रुपये का आबंटन करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष इस कार्य पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मंत्री महोदय योजना आयोग को 100 करोड़ रुपया आवंटित करने के लिए राज़ी करने में सफल हो गये हैं जब कि अन्तरिक बजट में इसके लिए केवल 95 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गये थे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि एक बार रेल पटरी का पुनः स्थापन कर लिया जाता है, तो जिस रेलवे पटरी को हटाया जाता है, उसका उपयोग अन्य पटरियों के लिए किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से देखा जाये तो यह पूर्णतया बेकार नहीं जायेगी। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुये, इसे प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्य विशेष के लिए 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

लाइन क्षमता को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। लाइनों को बढ़ाया जा रहा है और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जा रहा है। इस कार्य के लिए अधिक रोलिंग-स्टाक तथा अधिक वैगन होने चाहिए। रेल मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है कि कुछ असफलतायें माल यातायात में असाधारण ढंग से वृद्धि होने के कारण है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं जिस प्रकार की स्थिति हमारे देश की है उससे असमानता निश्चय ही और बढ़ेगी। जहां तक कुछ वस्तुओं का सम्बन्ध है, वह निश्चय ही कुछ राज्यों में जहां अधिक होगी, वहां कुछ राज्यों में कम भी होगी। इसके ठोस उदाहरण के रूप में खाद्यान्नों के लाने ले जाने को लिया जा सकता है। आपको मालूम ही है कि हमें उत्तर प्रदेश, हरियाण और पंजाब के भागों से खाद्यान्न दक्षिण तथा गुजरात, महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों तक ले जाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप लाने ले जाने का यह कार्य काफी असंगत जा बैठना है।

जहां तक सीमेंट को लाने ले जाने का प्रश्न है उसके उपभोक्ता एक स्थान पर होते हैं तो उसके निर्माता अन्य स्थानों पर होते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप सीमेंट के लाने ले जाने का कार्य भी काफी असंगत सा बन जाता है अपनी सम्पूर्ण आशावादिता तथा अपने औद्योगिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये, हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच चले आ रहे असंतुलन को समाप्त किया जाये, परन्तु इसमें समय तो लगेगा। इसके साथ ही हमारा सम्पूर्ण माल यातायात आगामी कुछ वर्षों में निश्चय ही असंगत बना रहेगा। अतः इन परिस्थियों में यह अनिवार्य है कि रेलवे के पास चार लाख वैगन हो। सामान्य परिस्थितियों में इतने वैगन देश में माल को लाने ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे। परन्तु जब यातायात में असाधारण वृद्धि हो

जाती है, तो यह चार लाख वैगन भी पर्याप्त नहीं होंगे। अतः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके रोलिंग-स्टाक में वृद्धि की जाये। इसमें भी मुझे लगता है कुछ वृद्धि की गई है। मार्च में प्रस्तुत किये गये मूल बजट में जहां 291 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, वहां अब इसके लिए 341 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अतः इस दृष्टि से निश्चय ही इसमें कुछ बढ़ोत्तरी की गई है और मैं समझता हूं कि हमें इस बढ़ोतरी को बनाए रखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि और अधिक वैगन उपलब्ध करवाये जायें। तथा रोलिंग-स्टाक में भी और वृद्धि की जाये। इसके साथ ही लाइन क्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

आपको यह आशा भी करनी चाहिए कि कुछ समय के लिए यातायात असंगत ढंग से भी चल सकता है।

इसके साथ ही इस विकासशील गतिविधि का अन्य उप-उत्पाद भी है। उसे भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा।

श्रीमान जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यद्यपि भारतीय रेलवे को बने 126 वर्ष हो गये हैं, परन्तु फिर भी अभी तक केवल 61,000 किलोमीटर मार्ग पर ही रेलवे लाइन बिछ पाई है। हमारे यहाँ 11,000 रेल गाड़ियां हैं तथा लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में नगरीय तथा गैर-नगरीय गाड़ियों में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन सफर करते हैं। जब मैंने यह जानकारी तक विदेशी पत्रकार को दी, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, "आपके देश में यह क्या हो रहा है ?" आपकी जनसंख्या का 1/60 भाग सदा गाड़ियों में सफर पर रहता है। मैंने कहा गाड़ियों में तथा गाड़ियों के ऊपर सफर करता रहता है। यह तो स्थिति है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह और भी अनिवार्य है कि हम अपनी लाइनों की क्षमता में और वृद्धि करे। हमारे यहां 126 वर्षों में केवल 61,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बन पाई है और उसका भी अधिकांश भाग अंग्रेजों के शासन काल के दौरान बनाया गया था। मैं इससे कोई राजनीतिक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता परन्तु यह तथ्य है कि देश की प्रशासनिक एकता तथा कुछ केन्द्रों के वाणिज्यिक विकास हेतु वह कुछ रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाहते थे और इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने देश में रेलवे लाइनों का निर्माण किया। आज तक हमारे देश में केवल 61,000 किलोमीटर मार्गों पर ही रेलवे लाइन बिछाई गई है। और इसीलिए मेरा कहना है कि हमें रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ानी चाहिए।

इसका भी एक उप-उत्पादन है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जब हम और अधिक रेलवे लाइनें बिछाना चाहते हैं तथा विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में लाइनें बिछाना चाहते हैं तो इस निर्माण-गतिविधि का एक लाभ यह होता है यदि 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उससे विभिन्न वर्गों के लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अतः यदि आप निर्माण गति तीव्र करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उससे आप कितने लोगों को

रोजगार दे पायेंगे। अतः इसका एक और-लाभ यह निकलेगा कि इससे देश की बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी और यहाँ तक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें दृष्टिगत रखना चाहिए।

श्रीमान जी, अब मैं कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि लोगों की बोनस सम्बन्धी आशाओं की किसी हद तक पूर्ति की जा चुकी है। बोनस को उत्पादन के साथ जोड़ा गया है और यदि उसका हिसाब लगाने में कुछ अन्तर भी हो जाये, तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। वह फार्मूला अपने आपमें ठीक है। यही कारण है कि मैंने मान्यता-प्राप्त उस समाधान को स्वीकार कर लिया। निसंदेह वे चाहते हैं कि उनकी मूल मांग को ही माना जाना चाहिए परन्तु फिर भी यह समझौता जो कि बोनस को उत्पादन के साथ जोड़ने से बनाया गया है, काफी अच्छा तथा सन्तोषजनक है। परन्तु इसके साथ ही समस्या के अन्य पहलू भी हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां तक भारतीय रेलवे का सम्बन्ध है, रेलवे में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भारी अन्तर है। उदाहरणार्थ आपको एक साधारण सा उदाहरण दूं,

उपाध्यक्ष महोदय : 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान आपकी एक मांग यह भी थी।

प्रो. मधु दण्डवते : आपकी तथा मेरी भी। जब मांग अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाये तो उसका सम्मान किया जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप श्रमिकों के एक वर्ग को अलग कर देते हैं और फिर उन्हें सम्पन्न वर्ग बनाते है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं। प्रो० रंगा इस विषय पर मैं काफी हद तक आपके साथ सहमत हूं। मैं केवल आप से यही कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेलवे का एक उदाहरण लीजिए। रेलवे के एक कर्मचारी का कम से कम वेतन 196 रुपये है तथा इस्पात संयंत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का वेतन 300 रुपए होता है और यदि आप इसके साथ छुटियों, कार्य के घंटों तथा वित्तीय लाभ देने वाले अन्य अनेक पहलुओं को भी जोड़ ले, चाहे आप बोनस को उसमें शामिल न भी करें तो रेलवे वालों को कुल 475/- रुपए मिलते हैं जबकि इस्पात संयंत्र में काम करने वालों को 658/- रुपए मिलते हैं।

अतः इस सीमा तक असमानता है। मेरे पास पूरा चार्ट है। असमानता को प्रदर्शित करने के लिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको एक ठोस, उदाहरण देना चाहता हूं। यदि कोई चालक कोयला तथा गैस की एक गाड़ी इस्पात संयन्त्र तक ले जाता है और संयंत्र में पहुंचते ही वह उस गाड़ी को संयंत्र के चालक को दे देता है, तो उस चालक को उसी गाड़ी ले जाने के लिए, लगभग 200 रुपये अधिक मिलते हैं।

प्रो० एन०जी० रंगा (गंटूर) : गांवों के श्रमिकों का क्या होगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके साथ इस बात पर पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश के गांवों के श्रमिकों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक साथ बैठकर यह निर्णय करना चाहिए कि उनमें समानता कैसे लाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि जब यह स्वयं मन्त्री थे तो इन्होंने अपनी ही एक मांग को पूरा नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हास्यात्मक ढंग से यह कह रहे हैं। आपने स्वयं दूसरे सदन में अनेक बार इस मांग को उठाया था और आपको यह भी मालूम है कि कर्मचारियों की कितनी मांगें जो काफी समय से लम्बित चली आ रही थी, हमने स्वीकार की। हमने सबसे छोटे वर्ग से आरम्भ किया। जीवन में पहली बार चतुर्थ श्रेणी के 50,000 कर्मचारियों को चयन वेतनमान दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो केवल आपको प्रो० रंगा के कटाक्ष से बचाने के लिए है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा का कटाक्ष इतना मधुर तथा नरम होता है कि उससे किसी को भी आघात नहीं पहुंच सकता। मुझे तो वह अच्छा लगता हें।

प्रशासन, प्रबन्ध तथा मजदूर संघ और मजदूर संघ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है। अनेक समस्यायें उस समय उत्पन्न हो जाती है जब मजदूर यह अनुभव करते हैं कि न्याय नहीं किया जा रहा है, उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है। यदि मजदूरों के मन से इस प्रकार की भावना आप दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं मैं परामर्श शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि पंडित जी काफी पुराने तथा बुजुर्ग व्यक्ति हैं—कि वह व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक की प्रतीक्षा किये बिना ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। उन्हें रेलवे के साथ इस कार्य को आरम्भ करते हुए अन्य सभी संघों को बता देना चाहिए कि वह उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे।

हम सारे देश के रेलवे कर्मचारियों से मतदान कराकर देखें और जिस किसी भी मजदूर संघ को वे अपने संघ के रूप में मत दें उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व-स्वरूप का प्रश्न सदा के लिए हल हो जायेगा। सिद्धांत रूप में तो लगभग सभी मजदूर संघ इससे प्रतिबद्ध हैं परन्तु कुछ बन्धन भी हैं और उन्हें सभी जानते हैं। आपकी मजदूर संघीय पृष्ठभूमि में—आपके पीठासीन होते हुए मुझे आपके मजदूर-संघीय गुणों का उल्लेख नहीं करना चाहिए—आप जानते ही हैं कि इस समस्या पर कई बन्धन भी हैं, परन्तु श्रम मन्त्रालय को एक गोल मेज सम्मेलन बुलाकर मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर देखना चाहिये और रेलवे में हमें इस प्रयोग को करके यह देखना चाहिए कि होता क्या है ? उसके पश्चात विस्तृत औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक लाया जाये। यदि उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक उद्योग को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता प्रदान की जायेगी तो प्रश्न सदा-सदा के लिए हल हो

जायेगा, परन्तु हम रेलवे से शुरूआत करके देख सकते हैं। मन्त्री महोदय से मेरा यह विनम्र निवेदन है।

जहाँ तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, संवर्ग पुनरीक्षण की मांग बहुत दिनों से की जाती रही है। प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह सम्पूर्ण हो गई है। मुझे विश्वास है कि अधिकारीगण इससे खुश हैं परन्तु अधिकारी तो बहुत हैं। चिकित्सा-अधिकारी भी है जिनका प्रतिशत लगभग 25 है। अन्य अधिकारियों के साथ उनका संवर्ग पुनरीक्षण नहीं किया गया था, परन्तु सौभाग्य से यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसा कर दिया जायेगा। मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में बताया गया है कि उसे भी शुरू किया जा चुका है। मुझे आशा और विश्वास है कि इसे भी उसी गति से पूरा कर लिया जायेगा जिस तरह से भाड़े में वृद्धि की गई है। मुझे आशा है कि यह प्रकिया शीघ्र पूरी हो जायेगी।

मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं। हम श्रेणी-विहीन तथा अन्य रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अनेक सुविधाएं देते आ रहे हैं। जो कुछ मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है मैं उसी से उदाहरण देता हूं। उन्होंने बताया है कि यह ठीक है कि आवधिक यात्रा-पत्रों में कुछ वृद्धि, जो कि गतवर्ष की गई थी, को छोड़कर 1974-75 से किरायों-भाड़ों में कोई वृद्धि नही हुई है। अन्यथा जहां तक सामान्य किरायों-भाड़ों का सम्बन्ध है, उनमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। परन्तु इनके बावजूद सुविधाएं जुटाई गई हैं और इसका श्रेय उन सभी विगत प्रशासनों को जाता है कि किराए-भाड़ों में किसी प्रकार की वृद्धि किये बिना यह परिवर्तन-विशेष लाया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं उपनगरीय रेलों की समस्याओं की चर्चा करूंगा। ऐसे बहुत से स्थान है, अनेक महानगर हैं जहां कि उपनगरीय सेवाओं में सुधार का प्रश्न अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। बम्बई में, असमान प्रणाली चल रही है। यदि आप पश्चिमी-रेलवे और मध्य रेलवे को ही लें तो, वहां भिन्न-भिन्न प्रणालियां चालू है। जहां तक मध्य-रेलवे में उपनगरीय सेवाओं का सम्बन्ध है वहां अराजकता व्याप्त है। उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को कतई दोष नहीं दूंगा। इसका कारण यह है कि 1950 के लगभग कुछ योजना बनाई गई थी, परन्तु ठीक योजना तैयार नहीं की गई थी। रेकों का इंग्लैंड से आयात किया गया और उनमें से 31% रेकों का प्रयोग कम्प्रेसरों और ट्रेक्शन-मोटरों के लिए जो एक बार ही आई थीं मध्य-रेलवे की उप-नगरीय रेलों में किया गया। जिन्होंने 1950 में इन रेकों का आयात किया था उन्हें इस बात को भी सोचना चाहिए था कि जब इनकी अवधि पूरी हो जायेगी तो उस समय कम्प्रेसरों और ट्रेक्शन मोटरों के वे डिजाइन पुराने पड़ जायेंगे और वे निर्माता इनके निर्माण नहीं करेंगे और आज जो कुछ हुआ है वह यह है कि जहाँ तक इन कम्पनियों का सम्बन्ध है हमारे हिस्से पुर्जे उसमें ठीक नहीं बैठते। उनका कहना है कि ये अभिकल्प पुराने पड़ गये हैं अतः वे इनका निर्यात नहीं कर सकते। जिसके परिणामस्वरूप स्थिति बिगड़ चुकी है। पश्चिमी रेलवे की समस्त सामग्री स्वदेशी है और इसलिए वैसी समस्या नहीं पैदा हुई है। मुझे

आशा और विश्वास है कि इन समस्याओं पर उचित ध्यान दिया जायेगा। चूंकि एक बार 31% रेकों का आयात किया गया था और उसमें से अधिकांश की जीवनावधि समाप्त हो चुकी है तो जहां तक मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवाओं का सम्बन्ध है उसमें समग्रतः अराजकता व्याप्त है मुझे आशा और विश्वास है कि मन्त्री महोदय इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे।

एक और भी पहलू है जिसका मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। एक ऐसी योजना है है जिससे अधिभार में वृद्धि हुई है। जो लोग वातानुकूलित-यान तथा प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं उनके किराये में वृद्धि हुई है। और द्वितीय श्रेणी में जो 50 कि०मी० तक यात्रा करते हैं उनके लिए भी किराये में कुछ वृद्धि की गई है। परन्तु सभी प्रकार के परिवर्तनों के होते हुए तथा तथा आवधिक, मासिक, त्रिमासिक यात्रा-पत्रों में परिवर्तनों के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों के कुछ यात्रा-पत्रधारियों को कष्ट होगा। इसके लिए मैंने एक सुझाव दिया था जब पिछली बार मैंने बजट प्रस्तुत किया था यात्रा-पत्रों की दरों में वृद्धि करते समय, यद्यपि वृद्धि को बाद में 50% घटा दिया गया था, मैंने यह सुझाव दिया था कि इसका एक हल यह देखना है कि आवधिक यात्रा-पत्रों में जो वृद्धि हुई है, चाहे वे मासिक यात्रा पत्र हों अथवा त्रैमासिक यात्रा-पत्र, उसका भार नियोक्ता पर डाला जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हों या कुछ सरकारी या निगम अधिकारी हों हम नियोक्ता से कह सकते हैं कि यह बढ़ोतरी उनके सिर पड़ेगी और यदि ऐसा किया ही जाना है तो एक विधान उसके लिए लाना होगा। मुझे यह देखकर बड़ा खेद हुआ कि हमारी सरकार के गिर जाने के बाद, न ही तो केन्द्रीय स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर इस प्रकार का विधान लाने की बात सोची गई जिसकी सहायता से वृद्धि भार को नियोक्ता पर डाला जाता और कर्मचारियों को कुछ सीमा तक संरक्षण प्रदान किया जाता।

किराये और भाड़े में कुछ वृद्धि हुई हैं। निस्सन्देह कुछ वस्तुओं को छूट प्रदान की गई है। मैं मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा। कि उन्होंने उन वस्तुओं की सूची तो दे दी है जिन्हें 15% के अधिभार से पूर्णतया छूट दी गई है, जैसे घरेलू उपयोग के लिए नमक, चीनी, खाद्यान, दालें, मिट्टी का तेल खाने के तेल और वनस्पति तेल, रासायनिक पदार्थ, जलाने की लकड़ी और तारकोल। ये वे नौ वर्ग है जिन्हें पहले से बाहर रखा गया है और वे विमुक्त हैं। 'परन्तु मैं कुछ वस्तुएं जोड़ना चाहूंगा। कोई भी कृषक उन परिवर्तनों का स्वागत करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पण्डित जी जिन्हें कृषक-वर्ग से गहरी सहानुभूति है, इन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मांगों पर विचार करेंगे।

दृष्टान्तस्वरूप, सब्जी उगाने वाले, जिनमें कुछ प्याज उगाते हैं, कुछ फल पैदा करते हैं जैसे केला, जहां तक केले का सम्बन्ध है एक अत्यन्त ही स्वस्थ परम्परा विकसित होती जा रही है कि महाराष्ट्र में बहुत सी सहकारिताएं बन रही हैं। वे सच्चे अर्थो में सहकारिताएं हैं। कुछ क्षेत्रों में "सहकारिता' शब्द अपशब्द बन गया है। लेकिन केवल केले के मामले में ऐसी बात नहीं है। अतः हमने उन्हें कुछ छूट प्रदान की। जब में मंत्री था और जबकि उन्हें छूट दी गई

थी तो मैंने व्यापारियों के साथ-साथ इन केला उत्पादकों के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि यदि इस छूट का लाभ बिचोलियों को न जाकर स्वयं किसानों को जाता है तो केवल उसी स्थिति में यह छूट विशेष जारी रखी जा सकती है। जब यह बात कही गई तो उस छूट का सारे का सारा लाभ किसानों और केला उत्पादकों को मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें खूब लाभ पहुंचा। अतः मेरा मन्त्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि इस पर विचार करें। मैं चाहता हूं कि इन पर अधिभार नहीं होना चाहिए। परन्तु मुझे यह भी पता है कि अधिभार को रद्द नहीं किया जाएगा। हमें सभी मामलों में शिष्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं मन्त्री रह चुका हूं तो मैं जानता हूं कि एक बार लग चुके सभी प्रकार के उपकरों को बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता, अतः मैं जानता हूं कि अधिभार रद्द नहीं किया जायेगा। परन्तु कम से कम उनमें से कुछ वस्तुओं को जिनका मैंने हवाला दिया है और जो कि कृषि जन्य वस्तुएं हैं उनको पूर्णतया कम कर दिया जाए या मुक्त कर दिया जाए जिससे, कृषकों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र प्रो० रंगा इसका स्वागत करेंगे और हार्दिक एवं बिना शर्त समर्थन देंगे। यह एक ऐसा विषय है जिसे दलीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।

श्री वाई० एस० महाजन : यह तो बड़ा अच्छा सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे माननीय मित्र श्री महाजन भी केलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे मीठे ही नहीं होते, उनकी पैदावार भी बहुत होती है। उनकी खेती अनेकानेक सहकारी समितियां करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि केला तो नकद आमदनी वाली फसल है। हम केले का निर्यात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं जानता हूं। इसके बावजूद भी छूट मिलनी चाहिये।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं इस बजट में एक त्रुटि यह रही है कि इसमें नवीनता नहीं लाई गई है ना ही तो वित्तीय ढंग की या किसी प्रकार की नई योजनाएं तथा नई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। जहां तक नवीनताओं का सम्बन्ध है, उनका एकदम से अभाव है। अतः यह बजट भी लीक पीटने जैसा ही है। यही मेरी सच्ची आलोचना है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पथ पर या भिन्न पथ पर।

प्रो. मधु दण्डवते : मैंने कहा है लकीर पीटना रेल-शब्दावली में पटरी का कुछ भी अर्थ हो सकता है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास है कि न केवल यह सदन अपितु समस्त देश मेरी भावनाओं को समझेगा और सराहेगा। हर संकट काल में, इस देश की यह स्थिति रही है, परम्परा रही है कि रक्षा कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों और रेल-अधिकारियों ने अवसरानुकूल आवाज उठाई है और अपना काम करते रहे हैं। चाहे बाढ़ आई हों, चाहे पुल बनाने हों, चाहे जनता की सुरक्षा, बचाव का प्रश्न हो, वे अपना कर्तव्य निभाते रहे हैं।

मैं एक दृष्टांत दूंगा जिसमें मानवता की छाप गहरी है। कलकत्ता और सियालदाह के निकट जब रुपयों-नोटों से भरे सन्दूक को ताला लगाकर एक कमरे में रखा गया तो बाढ़ आ गई। वहीं एक रेलवे बस्ती है। और बहुत से नोटों के बण्डल पानी के ऊपर तैरने लगे तो रेल कर्मचारियों ने वहां कूद कर अन्य बाहरी लोगों को वहां आने से रोका। उन्होंने पानी में तैरते नोटों के बण्डलों को बटोर कर स्टेशन मास्टर को थमा दिया। जब नोटों को गिना गया तो पता चला कि एक भी रुपया गायब नहीं है। यही तो वह समन्वय है जो संकट के समय दिखाई गई। यह चाहे तमिलनाडु में हो, या आन्ध्र में, या दिल्ली, बंगाल या अन्य कहीं अथवा किसी भी कोने में, जब बाढ़ आती है तो रेल कर्मचारी रेल अधिकारी, रेल अभियन्ता, रेल के प्रशासनक र्म-चारीगण कार्य में जुटे रहते हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छे ढ़ंग से अद्भुत कार्य किया। चाहे देश में संकट हो या देश के बाहर— देश में बाढ़ों के समय और अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के समय तथा नाईजिरिया जैसे देश में यहां नाईजिरिया के रेल कर्मचारियों की आलोचना नहीं करना चाहता, परन्तु यह सच है कि वहां रेल प्रशासन एकदम से जीर्णावस्था में पहुंच चुका था और रेल कर्म-चारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते थे तो हमारे देश ने नाईजीरियन रेलवे को भारी मात्रा में प्रबन्धकीय सहायता दी और आपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में अवश्य पढ़ा होगा कि समस्त विश्व ने नाईजीरियन रेलों की स्थिति सुधारने के लिए भारतीय रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी। मैं उन सभी रेल अधिकारियों, रेल कर्मचारियों और समस्त प्रशासकीय स्टाफ को उनके इस भव्य और महान कार्य के लिए बधाई देता हूं।

यदि रेलवे तथा रक्षा सेवाओं में हमारे पास ऐसा संवर्ग है जो संकट के समय देश की सेवा कर सका है। तब उन्हें ऐसी आदत बनानी चाहिए कि सामान्य समय में भी वह क्षमता-पूर्वक एवं उसी निष्ठा से सेवा कर सके। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते है। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तब रेल मन्त्री के भाषण के अन्त में अभिव्यक्त आकांक्षाएं एवं इच्छाएं पूरी हो सकेंगी तथा रेलवे उचित मार्ग पर चलते हुए अपनी क्षमता बढ़ाते हुए विश्व की आदर्श रेलवे बन सकेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं रेल मन्त्री द्वारा सभा में पेश किए गये प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, परन्तु बजट प्रस्तावों को लेने से पूर्व मैं रेल मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेलवे की कुछ बुनियादी समस्याओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया है।

पूरी अर्थव्यवस्था को कोयले की कमी के कारण धक्का लगा था और हम देखते हैं कि रेल मन्त्री ने 4-5 महीनों में ही प्रतिदिन 500 डिब्बे अतिरिक्त लगा दिए हैं इससे उनकी उपलब्ध संख्या 2700 से बढ़कर 3200 हो गई है। मुझे विश्वास है कि इन मालडिब्बों की उपलब्धता से विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों पर स्टाक बढ़ जायेगा।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे कुल विद्युत उत्पादन का 40 % टन बिजली द्वारा पूरा किया जाता है तथा 60% थर्मल पावर द्वारा पूरा किया जाता है। यदि हम

थर्मल पावर स्टेशनों का सुधार कर पाते हैं, जिनमें कि कोयला ही उपयोग में आता है, तब हमें बहुत लाभ होगा। समझा जाता है कि एक थर्मल पावर स्टेशन पर कम-से कम 15 दिन का स्टाक रखना होता है। परन्तु मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कहीं कहीं तो एक दिन का भी पूरा स्टाक नहीं होता। मेरा रेल मन्त्री से निवेदन है कि मालडिब्बों के यातायात का इस प्रकार समायोजन किया जाये कि अभाव वाले क्षेत्रों को कोयला उपलब्ध हो सके, जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे बिजली घर 60 से 75% क्षमता से कार्य करते रहें हैं जिसे बढ़ा कर 90% किया जा सकता है, यदि कोयला उपलब्ध कराया जा सके तथा यदि पन-बिजली घर भी अपनी क्षमता भर कार्य करने लग जाए तो मुझे विश्वास है कि देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आ जायेगा।

हम ईश्वर के प्रति आभारी है कि मानसून इस वर्ष समय पर शुरू हो गई हैं तथा यदि उचित वर्षा हो जाती है तथा हमारे जलाशय भर जाते हैं तब बिजली की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं होगी, और इससे रेलवे की कार्यक्षमता भी बढ़ जायेगी।

देश के भिन्न भागों में अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करना, तथा मूल्य पर काबू रखना रेलवे की कुशल कार्यक्षमता के कारण संभव हो सका है, इसके लिए मैं रेल मन्त्री को बधाई देता हूं।

तीसरी बात जिसके लिए मैं रेल मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं वह इस वर्ष से निष्पादन बजट व्यवस्था शुरू करने में विशेष प्रयत्न कर रहें हैं। मेरा सम्बन्ध उस राज्य से है जहां पर निष्पादन बजट व्यवस्था पिछले 10 वर्ष से शुरू की गयी थी। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। यदि मुझे ठीक याद है तो प्राक्कलन समिति ने 1978-79 में सिफारिश की थी तथा रेलवे बोर्ड ने समिति को बताया था कि 1979 से निष्पादन बजट व्यवस्था शुरू की जाएगी और अब रेल मन्त्री द्वारा घोषणा की गई है कि उन्होंने रेलवे अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि 1980 से निष्पादन बजट व्यवस्था शुरू करें। परन्तु जो कागजात हमें भेजे गये हैं उनको देखकर मुझे निष्पादन बजट व्यवस्था का उल्लेख कहीं नही मिलता। मैं समझता हूं कि यह कागजात हमें कल दिये गये थे और यह संभव है कि वह भूल से नहीं दिये गये। मैंने सभी पत्रों को ध्यान पूर्वक देखा है तथा मुझे ऐसा कोई समायोजन वित्तीय उपबन्धों एवं भौतिक लक्ष्यों में नहीं मिला, जोकि निष्पादन बजट व्यवस्था का आधार होती है। निश्चय ही रेलवे ऐसा विभाग है जिसमें निष्पादन बजट व्यवस्था बहुत पहले से लागू की जानी चाहिए थी। मन्त्री महोदय ने जब वचन दिया है मुझे ऐसे कोई कागजात नहीं मिले कि रेलवे के विभिन्न विभागों के भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय लक्ष्यों में तादात्मक हों। यदि ऐसा नहीं है तो संसद इस बात का निर्णय नहीं ले सकती कि बजट में रेलवे के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि वर्ष के दौरान ऐसा सह-सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। निश्चय ही हमें बताया गया था रेलवे विभाग अभी भी सोच रहा है कि संसद सदस्यों को कागजात उपलब्ध करने के लिए कौनसी मानक पद्धति को अपनाया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसी पद्धति को न अपनाया

जाए जिसे संसद सदस्य नहीं समझते । निश्चय ही हम यह पसंद करेंगे कि बजट-पत्र अधिक बोधगम्य ताकि हम सही रूप से समझ सकें कि कितने धन की व्यवस्था की गई है और यह साफ रूप से बताया जाना चाहिए कि उस धन से वर्ष के अन्त तक कितना कार्य हो सकेगा, तब हम निश्चय ही अपना निर्णय ले पायेंगे कि किसी विशेष कार्य के लिए उपलब्ध किया गया धन उपयुक्त है, अथवा यह विभाग की आवश्यकताओं से न्यून रहेगा, अथवा क्या योजना आयोग रेल मन्त्रालय की किसी मांग में कटौती करने में सही है, अथवा नहीं । मैं चाहता हूं कि निष्पादन बजट व्यवस्था को सही रूप में इस वर्ष के दौरान लागू किया जाये ताकि जब अगले वर्ष के बजट पत्र उपलब्ध किये जायें तब इसे वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का स्पष्ट रूप पता चल सके ।

तीसरी बात जिस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं तथा रेल मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं वह लखनऊ में स्थित अनुसंधान और विकास प्रमाण के बारे में है जोकि देश में उपयोगी कार्य कर रहा है तथा जिसने विभिन्न अनुसंसान-क्रियाकलापों द्वारा सुरक्षा उपकरण जुटाये । वह एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य है ।

अगली बात रेल इण्डिया तकनीकी और आर्थिक सेवा के बारे में है, जोकि रेलवे के अधीन एक प्रतिष्ठान है, जिसने कि ईराक सरकार के साथ ईराक रिपब्लिक रेलवे को डिजाइन तथा सामान्य इंजीनियरिंग सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए करार किया है । हमने इस प्रतिष्ठान द्वारा किए गए जोर्डन सरकार के साथ अकाबा रेलवे कारपोरेशन पद्धति को तकनीकी और प्रबन्ध समर्थन सेवाओं के बारे में करार को भी नोट दिया है निश्चय ही हम उम्मीद करते हैं कि वह पहले स्थानीय आवश्यकताओं पर अपनी शक्ति केंद्रित करेगा तथा यदि उसके बाद कुछ फालतू बचता है तभी उसे विश्व के देशों के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए ।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री महोदय ने बड़ी सुहृदयता से यह घोषणा की है कि वे रेलवे अभिसमय समिति का गठन करना चाहते हैं जिसे, वास्तव में, उन कारणों से गठित नहीं किया जा सका, जिन्हें प्रो० दण्डवते से अच्छी तरह कोई नहीं जानता । जिस रेलवे अभिसमय समिति का गठन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया जो कि वास्तव में इस बात का एक कारण रहा है कि अनेक चीजें पीछे छूट गई हैं । अन्य मुद्दा जो मैं···चाहूंगा··· **(व्यवधान)** ।

प्रो० मधु दण्डवते : जब संसद ही भंग हो गई तो यह अपने आप ही भंग हो गई ।

श्री एस०बी० चव्हाण : नया सदस्य होने के नाते आपको उदारता बरतनी चाहिये ।

दूसरे जिस मुद्दे पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति—जिसको सरकार ने योजना आयोग ने नियुक्त किया था, के बारे में हैं, जिसका एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है । मुझे बताया गया था कि एक ऐसे सदस्य भी थे जो अपनी विमति-टिप्पणी भी देना चाहते थे । मुझे यह भी बताया गया है कि इस टिप्पणी को भी

योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। जब तक इस समिति का प्रतिवेदन संसद सदस्यों को उपलब्ध नही करा दिया जाता, यह जानना बड़ा ही कठिन हो जायेगा कि रेल मन्त्रालय किस आधार पर बहुत सारे प्रस्ताव प्रस्तुत कर सका है।

आरम्भ में ही मैं बता देना चाहता हूं कि तदर्थ रूप से बहुत कार्य हो रहा है। हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इस समस्या पर विस्तार से ध्यान दिया गया हैं। वास्तव में, हमें परिवहन के भिन्न-भिन्न तरीकों के बीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह इसका एक पहलू है। दूसरी क्षेत्रीय असन्तुलन पर जोर देने के बारे में है। इनको हटाना होगा। किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चलता कि इन क्षेत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करने के लिये रेल-मन्त्रालय ने विशेपतया कौन से उपाय किये हैं।

वास्तव में, यह भी उन मुख्य कारणों में से एक है जो कि असम में घटित होने वाली घटनाओं के लिये उत्तरदायी है। असम को इन क्षेत्रीय असन्तुलनों के कारण ही अब कष्ट उठाना पड़ रहा है। इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका। यदि इसी प्रकार की बातें उन अन्य क्षेत्रों में भी भड़कने लगे जहां क्षेत्रीय असन्तुलन व्याप्त है तब तो, निश्चय भी भावनायें उमड़ती हैं और हमें उसी प्रकार के असंतोष का सामना करना पड़ता है, जिसको कि हम बहुत ज्यादा पसन्द नहीं करते। कारण चाहे कुछ भी रहे हों, आपको एक प्रकार का समन्वयवादी दृष्टिकोण रखना होगा। रेल मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया वे यह बात ध्यान में रखें कि रेलवे को एक प्रकार की मास्टर-प्लान तैयार करने की आवश्यकता है जो आगामी 20 से 25 वर्षों के लिये हो जिसमें आप कह सकें कि वे कौन से क्षत्र हैं जिन्हे आप क्षेत्रीय असन्तुलन मिटाने के लिये राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लेना चाहते हैं। समग्र रेल-प्रणाली के बारे में आपकी क्या योजना है? सच तो यह है कि हमें इस प्रकार क दस्तावेज रेल मन्त्रालय से मिलने चाहियें। तत्पश्चात, निश्चय ही, यदि किसी प्रकार संशोधन आवश्यक हुआ तो संसद सदस्यों को अपनी वुद्धिमानी से सुझाव देने चाहियें। मुझे विश्वास है कि स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक संशोधनों का सुझाव वे दे सकेंगे।

दूसरी बात जिस पर, मैं चाहता हू कि रेल मन्त्री महोदय विचार करें, उस प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में है जिसको सन 1970 में स्थापित किया गया था। जहां तक रेलवे -बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, उसने कुछ अत्यन्त ही मूल्यवान सुझाव दिये थे। यदि सूचना यह है कि उन सुझावों को लागू कर दिया गया है तब तो जब वे इस चर्चा का उत्तर देंगे तो मन्त्री महोदय से यह जानने का निश्चय ही हमारा अधिकार है कि क्या इसका संचरण नीचे की ओर रेल मन्त्री से रेलवे-बोर्ड और रेलवे-बोर्ड से क्षेत्रीय-प्रबन्धकों तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकों से मन्डलीय अधीक्षकों तक हुआ है यदि उसका प्रभाव उस स्तर तक हुआ है तो निश्चय ही रेल-मन्त्रालय और अधिक प्रभावकारी हो जाएगा। अन्यथा, यदि प्रत्येक वस्तु यदि रेलवे-बोर्ड या रेल-मन्त्री में आकर सीमित हो गई, एकाग्र हो गई, तब, तो इस उपक्रम की वाणिज्यिक प्रकृति पूर्णतया अप्रचलित हो जायेगी। और आप लोगों की उन आवश्यकताओं को पूरा न कर सकेंगे जो कि वास्तव में महती आवश्यकता है और वह भी निश्चित समय में।

महोदय, जब कभी भी अधिकार या सत्ता समर्पण का प्रश्न उठता है तो सदैव उच्च-प्राधिकरण ही, उच्चाधिकारी ही अगले निम्नाधिकारी को सत्ता का समर्पण करता है। उसके पश्चात यह रुक जाता है और नीचे संचरण नहीं करती। समर्पित सत्ता के बावजूद भी हम पाते हैं कि एक रवैया है कि जब अधिकार एक अधिकारी-विशेष को सौंप दिये जाते हैं तो वह अपनी ही कल्पना से अपने से ऊंचे वाले अधिकारी को लिखता है जिससे कि वह मामले से साफ-साफ बचा रहे। हमें ऐसे रवैये को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये । यदि कोई अधिकारी जिसको अधिकार सौंपे गये हैं, अपने उच्चाधिकारी को बताना चाहता है तो उच्चाधिकारी को चाहिये कि ऐसे प्रेषण को मानना अस्वीकार कर दे। और उससे कहे कि वह स्वयं अपना निर्णय लें। मेरा निवेदन है कि जोर इस बात पर होना चाहिये कि अधिकारों, सत्ता का उपयोग उसी व्यक्ति को करना चाहिये जिसे वह सौंपी जाए और किसी उच्चाधिकारी को वह कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि वास्तव में उसके सीमा क्षेत्र या कार्याधिकार क्षेत्र में नहीं है।

महोदय, जो दूसरा मुद्दा मैं मन्त्री महोदय के समक्ष उठाना चाहता हूं वह रेलवे की कार्यान्विती से प्रभावित अर्थव्यवस्था है। किसी भी वित्तमन्त्री या रेलमन्त्री को जो कार्य करना पड़ता है वह तो बहुत स्पृदृष्टनीय नहीं है उसे कुछ कर लगाने पड़ते हैं और अतिरिक्त धन जुटाने के लिये किरायों और भाड़ों में वृद्धि करनी पड़ती है उससे कोई छुटकारा नहीं है यदि उन्हें हमारी मांगों के अनुसार नई रेलवे लाईनें बिछानी है उनमें परिवर्तन करना है तो निश्चय ही उन्हें उसके लिए धन स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। जब कभी भी किराये में वृद्धि होती है, चाहे द्वितीय श्रेणी में हो या प्रथम श्रेणी में हम सबको बुरा लगता है फिर चाहे उससे बचा जा सकता था या नहीं। यदि इससे नहीं बचा जा सकता था तो निश्चय ही कोई भी व्यक्ति शिकायत न करेगा। इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी पता करना चाहिये कि रेलवे के नाम पर विदेशों में कुछ प्रतिष्ठान क्योंकर है, और उन देशों में अभी भी कार्यरत हैं। यदि यह सच है तो निश्चय ही इसे कम करने का क्षेत्र है। आजकल हम मुश्किल से ही किसी वस्तु का आयात कर रहे होंगे। अतः विदेशों में इन प्रतिष्ठानों के बनाये रखने का कोई कारण ही नहीं बनता।

और फिर महोदय, मुझे बताया गया है कि एक भाड़ा-न्यायाधिकरण भी अभी चल रहा है। हमारी समझ में यह बात नहीं आई कि आखिर इस न्यायाधिकरण का काम क्या है। कोई भी तो इस न्यायाधिकरण के पास नहीं जाता, परन्तु यह फिर भी जमा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस न्यायाधिकरण को चलाते रहने के पीछे क्या कारण हैं। दूसरे, चोरियां भी बड़े पैमाने पर होती हैं और खोई हुई सम्पत्ति के लिए सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत धन देना पड़ता है। यदि इसमें उल्लेखनीय कमी कर दी जाये तो मुझे विश्वास है कि जितना धन हम रेलवे वाले से अपेक्षा करते हैं, वह प्राप्त हो सकेगा और रेलमन्त्री महोदय को भी वांछित बधाईयां जो वे सदन से अपेक्षा करते हैं, मिलेंगी।

जहां तक असली बजट की बात है, मैंने जो आंकड़े यहां देखे हैं उनसे तो लगता है कि बजट का रुख बहुत ही रूढ़िवादी रहा है। जो बजट प्राक्कलन अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय

पहले प्रस्तुत किये गये थे और यह जो नया बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें हम पाते हैं कि कुल जोड़ प्राप्तियां 27-9 करोड़ रुपये की हैं। कार्यगत खर्चे 2415 करोड़ रुपये के हैं और कुल यातायात प्राप्तियां लगभग 333 करोड़ रुपये की हैं। इसमें से घटाया गया कुल मिला-जुला खर्चा निकलता है और उसमें से सामान्य राजस्व को देय लाभांश भी निकलता है। इसके बाद, कुल अधिशेष 42 : 71 करोड़ रुपये का निकलता है। लागत-पूंजी सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करने से पहले, कुल राजस्व का प्रतिशत जो मार्च, 1980 में प्रस्तुत किये गये बजट प्राक्कलनों में 4.9% था वह बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है।

मैं कहता हूं कि चाहे कैसे भी क्यों न हो 6.2 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना बड़ी ही सन्तोषजनक बात है। यदि प्राप्तियों को कम करके प्राक्कलित किया गया है तो मैं उस स्थिति को समझ सकता हूं क्योंकि इस प्रकार के सभी मामलों में ऐसा ही होता है। भाड़े से राजस्व कमाने वाले यातायात में वृद्धि होती है यह पहले 2140.7 लाख टन था और यह उसी स्तर पर रुका हुआ है। यह 194 लाख टन और 214 लाख टन के बीच ऊपर नीचे होता रहा है। मेरे मित्र सविस्तार विवेचन कर रहे थे कि यह वह कुल भार नहीं है जिसको महत्व दिया जाए या जिसकी कि गणना की जाए परन्तु किलोमीटरों में भार की गणना अत्यन्त ही संगत है। जहां तक उस मामले का सम्बन्ध है, यदि बात ऐसी ही है, तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिये कि ऐसा क्योंकर है जो हम पाते हैं कि इस भाड़े के कारण कुल राजस्व किसी प्रकार की अनुकूल वृद्धि दर्शाने के बजाय कमी दिखा रहा है। यदि लम्बी दूरी के यातायात में कम भार ढोया जाये तो निश्चय ही मैं इसका औचित्य समझ सकता हूं। परन्तु इसका कुल परिणाम जो हमने पाया वह यह है। इस भाड़े-यातायात आमदनी से हुई कुल प्राप्तियां ज्यादा होने के बजाय और घट गई है। उनमें 1976 के बाद कमी आई है। 1977-78 में भाड़े के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां कम हो गई है। यह कहने में मुश्किल से ही कोई स्पष्टीकरण बनता है कि भार में तो कमी अवश्य हुई है परन्तु इसी के साथ किलोमीटरों में वृद्धि कर दी गई है। यदि बात ऐसी ही, तो इसे कुल आय में दिखाया जाना चाहिये। कुल आय में तो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दिखाई गई है। तभी तो यह लगता है कि श्री मधु दण्डवते अपनी गणना सही नहीं कर पाये हैं। हम मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहते हैं कि जब वे इस चर्चा का उत्तर दें तो, यह बताएं कि श्री मधु दण्डवते का यह कथन किस सीमा तक सही है।

मैं केवल दो या तीन उन बातों का उल्लेख करूंगा जिनका जिक्र मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है एक तो उन कुछ रेलों की गति बढ़ाने का जो आज से दो तीन वर्ष पूर्व चलाई गई थी। उन्होंने मनमाड-औरंगाबाद रेलवे लाईन और गुन्टकल—बंगलौर लाईन का भी तथा नडियाड—कपड़वंज लाइन का उल्लेख किया था। मनमाड-औरंगाबाद वाली लाइन तो 2½ वर्ष में पूरी होनी थी। जब श्री मधु दण्डवते रेल मंत्री थे तो उन्होंने बचन दिया था कि वे मनमाड-औरंगाबाद लाइन 2½ वर्ष में पूरा कर देंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि यह कब पूरी होगी। यह महाराष्ट्र राज्य का भूतपूर्व-हैदराबाद भाग है। मैं यह बात सदन में कह सकता हूं। (विरोधाभास के किसी प्रकार के भयरहित) कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के

भूतपूर्व हैदराबाद के भागों पर वह ध्यान नहीं दिया गया है जैसी कि भाषाई प्रान्त बनाते समय आशा की गई थी। जब हम महाराष्ट्र में जाने की मांग करते थे तो हमारे मानस में सदैव यही बात रहती थी कि बम्बई एक समृद्ध राज्य होने के नाते हमें भी विकास के लिये धन का बड़ा हिस्सा मिलेगा **(व्यवधान)**। विधान-सभाई स्तर पर तो चर्चा चल रही है मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि यहां तक केन्द्रीय स्तर पर भी ऐसी बात होनी चाहिये। पंडित जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल यही एक रेलवे लाइन गत तीस वर्षों में वहां बिछाई गई है। अन्यथा, रेलवे विभाग ने मुश्किल से ही और कोई कार्य उस क्षेत्र में किया है। पंडित जी इतनी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकते परन्तु राज्य मन्त्री तो कर सकते हैं। वे आकर देखें कि उस क्षेत्र की क्या स्थिति है। आप यात्रियों को सुविधाओं की बातें करते हैं, रेलों में भीड़ की बातें करते हैं कृपया स्वयं वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करें। हैदराबाद राज्य क्षेत्र को तीन टूकड़ों में विभाजित किया गया है। मेरी आकांक्षा है कि रेल मन्त्री और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहिये।

हमें आप पर बहुत विश्वास है इसलिए मैं इस विषय की चर्चा कर रहा हूं ताकि इस पर ध्यान दिया जाये। उस क्षेत्र से आये प्रस्ताव बहुत ध्यान देने योग्य है अगर दूसरे दृष्टिकोण से नहीं तो कम से कम भूतपूर्व हैदराबाद के सबसे पिछड़े क्षेत्रों की सेवा करने के दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाना चाहिए। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तब हर व्यक्ति ऐसा सोचते हुए प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, मानो महाराष्ट्र में कोई पिछड़ा इलाका ही नहीं है, जैसे वहां कोई दुर्गम्य क्षेत्र नहीं है। वास्तव में वहां भी सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। पण्डितजी मन्मद से औरंगाबाद वाली लाइन का उद्‌घाटन करने के लिए आने वाले थे किंतु किसी कारण से वे नहीं आ सके। मेरी उनसे विशेष प्रार्थना है कि वे वहां आयें और देखें कि रेलवे प्रशासन किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (रेल मंत्री): मैं वायदा करता हूं कि मैं आऊंगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसके लिए आपको धन्यवाद। आप वहां एक बार आइये मुझे विश्वास है कि शेष मामला ठीक हो जायगा।

आपने दो लाइनों के सर्वे का उल्लेख किया है। एक निजामाबाद-रामगुण्डम लाईन है यह एक महत्वपूर्ण लाइन है जिसकी चर्चा मैंने अन्तरिम बजट के समय की थी। रामगुण्डम को वरास्ता बिलोली और देगलूर, से होकर कुर्डवादी से जोड़ना है। यह एक क्षेत्र है जिसे आपने चुना है। जब आप सर्वे करेंगे तब पायेंगे कि यह भी एक लाभदायक लाइन होगी। मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि दोनों सामरिक व वैकल्पिक लाइन रखने के दृष्टिकोण से उत्तम है। रामगुण्डम को कुर्बवादी से जोड़ना बहुत आवश्यक है। मैं संगारेड्डी व मेडाक से होकर जाने वाली पटानचेरू-पेड्डापल्ली लाइन के महत्व पर जोर दे रहा हूं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आप आन्ध्रप्रदेश के बारे में क्यों बोल रहे हैं ? महाराष्ट्र के बारे में आप क्यों नही बोलते ?

श्री एस बी. चव्हाण : दुर्भाग्य से, में पिछले समय को नहीं भूल सकता हूं । हमारा आन्ध्रप्रदेश से निकट का सम्बन्ध रहा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : वर्तमान की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

श्री एस बी. चव्हाण : मैं इस लाइन को बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं । मेरा तीसरा प्रस्ताव जिस पर मैं अधिक जोर देता हूं और अध्ययन के लिए सभी कागजात जो मेरे पास हैं, देने के लिए तैयार हूं । यह मनमद औरंगाबाद लाइन परभनी जाती है और उसके बाद पार्ली-वैजनाथ को मुड़ती है । यदि यह मुदखेद्र तक बढ़ाई जाती है और आन्ध्रप्रदेश में अदीलाबाद ले जाकर मुख्य लाइन घुघुस से जोड़ दी जाती है तो मुझ विश्वास है कि कोयले के परिवहन से और विकाराबाद से पाली वैजनाथ क्षेत्र में वार्षिक तीन से चार करोड़ रुपये की बचत होगी । हम लाइन निर्माण करने में लगी लागत को 15 से 20 साल के अन्दर वापस प्राप्त कर सकते हैं ।

रेल मन्त्री महोदय ने जिला चन्द्रपुर की वानी चौका जगह जहां सीमेंट उत्पादन किया जा रहा है, में छोटी लाइन ले जाने की बात कही है । सीमेंट और कोयले का परिवहन इसी लाइन पर होगा । कुछ सिचाई परियोजनाओं का निर्माण भी इस क्षेत्र में हुआ है । अगर कृषि-उत्पाद को बम्बई के बाजार लाया जाता है तो मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के कृषक जो आज कीमत प्राप्त कर रहे हैं उससे 25 प्रतिशत से अधिक कीमत प्राप्त करेंगे । महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति का गठन इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था कि ऐसी लाइन महाराष्ट्र के भूतपूर्व-हैदराबाद भाग को बम्बई से न जोड़ने के क्या परिणाम रहा है । लोकनाथन समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें कहा गया है कि ये सुविधाएं न होने के कारण कृषकों को कृषि-उत्पाद की कीमत में 25 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है । अगर बम्बई से इस क्षेत्र को सीधा जोड़ दिया जाय तो निश्चित रूप से कृषकों को अपने कृषि-उत्पादों के लिए अधिक कीमत मिलेगी । अत: मेरा आप से निवेदन, कोयले के परिवहन को चन्द्रपुर के कोयला क्षेत्र से नासिक और पार्लीवैजनाथ के बारे में है । उज्जैन में एक तापीय विद्युत केन्द्र को अब स्वीकृति दी गई है जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी । अगर इन सभी तापीय विद्युत केन्द्रों को इन लाइनों से कोयला भेजा जाता है तो मुझे विश्वास है कि लगाया गया सारा धन शीघ्र ही वापस प्राप्त हो जायेगा । इसलिए इन लाइनों को प्राथमिकता दी जाए और देखें कि उन्हें स्वीकृति दी जाती हैं और उस पर जल्दी काम शुरू होता है ।

अब मेरे केवल दो निवेदन और हैं । जब कभी हम रेल मन्त्री महोदय से मुख्य लाइन पर नई रेलगाड़ियां शुरू करने का निवेदन करते हैं तो जवाब यही होता है कि लाइन की क्षमता नहीं है और बम्बई वी०टी० में गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है । इसीलिए वे यह कहते रहते हैं कि इस लाइन पर नई गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है । इस भीड़भाड़ को दूर करने के लिए में दूसरी सलाह कल्याण को अहमदनगर से जोड़ने और उसे पुन: पार्ली-वैजनाथ और मदखेड तक बढ़ाने के लिए, देता हूं । अगर इसे किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि यह

वैकल्पिक लाइन होगी। घाट सेक्शन पर दबाव कम होगा। यह एक अतिरिक्त (लूपलाइन) लाइन होगी और पूर्णतः नयी होगी जो वास्तव में मुख्यतः कोयला और दूसरी आवश्यक वस्तुओं जिसकी बड़ी जरूरत है, को ढोने के लिए उपयोग होगी। मुख्य लाइन पर जो दबाव है वह बहुत हदतक कम होगा।

अब मेरा अन्तिम प्रश्न है कि नान्डेड रेलवे स्टेशन में छाया की व्यवस्था नही है। ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्लेटफार्म अभी भी निम्न स्तर का है, उसे ऊंचा करने की आवश्यकता है। मैं नही जानता कि रेलवे के अहाते तक पहुंचने के लिए करीब 3 फर्लांग की दूरी की सड़क के लिए भी रेलवे बोर्ड से स्वीकृति की आवश्यकता है यदि ऐसा है तो शक्तियों का प्रत्यायोजन कहां है ? अगर ऐसे छोटे छोटे मामलों को स्थानीय व्यक्ति नही निपटा सकता जैसे कि 3 या 4 फर्लांग की दूरी से रेलवे सड़क से मिलाने का काम स्थानीय व्यक्ति के अधिकार में नहीं है तो यह कोई शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं है।

आपने एक ऊपरी पुल का निर्माण किया है परन्तु सभी यात्रियों से यह आशा की जाती है कि वे केवल एक ही दरवाजा से जाएंगे। कारण यह है कि आपके पास स्टाफ नहीं है। आपके पास टिकिट कलेक्टर नहीं हैं। ऊपरी पुल होने के वाबजूद, उनका कहना है कि उनके पास स्टाफ नहीं है, यात्रियों को केवल एक ही दरवाजा से जाना पड़ता है। इससे ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जो वास्तव में बहुत खराब है। उस स्टेशन की पूरी मरम्मत की जरूरत है। दूसरी सुविधाओं के साथ रिटायरिंग रूम (विश्राम कक्ष) की व्यवस्था करनी होगी। वर्षा और गर्मी के महीनों में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

पिछले बार भी मैंने मनमड स्टेशन जो एक जंक्शन है, के बारे में चर्चा की थी। यह एक ऐसा स्टेशन है जहां कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सैकड़ों और हजारों लोगों को रुकना पड़ता है। अगर उनकी गाड़ी छूट जाती है तो कोई नहीं जानता कि उन्हें कौन-सी दिक्कतों से गुजरना होगा। जिस प्रकार की स्वच्छता वहां पाई जाती है वह ऐसी है कि उसके लिए रेलवे अधिकारी शर्मिन्दा महसूस करेंगे। वास्तव में यह सबसे गंदा स्टेशन है मैं अधिकारियों से निरंतर वहां और अधिक कक्ष की व्यवस्था करने और खराबियों को कम से कम करने हेतु कदम उठाने के लिए निवेदन करता रहा हूं। आप उसे पूर्णतः खत्म नही कर सकते हैं। कम से कम इतना आप देख सकते हैं कि यात्रियों को तकलीफ नहीं हो रही है।

रेल मंत्री महोदय के विचार हेतु ये मेरे सुझाव हैं। मुझे विश्वास है कि वे इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री जयदीप सिंह (गोधारा) : उपाध्यक्ष महोदय रेल बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कुछ बातों पर मैं जोर देना चाहूंगा। उनकी चर्चा करने से पूर्व मैं प्रो० दंडवते के अच्छे भाषण को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। एक चीज उनके भाषण में मिली चाहे उसके बारे में हम कुछ भी कहें कि उन्हें यात्रियों के भाड़े बढ़ाये जाने व अधिभार और दूसरे सब किराये बढ़ाये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। अतः मैं जानता हूं कि वे इस बात से सहमत हैं।

परन्तु वास्तव में यह अपरिहार्य है क्योंकि पिछले कुछ सालों में रेलवे प्रशासन इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है कि मैं समझता हूं हम लोग इस स्थिति में पहुंच जायेंगे जहां मंत्री महोदय भी इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर हम जो कुछ कर सकते हैं रेलवे को भी अपने विकास के लिये कोष बनाना पड़ता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया है। इस क्षण मैं आंकड़ों के विवरण देने नहीं जा रहा हूं और न ही मैं प्रो० दंडवते की तरह आंकड़ों की जादूगरी करने में कुशल हूं। एक दो बातों का उन्होंने यहां उल्लेख किया कि नेट टनभार या किलो मोटर उनके समय 1977 -78 में 21,50,000 या 2000 लाख तक बढ़ा था मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि यह 1976-77 के प्रोत्साहन के कारण संभव हुआ। मुझे मालूम नहीं कि वे इस बात को मानते हैं या नहीं। तत्पश्चात निःसदेह उन्होने दूसरे साल जब गिरकर 1,46,000 हो गया जो पिछले साल के पहले वाले साल से बहुत कम था, उसका उल्लेख करना बड़े आसानी के साथ अस्वीकार कर दिया। मैं नहीं जानता कि वे कौन सी बात सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। जब लंबी दूरी के यातायात में सुधार के बारे में बात कर रहे थे तब यह भूल गये कि यदि ग्रांकडों को पुस्तक में देखते हैं तो रेलवे की कार्य वाहियां भी समय बीतने के साथ अनुपात में बढ़ी है जिससे यह सिद्ध होता है कि रेलवे की कार्यकुशलता कम हुई है। अतः इन सब चीजों की देखने के बजाय, मैं नहीं सोचता कि यह हम किसी निष्कर्षात्मक स्थिति में पहुंचेंगे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के एक सबसे आधुनिक व्यवस्था हमारे पास रेलवे में है। इसने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण काम किया है और भविष्य में भी हमारे देश और इसके विकास में इससे सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि भारत में रेलवे के विकास को बहुत महत्व देना होगा। मैं जो कहन जा रहा हूं वह यह है कि यदाकदा हम कोष अप्रर्याप्त होने की बात करते हैं मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी प्राथमिकताएं रेलवे को दी जा रही हैं वे कम हैं अधिक प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि गुजरात जैसे राज्य में, उदाहरण के लिए, बहुत सारे उद्योगों का विकास होने को है जो कई कारणों से रुका हुआ है और उन कारणों में से यह है कि वहां संचार के साधन नहीं हैं। वहां विस्तृत क्षेत्र हैं जहां मूल रूप से आदिवासी आबादी है। इन क्षेत्रों में खनिज और अन्य प्रकार की सम्पदा है। म्हाई नदी पर कादना बांध कुछ सालों में तैयार होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा कृषि आधारित उद्योग एवं पेट्रोरासायनिक उद्योग और ऐसा उद्योग समूह होगा।

इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या यह है कि एक बार जब ये चीजें आने लग जाएंगी तो सड़क परिवहन उनका परिवहन नहीं कर पायेगा, यह तो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों का परिवहन कर सकता है परन्तु माल तो रेल से ही ढोना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कुछ क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन लगभग 100 मील दूर होता है। इन क्षेत्रों में नई लाइनें अग्रता के आधार पर सोची जानी चाहिए। बहुत वर्ष पहले इनमें से कुछ क्षेत्रों में छोटी लाइनें थीं परन्तु उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। मुझे छोटी लाइनें न जारी रखने का तर्क तो समझ में आता है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि हमें किसी तरह की रेल व्यवस्था की

जरूरत नहीं है । परन्तु इस विषय में कुछ भी नहीं किया गया । भारी सामान लाया-ले-जाया नहीं जा सकता । यदि छोटी लाइन नहीं जारी रखी तो स्पष्टत: रचनात्मक कार्य यही होता कि मीटर गेज अथवा बड़ी लाइन की व्यवस्था की जाये । छोटी लाइन के स्थान पर कुछ तो किया ही जाना चाहिये । मैं समझता हूं इससे इस क्षेत्र के विकास को सहायता नहीं मिलेगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा है, गुजरात में गोधरा-लोनावाल-बांसवाड़ा-चित्तौड़गढ़ लाइन को भी लिया जाये; इसमें वे क्षेत्र आ जायेंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है ।

वहां पर बड़े-बड़े जंगल एवम् खनिज की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं । दक्षिण में ; गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कोई संचार साधन नहीं है । मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे को केवल दो स्थानों पर सूतर और नागदा पर जोड़ा गया है और यह दूरी 700 मील की है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कोई साधन नहीं है यद्यपि यह 200 मील अथवा 150 मील पड़ता है । मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में एक और रेलवे लाइन बिछाने पर विचार किया जाये ताकि माल का एवण् सवारियों का आना जाना सरल हो जाये ।

मुझे पता चला है कि एक कोच वर्कशाप की योजना तैयार हो रही है । मैं नहीं समझता उसे गुजरात में स्थापित करने पर विचार किया गया होगा । मैं समझता हूं कि यदि वर्कशाप बनाई जानी है तो उसे गुजरात में लगाने पर विचार किया जाना चाहिये । क्योंकि पश्चिमी रेलवे की अधिकांश रेल लाइनें और जिन लाइनों के विस्तार की बात सोची जा रही है वे लाइनें गुजरात में ही हैं । गुजरात में बिजली की कमी कम है, पानी पर्याप्त है, ऐसी वर्कशाप के लिए आधारभूत सामान आसानी से मिल सकता है । यदि उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो उसे अब किया जाये और मन्त्री महोदय, से मेरा निवेदन है कि इस बारे में निर्णय लिया जाये ।

गुजरात की सामान्य स्थिति यह है कि यह छोटे स्वतन्त्र राज्यों से मिलकर बना है जहां थोड़ी दूरी की छोटी रेलवे लाइनें थीं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी । अब अहमदाबाद से पोरबन्दर तथा कांडला कच्छ से लखपत तक बड़ी लाइन बनाने की योजना है । मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । मैं समझता हूं कि इस काम को अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि पंडित जी तेज नहीं चल सकते ।

श्री जगदीप सिंह : हर बार ऐसे कार्य हाथ में लिये जाते हैं । परन्तु यह कागजी योजनाएं होती हैं । किसी न किसी कारण से इन सभी क्षेत्रों में प्रगति बहुत धीमी होती है

क्योंकि कोई भी कार्य पूरे नहीं होते और पुराने कार्यों को नए कार्य आरम्भ करने की उत्सुकता में समाप्त कर दिया जाता है एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कोई नही जानता कि इस बारे में क्या किया जाये।

मैं समझता हूं कि इस अहमदाबाद-पोरबन्दर लाइन पर शीघ्र काम शुरू किया जाना चाहिये क्योंकि इससे सभी मौसमों में कार्य करने वाले पोरबन्दर पत्तन से और खुले समुद्र से संचार व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जो कि उत्तर भारत के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी।

आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे तथा उस दिशा में कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मार्च के महीने में जो अन्तरिम बजट पेश किया गया था और उस समय जब भाड़ों में बृद्धि नहीं की गई थी, तो उसी समय हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि आगे आने वाला जो बजट होगा, वह बजट निश्चित रूप से, चाहे वह सामान्य बजट हो या रेल विभाग का हो, जन-विरोधी बजट होगा। मंत्री महोदय ने जो बजट यहां पेश किया है, उससे यह स्पष्ट है कि अपने को लोकप्रिय सरकार कहलाने का दावा करने वाली हुकूमत लोकप्रिय कहलाने की हकदार नहीं है।

आप देखें द्वितीय श्रेणी के भाड़े में बृद्धि की गई है और रेल विभाग की ओर से जो किताब हम लोगों को दी गई हैं उसके मुताबिक ९7 प्रतिशत यात्री द्वितीय श्रेणी में सफर करते हैं। प्रथम श्रेणी में जितने यात्री सफर करते हैं यदि उनके आँकड़ों को देखा जाय तो उनमें आधे से अधिक पास-होल्डर मिलेंगे। इसी तरह से जो एअर-कण्डीशन में सफर करते हैं, आप जो वातानुकूलित गाड़ियों में सफर करते हैं, उनमें 90 प्रतिशत लोग पास होल्डर होते हैं, जिनको आपने विशेष सुविधा दे रखी है। एम०पी० लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन रेलवे के साधारण कर्मचारी जो आफिसर ग्रेड में हैं, वे सफर करते हैं। इनसे आपको कोई राजस्व नहीं मिलता है, राजस्व तो आपको केवल द्वितीय श्रेणी से मिलेगा, लेकिन उन पर आपने भाड़े को बढ़ाने का बोझ डाल दिया है और वह भी एक या दो परसेंट नहीं है, बल्कि 10 परसेंट और साढ़े बारह परसेन्ट बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में आप का यह बजट निश्चित रूप से जन-विरोधी है, जनता के हित में, गरीबों के हित में कतई नहीं है।

इन्होंने अपनी किताब में पिछली सरकार की चर्चा की है और कहा है —"पिछली सरकार से विरासत से मिली अर्थव्यवस्था को कितनी गम्भीर क्षति पहुंची है।" मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार से विरासत में मिली अर्थ-व्यवस्था कैसे खराब है ? प्रो० मधु दण्डवते जी यहां पर बैठे हुए हैं, जब जनता पार्टी की सरकार यहां बनी तो प्रो० मधु दण्डवते

जी ने तीन साल रेलवे का बजट यहां पेश किया और तीनों सालों में मुनाफे का बजट यहां पर पेश किया, 126 करोड़ रुपया आपके खज़ाने में गया। इसलिये मैं पूछता हूं कि आपके रेलवे डिपार्टमेंट को ऐसा क्या मिला जो आप बार-बार ऐसा कहते हैं, जैसे हर मर्ज की एक ही दवा है—विरासत में मिली अर्थव्यवस्था, विरासत में मिली अर्थ व्यवस्था ?

आप बच्चों के लिये बहुत शोर मचाते रहे हैं, हमेशा यह कहते रहे हैं कि वे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके इस स्टेटमेंट में बच्चों के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा गया है। हमको याद है- प्रो० मधु दण्डवते जी ने जब यहां रेल बजट पेश किया था, उसमें बच्चों के लिये मुफ्त यात्रा की आयु 3 साल से बढ़ा कर 5 साल कर दी थी। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि बच्चों के लिए एक स्पेशल गाड़ी चला दीजिये जो कम से कम साउथ से लेकर नार्थ तक उनको ले जाय।

यह जो कहते हैं कि भारत एक है, जब उसको कहने में हम लोगों को कुछ डाउट सा लगता है क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कम से कम एक ऐसी गाड़ी की व्यवस्था तो कीजिए जो एक स्पेशल गाड़ी हो और जो बच्चों को लेकर सारे देश का भ्रमण करा दे, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक के स्थानों के उनको दर्शन करा दे।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां रोज किसानों का नाम आप लेते हैं लेकिन किसानों की सुविधा के लिए एक शब्द भी नहीं है। आपने कहा कि हम एशेंसियल कोमोडिटीज के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन सब्जी है, दवाई है, कागज है, डीजल है, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं, जिनका दाम आपने बढ़ाया है। आपने जो इन चीज़ों के ले ज़ाने पर फ्रेट चार्जेज बढ़ाए हैं, उन सब का इफ्फेक्ट यह पड़ेगा कि मंहगाई आएगी और जब मंहगाई बढ़ेगी, तो किताबों के दाम बढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किताबों के दाम बढ़ेंगे और महंगे दामों पर उनको किताबें मिलेंगीं। इसी तरह सब्जी की बात है अगर कहीं साऊथ से सब्जी नार्थ को जाती है. तो नार्थ तक आते आते वह सड़ जाएगी और दाम भी उसके दुगने तिगुने हो जायेंगे। इसलिए जब आप इस बजट को पेश कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था।

आप अविकसित क्षेत्रों की बात करते हैं लेकिन जो रेलवे बजट आपने पेश किया है, उसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता है कि एक भी जगह ऐसी है जहां पर आपने रेलें दी हों। आज जो सूदूर देहात है, वहां पर अभी तक इस बीसवीं शताब्दी में भी न तो कोई रोड है और न कोई आने जाने का दूसरा यातायात का प्रबन्ध है। वहां पर कच्ची सड़कें भी नहीं है। मेरा कहना है यह कि कम से कम आप एक ऐसी लाइन तो निकालें जो ग्रामीण क्षेत्रों

और अविकसित क्षेत्रों को छुए। ऐसा कोई प्रापोजल मुझे इस बजट में दिखाई नहीं दिया है।

मैं आप को बतलाता हूं कि मैं अभी देख रहा था कि बिहार में कितने किलोमीटर रेलवे लाइन है। किलोमीटर के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान जितने राज्य है, उनमें पांचवा है और सब सूबों से वह अविकसित राज्य है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर छः डी० एस यानी डिवीजन सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय हैं, अब डी०आर०एम० कार्यालय हो गये हैं, लेकिन एक भी जोनल आफिस नहीं है, उत्तर प्रदेश में जोनल आफिस हैं, कलकत्ता में जोनल आफिस है लेकिन बिहार में जहां छः छः डी०एस के आफिस हैं, वहां पर एक भी जोनल आफिस नहीं है जबकि दूसरी जगहों पर जहां दो, दो और तीन, तीन डी०एस आफिस हैं, एक जोनल आफिस है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पटना में गंगा पर रेलवे ब्रिज का काम अभी पूरा नहीं हुआ है पद्यनामन कमेटी बनी और न जाने कौन कौन सी कमेटी बनी और उसके सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो गया लेकिन अभी तब वह पुल नहीं बना है। क्यों नहीं बना हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। रेलवे में दादागिरी चलती है एक एक आदमी हर जगह बैठा हुआ है। हमारे यहां नार्दन रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है और सर्दन रेलवे है लेकिन वहां पर सब जगहों पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो बहुत दबग है और जो सारी चीजों को अपने कब्जे में किये हुए हैं और मंत्री जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारे यहां सोनपुर में, एक प्राइवेट स्टीमर चलता है। उस प्राइवेट स्टीमर का मालिक खरबपति है, अरबपति है और जब तक वह जिन्दा रहेगा, वहां पर रेलवे का पुल नहीं बनेगा क्योंकि जिस दिन रेलवे का पुल बन जाएगा, उस दिन उसका स्टीमर मर जएगा और उसका काम नहीं चलेगा। रूल्स बने हुए हैं कि रेलवे से कितनी स्टीमर की दूरी होनी चाहिए, प्राइवेट स्टीमर की दूरी होनी चाहिए लेकिन प्राइवेट स्टीमर द्वारा खुल्लमखुल्ला उनका उल्लंघन किया जाता है। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम यह देखें कि यह रेलवे ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है और निश्चित रूप से उसे बनाने का प्रयास करें। हमारे यहां आरा-सासाराम लाइट रेलवे थी और मैंने रेलवे कन्सल टेटिव कमेटी में इस सवाल को उठाया था कि वह बन्द पड़ी हुई है। पटना-इस्लामपुर लाइट रेलवे है, वह सारी की सारी बन्द पड़ी हुई है। मेरा आग्रह है कि उसको खुलवाने का कार्य आप कीजिए। मैं जहां से आता हूं, मेरा घर जहां पर है, वहां पर 15 किलोमीटर रास्ते तक आप सिर्फ साइकिल से नहीं जा सकते हैं, वहां कच्ची सड़क भी नहीं है। हम लोगों का प्रोपोजल है कि कम से कम उसका सर्वेक्षण तो कराया जाए।

ललित बाबू की बड़ी कृपा हुई है। मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने बिहार में रेलवे के मामले में बहुत विकास करने का काम किया। उनकी बहुत बड़ी देन रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लाइन आप दरभंगा से जयनगर, हसनपुर तक ले गये हैं उसे आगे खुदेरपुर आसन तक बढ़ाइये और फिर सीधे निकालिये कोसी बीघा तक जहां यातायात का कोई

साधन नही है । फ़िर वहा से सहरबनी होते हुए खगरिया और सहर्सा में मिलाइये । यह कुल 40 क़िलोमीटर पड़ेगा । अगर आप टापू जैसी अविकसित क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो यह कीजिए । तभी आप कह सकेंगे कि आपने कोई विकास का काम किया है ।

रेलवे में सुरक्षा की बात को लीजिए । मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में बहुत व्यवस्था की है लेकिन मैं समझता हूं कि रेलवे में लोगों के जान-माल की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है । जब बाबू जगजीवनराम जी रेलवे मंत्री थे तो हम लोग कहा करते थे कि जग का जीवन राम के हाथ में चला गया । जब मैं यहां से जाता हूं और मुगलसराय से आगे निकलता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रेलवे में है । कोई भी लोग हों, चाहे इस सदन के माननीय सदस्य क्यों न हों कोई नहीं कह सकता कि वहां कानून और व्यवस्था है । मैं एक दिन प्रथम श्रेणी में जा रहा था । मैंने एक पानी पिलाने वाले को बुलाकर उससे गिलास लिया । उसने कहा कि डेढ़ रुपया निकालो । उसमें नबू बगेरह: कोई चीज़ नहीं, केवल पान ही पानी था । जब उसे डेढ़ रुपया नहीं दिया तो उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया । हमने कंडक्टर को बुलाया और उससे कहा तो वह बोला हम क्या कर सकते हैं । अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो कल को यह हमें छुरा मार देगा । यह मैं प्रथम श्रेणी के यात्रियों की बात बता रहा हूं, दूसरी श्रेणी के यात्रियों की बात तो आप छोड़ दीजिए । इस पर भी आप यह कहते हैं कि मैंने यह व्यवस्था कर दी वह व्यवस्था कर दी । उपाध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं कि इससे इस प्रकार की घटनाएं दूर नहीं होंगी । इस प्रकार का काम करने वालों पर आपके कर्मचारियों का कोई असर नहीं होता । आप इस मामले में स्टेट गवर्नमैंट पर निर्भर करते हैं । आप कहते हैं कि राज्यों में लोकप्रिय सरकारें कायम होने से इस समस्या का निदान होगा । मैं कहता हूं कि सरकारें सभी एक जैसी ही होती हैं । मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आप ऐसा काम करने वालों को सीधे पकड़ सकें । अगर हम आप से कोई शिकायत करें और आप यह समझ कर कि यह उत्तर प्रदेश का मामला है या बिहार का मामला है, वहां की सरकार को रेफर कर दें तो इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है । आपको स्वयं इस समस्या से निबटना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में इन्होंने कहा कि संसद के विगत सत्र में जैसा कि इन्होंने आश्वाशन दिया था, उसके लिए बहुत से काउंटर खोल दिये हैं । आप काउंटर कितने ही खोल दीजिए लेकिन जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है । आप किसी स्टेशन सुपरिन्टेन्डेंट के पास जाकर कहिए कि आरक्षण चाहिए तो भी नहीं मिलेगा । अगर वही आदमी 25 रुपये आरक्षण के लिए दे देता है तो उसे टिकट लेने की भी जरूरत नहीं होती । बिना टिकट के वह यहां से पटना तक सोता हुआ जा सकता है । एक आदमी जो कि मेरे मित्र हैं उनके लिए मैंने एम०आर० कार्यालय से जहां कि आपका स्पेशल कोटा होता है, चार आदमियों का आरक्षण कराया । हमने पूरी जांच-पड़ताल कर ली और पाया कि/ रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है । लेकिन जब हम स्टेशन पर गये तो हम से कहा गया कि आपका नाम तो वेटिंग लिस्ट पर है । जब हमने टेलीफोन करके बात की तो हमको कहा गया कि सर गलती हो

गयी, यह है आपका रिजर्वेशन। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से इस समस्या का निदान कैसे होगा? आप कितने ही काउंटर खोल लीजिए। आपको इस में कम्प्यूटर सिस्टम लाइये, रेलवे को मोडरनाइज कीजिए। अगर पटना से दस सीटें खाली चलती हैं। तो दूसरे स्टेशन पर फौरन पता चल जाना चाहिए कि पटना से दस सीटें खाली आ रही हैं। जब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक आप इस बुराई को दूर नहीं कर सकेंगे। काउंटर खोलने से इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। वहां तो रुपया चलेगा। लोग आपस में रुपया बांट लेंगे और यह सब ऐसे ही चलता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यात्रियों की सुविधा की बात भी है। यात्रियों की सुविधाओं के बारे में ट्रेनों में कोई चेक नहीं करता है। प्रथम श्रेणी में कोई चेक नहीं करता है कि उसमें पानी भी है, बिजली भी है या नहीं। इसमें लाइट भी है या नहीं, पंखा भी चलता है या नहीं कोई देखता ही नहीं है। एक ट्रेन सुपरिंटेंडेंट होता है। एक बार में पटना से आ रहा था। कानपुर तक आ गया। फिर भी न उसमें लाइट थी और न पानी और नहीं पंखा चल सकता था। बगल में बैठे हुए कंडक्टर को हम ने कहा तो उसने बताया कि ट्रेन सुपरिंटेंडेंट भी होता है और हम ने कहा कि उसको बुलाइये। वह जब आए तो हमने देखा कि उन पर धूल बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी, उनके बाल भी संवरे हुए थे और हम लोग धूल से भरे हुए थे। वह हम से दूर से आ रहे थे और उनकी यह हालत थी और हमारी यह हालत थी। हमने उनको कहा कि आपकी यह हालत है और हम लोग यहां धूल खा रहे हैं क्या आप इन चीजों का इन्तजाम भी नहीं कर सकते है। लेकिन असल बात यह है कि कोई देखता ही नहीं है कि किसी डिब्बे में पानी है, बिजली है, पंखा चल रहा है या नहीं। आप यात्रियों को सुविधायें प्रदान करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हिदायत दें कि जहां-जहां जंकशन है वहां-वहां से तभी गाडी चले जब उस गाड़ी के तमाम डिब्बों में पानी, बिजली, पंखों की ठीक से सुविधा हो जाए। वर्ना गाड़ी नहीं चलनी चाहिये।

अखबारों में भले ही आप कह दें कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, ये ही दो श्रेणियां आप ने बना दी हैं लेकिन छः छः श्रेणियां आज भी चलती हैं। छत पर अलग यात्री सफर करते हैं, स्टैंडिंग क्लास अलग है, ट्रेन के नीचे घुस जाते हैं और वहां सफर करते हैं और इसी तरह से और भी तरकों से लोग गाड़ियों में सफर करते हैं। ये सब क्लासिम बनी हुई हैं। इसका कारण यह है कि गाड़ियों की कमी है। इस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे यह आपको देखना चाहिये—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि वे छतों पर बैठ कर सफर क्यों करते हैं? वहां पर ऐसा कोई नोटिस बोर्ड नहीं है जिसमें लिखा हो; "बिना टिकट यात्रा न करें।

श्री रामविलास पासवान : उनके पास टिकट भी रहता है।

अब में दुर्घनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। 1952-53 में 12,783 दुर्घनायें हुई थीं और 1978-79 में 1,10,831 जब आप नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, नए

नए एक्सपर्ट लगा रहे हैं इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, इन्जीनियर्ज लगा रहे हैं तब तो दुर्घटनायें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहियें। जितनी होती हैं उनमें से अधिकांश कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं के बारे में दोनों सदनों में कई बार चर्चा भी चली है। मैं समझता हूं कि इन को रोकने के लिए सरकार को कोई स्पेशल कदम उठाने चाहिये, कारगर कदम उठाने चाहिये और सदन को तथा देश को आश्वस्त करना चाहिये कि इनको नहीं होने दिया जाएगा। विगत कुछ महीनों में ये नहीं हुई हैं। लेकिन जब इनका तांता लगना शुरू होता है तो ये रुकती ही नहीं हैं और सारा सदन स्तब्ध रह जाता है। मैं मानता हूं कि दुर्घटनाएं बिल्कुल न हो ऐसा तो शायद हो नहीं सकता है लेकिन कम से कम हों, इस पर आपको गम्भीरता से बिचार करना चाहिये।

रेल कर्मचारियों और रेल यूनियनों के साथ आपका कैसा व्यवहार हो यह भी विचारणीय बात है लोको स्टाफ की अभी स्ट्राइक चली थी तब यह चीज उभर कर सामने आ गई थी। लगता है कि रेल मंत्रालय और जो नीचे के कर्मचारी हैं या यूनियन के लोग हैं उनके आपस के सम्बन्ध अच्छे नहीं चल रहे हैं। निश्चित रूप से श्री मधु दंडवते जब रेल मंत्री बने थे तो लोगों को आशंका थी कि ये तो लेबर के पक्षधर हैं, यूनियन के पक्षधर हैं और इस तरह से तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि रेल प्रशासन अस्तव्यस्त हो जाएगा। हम ने तीन साल तक देखा कि जिस तरह से उन्होंने आपस में समन्वय स्थापित किया और जिस ढंग से काम किया उससे रेलों को काफी मुनाफा हुआ। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों का नीचे का जो तबका है और जो सब से बड़े अफसर हैं इन दोनों के बीच में भाईचारे के सम्बन्ध हो; एक दूसरे की तकलीफ को ये समझें। छोटे-छोटे गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गेंगमैन बैठा रहता है—

उपाध्याक्ष महोदय : आपकी पार्टी को 44 मिनट आवंटित किये गये है, यदि आप अधिक समय लेते हैं तो आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों का समय कम हो जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : काट लीजियेगा।

उस बेचारे को कितना पैसा आप देते हैं या नहीं देते हैं वह तो अलग चीज है लेकिन आप देखें कि रेलवे के पास फाल्तू जमीन पड़ी हुई है और आप कहते हैं कि आप वह जमीन शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को लीज पर देंगे तो क्यों नहीं वह जमीन उसको दी जाती है जहां वह खेती भी कर सकता है और अपनी झोंपड़ी बना कर भी रह सकता है। मैं यह भी जानना चाहत हूं कि कितने शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को आपने यह जमीन लीज पर दी है के अगर आप यह जमीन गैंगमैन को भी दे दें तो वह बेचारा उस पर खेती करेगा, परमानेंट तरी से कोई झौपड़ी बना कर उसमें रहेगा और आपकी सेवा भी करेगा और साथ साथ अपना जीवन स्तर ऊंचा भी उठा सकेगा।

रिजर्वेशन के सम्बन्ध में, जोकि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 'क' के वर्ग में 1977-78 में 6.0 परसेंट और 1978-79 में 7 परसेंट शिड्यल्ड कास्टस के कर्मचारी हैं। 'ख' वर्ग में 1977-78 9.5% और 1978-79 में 11.9% किये गये। इस तरह से 1977-78 में शिडूयल्य ट्राइब्ज का परसैन्टेज 0.8 था 'क' वर्ग में जो कि 1% भी नहीं है और 1978-79 में यह 0.9% हो गया। अभी तक आपके पास 1% भी उपलब्ध नहीं हैं। यह है आपके यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के आफिसर्स की स्थिति। इसी प्रकार से 'ख' श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वह 1978-79 में 2 1 % हैं और 'ग' श्रेणी में 2.2% हैं। यह रेलवे में शिड्यूल्य ट्राइब्ज के कर्मचारियों की संख्या है। रेलवे में हम समझते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का सबसे ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन है, लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। आप अगर चाहें, आपकी नियत साफ हो तो आप दो बातें कर सकते हैं। आप अपने विभाग में एक सैल खोलिये और उसको काम सोंप दीजिये कि वह पता लगाये कि कौन-कौनसी पोस्टें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिये हैं। वह सैल स्कूल कालेज से विद्यार्थियों को निकालेगा ट्रेनिंग देगा और आप उसके लिये स्पेशल रिक्रूटमेंट कीजिये। इस तरह से आप इनका कोटा पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक दो साल में पिछला बकाया भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब तक नियत साफ नहीं रहेगी, तब तक यह बढ़ता जायेगा।

आपके यहां शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वड पोस्ट हैं, लेकिन शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का उमीदवार उपलब्ध नहीं होता है। हमने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था, उन्होंने कहा कि 3 साल तक पोस्ट को कैरी फार्वर्ड करते हैं और 3 साल के बाद भी अगर उमीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो इंटरचेंज करते हैं। इस बीच आप एड-हाक एप्वाइन्टमैंट कर लेते हैं और उस एड-हाक एप्वाइन्टेड को आप हटा नहीं पाते हैं इसलिये वह शिड्यूल्ट कास्ट्स और ट्राइब्ज का कोटा पूरा नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह देखें कि कम-से-कम 2 साल में इस कोटे को वह निश्चित रूप से पूरा कर दें और जो पिछले तर्क दिये जाते हैं रेलवे सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमैंट आते है, उसमें जो तर्क दिया जाता है कि—

यदि कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगा तो पद को असुरक्षित घोषित कर दिया जायेगा। यह बिल्कुल धोखा है। यहधोखा आपको और पूरे देश को दिया जाता है। आज देश की आजादी के 31 वर्ष बाद भी शिड्यल्ड कास्ट्स और शिडूयल्ड ट्राइब्ज के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। आप चाहे आई0ए0एस0 को देख, आई0पी0एस0, इंडियन फारेन सर्विस या अलाइड को देखें, यह लोग सब जगह इंटरव्यू देते हैं पर जहां योग्यता की बात आती है, वहां छाप दिया जाता है कि योग्य है ही नहीं। इसलिये आप इसको जरूर देखें।

हिन्दी के विकास का मामला है। मैं राजभाषा समिति का सदस्य भी हूं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 80 प्रतिशत लोगों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है। लेकिन आप पूरे रेलवे वोर्ड और इनके डी0एस0 कार्यालय से लेकर जोनल आफिस तक, नीचे से ऊपर तक

देखिये, इन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में दे दिया है कि हिन्दी का विकास कितना है, लेकिन मैं समझता हूं कि 1% काम भी हिन्दी में नहीं चलता है। यह बात अलग है कि रामविलास पासवान या किसी और एम0पी0 ने हिन्दी में पत्र लिख दिया तो उसका जवाब हिन्दी में ही दे दिया गया। लेकिन इससे हिन्दी की प्रगति नहीं होगी।

हमारी और आपकी जो मन्शा है, संविधान की मान्यता है, उसमें एक लाइन खींची गई थी कि 15 साल में स्वतः हिन्दी इस देश में चली आयेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अंग्रेजी हटाओ, मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में सभी के राज्य आये, मुगल पीरियड आया, अंग्रेजों का शासन आया, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुमको उर्दू चाहिये कि नहीं किसी ने नहीं पूछा कि तुमको अंग्रेजी चाहिये कि नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर यही हम लोगों की मनोवृत्ति रहेगी तो इस देश से कभी अंग्रेजी नहीं जायेगी। आप जो भाषा चलाना चाहें, चलाइये, लेकिन इस देश से अंग्रेजी को विदा कीजिये।

आप अपने कार्यालय में, जब आप मंत्री बने हैं तो हमको गर्व है, हम चाहते हैं कि इस मामले में वहां प्रगति हो और किसी मामले में कुछ हो या न हो लेकिन निश्चित रूप से इस मामले में कुछ न कुछ होना चाहिये। आपके रेल मंत्रालय में कम-से-कम हिन्दी का कुछ मान है। हिन्दी हमारी मां है, इसको किसी की चेरी या गुलाम मत बनाइये। आप अंग्रेजी चलाइये या कुछ कीजिये लेकिन कम-से-कम हिन्दी के सम्मान को उसके स्थान पर रखने का प्रयास अवश्य कीजिये।

रेलों में कुछ समय तक तो समय की पाबन्दी चलती है, लेकिन फिर उसकी बिल्कुल उपेक्षा की जाती है। मैं जितनी बार पटना गया हूं, हमेशा ट्रेन लेट थी।

एक माननीय सदस्य : "ट्रेन लेट" तो इंगलिश है।

श्री रामविलास पासवान : ऐसे शब्दों को पचाना चाहिए।

गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें।

मंत्री महोदय के अनुसार रेलवे कर्मचारी 12.2 लाख हैं, जिन पर 1978-79 में 1035 8 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कैजुअल कर्मचारियों की संख्या 2.3 लाख बताई है। लेकिन मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि जो लोग डी0 एस0 कार्यालय या जी0एम0 कार्यालय में डायरेक्ट रख लिए जाते हैं, क्यों उनमें भी हरिजन-आदिवासियों को लिया जाता है या नहीं।

मंत्री महोदय ने अपने बजट में द्वितीय श्रेणी के किराये में वृद्धि की है। यदि वह चाहते, यदि रेलवे मंत्रालय उनके साथ कोआपरेट करता और उन्हें सही जानकारी देता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय में जो फिजूलखर्ची और प्रशासनिक अपव्यय होता है, उसको

काट कर वह इस बढ़ोतरी को रोक सकते थे और देश की गरीब जनता पर पड़ने वाले भार को कम से कम कर सकते थे।

संसद् भवन में रेलवे बुकिंग कार्यालय है और उसकी बगल में एयरलाइन्ज का बुकिंग कार्यालय है। एयरलाइन्ज के बुकिंग कार्यालय में टेलीफोन उठाने से सीधे एयरपोर्ट से बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन रेलवे बुकिंग कार्यालय में बेचारे कर्मचारी नम्बर घुमाते हैं और कभी न्यु दिल्ली और कभी ओल्ड दिल्ली स्टेशनों से बात करने की कोशिश करते रहते हैं। दस मिनट के बाद कहीं लाइन मिलेगी। दूसरी जगह भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कम से कम संसद भवन के रेलवे बुकिंग कार्यालय में ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि रेलवे स्टेशनों के साथ हाट लाइन स्थापित हो जाये, ताकि टेलीफोन उठाने से डायरेक्ट बात होने लगे।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इन सुझावों पर विचार करें और जवाब देते हुए इन पायंट्स पर भी प्रकाश डालने का कष्ट करें।

प्रो० नरायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा रखे गये रेलवे बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

अपने प्रभावशाली भाषण में प्रो० मधु दंडवते ने राष्ट्रीय एकता की बातें की हैं। परन्तु राष्ट्रीय एकता लाना उतना सरल नहीं है कि उसे काश्मीरसे कन्याकुमारी अथवा त्रिवेन्द्रम से भारत के किसी अन्य स्थान तक रेलवे लाइन निर्माण द्वारा लाया जा सके। उसके लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि उस बजट द्वारा पहली बार ऐसा प्रयत्न किया गया है कि देश के हर भाग के लिए कुछ न कुछ बचन दिया गया है। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं है, परन्तु सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पंडित जी ने बजट में ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों को आशा की झलक दिखाई दे रही है। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, जब कि उन्होंने महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बिचाराधीन रेलवे लाइनों का उल्लेख किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी कुछ बचन दिये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि यह बात उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण की है, क्योंकि अब तक रेलवे बजट कुछ गलत ढंग से बने हैं। मैं प्रो० मधु दंडबते का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि छटी योजना के प्रारूप में जोकि उस समय तैयार हुआ था जब कि वह रेल मंत्री थे, 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था चार महानगर परिवहन योजनाओं के लिए की गई थी और पूरे देश में रेलवे लाइनों के लिए केवल 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई थी। क्या यह न्याय था और क्या यह राष्ट्रीय एकता की ओर प्रगति थी। मैंने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई तथा उस समय के रेल मंत्री को भी लिखा था कि यह अन्याय समाप्त होना चाहिए।

यहां मैं रेल टेरिफ जांच समिति की मुख्य रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जिसने अध्याय 12 में की गई कुछ सिफारिशों में कहा गया है।

"भारत में रेलवे लाइनों की लम्बाई जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से न केवल विश्व के आर्थिक दृष्टि से धनी देशों की तुलना में असंतोषजनक है अपितु मलेशिया, अल्जिरिया, मिश्र की तुलना में जनसंख्या की दृष्टि से या श्री लंका की तुलना में क्षेत्रफल की दृष्टि से असंतोष-जनक है।

मेरे कहने का अर्थ यह है, जैसे कि रेल मन्त्री ने स्वयं कहा है, कि 126 वर्षों में हमारे देश में 67,000 अथवा 68,000 कि० मी० रेलवे लाइनें हैं जो कि बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि इस पर और अधिक पूंजी लगाई जाये। जब तक आप रेलों पर अधिक धन नहीं लगाते आप न तो राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं और न ही औद्योगिक विकास। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि रेलवे का आधारभूत ढांचा, परिवहन का आधारभूत ढांचा देश के औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य प्राथमिक शर्त है। इसलिए मेरा तर्क है कि जिन क्षेत्रों की अब तक उपेक्षा की गई है उन्हें पहले लिया जाये। रेलवे को पूरे देश के मानचित्र पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि स्वतंत्रता के पश्चात जिन क्षेत्रों में एक कि० मी० रेलवे लाइन भी नहीं जोड़ी गई उन्हें परम अग्रता मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में न केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र अपितु हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी आते हैं।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सभा में पंडित जी ने 1976 में बचन दिया था कि नांगल-तलवाड़ा लाइन का निर्माण किया जायेगा जिसका शिलान्यास दिवंगत श्री ललित नरायण मिश्र ने उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सद्भावना के साथ 22 दिसम्बर 1974 को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अम्ब' नामक स्थान पर किया था जब कि राज्य सरकार नें अपने क्षेत्र में आने वाली पूरी जमीन का व्यय देने का वचन दिया था। अभी तक उस बारे में उपेक्षा बरती गई है। तत्कालीन रेल मंत्री प्रो० मधु दण्डबते अच्छा करते यदि इसे अपने रेल बजट में सम्मिलित कर लेते, परन्तु बह कभी इसके निकट नहीं आये। बेशक श्री मोरारजी देसाई ने यह आभास देने की चेष्टा की कि वह पूरे देश के लिए कार्य कर रहे हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश जनता पार्टी के शासन में पूरी तरह उपेक्षित रहा जैसे कि भारत में हिमाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य है ही नहीं। पंजाब की भी वैसी ही स्थिति है। ये दो राज्य पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश है जिनमें विभाजन के बाद किसी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया, केवल पठान-कोट से जम्मू रेलवे लाइन वह भी जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए निर्मित की गई।

उत्तन पूर्वी क्षेत्र की भी रेल द्वारा उपेक्षा की गई है।

रेलवे द्वारा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र की अबहेलना की जाती रही है। मैं रेल मन्त्री, माननाय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वह देश के इस भाग की ओर अपेक्षित ध्यान दें। अन्यथा देश के इस भाग के लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि देश के इस भाग की ओर कभी भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए किये गये सर्वेक्षण के व्यय को आधुनिक बनाने सम्बन्धी मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के लिए उनका आभारी हूं। परन्तु केवल सर्वेक्षण पर होने वाले व्यय को आधुनिक कर देना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये क्योंकि अब तो हिमाचल-प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री रामलाल ने पंडित जी को यह पेशकश भी कर दी है कि मिट्टी की खुदाई के कार्य पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार वहन करेगी और साथ ही लकड़ी के स्लीपर भी आधे मूल्य पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। देश का यह भाग ऐसा है जिसने अपनी हरी भरी घाटियों तथा अपने बेटों को देश की सुरक्षा तथा विकास की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगले वर्ष तक यह रेलवे लाइन कम से कम आधी तो बन ही जानी चाहिये क्योंकि यदि तलवाड़ा तक इस लाइन को पूरा कर पाना सम्भव न हो तो कम से कम अम्भ तक, जहां कि स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने इसका शिलान्यास किया था, वहां तक तो यह बन ही जानी चाहिये। इसका निर्माण कार्य ईमानदारी के साथ आरम्भ कर दिया जाना चाहिए।

रेलवे लाइन का प्रथक सर्वेक्षण 1956 में आरम्भ किया गया था और मैं समझता हूं अगले वर्ष इस सर्वेक्षण की रजत जयंती होगी क्योंकि अगले वर्ष तक इस सर्वेक्षण को किये 25 वर्ष का समय हो जायेगा। मैं आशा करता हूं कि सर्वेक्षण किये जाने के 25 वर्ष बाद तो रेलवे लाइन का निर्माण किया जायेगा। राज्य तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है, 1956 में पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रतापसिंह कैरों थे तो उसके पश्चात डा० परमार 1966 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री बनें और अब 1980 में श्री रामलाल हिमाचल के मुख्य मन्त्री हैं। परन्तु रेलवे द्वारा निरन्तर देश के इस भाग की अवहेलना की जाती रही है। इसे उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

दूसरे, कालका से परगनों, जो कि हिमाचल-प्रदेश की औद्योगिक गतिविधि का केन्द्र है, के बीच छोटा सा रेल-मार्ग बनाया जाना बहुत आवश्यक है। हमारे मुख्य-मन्त्री ने भी इसका सुझाव दिया है। इसी प्रकार जगाधरी तथा पौण्टा—जहां की सीमेंट फैक्टरी है जिससे कि देश को सीमेंट उपलब्ध करवाया जायेगा—के बीच रेलवे लाइन का निर्माण करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चण्डीगढ़-लुधियाना रेलवे-लाइन का प्रस्ताव भी है। पंजाब सरकार द्वारा चण्डीगढ़-लुधियाना को मुख्य लाइन पर लाने के लिए उसे जगाधरी से जोड़ने की मांग की गई है। यह दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं जिनमें से एक की सीमा चीन से जुड़ी हुई है तो दूसरे की पश्चिमी पाकिस्तान से। इस स्थिति को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जो कुछ भी सम्भव हो सकता है, उसे करने का प्रयास पंडित जी द्वारा किया जा रहा है। भाड़े में की गई वृद्धि की चर्चा भी की गई है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह रेलवे टैरिफ जांच समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने का कष्ट करें। पडित जी ने तो भाड़ों को युक्तिसंगत सीमा के अन्तर्गत कम से कम बढ़ाने का प्रयास किया है।

मैं सदस्यों का ध्यान समिति द्वारा की गई इस आधार-भूत सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भारत में परिवहन लागत पर आधारित होना चाहिए। यदि इस सिफारिश को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये, और यदि भारत में भाड़े का निर्धारण लागत के आधार पर किया जाये, तो भाड़ों में पंडित जी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से कहीं अधिक वृद्धि हो जायेगी। पंडित जी ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें कि भाड़ों में केवल उतनी ही वृद्धि की गई है जितनी कि हम लोगों को सेवायें प्रदान कर रहे हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि देश के सभी भागों में रेलवे लाइनें बिछ ई जायें, यदि आप यात्रियों के लिए और अधिक सुविधायें जुटाना चाहते हैं, यदि आप रेल कर्मचारियों के लिए बोनस चाहते हैं, यदि आप पांच कार्य दिवसों का सप्ताह चाहते हैं और यदि आप आरक्षण के लिए अधिक काउंटर चाहते हैं तथा रेलवे स्टेशनों में शीतलता प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की सुविधायें चाहते हैं, तो उसके लिए धन तो जुटाना ही पड़ेगा क्योंकि हर अच्छी चीज पर खर्च तो आता ही है।

यद्यपि भाड़े में वृद्धि की गई है परन्तु फिर भी पंडित जी ने कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं का बढ़े हुए भाड़े के अभिभार से मुक्त कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ जो दो या तीन अन्य वस्तुयें जैसे कि सब्जी, फल तथा दूध आदि को भी बढ़े हुये भाड़े के अभिभार से मुक्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि एक तो यह वस्तुयें शीघ्र खराब हो जाने वाली होती हैं तथा दूसरे गरीब आदमी का आहार होती हैं। गरीब आदमी सब्जियों, फल तथा दूध के बरतने से ही जिंदा रहता है। कुछ स्थानों पर दूध रेल द्वारा ही ले जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ शिमला के लिए दूध अमृतसर से रेलगाड़ी द्वारा ले जाया जाता है। जब तक दूध, फल तथा सब्जियों आदि को भाड़े के अभिभार से मुक्त नहीं किया जाता, गरीब आदमी का जीवन-व्यापन जैसा हम आशा करते हैं उससे अधिक महंगा हो जायेगा।

इसके पश्चात अब मैं कुछ अन्य बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमें नई गाड़ियां चलाने पर विचार करना चाहिये। भूतपूर्व सरकार अपनी कार्य-कुशलता का राग अलापती रही। अभी कुछ ही समय पूर्व श्री पासवान बोल रहे थे। परन्तु देश में एक ऐसी गाड़ी है जिसकी गति एक घंटा और कम कर दी गई है जहां कि अन्य गाड़ियों की गति बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश एक्सप्रेस जो कि नंगलडैम से रात को 9.55 मिनट पर चला करती थी, वह प्रातः 8.15 मिनट पर दिल्ली पहुंच जाती थी। अब यह गाड़ी 9.10 मिनट पर चलती है और 8.50 मिनट पर प्रातः यहां पहुंचती है। अतः परिणाम यह हुआ है कि इस गाड़ी की गति को एक घंटा धीमा कर दिया गया है। इसके साथ ही इस गाड़ी में होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हो रही है।

शिमला के लोगों द्वारा बम्बई से कालका तक सीधी रेल-सेवा आरम्भ करने की मांग की जा रही है। परन्तु बम्बई-कालका की तो बात ही क्या, अभी हाल ही में रांची से चंडीगढ तक एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई थी। इस गाड़ी के सभी डिब्बों को धुलाई, रख-रखाव तथा ठहराने के लिए कालकाजी ले जाया जाता है। पश्चिम कमान के लोग भी शिमला में हैं

और वे भी मांग करते आ रहे हैं कि यह गाड़ी चंडीगढ से कालकाजी तक बढ़ा दी जानी चाहिये क्योंकि गाड़ी के सभी डिब्बों को कालकाजी ले जाया जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है - मुझे मालूम नहीं इसका क्या कारण है। आप इस गाड़ी का नाम चंडीगढ़-रांची एक्सप्रेस या जो भी चाहे रखें, परन्तु इसे कालका से आरम्भ कर दीजिये। इसके लिए सम्पूर्ण देश के लोग आपके आभारी होंगे क्योंकि वहां पर्यटक जाते हैं और साथ ही हमारी सेनाओं के लोग भी जाते हैं।

लाइन को बदलने का कार्यक्रम भी है। मुझे मालूम नहीं है कि प्रो० दण्डवते द्वारा यह कार्य सोनीपत क्यों रोक दिया गया था क्योंकि दिल्ली से अम्बाला तक की लाइन को दोहरा किया जाना था। इसे दोहरा किया जाना था क्योंकि इस रेलवे लाइन की क्षमता कम थी। मैं सोच रहा था कि इसे पूरा कर दिया जायेगा और वह उत्तर पश्चिम की ओर भी ध्यान देंगे। परन्तु उन्होंने अन्य दिशाओं की ओर देखना आरम्भ कर दिया और यह कार्यक्रम रोक दिया..।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते अब तो रेल मंत्री नहीं हैं।

प्रो० नारायण चंद पराशर : मैं उस समय की बात कर रहा हूं जबकि वह मंत्री थे क्योंकि वह अपनी उपलब्धियों का यशोगान कर रहे थे। वह सोनीपत पर रुक गये तथा कभी आगे नहीं गये। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तथ्य को दृष्टिगत रखें कि अमृतसर-दिल्ली रेलवे का एक प्रमुख मार्ग है तथा अम्बाला से दिल्ली तक की रेलवे लाइन की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये। इसे जितना भी जल्दी किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा।

पंडित जी ने एक ओर अच्छी बात की है। डीजल की बढ़ती हुई कीमतें को दृष्टिगत रखते हुये, उन्होंने धीमी गति से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव किया है। विद्युतीकरण से डीजल की बचत होगी और इसके परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक सफल होगा।

एक अन्य अच्छी बात पंडित जी ने यह की है कि उन्होंने हमें बताया है कि विभिन्न प्रकार से सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने तीन प्रमुख नगरों को तीन प्रकार के उपहार दिये हैं : दिल्ली की नगरीय रेल सेवा को विद्युतीकृत रेल सेवा देना; बान्द्रा पर रेल पुल बनाना और कलकत्ता के महानगरीय परिवहन आवंटन में वृद्धि करना, शामिल है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जब वह चर्चा का उत्तर दें तो इसी प्रकार का उपहार भारत के उन राज्यों को भी दें जिनकी अभी तक उपेक्षा की जाती रही है। मेरा उनसे निवेदन है कि जो राज्य देश के लिए बलिदान देते रहे हैं, उन्हें भी उनका कुछ हक तो दिया जाना चाहिये। अन्यथा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली तो भारत के प्रमुख नगर हैं ही और लोग उन्हीं की ओर आकृष्ट होते रहेंगे। परन्तु उन लोगों को आप क्या दे रहे हैं जो सदा बलिदान देते

रहते है और उसके बदले में उन्हें बहुत कम मिलता है... ? (व्यवधान) हमें इसका शिकव नहीं है। हमें यह अच्छा लगता है परन्तु होना यह चाहिये कि जो लोग अभी तक उपेक्षित रहे हैं, उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिये।

मैं रेल मंत्री से एक और निवेदन भी करना चाहता हूं। उत्तरी-रेलवे का पुनर्गठन किया जा रहा है तथा एक अन्य प्रभाग खोला जा रहा है। परन्तु यह प्रभाग दिल्ली या उसके उपनगरीय क्षेत्र में नहीं खोला जाना चाहिये। यह प्रयाग जालंधर या पठानकोट में खोला जाना चाहिये जिससे कि इससे हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू काश्मीर को भी लाभ हो सके।

एक लम्बे समय से चली आ रही हमारी एक मांग यह भी है कि रेल सेवा आयोग का एक उप-कार्यालय पजाब या हिमाचल प्रदेश या जम्मू काश्मीर या पठानकोट में खोला जाना चाहिये। अब लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है। केन्द्रीय सेवाओं के लिए लोगों को दिल्ली आना पड़ता है परन्तु उत्तर-रेलवे की सेवा के लिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ता हैं। जितनी जल्दी इसका उप-कार्यालय इन क्षेत्रों में आ जायेगा उतना ही अच्छा होगा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय तो दिल्ली में है परन्तु सेवा आयोग इलाहाबाद में है अब इस क्षेत्र के लोगों को उत्तरी-रेलवे में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिल गया है।

श्रीमान जी, उसके साथ ही भर्ती-व्यवस्था के विकेन्द्रीयकरण की भी आवश्यकता है। भर्ती कुछ ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि भारत के सभी राज्यों को उसमें उनका वांछनीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। अब ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल तो स्थिति यह है कि जहां कहीं भी सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है, उस क्षेत्र के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया है तथा जो क्षेत्र मुख्यालयों से दूर के हैं, वहां के लोगों को सेवाओं में प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। श्री कुरेशी जब रेल मन्त्री थे तो उन्होंने पांचवी लोक सभा में यह आश्वासन दिया था कि इस आयोग का एक कार्यालय जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब या हिमांचल प्रदेश में भी खोला जायेगा। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और यह शीघ्र किया जाना चाहिए।

श्रीमान जी, मैं हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइनों—विशेष रूप से कांगड़ा घाटी अनुभाग तथा शिमला-कालका अनुभाग की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां किन्नोर तथा कालकोटी दो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां अभी तक बिजली नहीं है। मैंने इसके बारे में प्रत्येक रेल मन्त्री को लिखा है परन्तु अभी तक वहां बिजली नहीं आई है। मैं पंडित जी से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों स्टेशनों का विद्युतीकरण करवाने की ओर शीघ्र ध्यान दें ताकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ हो सके।

इसी प्रकार मैं अब आग्रह भी करना चाहता हूं कि दो अन्य फसलें अर्थात आलू तथा सेव जो कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है—को भी छूट दी जाने वाली वस्तूओं की सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारी अर्थ व्यवस्था पर उसका कुप्रभाव न पड़े।

एक अन्य सुझाव यह भी है कि कागज तथा पठन पाठन सामग्री को भी छूट सूची में स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि कागज का मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसे भी छूट की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि उनका सम्बन्ध हमारी पंडित जवाहर लाल तथा मोतीलाल वाली पीढ़ी से है। वह उस पुनरुत्थानशील भारत के उन साहसी व्यक्तियों में से है जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ते रहे तथा हमें स्वतन्त्रता दिलाई और अब वह स्वतन्त्रता प्राप्ति की उपलब्धियों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के कार्य में लगे हुये हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि रेलवे से होने वाले लाभ हिमाचल प्रदेश को भी उसी प्रकार समान रूप से मिलें जैसे कि वे उत्तर प्रदेश या आन्ध्र प्रदेश को मिल पाये।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मैं रेल मंत्री महोदय की निन्दा करने के लिये नहीं अपितु उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि यदि वह इस ढंग से रेलों में सुधार कर सकें तो उसकी अपने आप ही सराहना होगी, जैसा कि मैंने पिछले रेल मंत्री से भी और अपने सहयोगी से, जो यहां बैठे हुये हैं, अनुरोध किया था कि वह रेलों की चलने की गति को 6 मील प्रति घंटे से बढ़ा कर कम से कम 8 मील प्रति घंटा कर दें। यदि सभी गाड़ियों को मिला कर उनकी गति को देखा जाये तो इस समय भारतीय रेलों की औसत गति केवल 6 मील प्रति घंटा है। अब यदि इस समय को बचाया जा सकता है और यदि 20 से 25 प्रतिशत से अधिक गाड़ियों को उपयोग को प्राप्त किया जा सके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि रेल मंत्री महोदय हिसाब लगाये तो वह अपने राजस्व को कम से कम 200 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते थे। उसके साथ साथ यदि रेलों द्वारा सामान की ढुलाई करनी हो जैसा कि उनसे अपेक्षित है, तो इससे 200 लाख टन अधिक सामान की ढुलाई करने से 70 से 80 करोड़ रुपये राजस्व में उन्हें वृद्धि प्राप्त होगी। उनके किरायों में वृद्धि करने की बिलकुल ही आवश्यकता न रहती। मैं अपने माननीय मित्र, भूतपूर्व रेल मंत्री को यह सुझाव दिया था, जिन्होंने रेलवे बोर्ड के साथ कई बैठकें भी की थीं। यह एक दुखद कहानी है। आज भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। केवल किरायों में वृद्धि हुई है। श्रीमान जी, हमारे राज्य में एक कहावत है—

सभापति महोदय : उन्होंने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना है।

श्री बीजू पटनायक : हमारे राज्य में यह कहावत है कि "यदि आप लागत बढ़ाना चाहते हैं और इसके बाद आप बजट का सामना करते हैं, तो यह तो कोई भी कर सकता है।" ऐसे करने से आपको क्या मिला ? ऐसा करने से आप ने केवल सभी वस्तुओं की लागत ही बढ़ायी

है। आपने औद्योगिक सामान, कोयला, इस्पात तथा सीमेंट की लागत बढ़ा दी है। ऐसा करने से आप इस देश में आप केवल अधिक मुद्रास्फीती ही लाये हैं। हम वही पुरानी कहानी सुनते चले आ रहे हैं कि जीवन यापन की लागत में केवल ·04 प्रतिशत अथवा ·05% की सीमान्तक वृद्धि हुई है। वास्तव में यह 10 गुणा अधिक बैठती है। केवल दशमलव को पीछे लेना होगा न कि आगे।

इस समय ऐसा वातावरण बना हुआ है। जब लागत बढ़ती है, तो सब्जी विक्रेता कहेगा कि चूंकि रेल किराये बढ़ गये हैं इसलिये उनकी लागत भी बढ़ गयी है। इसी प्रकार, अंडा विक्रेता भी कहेगा कि चूंकि रेल किराये बढ़ गये हैं, इसलिये उनके अंडों की लागत भी बढ़ गयी है। अतः, जब भी आप कर में थोड़ी वृद्धि करते हैं, तो मूल्य सूचकांक में भी सामान्य वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देता पड़ता है। यह एक पुरानी कहानी है, इसमें कुछ भी नयी बात नहीं है हमने सोचा था कि चूंकि आपने सभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बना ली है इसलिये आप कड़े उपाय करेंगे। अब वैसी बात नहीं है। किसी भी अन्य सरकार की तरह आपके उपाय भी सशक्त नहीं हैं। वही बात हो रही हैं जो 10,15 या 30 वर्ष पूर्व हो रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी नये आशय की उपलब्धि का प्रयास नहीं किया गया है। मैं यह बात खेद से कह रहा हूं।

इसी प्रकार पूर्व वक्ता ने इस क्षेत्र की उपेक्षा के बारे में कहा था जब पिछली सरकार सत्तारूढ़ थी, तब भी ऐसा किया जा रहा था। सीमित धनराशि के साथ प्रभारी मंत्री महानगरीय क्षेत्र का विकास करना चाहते थे। श्री पाराशर ने हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा है। मैं उड़ीसा के बारे में कहूंगा। यदि उड़ीसा तटीय राज्य न होता तो जब ब्रिटेन ने इस देश की बागडोर सम्भाली थी तो साम्राज्य प्राथमिकता हेतु कलकत्ता का मद्रास के साथ सम्पर्क जोड़ने वाली कोई भी रेल लाइन न होती। तब से लेकर रेल मंत्री महोदय, उड़ीसा के लोगों की सभी इच्छाओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहणार्थ तालचोट के कोयला क्षेत्र द्वारा मांग की गयी थी। बेशक कटक से तालचेट तक रेल सम्पर्क जोड़ दिया गया, किन्तु ऐसा केवल अपने इंजनों को चलाने के लिए कोयला प्राप्त करने के लिए ही किया गया था। हम तालचेट से सम्बलपुर तक एक लाइन के लिए अनुरोध करते चले आ रहे हैं। यदि ऐसा कर दिया गया होता, तो समूचा पश्चिमी उड़ीसा एवं छतीसगढ़ क्षेत्र को भी लाभ होता। हम चाहते हैं तालचेर और राऊरकेला का सम्पर्क बरास्ता पारादपि पत्तन जोड़ दिया जाये। किन्तु कुछ भी नहीं किय गया है। जब कभी भी मांग की जाती है, तो रेलमंत्री महोदय यह कह देते हैं कि सरकार इस का सर्वेक्षण कर रही है। पहले मेरे माननीय मित्र कह चुके हैं कि एक सर्वेक्षण को हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। शायद यह एक स्वर्ण जयंति भी मनाये। गंगा पुल के मामले को ही लिजिए। गत तीस वर्षों के दौरान 15 रेल मंत्रियों ने उसी स्थान पर आधार शिलायें रखी। लेकिन पुल का निर्माण नहीं किया गया है (व्यवधान) कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने भी उसी पुल की आधार शिलायें रखी होंगी किन्तु अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि पंडित जी एक धर्म परायण

व्यक्ति हैं। एक बार वह जगन्नाथ धाम जाने तथा वहां बस जाने की बात सोच रहे थे, और मैंने उन्हें वहां एक 'मठ' देने का वचन दिया था। क्या मैं जगन्नाथ के नाम पर पंडित जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर सकता हूं कि कुछ नयी रेल लाइनों का जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं न केवल उड़ीसा की खातिर निर्माण किया जाये, बल्कि ऐसा दक्षिणी मध्य प्रदेश के भीतरी भाग एवं दक्षिण बिहार के लाभ हेतु भी किया जाये, जहां खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैंने दिल्ली का सम्पर्क पुरी से जोड़ दिया है। इसके लिये नीलांचल एक्सप्रेस अब चलती है।

श्री बीजू पटनायक : उसका प्रबन्ध तो पहले किया गया था। आप ने केवल यह बात की है कि आप ने इसके 48 घंटे के विलम्ब को कम करके अब 32 घंटे कर दिया है। **(व्यवधान)**।

उस क्षेत्र के लोगों को भारतीय रेलों की सेवा लाभ अवश्य मिलनी चाहिए जो उन्हें अब उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार उड़ीसा के लोगों की तात्कालिक आवश्यकतायें मेरे सहयोगी द्वारा भी नहीं दी गयी। श्रीमान् जी दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्य भाग उड़ीसा में से गुजरता है, अर्थात, कलकत्ता मद्रास और कलकत्ता बम्बई मार्ग उड़ीसा से होकर जाता है। मैं जानता हूं कि यदि ब्रिटिश सरकार रेलवे लाइन को सागर के ऊपर से ले जा सकती, तो इन लाइनों को उड़ीसा में से न ले जाते। किन्तु चूंकि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्य भाग उड़ीसा में से होकर जाता है, इस लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को वहां से लाया जाना चाहिए। वैसा भी नहीं किया गया है। श्रीमान् जी, यदि आसाम के लोग अपनी भलाई के लिए कुछ कहते हैं, तो कुछ पड़ोसी राज्य इसके विरुद्ध कोलाहल मचाते है। यदि उड़ीसा के लोग अपने राज्य में मुख्यालय को लाना चाहते हैं, तो कलकत्ता के लोग इससे सहमत नही होंगे। यह सम्पदा अथवा नौकरियों या अवसरों का प्रश्न नहीं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे और विशेष कर कि जब उड़ीसा के नये मुख्य मंत्री ने, जिन्होंने अभी अभी कार्य भार सम्भाला है शायद सभा में कहा है कि नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा, तो यदि मेरे अनुरोधों का नही सही, उनकी बात रखने के लिए तो इन लाइनों का निर्माण किया जायेगा।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : सभापति महोदय...।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं आधा घंटा लूंगा।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से रेलवे मंत्री जी का ध्यान बिहार के सुदूर पहाड़ी इलाके छोटा नागपुर की ओर दिलाना चाहता हूं।

कल जो बजट पेश किया गया मैं उसका समर्थन करता हूं। वह बजट काफी सुन्दर, काफी अच्छा और काफी प्रभावशाली वजट है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी जिन्दगी के साथ वे जुड़ी हुई हैं। मंत्री जी को सब से पहले अपनी ओर से यह धन्यवाद देता हूं कि पिछले महीने हरिया से चन्डीगढ के लिए तथा पुरी से दिल्ली तक निलांचल एक्सप्रेस गाड़ी उन्होंने चलाई है और कल अपने बजट में रांची से हजारी बाग होकर गिरिडीह तक बड़ी लाइन बिछाने का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन पिछले कई वर्षों से रांची से लोहरदगा और लोहारदगा से टोरी तक बड़ी लाइन का प्रबन्ध करने की बात चल रही है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह क्षेत्र हरिजनों और गरीब आदिवासियों का क्षेत्र रहा है। रांची जिले से तथा पलामू जिले से तकरीबन दो लाख आदमी अपनी रोजी और रोजगार की तलाश में हर वर्ष कानपुर, इलाहाबाद, आसाम और पजाब की ओर भागते है।

हमारे जो आदिवासी भाई जंगलों में रहते हैं, वे काम के लिए भाग कर दूसरी जगहों पर जाते हैं। वहां पर उनके पास रोजगार न होने की बजह से उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है वे लोग काम करने के लिए कानपुर, इलाहाबाद जाते हैं। वहां पर झूट बोल कर, उनको भुलावे में रख कर ले आया जाता है। जो मजदूरी उनसे तय की जाती है, वह मजदूरी उन गरीब हरिजन और आदिवासी भाइयों को नहीं मिलती है। रांची और पलामू जिले से जो हरिजन और आदिवासी भाई-बहिन बाहर काम करने जाते हैं उनमें से सैंकड़ों बहने गुम हो जाती हैं। उनको कौन ले जाता है, वे क्यों गुम हो जाती हैं इसको हम जानते हैं। अभी चद महीने पहले, अप्रैल के महीने में बंगाल में 22 लड़कियों को पकड़ा गया जिनसे अनेतिक धंधा असामाजिक तत्व करवा रहे थे। बंगाल की सरकार ने उनको रांची भेजा और इस तरह से उनकी अस्मत को बचाया। यह सब क्यों होता है? क्योंकि वहां बेरोजगारी है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि रांची जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां एशिया का सबसे ज्यादा बोक्साइट का भंडार लोहारदगा में मिलता है। अगर वहां रांची से लोहारदगा, टोरी तक का कनेक्शन बड़ी लाइन से हो जाए तो वहां की बेरोजगारी दूर करने में बड़ी मदद मिल सकती है। वहां पर बोक्साइट होने की बजह से इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी अपना कारखाना खोलना चाहती है लेकिन बड़ी लाइन के अभाव में वह नहीं खोल पा रही है। हिण्डालकों वाले भी कारखाना खोलना चाहते हैं लेकिन नहीं खोल पा रहे हैं। इनके कारखाने तथा पुरी तथा रेनुकट में हैं। वे चाहते हैं कि लोहरदगा में भी कारखाने खोलें लेकिन बड़ी लाइन के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहां एल्युमिनियम का कारखाना खुले, चाइना क्ले का कारखाना खुले। हमारी सरकार और हमारी पार्टी की भी यह घोषणा है कि सब से पहले हरिजन और आदिवासियों के जीवन

स्तर को उठाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जिस क्षेत्र में हरिजन, आदिवासी और गिरे हुए भाई—बहिन रहते हैं उस क्षेत्र को बड़ी लाइन देने का एक विचारणीय प्रश्न है।

मैं साउथ इस्टर्न रेलवे का कई वर्षों तक मेम्बर रहा हूं। रांची, लोहरदगा और टोरी को बड़ी लाइन देने पर कोई 11 करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। अगर यह लाइन हो जाती है तो जो हमारे भाई-बहिनों को साल में हर साल जो काम की तलाश में भागना पड़ता है और जिसमें हमारी सैंकड़ों बहिनें गुम हो जाती हैं, वह नहीं होगा। मेरा दावा है कि उनके भविष्य के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए रांची से लोहरदगा, टोरी तक की लाइन को यदि बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाएगा तो वह क्षेत्र हराभरा हो जाएगा और हमारे भाई-बहिनों को वहां से दूसरी जगह काम की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा।

लोहरदगा में हर साल दस लाख टन बोक्साइट का लदान होता है। वहां से 24 किलोमीटर की दूरी पर टोरी से भी 15 से 20 लाख टन का लदान होता है। इसलिए भी इस लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ने की बड़ी जरूरत है। अगर यह इलाका बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाता है तो यह सारे हिन्दुस्तान से जुड़ जाएगा। तथा रांची से दिल्ली तक की दूरी भी 200 कि०मी० कम हो जायेगी। इसलिए मैं मंत्रीं महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस काम को करें। हमारी सरकार की भी यह नीति रही है कि गिरे हुए, आदिवासी लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कदम उठाये जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां बड़ी लाइन दे दी जाए। हमारे इलाके में जहां बोक्साइट के भंडार हैं, वहां बांस के भी जंगल हैं। वहां पर पेपर मिल भी लगायी जा सकती है क्योंकि इस इलाके में कई नदी बह रही हैं और पानी काफी मिलता है। वहां पेपर फैक्ट्रीं की भी काफी गुंजाइश है। लोहरदगा से हजारों ट्रक सागवान तथा साखु की लकड़ी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर जाती है। इसलिए भी वहां बड़ी लाइन की जरूरत है।

यदि एक साल में इस लाइन को खोल दिया जाए तो कम से कम तीस चालीस हजार लोगों को वहां रोजगार मुहैया हो सकता है। आज वे लोग बाहर काम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और उनके साथ वहां अन्याय होता है। दर दर के वे भिखारी हो गए हैं। यदि यह लाइन बन जाए तो उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मैं विशेष आग्रह करूंगा कि रांची से लोहरदगा तक जो छोटी लाइन है इसको इसी बजट में बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए व्यवस्था करें।

सरकार का एक मास्टर प्लान भी बना था उसमें इस लाइन को रांची से लोहरदगा तक और वहां से मध्य प्रदेश के इलाके में होते हुए कोरवा तक जोड़े जाने की बात थी। यदि ऐसा हो जाता है तो लोहरदगा एक जंक्शन हो जाता है। रांची में इतनी जगह नहीं है कि वहां जंक्शन बनाया जा सके। एक ओर मध्य प्रदेश का कोरवा का इलाका और दूसरी ओर रांची का लोहरदगा और लोहरदगा से मुगलसराय तक चारों ओर का इलाका इस तरह से जुड़

जाएगा और यह एक औद्योगिक केन्द्र बन जाएगा। इस वास्ते यह प्रश्न गम्भीर विचारणीय प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करें और इसके बारे में हमारे पक्ष में निर्णय लें।

स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जब समस्तीपुर की आम सभा में भाषण देने के लिए गए और वहां ईश्वर के प्यारे हो गए थे तो उनके जो आखिरी शब्द थे और जिनको वह भाषण समाप्त करने से पहले बोलने को भूल गए थे और न मालूम बाद में किस तरह से उनको यह चीज याद आई और उन्होंने उठ कर जो शब्द कहे, वे शब्द भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्होंने उठ कर एलान किया "कि मैं कहना भूल गया था कि छोटा नागपुर के सदस्य पहाड़ी क्षेत्र में थे इस लाइन का जिक्र किया था और हम रांची से लोहरदगा तक जो छोटी लाइन है उसको अब बड़ी लाइन में परिवर्तित करने जा रहे हैं।" यह उनके आखिरी शब्द थे और इन शब्दों के बाद हत्यारों ने उन पर बम चलाया और वह ईश्वर के प्यारे हो गए। वह आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के हृदय से निकली हुई आखिरी आवाज और कहे गए उनके शब्दों की हम पूर्ति करें और उनकी आत्मा को शान्ति दें। इससे गरीब आदिवासी और हरिजनों के जीवन में खुशहाली लाने में हम उनकी मदद करेंगे।

बिहार राज्य के लगभग 29 एम. पीज. प्रधान मंत्री जी तथा रेल मंत्री जी को हमारे पत्र भी दिये हैं कि कम से कम जो यह गरीब इलाका है और जैसे हमारी सरकार तथा दूसरे सब लोग हरिजनों के कल्याण की बात करते हैं' आदिवासियों के लिए काम करने की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने की बात करते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह सब तभी हो सकता है यदि इस इलाके की इस लाइन की ओर ध्यान दिया जाए और जो हम कहते हैं, उसको इस तरह से अमली जामा पहनाया जाए।

रांची एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र बन गया है। वहां की लाखों की आबादी है। मैं चाहता हूं कि रांची से एक और गाड़ी कलकत्ता के लिए चलाई जाए। साथ ही साथ रांची से पटना के लिए एक अलग ट्रेन दी जाए।

सभापति महोदय : रांची से कलकत्ता के लिए ट्रेन नहीं हैं ?

श्री शिवप्रसाद साहू : एक ही ट्रेन है जो बिल्कुल अपर्याप्त है।

मुरी होकर नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी जाती है। हरिया से सटा हुआ इलाका है। वहां पर कोल फील्ड हैं और काफी वहां की आबादी भी है। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम पांच मिनट के लिए वहां पर गाड़ी को रोका जाए ताकि वहां के लोग, हरिया कारखाने में काम करने वाले लोग, कोल फील्ड्ज में काम करने वाले लोग इस रेल से फायदा उठा सकें। मुरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है।

रांची जिले की टाटी सिलवे एक औद्योगिक बस्ती है वहां लोहे का कारखाना है, ऊषा मार्टिनवर्न का रोप बनाने का कारखाना है तथा और भी छोटे मोटे बहुत से कारखाने हैं। वहां बरसात के दिनों में तथा गर्मियों के दिनों में लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह रांची से सटा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वहां पर यात्री शेड का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके।

पलामु जिले में टोरी है। जहां पर बाक्साइट लदान बहुत होता है, वनोत्पादन होता है, बांस लकड़ी, कोयला, खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं। लाखों टन के भंडार वहां हैं। इनको पहाड़ों से लाया जाता है। यहां पर रेलवे वेगन पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते है जिससे इस सब सामान को वहां से लाया जा सके। वहां जो व्यापारी वर्ग है, उसकी लाखों रुपये की सम्पत्ति और माल है, जो खराब होता है, उसमें जंग लगता है, जो सड़ जाता है। इस को बचाने के लिए यह जरूरी है कि वहां पर पर्याप्त संख्या में डिब्बों की व्यवस्था की जाए।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आशा करता हूं कि आदिवासी भाइयों और बहनों की भलाई का ख्याल करते हुए रांची से लोहरदगा और लोहरदगा टोरी को एक साथ मिला दिया जाएगा और दूसरी और रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से कोरवा (म.प्र.) को मिलाने की व्यवस्था कर दी जाए और ऐसा यदि किया गया तो सारे हिंदुस्तान से इस इलाके का सम्पर्क हो जाएगा और यह क्षेत्र एक औद्योगिक नगरी बन जाएगा और आदिवासियों और हरिजनों के कल्याण में आपको काफी सहायता मिलेगी।

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव (राजा मुंद्री) : मैं रेल मंत्री महोदय को इस अच्छे बजट के लिये बधाई देता हूं जो उन्होंने इस वर्ष प्रस्तुत किया है। बेशक यात्री किराये और माल भाड़े को बढ़ा दिया गया है। ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि नई लाइनों के बिछाने हेतु योजना परिव्यय को 110 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा दिया गया है। हम आन्ध्र प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं। हमें इस वर्ष नई लाइनें मिल रही हैं। मैं मन्त्री महोदय को अवश्य ही इसलिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम अब तो हमारे ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि की गई है, यद्यपि अतीत में ऐसा नहीं किया गया।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम दर्जे तथा प्रथम दर्जे वातानुकूलित के यात्री किराये 20% तक बढ़ा दिये गये हैं किन्तु दूसरे दर्जे तथा 50 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिये यात्री किराये में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की गयी है। यदि यात्री किराये तथा माल भाड़ा बढ़ाये जा रहे हैं, विशेषकर कि जब परिव्यय योजना में 110 करोड़ रुपये से अधिक व्यवस्था की गयी है, तो हमें इसके प्रति अनिच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। हम परस्पर विरोधी दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते। एक ओर तो हम सुधार लाना चाहते हैं, जिसके लिये उन्हें धन की आवश्यकता है। हम इन स्रोतों के अतिरिक्त कहां से धन लायेंगे? हमें इस वृद्धि के प्रति अनिच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। मन्त्री महोदय ने ठीक ही किया है।

यद्यपि मैं प्रथम दर्जे के डिब्बों के बारे में कुछ कहूंगा जिनमें हम संसद सदस्य यात्रा करते है। वे निराशाजनक स्थिति में हैं। जल के नलों की भी मरम्मत नहीं की जाती। उनमें बिजली नहीं होती। वहां का प्रबन्ध ठीक नहीं है। जब सरकार किराये बढ़ा रही है, तो उसे अवश्य ही यह सुनिश्चित करना चाहिए। इन डिब्बों की स्थिति को ठीक किया जाये।

दूसरी बात यह है, चाहे जो कुछ भी अन्य लोग कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि आपात स्थिति से हमें वास्तव में लाभ हुआ था।

आपात काल से देश के लिये अच्छा हुआ है। मैं यह साहस के साथ कहता हूं तथा मुझे इसमें विश्वास है। (**व्यवधान**) आपातकाल के दौरान कितनी गाड़ियां देर से चल रही थी? वे बिल्कुल समय की पाबन्दी के साथ चल रही थी। कोई हड़ताल नहीं थी। इस बात की जानकारी बिपक्ष के सदस्यों को भी है। हर गाड़ी बिल्कुल ठीक समय पर चल रही थी। (**व्यवधान**) आज हमें हड़ताल के कारण कितना जुर्माना देना पड़ रहा है। कल तक लोको-कर्मचारी हड़ताल पर थे। निस्सन्देह एक समझौता हुआ है। परन्तु किस कीमत पर? समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि वफादार होने के कारण 2 व्यक्तियों ने अपने नेत्रों से हाथ धो लिये हैं। (**व्यवधान**) उनके यह सब कुछ करने के बावजूद भी हड़ताल करने वालों से बड़ा लाड़-प्यार किया जा रहा है, और संभवतः उनकी गलतियों को माफ कर दिया गया है। मुझे मालूम नहीं है कि यह किसने किया है। यह नहीं किया जाना चाहिए। उन सब व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए जिन्होंने गलत कार्य किये हैं।

आज तेज चलने वाली गाड़ियों की स्थिति क्या है? मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश के मामले में जहां हमारे पास अधिकांशतः दक्षिण मध्य रेलवे हैं, वहां तीन मुख्य डीजल गाड़ियां हैं। न० 1 गोदावरी एक्सप्रेस है जो वाल्टेयर से चलती है और हैदराबाद तक जाती है। वह गाड़ी इन सब वर्षों में बिल्कुल समय पर चलती रही थी। सम्भवतः महीने में एक दिन भी आप इसे देर से चलते हुए नहीं देख सके परन्तु आज स्थिति विपरीत है। अब हम देखते हैं कि क्या एक भी दिन ऐसा नहीं है जबकि गाड़ी समय पर पहुंचती हो। दूसरी गाड़ी गिरियार एक्सप्रेस है। यह बहुत धीमी गाड़ी मानी जाती है। वह गाड़ी काकीनाड से चलती है और मद्रास तक जाती है। मद्रास तथा काकीनाड के मध्य यही एक मात्र गाड़ी है। यह गाड़ी बहुत अधिक समय लेती है। यह गाड़ी डीजल इंजन से चलती है और सदैव देर से पहुंचती है, हालांकि चलने का समय काफी है। जहां तक आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का सम्बन्ध है, यह गाड़ी सिकन्दराबाद से अप्राह्न एक बजे चलती है और अगले दिन उसी समय यहां पहुंचती है। कितने दिन यह गाड़ी ठीक समय पर पहुंचती है? आमतौर पर यह गाड़ी तमिलनाडु एक्सप्रेस तथा के० के० एक्सप्रेस की भांति देर से पहुंचती है। उन्हें समय पर चलवाया जाये क्योंकि वे तीव्र गाड़ियां हैं। ये एक्सप्रेस गाड़ियां कई घंटे देर से एक दिन या दो दिन के लिये नहीं रहती बल्कि कई सप्ताह तथा महीनों तक रहती है ये गाड़ियां एक दिन भी ठीक समय पर नहीं चलती है। इसलिए मैं माननीय

मन्त्री महोदय से इस बात पर ध्यान देने के लिए कहूंगा कि रेलवे बोर्ड इस पर ध्यान देने के लिए उन्हें निदेश दे कि ये गाड़ियां समय पर चलें।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने भाड़ा अधिभार से कुछ वस्तुओं को छूट दी है क्योंकि यह आवश्यक है कि गरीब आदमी को भी उचित लाभ हो। इन वस्तुओं के मामले में भाड़े अधिभार में छूट नहीं दी गई तो इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। परन्तु आज स्थिति क्या है? दूसरे दिन सलाहकार समिति की बैठक में माननीय रेलवे मन्त्री महोदय ने यह कहा कि अब डिब्बों की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर है? सम्भवतः ऐसा है परन्तु यह बेहतर स्थिति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है: क्या यह कम से कम आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त है? यदि आप उपयुक्त स्तर पर कीमतों को बनाये रखना चाहते हैं तो वह आवश्यक है।

आज क्या हो रहा है? मैं अपने स्वयं के अनुभव के बारे में कह सकता हूं। मेरा जिला मुख्य रूप से कृषि विकास जिला, कृषि उत्पादक जिला है। वहां कृषि उद्योग, चावल की मिलें इत्यादि हैं। इन कृषि उद्योगों का उत्पादन आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत आता है। चीनी मिलों तथा चावल की मिलों के लोग मेरे पास आये और कहा कि उनके लिए डिब्बा सप्लाई नहीं थी। मैंने राज्य मन्त्री को एक पत्र भेजा। मंडलीय कार्यालय वाणिज्यिक शाखा, विजयवाड़ा द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्होंने प्रत्येक स्टेशन से प्रत्येक वस्तु के लिये प्रति दिन के लिए डिब्बों की कुछ संख्या आवंटित की थी। मैं पत्र से उदाहरण देता हूं। इसमें इस प्रकार कहा गया है:

"निर्धारित कोटे को पूरा करने के बारे में सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों को प्रति 10 दिन की अवधि के लिये कोई मूल्यांकन भेजना चाहिए। यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसे वरिष्ठ मंडलीय कार्यालय अधीक्षक / वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक अधीक्षक के ध्यान में व्यक्तिगत रूप से लाया जाना चाहिए और उनको उनके नाम से पत्र भेजे जाने चाहिए।"

पिछले महीने की 25 तारीख को जब यह मेरे ध्यान में लाया गया था कि चीनी का कोटा प० बंगाल को जाना था और कोई डिब्बा नहीं दिया जा रहा था हालांकि स्टेशन के लिए काकीनाड़ से प्रतिदिन तीन डिब्बों की सप्लाई की जानी थी। मैंने उसे सहायक यातायात अधीक्षक से जो प्रभारी हैं इस बात का ध्यान रखने के लिए अधुरोध किया कि इसका पालन करना है। उसने अपनी असमर्थता की दलील दी और मुझे कहा कि मुझे ही इस बात की चर्चा विजयवाड़ा में उसके वरिष्ठ अधिकारियों से करनी चाहिए। मैंने उसके वरिष्ठ अधिकारियों विजयवाड़ा के मंडलीय वाणिज्यिक अधीक्षक से इस बात की चर्चा टेली फोन पर की उसने भी यह कहा कि वे निःसहाय है क्योंकि उनके पास काफी मात्रा में डिब्बे नहीं थे। मिल द्वारा रोके गए स्टाक का क्या होना है यह दूसरी तरफ कैसे जाएगा। यदि यह दूसरी तरफ नहीं जाता है तो वहां कीमतें बढ़ेंगी। क्या इस बात की ओर ध्यान देने की जिम्मेबारी रेलवे की भी वही है कि कीमते उचित स्तरों पर बनीं रहे? मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने 11 डिब्बे मांगे थे तथा बड़ी कठिनाई से महीने के समाप्त होने से पूर्व 3 डिब्बे सप्लाई कर सके थे: प्रति दिन 2 डिब्बों की सप्लाई

करने की उनसे उम्मीद की गई थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि बाकी स्टाक को ट्रकों द्वारा उठाया गया था। इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ ऊंची कीमतें हैं। जब तक आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त डिब्बा सप्लाई समुचित नहीं होती है तब तक यह कहने की कोई बात नहीं है कि हमने भाड़ा नहीं बढ़ाया है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र राजामुन्द्री पर आता हूं। उस स्टेशन पर ध्यान देने के लिए उन्हें अनुदेश देना माननीय मंत्री के लिए आवश्यक है। शायद इसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था उसको इसके बाद इधर उधर से ठीक करने के सिवाय और कुछ अधिक नहीं किया गया है। इसकी छतें भी पूरी नहीं डाली गयी हैं। वहां प्रमुख गाड़ियां आती है; बरसात के मौसम में गाड़ी में बैठने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। गाड़ी में चढ़ने से पूर्व वे पूर्णतया भीग जाते हैं। उस स्टेशन से जाने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी में पर्याप्त सीट नहीं होती है। राजामुंद्री एक प्रमुख स्टेशन है। यह एक व्यवसायिक तथा वाणिज्यिक केन्द्र है। वहां अनेक उद्योग हैं। प्रमुख गाड़ियों में से कुछ के लिए कम से कम हावड़ा मेल, सरकूलर एक्सप्रैस गोदावरी एक्सप्रैस बड़ी भीड़ वाली एक्सप्रैस के लिए तो उस स्टेशन से पर्याप्त सीटें अवश्य आबंटित की जानी चाहिए। निजी तथा वाणिज्यिक कम्पनियां जैसे लायन क्लब, रोटोरी क्लब तथा अन्य संस्थाओं के प्रेजीडेन्ट इस बारे में लिख रहे हैं परन्तु उनको प्रशासन से उत्तर 'न' में मिला। यह नहीं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अच्छा प्रशासन क्या है ; जो कुछ भी बोल चुका हूं, मुझे विश्वास है कि वे तो मुझे भी कल हर बात के लिए 'नहीं' 'नहीं' तथा कुछ नहीं का एक शिष्ट उत्तर भेजेंगे। मैं नहीं चाहता कि वे उसे दोहराये। अब वह योग्य तथा अनुभवी मंत्री महोदय श्री कमलापति त्रिपाठी जी हैं वह अच्छे प्रशासक होने के नाते तथा उन दो अन्य अच्छे मंत्री सहयोगियों के साथ रहने के नाते जो सुयोग्य व्यक्ति हैं तथा उस अच्छे नाम के साथ जो रेलवे बोर्ड का है, मुझे विश्वास है कि वे पद्धति में सुधार करेंगे और उस समय तक जब मुझे आगामी बजट में बोलना है आशा है कि मुझे ये बातें दोहरानी नहीं पड़ेगी जो मैं पिछले 2 तथा 3 वर्षो से कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सबसे पहले में रेलवे बजट पर बहस आरम्भ होने से पूर्व लोको हड़ताल के बारे में समझौता करने लिए रेलमंत्री महोदय, रेल प्रशासन तथा लोको कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। हड़ताल कुछ छोटे मुददों पर शुरू हुई थी परन्तु यह रेलवे कर्मचारियों में बढ़ते हुए असंतोष की अभिव्यक्ति है इसलिए हड़ताल फैल गई और जारी रही। मैं रेल मंत्री तथा रेल प्रशासन के हस्तक्षेप करने तथा समझौता करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि भविष्य में भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में इस भावना को बनाये रखा जायेगा। बातचीत में बहुत समय लगा। बातचीत दो दिन तक चलती रही बातचीत के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों कोई समाधान नहीं होगा। बातचीत रोक दी गई थी। फिर एक अपील की गई थी। उसमें हस्तक्षेप हुआ था। बाद में समझौता हो गया है। परन्तु अभी अम्बाला में कुछ अड़चन है मैंने मामले की सूचना मंत्री महोदय को उस समय दी थी। जब

लोको कर्मचारी काम पर जा रहे थे तो एक प्रदर्शन में जितने हड़ताल में भेदी के रूप में काम किया उसे डरा दिया गया। उसने महसूस किया कि वे उस पर हमला करने जा रहे हैं। उसने मामला पुलिस में दर्ज कर दिया। पुलिस ने ऐसे ढंग से व्यवहार किया कि वहां लाठी प्रहार हुआ और इसलिए अम्बाला में काम रूक गया। कुछ भी हो मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं कि वे तुरन्त हस्तक्षेप करेंगे। मेरा कहना है कि यह असंतोष विभिन्न अनेक कारणों से हुआ है; इसमें साधारण रूप से केवल रेलवे में उनकी सेवा शर्तों की बात नहीं है। किन्तु उस पर मैं बाद में ध्यान दूंगा।

इस बजट में किराये तथा भाड़े में अतिरिक्त वृद्धि रही है। सामन्य रूप से इसकी उम्मीद थी। हमने अंतरिम बजट से बहुत पहले यह कहा था क्योंकि यह चुनाव का समय है। यह स्थगित किया जा रहा है अन्यथा मतदान सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जायेगा। किराये व भाड़े आगे चलकर बढ़ा दिये जायेगे। इसलिए ये बढ़ा दिये गये हैं। सत्र के ठीक शुरू होने से पूर्व उर्वरकों पेट्रोल डीजल तथा रसायनिक उत्पादों के मूल्यों में एक अन्य बृद्धि भी हो गई। दूसरी होने वाली है कल यह बजट प्रस्तावों में बड़े पैमाने पर होगी। इस सबको पृथक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यही मेरी मुख्य बात है।

ये हमारी अर्थ व्यवस्था में गम्भीर संकट की अभिव्यक्तियां हैं और दिन पर दिन यह बल पकड़ती जा रही है। संकट ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जो भी उपाय आप कर सकते हैं वे वर्तमान पद्धति के दायरे में ही रहेंगे, आप इसका समाधान नहीं कर सकते हो क्योंकि यह अब अनैतिक दायरा है। कोयले की कीमतें बढती हैं। आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इसका परिणाम रेलवे के व्यय में वृद्धि होगा। डीजल की कीमत बढ़ती है तो हम महसूस करते हैं कि इसका अपना प्रभाव होगा। चूंकि रेलवे के भाड़े में वृद्धि हुई है इसलिए इसका उपभोक्ता कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारी अपना भार सामान्य व्यक्ति पर टालने में पूर्ण सक्षम हैं। स्वाभाविक रूप से वेतन बोनस तथा मंहगाई भत्ते, में वृद्धि के लिए बड़ी मांग होगी। यदि आप मान लेते हैं तो आप की लागत में और बृद्धि होगी। इसलिए आप अन्तिम सीमा पर पहुंच गये है समाधान पर बड़ी गम्भीरता से सोचना है। इससे कैसे निकलें ? यह रेल मंत्री महोदय की मुख्य चिंता नहीं होनी चाहिए। इस संकट को सुलझाने की सारी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी की है। भाड़े और किराये में अतिरिक्त बृद्धि करने का परिणाम और मुद्रास्फीति और सामान्य कीमतों में बृद्धि होगा।

आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि योजना आबंटन में 110 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसको 660 करोड़ से वढ़ाकर 770 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गत वर्ष यह 660 करोड़ रु० था। अब उसमें 20% की मुद्रास्फीति है। गणना से स्पष्ट होगा कि 20% मुद्रास्फीति का अर्थ है 20% की और वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त 110 करोड़ रु० का अर्थ है कि गत वर्ष की 660 करोड़ रु० की मूलराशि से भी कम है। इसलिए क्रय शक्ति की सही शर्तों के अनुसार यह राशि में वृद्धि नहीं है। वास्तव में धन की वह क्रय-शक्ति जो गत

वर्ष थी 110 करोड़ रु की अतिरिक्त बृद्धि से भी पूरी नहीं होती है। यह संकट की प्रकृति है। यदि आप कुछ और अधिक धन शामिल करते हैं क्योंकि धन का मूल्य कम हो रहा है तो धन की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जो भी राशि आप जोड़ सकते हैं यह वास्तव में बजट की वास्तविक आवश्यकता में नहीं जोड़ी जा रही है।

वस्तुतः आप देश की कुल अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में रेलों की भूमिका पर विचार करें, आर्थिक सर्वेक्षण के पहले ही पेज में कहा गया है कि कोयला और विद्युत के साथ-साथ रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है। इसके पहले पेज में लिखा है।

"विद्युत, कोयला और रेल यातायात के कमजोर कार्य निष्पादन के कारण आधारभूत ढांचा उत्पादन पर गम्भीर गत्यारोध के रूप में उभरा।"

यह है जो कुछ हो रहा है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हो रही है। 4 जून को हमारे मन्त्री महोदय ने सलाहकार समिति की बैठक में, जहां मैं उपस्थित था, एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि माल भाड़े यातायात का लगभग 80% रेलों द्वारा वहन किया जाता है। इसका यही अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचे के रूप में रेलवे का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। रेलवे अधोगति की बहुत ही गम्भीर स्थिति में है। उन्होंने कहा :

"यद्यपि, यह कहना मेरे लिए अनिवार्य है कि जब इस वर्ष जनवरी में नई सरकार ने सत्ता संभाली तो रेल कार्य संचालन में एक सामान्य अधोगति की स्थिति थी।"

अपने कल के भाषण में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वहां (रेलों में) एक सामान्य अधोगति रही है। केवल मात्र एक अन्तर है, उन्होंने सारा दोष पिछली सरकार पर डाला। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। यह पिछली सरकार के भी खिलाफ हमारी आलोचना थी कि वह उसी पुरानी नीति पर चल रहे थे जिस पर पिछली सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार चल रही थी। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। उस समय से रेलवे आम राजस्व को लाभांश देने का भार वहन कर रहा है। वह भार अभी तक हल्का नहीं हुआ है। आप 1924 से इसी परम्परा पर चल रहे हैं, जबकि रेलवे को निवेश की भारी धनराशि की आवश्यकता है और उसके लिए आप धनराशि प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। अब आप इसका एक समाधान सामने रख रहे हैं अर्थात् किराए एवं माल भाड़े में वृद्धि करके यात्रियों तथा गरीब आदमी पर अधिकाधिक भार डाला जाए। हमारा दल शुरू से ही बार बार यह कहता रहा है कि रेलवे की भूमिका लोकोपयोगी सेवा की होनी चाहिए। आप रेल को एक व्यापारिक संस्थान के रूप में चला रहे हैं। आज की भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल यह दुहरी भूमिका नहीं निभा सकती। रेलों को अधिकाधिक रूप से एक लोकोपयोगी सेवा होना चाहिए। यह देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक आधार भूत ढांचा है। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के उद्देश्य के लिए रेलों को काम करना

चाहिए। यही कारण है कि रेलों पर भार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और रेलें उसको पूरी तरह वहन नहीं कर पा रही हैं।

उस भाषण में मंत्री महोदय ने बताया : "भारतीय रेलों में प्रतिवर्ष 350 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं अर्थात एक करोड़ प्रतिदिन। केवल पिछले तीन वर्षों में इनमें 30% की वृद्धि हुई है। हमारा लक्ष्य है अधिक यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करना और जल्दी, सुरक्षापूर्ण और अधिक सुविधा जनक यात्रा को सुनिश्चित करना।"

यदि पिछले तीन सालों में यात्रियों की संख्या में 36% की वृद्धि हुई है, आप इन बढ़े हुए यात्रियों को ले जाने के लिए रेल गाड़ियों की सख्या में 36% की वृद्धि नहीं कर सकते। आप कुछ नई रेल गाड़ियां शुरू कर सकते हैं और वर्तमान रेल गाड़ियों में कुछ अधिक बोगियों को जोड़ सकते हैं। परन्तु यात्रियों का आना जाना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रेलें इसको पूरा नहीं कर सकती।

यही कारण है कि हमें असामान्य दृश्य देखने को मिलते हैं। रेल की सारी छत पर भी यात्री बैठ जाते हैं। किसी एक दिन मैं लखनऊ स्टेशन पर था और वहां मैंने देखा कि जब रेलगाड़ी स्टेशन पर आयी तो अन्दर के यात्री बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और बाहर खड़े यात्री अन्दर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर से घूंसे चलने लगे। यह एक आम बात हो गई हैं। ऐसी स्थिति कब तक चलेगी? प्लेटफार्म पर खड़े होने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। आने जाने वाले यात्रियों से यह इतना ठसाठस भरा होता है।

इसी तरह आपको दूरवर्ती स्थानों पर खाद्यान्न और अन्य दूसरी वस्तुएं भेजनी हैं। सम्पूर्ण भारत की सभी मंडियों आपको माल पहुंचाना है। यदि 80% माल रेलों से भेजना है और आप वहां माल नहीं पहुंचा सकते, तब परेशानी बढ़ जाती है। दो महीने पहले देश के पूर्वी भाग में विद्युत संयंत्र पूरी तरह ठप्प हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां कोयला बिल्कुल नहीं था। यदि कोयला विद्युत संयंत्रों तक नहीं पहुंचता तो वहां विद्युत का बिल्कुल उत्पादन नहीं होगा। वहां कोयला क्यों नहीं था? क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। इस तरह एक चीज दूसरी से प्रभावित होती है। तब यह तर्क दिया गया कि वहां वैगन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, हमारी अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचे का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपने बजट भाषण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि उन्होंने वैगनों की आपूर्ति में सुधार किया है। परन्तु ऐसा आप आपात् उपाय के रूप में कर रहे हैं। इसे आम व्यवहार की बात नहीं समझा जा सकता। आपने कहा था कि वहां विद्युत संयंत्रों में कोयला इकट्ठा कर दिया गया है। लेकिन ऐसा आपने दूसरे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाकर किया है।

जब यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है—तीन साल में 36% अर्थात प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत—तो प्रत्येक डिब्बे पर भार बढ़ रहा है। परन्तु उसके अनुपात में रेल कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है। उनका कार्यभार दुहरा-तिहरा हो गया है। वे अत्यधिक असंतुष्ट हैं।

रेल गाड़ियों के रखरखाव की गम्भीर रूप से उपेक्षा की जा रही है। मैं उस स्थिति की समूची तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें रेलें इस समय पहुंच गई हैं। मेरे दृष्टिकोण में यहां सुझाया गया हल कोई हल नहीं है क्योंकि, पुनः इससे अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। तब आम बजट के बाद उन वस्तुओं की कीमतें फिर बढ़ेंगी। डीजल के मूल्य में हुई और वृद्धि रेलों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। कोयले के मूल्य में हुई और वृद्धि रेलों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। आप रेलों को व्यापारिक आधार पर चलाते हैं। इसलिए, आप फिर यात्री-किराए और माल भाड़े में वृद्धि करेंगे। यह एक दुर्दम्य चक्र है।

वस्तुतः, सरकार ने भारतीय रेलों को क्या महत्व दिया है ? मेरे पास रेलवे शुल्क सूची जांच समिति का प्रतिवेदन है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उसके पेज 5 पर कहीं उन्होंने कहा है—

"स्वाधीनता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक लगभग 35 वर्ष से भारतीय रेलों को मार्ग लम्बाई का विकास रुका हुआ है। 1950-51 में मार्ग लम्बाई 53,596 किलोमीटर थी और आज वह 60,000 किलोमीटर से कुछ ही अधिक है। प्रकट है कि इसमें औसतन 10.34 प्रतिशत से भी कम की वार्षिक वृद्धि हुई है।"

इसलिए आप सीधे जनता पार्टी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। यह हमारी रेलों के विकास की सम्पूर्ण समीक्षा है।

"......इसकी तुलना चीन से कीजिए जहां 1949 में रेल मार्ग की लम्बाई 22,000 किमोमीटर थी जो 1978 तक बढ़ कर 50.000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। भारत में से रेल मार्ग की लम्बाई जनसंख्या और भूमि के क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से न केवल विश्व के आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध देशों की तुलना में बल्कि जनसंख्या के हिसाब से मलेशिया, अल्जीरिया या मिस्र जैसे देशों और भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से श्री लंका जैसे देश की तुलना में भी बहुत कम है।"

यह रेलों के प्रति दिखाई गई सरकार की उपेक्षा है।

इस रिपोर्ट के एक दूसरे स्थान पर पेज 5 पर कहा गया है—

"सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय में से रेलों के लिए परिव्यय प्रथमतीन योजनाओं में क्रमशः 20, 21 और 19 प्रतिशत था, जो चौथी, पांचवीं, और छठी (प्रस्तावित) योजना की अवधि में घट कर 8.8, 7 और 4.8 प्रतिशत रह गया। परिवहन एवं संचार क्षेत्र के परिव्यय में रेलों के लिए परिव्यय प्रथम योजनाओं में क्रमशः 58.5, 66 और 68.2 प्रतिशत रखा गया था जो चौथी, पांचवी और छठी (प्रस्तावित) योजना की अवधि में घट कर 40, 30.2 और 30.4 प्रतिशत रह गया।"

इसलिए रेलवे के प्रति की गई वह भारी लापरवाही का इस समग्र परिणाम है। यही कारण है कि सरकार के लिए आवश्यक है कि वह आपनी वर्तमान नीति को परिवर्तित करने और रेलवे को उननी अधिक प्राथमिकता देने के लिए जो अति महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के लिए वांछनीय है, गम्भीर रूप से विचार करे।

वर्ष-दर-वर्ष पिछड़े क्षेत्रों में विकास की भारी मांग हो रही है जो कि सर्वाधिक न्यायोचित मांग है, परन्तु उसका कोई उपचार नहीं हैं क्योंकि वहां कोई संसाधन नहीं हैं। उसके लिए हम रेल मंत्री को दोषी नहीं ठहरा सकते। वह मात्र दिलासा वाली बात है। यही कारण है। कि मैं विनोदपूर्वक कह रहा था कि वहां 25 वर्ष पश्चात शिलान्यास की रजत जयंती हुई है। परन्तु क्या यह एक विकास शील देश के अर्थव्यवस्था की, जो कि सढ़ रही है और विकसित हो रही है, आवश्यकताओं के अनुरूप है? यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढांचा इस तरह की दुर्व्यवस्था और संकट की स्थिति में हो तो क्या अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है और विकास कर सकती हैं? इसका विकास नहीं हो सकता यही कारण है ..।

प्रो० एन०जी० रंगा : क्या वहां और ज्यादा हड़तालें होनी चाहिए?

श्री समर मुखर्जी : यदि वहां कोई भी हड़ताल न हो तो क्या हर बात का समावान हो जाएगा? यदि आप समझते हैं कि यदि वहां कोई हड़ताल न हो तो इन सबका समाधान हो जाता है......।

प्रो० एन०जी० रंगा : वहां और अधिक हड़तालें होंगी। **(व्यवधान)**।

श्री समर मुखर्जी : रेल मार्गों के कालावधि के पश्चात् इस्तेमाल के लिए आवश्यक है .. .. (व्यवधान)।

एक मान्य सदस्य महोदय : वहा और अधिक हड़तालें होंगी।

श्री समर मुखर्जी : ठीक है, मेरे मित्र मैं उसी मुद्दे पर बोलने वाला हूं। आप सुस्थापित हैं किन्तु एक नैमित्तिक मजदूर के लिए, जिसका जीवन निर्वाह व्यय वढता जा रहा है—एक साल में मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि—क्या वह वेतन में वृद्धि की मांग नहीं करेंगे?

प्रो० एन० जी० रंगा : लोको कर्मचारी नैमित्तक कर्मचारी नहीं हैं।

श्री समर मुखर्जी : क्या ऐसा हड़ताल की वजह से है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। **(व्यवधान)** यह मजदूर वर्ग विरोधी, दृष्टिकोण है। यह शोषण करने वाले बर्जुआवर्ग की दृष्टिकोण है। मैं यह कहने को मजबूर हूं कि हड़तालें तभी होती हैं जब मूल्य बढ़ते हैं, मूल्यों में वृद्धि के बाद हड़तालें होती हैं। ऐसी बात नहीं हैं कि हड़तालों के कारण मूल्य बढ़ते हों। इतने लम्बे समय तक आपने रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया लेकिन इसका यह मतलब

नहीं हुआ कि मूल्यो में कोई वृद्धि नहीं हुई थी ? कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन आपने बोनस नहीं दिया। बहुत हाल ही में आपने बोनस देना स्वीकार किया है और उसे भी उत्पादन से जोड़ दिया गया है। अब आप दूसरी स्थिति बताएंगे कि क्योंकि 13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यह एक झूठ है। जिस समाज में हम रहे हैं आपको उसका चरित्र समझने का प्रयास करना चाहिए। यह एक पूंजीवादी समाज है। यह शोषण पर आधारित है और सत्तारूढ़ दल और सरकार एकाधिकारवादियों, बड़े व्यापारिक घरानों और सामंती ताकतों का सहयोग कर रहे है और उन पर निर्भर हैं। यही कारण है कि वहां ध्रुवीकरण हो रहा है। यही कारण है कि अब समूची अर्थव्यवस्था मौजूदा स्थिति में पहुंच गई है। यह तहस-नहस होने को है। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखें। आप कितना समय और लेंगे ?

श्री समर मुखर्जी : मैं दस मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप बीस मिनट ले चुके हैं। आपके दल के लिए 37 मिनट निर्धारित किए गए हैं और अभी आपके दल के तीन सदस्य और है है जो बोलना चाहते हैं।

श्री समर मुखजी : मुझे मालूम है ।

सभापति महोदय : आप चाहें तो आप सारा समय ले सकते हैं, मुझे इसमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : यह रेल मंत्रालय द्वारा वितरित की गई 'वार्षिकी' नामक पुस्तक है। मैं इसके पृष्ठ 120-121 से कुछ अंश पढ़ रहा हूं :

"बाहर के अनेक देशों में इस प्रकार का राजस्व घाटा सरकार द्वारा प्रदत्त राजस्व अनुदान अथवा आर्थिक सहायता के रूप में पूरा किया जाता है। अधिकांश देशों में रेलों को अब उनके लोक सेवा दायित्वों जैसे अलाभप्रद योजनाओं का परिचालन, मूल्य नियंत्रण आदेशों का अनुपालन, किसी यातायात की रियायती दरों पर ढुलाई आदि से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग है। परन्तु मिलने वाली राहत मुख्यतः निम्नलिखित रूप में होती है :

" रेलों की इस प्रकार से होने वाली हानि को पूरा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, उदाहरणार्थ वर्ष 1976 में पश्चिमी जर्मनी सरकार ने अपनी रेलों को 10.5 अरब डी एम, ब्रिटिश सरकार ने 2.75 करोड़ पौंड और डच सरकार ने 25.00 करोड़ डच डालर तथा अमेरिका सरकार (काबरेल) ने 3.3 अरब डालर सहायता के रूप में दिये थे। कुल प्राप्ति या आय की तुलना में आर्थिक सहायता का प्रतिशत बेल्जियम के लिए 63 प्रतिशत, लक्जमबर्ग के लिए 61 प्रतिशत, इटली के लिए 60 प्रतिशत, प्रश्चिमा जर्मनो के लिए 50 प्रतिशत तथा

फ्रांस, डेन्मार्क, हालैंड और ब्रिटेन में से प्रत्येक के लिए 30 प्रतिशत तथा आयरलैंड के लिए 20 प्रतिशत है।"

बहुत से अन्य देशों में रेलों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार रेलवे को बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा समझे। यह बहुत महत्वपूर्ण लोकोपयोगी सेवा है। इसलिये, इसके विकास एवं सुधार के लिये पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये और जो कुछ भी नुकसान हो सामाजिक बोझ सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये और इस भार को किराये भाड़े बढ़ाकर यात्रियों और गरीब लोगों के ऊपर नहीं लाद देना चाहिये। यही मेरी मुख्य बात है।

तत्पश्चात हड़तालों का प्रश्न आता है। हड़तालें रेलवे में बहुत देरी से आई। केवल 1974 में ही रेलवे की अखिलभारतीय हड़ताल हुई। औद्योगिक संस्थाओं में हड़ताल एक सामान्य बात है और पूरे विश्व में यह मजदूर यूनियन संघ गतिविधि चलती है। जब कभी भी काम करने वाले लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने में असफल रहते हैं और उन्हें पूरा करने के सारे साधन या रास्ते बंद हो जाते हैं तो वे हड़ताल का सहारा लेते हैं। मजदूरों के लिये हड़ताल प्रिय लगने वाली चीज नहीं है। हड़ताल का उनके लिये मतलब होता है, भूख। अगर हड़ताल तीन महीनों तक चलती है तो मजदूर का सारा परिवार भूखा मरेगा। पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और मजदूर पीटे भी जाते हैं। मजदूरों को इसका अनुभव है। परन्तु जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है यदि प्रबंधक या प्रशासन या सरकार उनकी सही मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो उन्हे हड़ताल करनी पड़ती है। 1974 की रेलवे की हड़ताल में सरकार के पास छः मांगे रखीं गईं और ये सभी मांगे ट्रेडयूनियन मांगे थी और उनमें से एक मांग वह थी जिसका उल्लेख प्रो० दंडवते ने किया अर्थात आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग पूरी होने तक सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ अनुरूपता। उन्होंने कुछ तुलना की है। तुलना के लिये कुछ तथ्य मेरे पास भी हैं। आज हम लोग विशेष सिद्धांत का पालन करते हैं जैसे समान काम के लिये समान मजदूरी य एक ही काम के लिये एक मजदूरी। परन्तु रेलवे में काम करने वालों के सम्बन्ध में इस सिद्धांत का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक इंजन चालक जो 40 माल डिब्बे 2200/2600 हार्सपावर के इंजन को चलाकर 1.30, इस्पात संयत्र के दरवाजों से चलाते हुए डंगाओं, पासी-नोममुण्डी क्षेत्र से होते हुए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आता है उसे 330-560 रुपये के वेतमान पर रखा गया है और उसके सहायक को 200-350 रुपये के वेतनमान पर। परन्तु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इंजन चालक और उसके सहायक को जो 40 बाक्स के माल डिब्बे व विभिन्न हार्सपावर 275 से 1400 हार्सपावर के बीच; जो बहुत कम है (और केवल 1400 हार्सपावर के इंजन 40 बाक्स के माल डिब्बे खींचसकता है) के इंजन को समतल क्षेत्र से लाते हैं, जिन्हें 650-1140 रुपये के वेतन मान पर रखा गया है। यही अन्तर है। वे एक ही काम करते हैं इस सिद्धांत अर्थात समान काम के लिये समान वेतन का क्या हुआ ? वह लागू नहीं होता है। इसलिए वहां असंतोष है। चूंकि दिन

प्रति दिन जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ रहा है जिससे मजदूर की वास्तविक आय प्रतिदिन कम हो रही है इसलिए वे अपने जीवन निर्वाह के लिये आंदोलन करते हैं। अगर सरकार मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखती है और यदि सरकार उनकी मांगों के प्रति बहुत जागरूक है तो हड़तालों को आसानी से टाली जा सकती है। कोई हड़ताल करना नहीं चाहता है। हड़ताल उनका अंतिम शस्त्र है।

नैमित्तिक मजदूरों का प्रश्न बार बार उठाया गया है। परन्तु यह व्यवस्था अब भी वहां है हमारे संविधान के भाग चार में निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है ? वहां कहा गया है कि सरकार को ऐसी नीतियों का अनुसरण करना चाहिये जिनसे व्यक्ति को काम करने का अधिकार मिले एक समाजवादी देश में काम करने का अधिकार एक भौतिक अधिकार है। परन्तु हमारे संविधान में काम करने का अधिकार एक निर्देशक सिद्धान्त है।

प्रतिदिन ऐसी खबरें मिल रही है कि लोको-नैमित्तिक मजदूर जो सालों से काम कर रहे हैं वे पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें अर्द्ध स्थाई होने का भी प्राधिकार नहीं हैं। उन्हें लिया नहीं जाता है। वे केवल नैमित्तिक मजदूर हैं। उनमें से कुछ लोगों को काम में लिया गया है किन्तु अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर हैं।

ठेका की प्रणाली अभी भी जारी है। अब चूंकि आप वाष्प इंजन को खत्म कर रहे हैं जो कोयला लादने और उतारने का काम करते हैं वे लोग बहुत डरे हुये हैं। जब भी हम उन लोगों के पास जाते हैं तो वे यह कहते हुये आते हैं कि "हमारा क्या भाग्य होगा यदि भाप के इंजनों को पूर्णतः खत्म किया जाता है ?" अगर आप बिजली के द्वारा गाड़ी चलाते हैं तो इन लोगों के लिये काम की सुरक्षा कहां है ? इसका भविष्य क्या होगा ? इसकी उन्हें गारंटी दी जानी चाहिये। संविदा-प्रणाली खत्म की जानी चाहिये। सरकार द्वारा संविदा-प्रणाली को खत्म करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम के अनुसार एक संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन ने भी सिफारिश की है कि रेल कर्मियों के लिये भी संविदा-प्रणाली खत्म की जानी चाहिये।

परन्तु रेल प्रशासन ही ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके सिद्धांत के अनुसार रेलवे को वाणिज्य के आधार पर चलाया जाना चाहिये। इसलिए कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिये, कोई मानवीय पहलू और ठेकादारों के माध्यम से आप उन्हें कम मजदूरी दें और उनसे अधिक काम लें। अतः एक ठेकेदार मध्यस्थ के रूप में उन लोगों का अत्याधिक शोषण कर रहा है। यहां कोई सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व या उद्देश्य ऐसी कुछ चीज नहीं, मात्र एक ही आधार है वाणिज्य। इसलिये संविदा-प्रणाली के प्रश्न नैमित्तिक श्रम के प्रश्न, प्रशिक्षुओं के प्रश्न और दूसरे वर्गों के कर्मचारियों जैसे केटिंन और केटिंन जलपान गृह में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रश्न अभी भी लटके हैं। 1974 की हड़ताल के दौरान जो छ: मांगे की गई थीं उनके संबंध में कुछ भी

नहीं किया है। उन्होंने यह बार बार आग्रह किया कि रेलवे को एक उद्योग माना जाय किंतु यह स्वीकार नहीं किया गया।

इंजन में काम करने वाले अत्यधिक गर्मी में काम करते हैं। वे बहुत पुराने भाप के इन्जनों में काम करते हैं। मेरे पास एक इंजन, जो इंजन चालक के द्वारा सांम्पला स्टेशन में उस दिन चलाया जा रहा था उसकी फोटोस्टेट प्रतिलिपि है। उसका निर्माण कनाडा में 1945 में हुआ था। कनाडियन कम्पनी जिसने इस इंजनों का निर्माण किया उसने 5 साल की गारंटी दी थी। ये इंजनों चालक उस तरह के पुराने इंजनों को अब भी चला रहे हैं। 25% से अधिक गाड़ियां पूर्णतः अनुपयोगी हो गई हैं। परन्तु उनका उपयोग अब भी किया जा रहा है। इंजन कर्मचारियों को इन इंजनों को प्रयोग में लाने के लिये मजबूर किया जा रहा है क्योंकि मजदूरी दूरी के अनुसार तय होती है। उनकी आय का 75% इसी मील दूरी से आता है। यहां तक कि इंजनों इंचार्ज जो यह प्रमाणित करता है कि इंजन ठीक है या नहीं वह भी "ठीक" प्रमाणित करने के लिये बाध्यहै। अन्यथा इंजन कर्मचारियों के परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। ये दिक्कतें हैं जिनसे रेल कर्मचारियों को निपटना पड़ता है। मुझे आशा है कि माननीय रेलमंत्री महोदय इन सभी चीजों पर गंभीर चिंतन करेंगे और रेलवे के अन्दर सम्बन्धों को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे। रेलवे के विकास के लिये नीति में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके बिना आप इस समस्या का समाधान नही कर सकते और आप रेल को भारत के सभी तरफ नही फैला सकते हैं और आप अर्थव्यवस्था का नुकसान करेंगे। अर्थव्यवस्था गहरे संकट के बीच में है। रेलवे अपना रोल अदा नहीं कर सकता है।

मैं यात्रियों पर अतिरिक्त किराये भाड़े लगाये जाने का पूर्णतः बिरोध करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री ने 1980-81 का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जब मंहगाई अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई हो, उस समय रेलवे का किराया और माल-भाड़ा बढ़ना जनता को तो रुचिकर नहीं लग सकता है। अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के कारण मंहगाई बढ़ी है। उसके बाद रेलवे के फेयर और माल-भाड़े के बढ़ने से कीमतें अवश्य ही बढ़ेंगी और उनका रुझान वृद्धि की तरफ होगा। मूल्य-वृद्धि हमारे लिए एक परेशानी का विषय है और उस पर नियत्रण करना आवश्यक है। हम जो कदम उठा रहे हैं, वे इस प्रकार के हैं कि उनसे मूल्यों की वृद्धि का रुझान बढ़ता जा रहा है।

जहाँ तक अविकसित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैंने रेलवे बजट का पूरी तरह से अध्ययन किया है, राजस्थान और अन्य प्रान्तों के बारे में उसका अध्ययन किया है, और पाया है कि अविकसित क्षेत्रों की अभी भी उपेक्षा की गई है और घोर उपेक्षा की गई है। हमारे यहां

बाड़मेर और जैसलमेर एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मगर बराबर उसकी अवहेलना तथा उपेक्षा की जा रही है। राजस्थान में कोटा से नीमच तक जिस रेलवे लाइन का प्रोपोजल है, वह भी विकसित क्षेत्र में है। कोटा राजस्थान का सबसे विकसित क्षेत्र है। वहां एक नई रेलवे लाइन खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा और कोई नई लाइन बनाने का प्रस्ताव नही है।

इसका मतलब यह है कि हम रिजनल इमबेलेंस, असंतुलन, पैदा करते हैं और अविकसित क्षेत्रों को अविकसित रहने देते हैं। जब तक किसी क्षेत्र में रेलवे की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक वह विकास नही कर सकता है। रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम नई रेलवे लाइनें खोलने के सम्बन्ध ने अविकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी थी, जिसके नतीजे हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं। अब वहां पर कुछ रेलवे लाइनें खोली जा रही हैं। हमारे क्षेत्र रेगस्तानी क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र हैं, और वे भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। अगर उनकी भी घोर उपेक्षा की गई, तो वे भी रिवाल्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसके बाद सरकार कदम उठायेगी। उससे अच्छा है कि सरकार पहले ही स्थिति को समझ ले और समय की पहचान कर लें। आज की दुनिया में कोई भी अविकसित नहीं रहना चाहता है, सभी प्रगति और विकास करना चाहते है, सभी इस दौड़ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग भी क्यों न आगे बढ़े, क्यों न विकास करें ?

मैंने पहले भी सुझाव दिया है, और उसको दोहराना चाहता हूं कि गंगानगर से गांधीधाम तक ब्राडगेज रेलवे लाइन होना आवश्यक है।

अभी जो राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है जिसमें यह संभावना है कि यह नहर जैसलमेर और आगे के क्षेत्र में भी बढ़ेगी तो इस क्षेत्र का भी विकास हो और इसलिए अगर हम उस क्षेत्र में रेलवे लाइन के बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो बाद में जब विकास हो जाएगा और तब रेलवे लाइन की बात सोचेंगे तो उससे विकास की गति धीमी पड़ जाएगी।

कांधला का जो पोर्ट बना था उस समय यह सोचा गया था कि यह पोर्ट पंजाब हरयाना और राजस्थान को फीड करेगा। उस समय ऐसा समझा गया था लेकिन उसके बाद भी अभी तक वहां रेलवे लाइन बनाने के बारे में हमारी थिंकिंग कततई नहीं चल रही है। प्रश्न किया गया तो कहा गया कि इतनी बड़ी लाइन पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पहले आप बीकानेर को जैसलमेर से मिलाइए। गंगानगर और बीकानेर मिले हुए हैं। बीकानेर को जैसलमेर से मिला दीजिए। फलौदी से कौलायत अगर रेलवे लाइन बना देते है तो बीकानेर से जैसलमेर मिल जाता है। फिर बाड़मेर का हिस्सा लीजिए। बाड़मेर से पालनपुर तक लेंगे तो फिर बाद में कांधला अपने आप रेलवे लाइन से जुड़ जायेगा। पहले इसके सर्वेक्षण का काम हाथ में लीजिए। पहले तो यह मान लीजिए कि यह स्कीम लेनी है। अभी तक तो यह माइंड ही नहीं बना और सर्वेक्षण का काम भी शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं यह आज

आप से कह रहा हूं कि फिर बाद में आपको सोचना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा कि हमें यह कदम उठाना चाहिए था लेकिन हमने यह कदम नहीं उठाया जिसके कारण यह पश्चाताप करना पड़ रहा है।

एस बात मैं बिशेष तौर से ध्यान में लाना चाहता हूं। जो हमारे 8 जौन बने हुए हैं उनमें उत्तरी जौन सबसे बड़ा जौन है और उसके अंदर हमारे राजस्थान का काफी हिस्सा आया हुआ है। उस जौन में हमारे यहां राजस्थान में सब मीटर गेज ही मीटर गेज है, ब्राडगेज की कोई लाइन नही है। सारी मीटर गेज रेलवे लाइन होने के कारण अकसर रेलवे अधिकारी उसकी तरफ कोईध्यान नहीं देते। रेलवे बोर्ड मीटर गेज की तरफ कतई ध्यान नहीं देता। उन लाइनों की स्थिति बड़ी ही सोचनीय हैं। आप देखें बाडमेर से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर लाइन बनी हुई है। बाडमेर से जोधपुर की लाइन सौ वर्षो से बनी हुई है। उसके जो स्टेशन हैं उन स्टेशनों में कोई भी तरक्की आज तक नहीं की गई है। सौ वर्ष पहले जो बने हुए है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है अब आप एमेनिटींज दे रहे हैं, सैकेंड क्लास के पेंसेंजर्स को एमेनिटीज दी जा रही है, और लोगों को दी जा रही हैं लेकिन हमारे यहां तो बहुत से स्थानों में प्लेटफार्म ही नहीं है और वर्षा अगर हो जाय तो वहां कतई किसी तरीके का कोइ कबर नहीं है। गर्मी के दिनों में भी जब कि वहां पानी की बहुत आवश्यकता होती है, सबसे बड़ा संकट पीने के पानी का है। इस प्रकार की स्थिति मीटर गेज पर है। तो मैं सुझाव के रूप में यही कहना चाहता हूं कि मीटर गेज का एक नया जौन क्रियेट किया जाना चाहिए। यह पांच छः हजार किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके अंदर राजस्थान का क्षेत्र आता है, सौराष्ट्र का क्षेत्र आता है और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। अगर मीटर गेज का अलग जौन बना दिया जाता है और उसका हैडक्वार्टर जोधपुर में बन जाता है तो कुछ सुविधाएं, कुछ एमेनिटीज वहां के पेंसेजस को भी मिल सकती हैं।

जो सर्विस वाले हैं उनका भी हैडक्वार्टर नार्दर्न रीजन का इलाहाबाद में है। सर्विसेज के अन्दर राजस्थानियों को कोई भी सुविधा उसके कारण नहीं मिलती है एक परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा उनको स्थान उस में नहीं मिलता।

बड़ी-2 सर्विसेज में कोई स्थान है ही नहीं। बड़ी-2 सर्विसेज में अगर स्थान है तो यू.पी. का है, पंजाब का है लेकिन राजस्थानियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका अगर कोई निवारण हो सकता है तो वह तभी हो सकता है जवकि मीटरगेज जोन की व्यवस्था वहां की जाय।

मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं पहले रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब पहले मैंने जनवरी में भाषण दिया था उस समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे यहां रेल की रात्रि सेवायें नहीं चलती थीं, उस समय देश में 122 ट्रेन्स नहीं चलती थीं लेकिन आपने प्रयास करके सभी ट्रेन्स को चलाना शुरू किया। आपने कोयले की व्यवस्था की, डीजल

की व्यवस्था की और सारी व्यवस्थायें करके गाड़ियों को शुरू किया। आपने एक सबसे बड़ा काम यह किया कि जोधपुर से जयपुर मरुधर एक्सप्रेस चलाई जिससे हमारी जनता को बहुत लाभ हुआ। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मरुधर एक्सप्रेस जो चलती है वह बुधवार को नहीं चलती है। इसलिए नहीं चलती है कि वेस्टर्न रेलवे कोआपरेट नहीं करती। कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाई गई है वह अगर हफ्ते में एक दिन न चले तो उसकी यूटिलिटी में बड़ी बाधा आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह ट्रेन जो आपने चलाई है वह रेग्यूलर चलती रहे, उसमें बुधवार की छुट्टी न रहे। कितना भी खर्चा आये, वेस्टर्न रेलवे का कोआपरेशन लेकर उसको रेग्युलर चलाना चाहिए। नार्दन रेलवे तो पूरी तरह से कोआपरेट करती ही है। इसलिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने यह भी देखा है कि मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से फुलेरा तक टाइम से पहुंचती है लेकिन उसके बाद जयपुर तक वेस्टर्न रेलवे किसी न किसी कारण से उसको लेट कर देती है। कभी कोई बड़े अधिकारी गुड्स ट्रेन में आगे चले जाते हैं। वह गाड़ी पीछे रह जाती है और छोटे छोटे स्टेशन्स पर रुकती है। मैं खुद अभी 3-6-80 को उसी ट्रेन पर सफर कर रहा था, मैंने देखा कि वह एक घंटे चार मिनट लेट रही जिससे पांच सौ पसेंजर्स को नुकसान पहुंचा। वेस्टर्न रेलवे के नान-कोआपरेशन के कारण या किसी अधिकारी को लाभ पहुंचाने के कारण इस ट्रेन को लेट कर दिया जाए—इसको हम कभी पसन्द नहीं करते।

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में दो चार सुझाव देकर समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : क्या अभी आपके दो चार सुझाव बाकी हैं ?

श्री विरधीचन्द जैन : पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अहमदाबाद से दिल्ली के लिए ब्राडगेज का प्रश्न बहुत पहले से चल रहा है, जो भी मंत्री आते हैं वे आश्वासन देते हैं।

सभापति महोदय : आप केवल सुझाव देते चले जायें, व्याख्या करेंगे तो बड़ा समय लगेगा।

श्री विरधीचन्द जैन : मेरा निवेदन है कि ब्राडगेज की स्वीकृति देकर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाना चाहिए ताकि हम राजस्थान के लोग भी ब्राडगेज का कुछ लाभ उठा सकें, हम भी इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ आगे बढ़ सकें तथा कुछ तरक्की कर सकें।

जो मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से जयपुर चलती है, उसमें मेरा सुझाव है कि बाड़मेर से जयपुर तक एक कोच लगाई जानी चाहिए। इससे टाइमिंग में कोई अन्तर नहीं आयेगा। इस प्रकार बाड़मेर के पसेंजर सीधे जयपुर जा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में एक कोच की बाड़मेर से जयपुर तक के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

जोधपुर-दिल्ली एक मेल चलती है, उसमें भी बाड़मेर से दिल्ली के लिए कोच लगाना चाहिये। बाड़मेर एक महत्वपूर्ण स्थान है, सीमावर्ती नगर है, जिले का मुख्यालय है और

इसकी इम्पार्टेंस भी है। सिर्फ एक कोच की व्यवस्था करने से बाड़मेर को दिल्ली से मिलाया जा सकता है। आजादी के बाद हिन्दुस्तान के क्षेत्र में आया और खोखरोपार पाकिस्तान में आया खोखरोपार और मुनाव के बीच में दस साल पहले गाड़ी चलती थी, जिससे राजस्थानऔर गुजरात के यात्री पाकिस्तान जाते थे, जो गुड्स ले जाते थे। वहां पर बराबर आना-जाना होता था। पिछले दस साल से यह व्यवस्था बन्द कर दी गई, जिसकी बजह से राजस्थान, गुजरात महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के यात्रियो को बहुत ही नुकसान और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके संबंध में व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत किया है, समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि रेलवे में जो खाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत ही इन्फीरीयर क्वालिटी का खाना दिया जाता है। मैं पिछले दिनों पूर्व की ओर गया था और पूर्व के अन्दर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मेघालय, आसाम आदि इन क्षेत्रों में तो खाना बहुत ही इन्फीरीयर क्वालिटी का है। दाल के अन्दर सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए पैसेंजरों को सुविधा के लिए जो खाना दिया जाता है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। रेलवे मंत्री महोदय, मुझे आशा है कि इस संबंध में देखेंगे क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से यात्रियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

इन शब्दों के साथ रेलवे मंत्री महोदय को धन्यबाद देते हुए, जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : श्रीमान, आरम्भ में ही मैं तीव्र परिवहन प्रणाली मद्रास सम्बन्धी कार्यालय के कार्यकाल की 30.6.80 तक वढ़ाए जाने के लिए रेल मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस परियोजना के कार्यकाल को 31,12.1980 तक बढ़ा दिया जाए। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस अवधि को वढ़ाना अनिवार्य है। यदि परियोजना कार्यालय को 30-6-80 के दिन समाप्त कर दिया जाता है तो इसका निहित अर्थ यह है कि मद्रास के लिए की जाने वाली व्यवस्था समान्त हो जाएगी तथा मद्रास नगर को यह व्यवस्था आने वाले कई वर्षों तक उपलब्ध नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मद्रास नगर में तीव्र परिवहन व्यबस्था आगामी पंच वर्षी योजना में सम्मिलित की जाएगी, भले ही विश्व बैंक से ऋण न मिल पाए। इस अवसर पर यह उल्लेखनीय है कि 450 करोड़ रुपया की कलकत्ता सम्बन्धी परियोजना 600 करोड़ रुपए के व्यय पर पूरी होगी। आगे यह भी पता चला है कि पिछले वर्ष के लिए आवंटित धन में पर्याप्त राशि वापस की गई थी, जवकि मद्रास परियोजना की कुल लागत 5 वर्ष में 73 करोड़ रुपए बैठेगी। वेशक योजना की अवधि कम की गई है यह नगर के दक्षिण क्षेत्र के यात्रियों की मद्रास बीच से 'लुई' तक की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है और उससे आगे का कार्य सड़क परिवहन द्वारा हो सकता है। इसलिए योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय और रेलवे को मद्रास की इस छोटी योजना को, जोकि भूमि पर तथा

ऊंची उठी हुई भूमि पर बननी है तथा जिसमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता नहीं है, को योजना में सम्मिलित किया जाए, तथा इस बीच टोकन व्यवस्था की जाए ताकि विस्तृत डिजाइन, आयोजना कार्य किया जा सके तथा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। संसद के पिछले सत्र में वित्त मंत्री तथा योजना आयोग ने बताया था कि मद्रास के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली पर निर्णय राष्ट्रीय परिवहन समिति द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद लिया जाएगा। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मन्त्री को दे दी है। यह पता चला है कि उन्होंने मद्रास के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली का दृढ़ता पूर्वक समर्थन किया है। उससे एक उदाहरण इस प्रकार है :

"बीच से आश थी सलाई तक नई रेलवे लाइन को शीघ्र हाथ में लिया जाना चाहिए ताकि मद्रास के प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। मद्रास तीव्र परिवहन प्रणाली के प्रक्रम प्रथम में 24 करोड़ रुपए लागत आएगी।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बीच से गींड़ी तक मीटर गेज रेलवे लाइन के अनुकूलन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाए।

समिति ने यह भी कहा है :

"जहाँ तक सम्भव हो परिवहन के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में समिति महानगरों के लिए तीव्र परिवहन प्रणाली के पक्ष में है। यातायात में होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धि किसी भी सड़क परिवहन क्षमता से बाहर है।"

यह शीघ्र परिवहन प्रणाली जहाँ तक सम्भव हो भूमि से ऊपर होनी चाहिए क्योंकि भूमिगत रेलें बहुत महंगी पड़ती हैं।"

मद्रास के लिए सुझाई गई योजना समिति द्वारा व्यक्त सभी अनुबन्धों को पूरा करती है। पल्लवन परिवहन निगम ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वे दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली परिवहन की आवश्यकता को भविष्य में पूरा नहीं कर पायेंगे।

पल्लवन परिवहन निगम द्वारा डीजल की कीमतें बढ़ने के परिणाम स्वरूप 12-6-80 से बढ़ाए गए किरायों के सम्बन्ध में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है :

"पी०टी०सी० के महानगरीय संभाग को, जोकि प्रतिदिन 90 किलो लीटर डीजल का उपयोग करता है, 2.50 करोड़ रुपए वार्षिक देने पड़ेंगे। परिणामस्वरूप इसका ईंधन का कुल व्यय बढ़कर 7.75 करोड़ रुपए तथा पूरे वर्ष का कुछ व्यय 30 करोड़ रुपए हो जाएगा।"

इस स्पष्टीकरण से तीव्र परिवहन प्रणाली की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। ऐसी बढ़ोतरी से निजी परिवहन अर्थात् निजी, कार, स्कूटर आदि से सार्वजनिक परिवहन की ओर अधिक यात्री आकर्षित होंगे परिणामस्वरूप यात्रियों की समस्याओं में वृद्धि होगी।

प्रसंगवश मैं पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए संकेतों को मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए उल्लेख करता हूं :

'प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 5 जून, 1980 को संकेत दिया था कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ने की सम्भावना है।

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते समय श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर आर्थिक सहायता जारी नहीं रख सकती।

श्रीमती गांधी ने बताया कि, भारत, जिसकी तेल की अत्यन्त आवश्यकता है, को दोनों ओर से दबाया जा रहा है।

भारत उतना मूल्य नहीं दे सकता जितना विकसित देश, हो-हल्ले के पश्चात्, दे रहें हैं।

श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत के वृहत आकार और भारी जनसंख्या के कारण तेल निर्यात करने वाले देश उसे विकसित देश समझते हैं। इस प्रकार हम दोनों ओर से दबाए जाते हैं। हम इस बारे कुछ नहीं कर सकते।

परिवहन क्षमता, परियोजना की आवश्यकता, उस पर लगने वाली लागत, भूमि की उपलब्धता, जन शक्ति, कच्चे माल तथा विशेषज्ञतः को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना सबसे सस्ती पड़ेगी और इसे कम से कम निर्धारित अवधि में बिना कठिनाई पूरा किया जा सकेगा।

यदि इसे सही रूप से क्रियान्वित किया जाये, तो इससे वर्तमान परिवहन प्रणाली में भीड़-भाड़ कम होगी तथा नगर के बाहरी क्षेत्रों के विस्तार में सहायता मिलेगी।

महानगरों की परिवहन परियोजनाओं के अध्ययन, और मद्रास नगर और उसके उप-नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या की दर से प्रकट होता है कि केवल तीव्र परिवहन प्रणाली ही भावी आवश्यकता को पूरा कर सकेगी।

कलकत्ता परियोजना के व्यय तथा मद्रास परियोजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मद्रास तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए धन, बिना विश्व बैंक की सहायता की प्रतीक्षा किए भी वर्तमान योजना के लिये आवंटित धनराशि से दिया जा सकता है

श्रीमान् मेरा आप से निवेदन है कि आई०सी०एफ० से वीलीवेक्कम तक वर्तमान रेलवे लाइन को अरुमबाकम तक बढ़ा दिया जाए ताकि कोटवाल मार्किट के प्रस्तावित स्थानान्तरण, जोकि इस समय जार्जटाऊन में है और नगर के बाहरी क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के कारण

परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। इस परियोजना को शीघ्र हाथ में लिया जाए ताकि यह मद्रास नगर के क्षेत्राधिकार, की बढ़ती मांग को पूरा कर सके।

लोगों को शहरी क्षेत्रों से बाहर जाने में प्रेरित करने के लिए नगर के बाहरी क्षेत्रों का सब प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़े हुए क्षेत्रों की सबसे बड़ी आवश्यकता संचार सबन्धी है। परन्तु इस पहलु पर ठीक समय पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता तथा न उन कार्यक्रमों को विधिवत क्रियान्वित किया जाता है। ताम्बरम् से आगे और चिंगलपट्टु और कांचीपुरम को उचित, समय पर तथा पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों के अभाव में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समय मद्रास बीच से ताम्बरम तक पुराने ढंग के ई-एम यूनिट कार्य कर रहें हैं, उन्हें बदलने तथा बढे हुए यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यूनिटों की संख्या बढ़ाये जाने की भी आवश्यकता है। अतिरिक्त ई०एम० यूनिटों के लिए जो मांगपत्र दक्षिणी रेलवे को भेजे गए है उन पर पिछले दस वर्ष से सप्लाई नहीं की गई है।

भीड़ को समाप्त करने, यात्रियों की भारी भीड़ तथा इस प्रणाली पर भारी दबाव के कारण ई०एम० यूनिट कोच शीघ्रातिशीघ्र दिए जाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। बेशक मन्त्री महोदय ने अंतरिम बजट में कुछ करने का वचन दिया था तो भी इस दिशा में कम प्रगति हो पाई है।

कर्मचारियों के कल्याण के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि विभिन्न रेलवे के "कर्मचारी शाखाओं" में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए रेलवे बोर्ड के अधीन उचित मशीनरी की व्यवस्था की जाये। 'कर्मचारी शाखा' के कर्मचारी जोकि अन्य रेलवे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं, अपनी शिकायतों को दूर नहीं करा सके क्योंकि वे उसके लिए किसी किसी उच्चाधिकारी तक नहीं पहुंच सके। इस दिशा में अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये तथा महा प्रबन्धक के कर्मचारी वर्ग को कर्मचारी शाखा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।

मै द्रमुक दल एवं तमिलनाडु के लोगों की ओर से रेल मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तिरुनेलवेली-नागरकोहल लाइन के लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है जिससे कि इस लाइन को इस वर्ष परिवहन के लिए खोला जा सके।

करूर डिंडीगल-मदुरै-तुतिकोरन, तिरुनेलवेली की नई लाइनों की दीर्घकाल से चली आ रही मांग को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए, बेशक आपने कहा है कि यह विचाराधीन है। विचार करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे शीघ्र लिया जाना चाहिए।

एक और योजना है, जिसके लिए लोग बढ़े हुए पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों के सन्दर्भ में प्रतीक्षा कर रहें हैं, अरकोनम-जालरपेट लाइन के विद्युतिकरण के बारे में है। सामराज-नगर से पिलानी

बरास्ता सत्य मंगलम मेत्तुपल्लयम तिरुरपुर, धर्मपुरम-पिलानी की नयी लाइनों को भी लिया जाना चाहिए मन्त्री धार्मिक और कर्मकाण्डी व्यक्ति हैं। इससे न केवल अन्तः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अपितु अर्न्तजिला स्तर पर भी लाभ पहुंचेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रामस्वरूप राम।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : माननीय सभापति महोदय......।

चौधरी मुलतानसिंह (जलेसर) : सभापति महोदय, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय : आपको बारी से बुलाया जाएगा। अब इसकी व्याख्या करने लगूं कि क्यों नहीं बुलाया गया, तो ठीक नहीं है।

चौधरी मुलतानसिंह : क्या कारण है? क्यों नहीं बुलाया गया है। (व्यवधान)... आप सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं या अध्यक्ष कर रहे हैं?

सभापति महोदय : आप को जरूर बुलाया जाएगा। यह आप सभापति के विवेक पर छोड़ दे।

श्री रामस्वरूप राम : सभापति महोदय, माननीय रेल मन्त्री जी ने जो गतिशील विकासोन्मुख बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं रेल मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। अभी तीव्री से तीव्री आलोचना हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भाड़े बढ़ गए और किसी ने कहा कि तरह तरह की चीजें उस बजट पर उभर रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि श्री मधु दण्डवते जैसे लोगों की खोखली अर्थनीति के चलते ही आज हिन्दुस्तान में यह स्थिति आई। रेलों के किराए-भाड़े बढ़े। रेल में जो ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उसकी मुख्य जिम्मेदारी जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस की है। यह दशा जो हुई है, उस के लिए हमारे श्री मधु दण्डवते, जो पहले रेल मन्त्री रह चुके हैं, जिम्मेवार हैं और इस बात को हिन्दुस्तान की सारी जनता जानती है। उन्होंने यह कहा कि हम ने तीन सालों में कोई किराये नहीं बढ़ाए लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई एक भी विकासोन्मुख योजना देश में चलाई? मैं माननीय पण्डित जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब मैं जीत कर आया और पहले-पहले इस लोक सभा में आया, तो मैंने पंडित जी से अनुरोध किया था। कि हमारे यहां जनता को काफी परेशानी है, तो पण्डित जी ने निलांचल एक्सप्रेस दिल्ली से पूरी तक एवं राची चण्डीगढ़ एक्सप्रेस चलाई जिससे उससे आदिवासी और वीकर सेक्शन्स के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्या यह विकासोन्मुख योजना नहीं कही जा सकती? अगर यह विकासोन्मुख योजना नहीं हो सकती, तो वे अपने हृदय पर हाथ रख कर बताएं कि

उन्होंने तीन सालों में क्या किया। उन्होंने अपने तीन साल के शासन में देश में अराजकता और देश में पृथकतावादी ताकतों को बढ़ने का एक तरह का साहस दिया। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो रेल बजट देश के सामने आया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

इस के साथ साथ में पंडित जी से एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आज देश में 68 परसेंट पापूलेशन ऐसी है, जिस की आमदनी एक रुपए से लेकर 500 रुपए महीना है और वह आदमी सेकेंड क्लास में सफर करता है। मैं अदब के साथ आप के सामने यह बात रखना चाहता हू कि 68 पर सेन्ट जो पापूलेशन है, जिसकी आमदनी 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है, उस पर आप किसी तरह का और भार मत डालिए।

चूंकि ये काफी गरीब है, उसको पांच पैसे की बढ़ोतरी अखरेगी और उस पर काफी आर्थिक दबाव पड़ेगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपने फर्स्ट क्लास और ए० सी० सी० पर बीस परसेन्ट किराया बढ़ाया है, उसको आप 25 परसेन्ट कर दीजिए और एक सौ किलो मीटर ट्रेवलिंग करने वालों को आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए। हिन्दुस्तान में फर्स्ट क्लास और ए०सी०सी० में ट्रेवल करने वाले लोग काफी उदार हैं। वे पांच परसेंट की और बढ़ोत्तरी से इंकार नहीं करेंगे। इस तरह से आपकी योजनाएं और आपकी परिकल्पनाएं भी पूरी हो जाएंगी। इसलिए आप पांच परसेंट किराए बढ़ाने की बात को छोड़ दीजिए।

आपकी योजनाएं काफी विकासोन्मुख है। मैं कुछ बिहार की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने बिहार के विकास के लिए रेलवे की बड़ी बड़ी योजनाएं विभाग को सौंपी थीं। उनकी योजना बिहार के आदिवासी, हरिजन क्षेत्रों स्थिति वीकर सेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा रेल सुविधाएं पहुंचाने की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वे हमारे बीच में नहीं रहे। अब आप उनकी योजनाओं को देखें और उन योजनाओं को लागू करने के लिए आप कोई न कोई कदम अवश्य उठायें।

सभापति जी आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में हम ने दो तीन सवाल सदन के समक्ष पूछे थे। मैंने उन सवालों में कहा था कि पटना-गया रेलवे लाइन बड़ी पुरानी रेलवे लाइन है। जब जब दुर्घटना होती है, ग्रांड ट्रंक लाइन पर या मेन लाइन पर तो उसकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। माननीय रेल मन्त्री जी जानते हैं कि उस लाइन को डबल करने का प्रस्ताव था मेम्बर ट्रेफिक से मिल कर भी उनका सारी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। पांच-सात सदस्यों के हस्ताक्षर से एक मेमोरेण्डम भी मैंने मंत्री जी को दिया था। सोचा था कि आने वाले बजट में पटना-गया लाइन को डबल करने की कोई योजना होगी लेकिन दूसरी बात वह नहीं है। दूसरा सवाल

मैंने किया था कि राजगृह से बौद्ध गया को लिंक करने का । इस बजट में बड़ी आशा की थी । क्योंकि वह एक हरिजन और आदिवासी क्षेत्र है और वहां के लोग काफा गरीब है । उस जगह की हिस्टारिकल, पोलिटिकल और इन्टरनेशनल दृष्टि से भी बड़ी इम्पार्टेंस है । वहां पर जावा, सुमात्रा, श्री लंका और दूसरे मुल्कों से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते हैं । वहां पर एक रेलवे लाइन होनी चाहिए । पिछले बजट को मैंने देखा था । उसमें सर्वे की बात कही गयी थी माननीय मन्त्री जी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में भी राजगृह बौद्ध गया लिंक करने की बात का थी । पता नहीं उस योजना को जो कि एक पिछड़े हुए क्षेत्र की योजना है आपने क्यों छोड़ दिया ?

एक बात और मैं आप से कह देना चाहता हूं । और वह एक बहुत ही सिम्पल बात है रेलवे देश का एक बहुत बड़ा उद्योग है जहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लाएमेंट दी जाती है । अभी हमारे माननीय रामविलास पासवान जी ने सदन के समक्ष आंकड़ा दिया है जो कि हरिजनों की रिजर्वेशन के सम्बन्ध में है । हमारे मन्त्री जी गरीब परवर हैं और गरीबों के लिए उनके दिल में दर्द है । हरिजनों का जो कोटा है वह काफी दिनों से पूरा नहीं हो रहा है । इस लिए है कि पिछली सरकार ने हरिजनों के नाम पर आंसू तो बहुत बहायी थी । लेकिन किया कुछ नहीं । मैं अब मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा जो रिजर्वेशन का कोटा है चाहे वह फोर्थ ग्रेड का हो, तृतीय ग्रेड का हो या पदाधिकारी वर्ग का हो, उसको बड़ी तेजी से पूरा करें । मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि आप एक पावरफुल कमेटी बनाएं जो इस बात की जांच करे कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो रिजर्व्ड कोटा है उसको भरने के लिए हमारे पदाधिकारी गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं या नहीं ।

जिन पदाधिकारियों के बारे में यह पाया जाए कि उन्होंने रिजर्वेशन के मामले में उपेक्षा बरती है या वे बाधक रहे हैं उनके सी०आर० में इसके बारे में एंटरी की जाएं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ।

अंत में मैं चन्द मांगे ही आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं । एक तो यह है कि एक डबल लाइन गया पटना को दी जाए और डबल लाइन से इनको लिंक किया जाए । साथ ही राजगीर और बोध गया लाइन बहुत दिनों से लम्बित है कार्यान्वियन किया जाय । पटना से गया तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाएं । इसका कारण यह है कि आज से बीस बरस पहले से तीन गाड़िया आती जाती थीं और वही आज भी जाती हैं जबकि गया जिले की ही आबादी 46 लाख हो गई है . यह 1971 के सेंसज में लिखी हुई है और अब तो और भी बढ गई है । इस वास्ते आप एक्सप्रेस गाड़ी चलाएं जो पटना और गया को टच करे ।

सौ किलोमीटर तक की जर्नी पर आपने पांच प्रतिशत किराया बढ़ाने की बात कही है । इसको न करके फर्स्ट क्लास के यात्रियों पर आप बीस के बजाय 25 प्रतिशत किराया बढ़ा

दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा आपने किया तो आपकी योजना ज्यादा गतिशील हो सकेगी।

अन्त में मैं पूज्य पण्डित जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गतिशील और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है।

चौधरी मुलतानसिह (जलेसर) : जो रेल बजट आया है इसका बिरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विरोध करने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। विरोध करने का मतलब यह है कि मैं विभाग की कमियां बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह बजट जन विदोधी और खास करके गरीब विरोधी है। यह जनता की कमर तोड़ने वाला बजट हैं। मैं समझता हूं कि टैक्स और किराया बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। काम तभी चलेगा जब रैलों की कार्य क्षमता को वढ़ाया जाएगा। मेरा खयाल है कि जो पहले रेलों में चौकीदार रखे जाते थे वे जी आर पी के मातहत रखे जाते थे और अब आपने सुरक्षा दल बना दिया है। इससे पचास गुना चोरिया बढ गई हैं। इन चोरियों को अगर रोक दिया जाए तो शायद टैक्स और किराया बढ़ाने की आपको जरूरत महसूस नहीं होगी।

34 साल की आजादी में जितनी भी ट्रेनें बढ़ाई गई हैं वे एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें ही बढ़ाई गई हैं। पण्डित जी बैठे हुए हैं। वह पहले भी रेल मन्त्री रह चुके हैं और आज भी हैं। वह बताएं कि दिल्ली से टुंडला के बीच में सन 1937 में जो गाड़ी चलती थी पैसेंजर क्या आज भी वही एक गाड़ी नहीं चल रही है? टुंडला से कानपुर जो गाड़ी चल रही थी 1940-45 में क्या वह आज भी चल नहीं रही है? टुंडला से फरुखाबाद जो चल रही थी पैसेंजर वही क्या आज भी नहीं चल रही है? दिल्ली से अहमदाबाद पैसेंजर ट्रेन चल रही थी और वही आज भी चल रही है। यह हालत अस्सी प्रतिशत जनता के काम आने वाली पैसेंजर गाड़ियों की है और उनके लाभ के लिए कोई गाड़ी नहीं बढ़ाई गई है। 51 किलोमीटर तक के सफर पर आपने पांच प्रतिशत किराया बढ़ा दिया है। लेकिन इन गाड़ियों में जितनी भीड़ रहती है अगर बड़े आदमी को इन में मुफ्त में भी बिठा दिया जाए तो भी वह शायद बैठना पसन्द नही करेंगे। यह हालत इन गाड़ियों की है और इस पर भी आप ने पांच प्रतिशत किराया उन पर बढ़ा दिया है। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की तादाद आप बढ़ाते चले जा रहे है शायद इस आधार पर कि आबादी शहरों व्यापारियों, नेताओं, की वढ़ रही है जो इन मेल ट्रेनों में सफर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देहातों की क्या आबादी बढ़ नहीं रही है। उन लोगों के फायदे के लिए अपने 1940 से अब तक कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं बढ़ाई है। पैसेंजर ट्रेन में झाड़ू देने वाला कोई नहीं होता है, पंखे नाम के लिए लगा दिए गए हैं और वे चलते नहीं हैं। यह सही बात है। इन डिब्बों में टट्टियों की यह हालत है कि अगर मन्त्री ज उन में चले लाएं तो मेरे ख्याल में एक महीना नहीं तो 25 दिन तक तो जरूर अस्पताल में इलाज करेंगे। इन गाड़ियों में भूसे का तरह आदमियां को भरा जाता है इतना होने पर भी सैंकड़ों आदमी इन गाड़ियों में चढ़ने से वंचित रह जाते हैं, प्लेटफार्मो पर ही खड़े रह जाते हैं।

देहात के स्टेशनों के प्लेटफार्मों की हालत यह है कि उन पर खड़ा होने वालों के लिए धूप पानी तक से बचने के लिए कोई छाया का प्रबन्ध नहीं रहता है। आपने यह दिखा दिया है कि एयर कंडिशंड और फर्स्ट क्लास वालों के वास्ते भी आपने किराया बढ़ा दिया है। लेकिन इन में कौन चलता है ? लोक सभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, इनकम टैक्स देने वाला व्यापारी वर्ग या पास होल्डर या अफसर लोग ही चलते हैं। वहीं से आपको सारे का सारा घाटा होता है। सारा बोझा उसका शासन पर पड़ता है। मैं सुझाव दूंगा कि पूरी की पूरी ट्रेन को आप सेकिंड क्लास कर दें। ऐसा आपने किया तब आपका पता चलेगा कि कैसे लोग इन में यात्रा करते हैं और गरीब लोगों की क्या हालत हो रही है।

यह कह दिया जाता है कि ढाई तीन साल में सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीन सालों में हम ने क्या जुल्म किया है ? कौन सा टैक्स हम ने बढ़ाया है ? कौन सी ट्रेन घटाई है। और कौन भी ट्रेन आपने हमारे लिए बढ़ा दी है ?

आपने कहा है कि गरीबों के काम आने वाली वस्तुओं पर भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। इन सब को इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीज पर आपने भाड़ा नहीं बढ़ाया है ? क्या पत्थर सफेदी बनाने के काम नहीं आता है जिस पर भाड़ा बढ़ा दिया गया है ? क्या गरीब आदमी को ईंटों की जरूरत गाँवों में नहीं होती है जिसको बनाने के लिए काम आने वाले कोयले पर भाड़ा बढ़ाया गया है।

यह जो नाटक है यह आप कब तक इस तरह से रचते रहेंगे ? 34 साल आपको नाटक रचते हुए हो गए हैं। कुछ गरीबों की तरफ भी आपको देखना चाहिए। (इंटरप्शंज) कोई भी पैसेन्जर ट्रेन नहीं बढ़ी है। सभी मेल और एक्सप्रेस बढ़ी हैं। एयर कंडिशंड में जहाँ बीस आदमी आराम से बैठ सकते हैं वहाँ एक आदमी बैठता है। लेकिन दूसरे दर्जे का यह हाल है कि वह ठसाठस भरा रहता है और तिल धरने को भी उस में जगह नहीं रहती है। भूसे का तरह आदमी उस में ठंसे रहते है। जब बैठने के लिए गाड़ियों में जगह नहीं होती है तो क्या जरूरत है इन एयर कंडिशंड गाड़ियों की ? गोमती एक्सप्रेस जो दिल्ली से लखनऊ जाती है। मैं चाहता हूं कि आप हिसाब लगाकर बताएं कि उस के एयर कंडिशंड डिब्बों में कितने टिकट वाले जब से वह चली है अब तक बैठे हैं और कौन लोग हैं जो बैठे हैं ? सिवाय रेल अफसरों के या सुरक्षा दल के सिपाहियों के और कौन हैं जो उनमें जाते हैं। मिनिस्टरों के लिए, एम पीज के लिए, बड़े आदमियों के लिए आपने इनको बना रखा है। एक आदमी जो छत पर बैठ कर चलता है उसकी हालत को आप देखें। आपने थर्ड क्लास को सैकिंड क्लास कर दिया है। लेकिन जो आदमी छत पर बैठ कर चलता है उसको आप क्या नाम देगें ? थर्ड क्लास ? जो बैठ कर चलता है वह तो सैकिंड क्लास हो गया लेकिन जो छत पर बैठ कर चलता है वह कौन सी क्लास हुई ? जो जमीन पर बैठता है उसकी तो कोई श्रेणी ही नहीं है।

जितनी भी ट्रेनें बढ़ाई गई हैं मेल और एक्सप्रेस ही बढ़ाई गई हैं, पैसेंजर नहीं। 1937 से आज तक अहमदाबाद से दिल्ली एक ही पैसेंजर ट्रेन चलती आ रही है, दिल्ली से टुंडला,

टुंडला से कानपुर, शिकोआबाद से फरुखाबाद एक एक ही ट्रेन है। उन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्या कारण है कि अस्सी प्रतिशत जनता की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। फर्स्ट क्लास में जो अफसर जाते हैं वह गवर्नमेंट से किराया ले लेते है। उसकी गांठ से कुछ नहीं जाता है इसी तरह से एयर कंडिशंड का हाल है। इस दर्जे में चलने वाले अधिकांश बड़े लोग जो खर्च करते हैं वह इनकम टैक्स मैं से सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। इन सब का जो भार है वह गरीबों पर ही पड़ता है, जो अस्सी प्रतिशत लोग रेलों में लटक कर चलते हैं उन पर ही पड़ता है ....।

एक माननीय सदस्य : आपने सैकिंड क्लास का पास बनवा लिया है ?

चौधरी मुलतान सिंह : आपकी सरकार है बनवा दिजिये। आप तो महात्मा गांधी के भगत हैं। लेकिन वह थर्ड क्लास में चला करते थे। आप भी चलिए।

मैं चाहता हूं कि जितनी भी ट्रेने बढ़ाई जाएं, पैसेंजर ट्रेनें बढ़ाई जाएं।

अगर कोयले की कमी होती है, तो एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां नहीं रोकी जाती हैं, बल्कि पैसेंजर ट्रेन्ज रोक दी जाती हैं। जिस दिन पेसेंजर ट्रेन रोक दी जाती है. उस दिन ब्याह-शादी करने के लिए जाने वाले गरीब आदमी कैसे जायेंगे ? यह कह कर आपने बहुत तीर मार दिया कि हम ने कोयले की कुछ कमी पूरी कर दी है। कुछ क्यों, सारी कमी को पूरा करना चाहिए।

यह देखना चाहिए कि फलां नम्बर का डिब्बा कितने दिन खड़ा रहा और कितने दिन उसने काम किया। मैं समझता हूं कि डिब्बे यार्ड में 15, 20 दिन खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जितने डिब्बे हमारे पास हैं, अगर उनकी सही मरम्मत हो, तो फिर गाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी। अगर हमारे देश में टाटा मर्सेडीज ट्रक माल लाने ले जाने के लिए न हों, तो दिल्ली के लोगों को ट्रेनों के आसरे तो रोटी भी मयस्सर न हो। पिछले 34 सालों में जितनी भी सहूलियतें दी गई हैं, वे सब बड़े आदमियों को ही दी गई है, छोटे आदमियों को नहीं। दिल्ली में हिन्दुस्तान से कही से भी फल आयें, उनके लिए रेल किराये में रियायत दी गई है। क्या आगरा और कानपुर के लोग फल खाना नहीं जानते हैं ? जो भी रियायत होती है, वह राजधानी को ही दी जाती है।

आप कहते हैं कि गाड़ियां ठीक टाइम पर आ रही हैं बनारस से दिल्ली आने वाली ट्रेनों को टुंडला या कानपुर से दिल्ली तक एक घंटे का फालतू टाइम दे रखा है, तकि यह कहा जा सके कि गाड़ियां समय पर आ रही हैं। लेकिन जाने वाली गाड़ियों का कोई समय नहीं है। पैसेंजर गाड़ियों का कोई समय नहीं है। वे सात, आठ घंटे लेट हो सकती हैं। कानपुर की पैसेंजर ट्रेन टुंडला होते हुए आगरा जाती है। वह कभी भी सात आठ घंटे से कम लेट नहीं होती है।

पैसेंजर ट्रेनों में जितनी डकैतियां होती हैं, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में शायद उनसे एक चौथाई भी नहीं होती हैं। दिल्ली से लखनऊ वाली ट्रेन को वी०आई०पी० ट्रेन कहा जाता है। उसकी सुरक्षा इतनी बढ़िया है कि जगह जगह राइफल लेकर सिपाही खड़े हैं। क्या बड़े आदमियों को ही खतरा है, गरीबों को खतरा नहीं हैं ? पैसेंजर गाड़ी में गरीबों की लड़कियों और बहन-बेटियों के हाथ पैर काट कर जेवर छीन लिए जाते हैं। डकैत पांच सात आदमियों को कट्टों से मार कर भाग जाते हैं। मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।

मैं मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तरफ आगरा, इटावा और काल्पी और दूसरी तरफ ग्वालियर, भिंड, भरतपुर और धोलपुर-बीच का एरिया दैत्यों का इलाका कहलाता है। और यह आज की बात नहीं है, इतिहास बताता है कि बाबर को भी वहां अमन कायम करने के लिए दस हज़ार घोड़े रखने पड़े थे। पहले आगरा से बाह एक ट्रेन चलती थी। वह लाइन उखाड़ दी गई। एक लाइन गुना से इटावा जा रही है। उसको इटावा से बाह होते हुए शिकोहाबाद, भिन्ड व कागरा से मिला दिया जाये, जो कि पुरानी रेल की लाइन है।

एक लाइन टुंडला से एटा गई है। उससे न सरकार का कोई हित होता है और न जनता का। उसको एटा से कासगंज तक बढ़ा दिया जाये। ताकि इसकी पूरी उपयोगिता हो सके।

छोटे छोटे पुल ढके हुए हैं, लेकिन टुंडला का यात्री पुल आज तक कवर्ड नहीं हो सका है। पैसेंजर भीग कर बीमार हो जाते हैं। वह बहुत लम्बा पुल है। उस पर चादर डाल कर कवर कर दिया जाए।

तीसरा सुझाव टुन्डला के सैकेन्ड क्लास वेटिंग रूम के बारे में है। टुंडला आगरा के पेसेंजर्स आते हैं। फर्स्टक्लास वेटिंग रूम की हालत तो यह है कि आप के रेलवे कर्मचारी और सुरक्षा विभाग के लोग उस में पड़े रहते हैं, कोई पेसेंजर उस में ठहर नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि सैकन्ड क्लास वेटिंग रूम के ऊपर थोड़ा सा पुल बढ़ा करके रेस्ट रूम बना दिए जायं। उस से आप को किराया भी आएगा।

चौथा सुझाव यह है कि टुंडला में जो एन्क्वायरी है वह प्लेटफार्म पर है, प्लेटफार्म टिकट लिए बिना कोई वहां नहीं जा सकता, इसलिए एन्क्वायरी को बाहर कर दिया जाय और 24 घंटे के लिए कर दिया जाय।

टुंडला के नजदीक एक स्टेशन है एतमादपुर। वह इलाहाबाद डिवीजन में है। आप के पूरे एटा डिस्ट्रिक्ट की और आगरा डिस्ट्रिक्ट की शमशान भूमि वहाँ जमुना पर है और वह तीर्थस्थान भी है। उसके लिए जो फाटक बना हुआ है वह काफी पुराना है व स्टेशन के पास है। अब वहां का रेलवे यार्ड काफी बढ़ा दिया गया है जिसकी बजह से दिन दिन भर वह फाटक बन्द रहता है। गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आठ घंटे हो जाने के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर चला जाता है, आगे उसको जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहूँगा कि उस रेल फाटक को

पश्चिम की तरफ कर दिया जाय। सात साल से इसका सुझाव चल रहा है लेकिन रेलवे अफसर एक कारखाना मालिक से मिले हुए हैं इसलिए उस फाटक को हटाना नही चाहते और वहां की हालत यह है कि दिन भर मुर्दे गाड़ी में पड़े रहते हैं और जमुना पर जाने का रास्ता नहीं मिलता।

मोहमदाबाद और रुघऊ ग्राम के बीच में रेलवे का एक फाटक था याडं बढ़ाने की बजह से वह बन्द कर दिया गया। अब किसानों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पश्चिम की तरफ यार्ड छोड़कर ऐलादपुर के बीच एक रेल फाटक बना दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं।

6.02 म.प. इसके पश्चात् लोक सभा, बुधवार 18 जून, 1980/28, ज्येष्ठ, 1902 शक के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

© 1980 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (तीसरी संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, इंडियन प्रेस, द्वारा मुद्रित।